VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

क्लासरूम स्टडी मटीरियल 2023

(August 2022 to May 2023)

www.visionias.in 8468022022, 9019066066

अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

विषय सूची

1. भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध (India and its Neighborhood Relations) 7

1.1. भारत-चीन संबंध (India-China Relations) 7
1.1.1. भारत-चीन सीमा विवाद (India-China Border Dispute) 8
1.1.2. भारत-ताइवान संबंध (India-Taiwan Relations) 9
1.2. भारत-बांग्लादेश संबंध (India-Bangladesh Relations) 11
1.2.1. बांग्लादेश की प्रधान मंत्री की भारत यात्रा (Bangladesh PM's visit to India) 12
1.3. भारत-भूटान संबंध (India-Bhutan Relations) 13
1.3.1. भूटान नरेश की भारत यात्रा (Bhutan King's recent visit to India) 13
1.4. भारत-नेपाल संबंध (India-Nepal Relations) 14
1.4.1. भारत-नेपाल जलविद्युत संबंध (India-Nepal Hydropower Relationship) 15
1.5. सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty: IWT) 16
1.5.1. सीमा-पार बाढ़ प्रबंधन (Cross Border Flood Management) 16
1.6. तालिबान के प्रति भारत का रुख (India's Engagement with Taliban) 18
1.7. भारत-मालदीव संबंध (India-Maldives Relations) 20
1.8. भारत के उत्तर-पूर्व में स्थित पड़ोसी देश (India and North Eastern Neighbours) 21
1.9. भारत और हिंद महासागर क्षेत्र (India-Indian Ocean Region) 22
1.10. भारत-दक्षिण एशिया (India-South Asia) 24
1.10.1. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association for Regional Cooperation: SAARC) 25
1.10.2. सॉफ्ट लोन डिप्लोमेसी (Soft Loan Diplomacy) 26

2. भारत को शामिल करने वाले और/ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय समूह तथा समझौते (Bilateral Grouping and Agreements Involving India and/or Affecting India's Interest) 28

2.1. भारत-रूस संबंध (India-Russia Relations) 28
2.2. भारत-जापान संबंध (India-Japan Relations) 29
2.3. भारत-दक्षिण कोरिया संबंध (India-South Korea Relations) 30
2.4. भारत-वियतनाम संबंध (India-Vietnam Relations) 31
2.5. भारत-थाईलैंड (India-Thailand) 31
2.6. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध (India Australia Relations) 33
2.7. भारत-यू.के. संबंध {India-United Kingdom (UK) relations} 34

2.8. भारत-यूरोपीय संघ संबंध (India-European Union Relations) 35
2.8.1. भारत-जर्मनी संबंध (India-Germany Relations) 35
2.9. भारत-नॉर्डिक संबंध (India-Nordic Relations) 36
2.10. भारत और पश्चिम एशिया/ मध्य पूर्व संबंध (India and West Asia/Middle East Relations) 37
2.10.1. पश्चिम एशिया में नया समूह (New Group in West Asia) 38
2.10.2. भारत-सऊदी अरब संबंध (India-Saudi Arabia Relations) 40
2.10.2.1 भारत के विदेश मंत्री की सऊदी अरब की अपनी पहली यात्रा (MEA First Visit to Saudi Arabia) 41
2.10.3. चाबहार पोर्ट (Chabahar Port) 41
2.10.4. भारत-कतर (India-Qatar) 43
2.10.5. भारत-इजराइल संबंध (India-Israel Relations) 44
2.10.6. अब्राहम समझौता (Abraham Accords) 45
2.10.7. पश्चिम एशिया में अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम (Other Important Developments in West Asia) 46
2.11. भारत-अफ्रीका संबंध (India-Africa Relations) 47
2.11.1. भारत-अफ्रीका रक्षा संबंध (India-Africa Defence Relations) 47
2.11.2. भारत-मॉरीशस संबंध (India-Mauritius Relations) 50
2.11.3. दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय (Southern African Development Community: SADC) 50

3. भारत से जुड़े और/ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और समझौते (Regional, and Global Groupings and Agreements Involving India and/or Affecting India's Interest) 53

3.1. भारत-यूरेशिया (India-Eurasia Relations) 53
3.2. भारत-लैटिन अमेरिका संबंध (India-Latin America Relations) 54
3.2.1. भारतीय विदेश मंत्री की लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा (MEA visit to Latin American Countries) 55
3.3. हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo Pacific Region) 56
3.3.1. इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity: IPEF) 57
3.3.2. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय सहयोग (Regional Cooperation for Disaster Risk Management in Indo-Pacific) 58
3.3.2.1. भारत की आपदा राहत कूटनीति (India's Disaster Relief Diplomacy) 60
3.3.3. भारत और प्रशांत द्वीपीय देश (India and Pacific Island Countries: PIC) 62
3.4. भारत-अमेरिका-चीन का त्रिकोणीय संबंध (India-USA-China Triangle) 64
3.4.1. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के विकल्प (Alternatives To Belt and Road Initiative: BRI) 67
3.5. लघुपक्षीय समूहों का उद्भव (Rise of the Minilaterals) 69
3.5.1. भारत, ईरान और आर्मेनिया: एक त्रि-पक्षीय समूह (India, Iran, Armenia Trilateral) 70
3.5.2. भारत-जापान-दक्षिण कोरिया त्रिपक्षीय पहल (India-Japan-South Korea trilateral) 71
3.5.3. भारत-फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय पहल (India-France-Australia Trilateral) 72
3.5.4. भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) त्रिपक्षीय {India-Brazil-South Africa (IBSA) Trilateral} 73
3.6. उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organization: NATO) 74

3.7. शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation: SCO) 76
3.7.1. शंघाई सहयोग संगठन की बैठक (SCO Meeting) 77
3.8. क्वाड QUAD) 78
3.8.1. क्वाड शिखर सम्मेलन (QUAD Summit) 78
3.9. पूर्वी आर्थिक मंच (Eastern Economic Forum: EEF) 79
3.9.1. भारत की आर्कटिक नीति (India in Arctic) 80
3.10. ब्रिक्स (BRICS) 84
3.10.1. ब्रिक्स का विस्तार (BRICS expansion) 85
3.11. आसियान (ASEAN) 86
3.11.1. भारत-आसियान शिखर सम्मेलन (India-ASEAN Summit) 87
3.12. ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी (G20) 88
3.12.1. बाली घोषणा-पत्र (Bali Declaration) 89
3.13. ग्रुप ऑफ़ सेवन (Group of Seven: G-7) 90
3.13.1. G7 शिखर सम्मेलन (G7 Summit) 91
3.14. बिम्सटेक (BIMSTEC) 92

4. भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव (Effect of Policies and Politics of Developed and Developing Countries on India's Interests) 93

4.1. ट्रांस-हिमालयन मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क (Trans-Himalayan Multi-Dimensional Connectivity Network: THMCN) 93
4.2. ऑकस (AUKUS) 94
4.3. कॉम्प्रिहेंसिव ऐंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) 96
4.4. रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) 98

5. महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश (Important International Institutions, Agencies, and Fora, Their Structure, Mandate) 99

5.1. संयुक्त राष्ट्र (United Nations) 99
5.1.1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council: UNSC) 99
5.1.2. संघर्षों को प्रभावी तरीके से रोकने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका (Role of UN in Conflict Management) 100
5.1.3. संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन (UN Peacekeeping Mission) 102
5.1.4. दोहा राजनीतिक घोषणा-पत्र (Doha Political Declaration) 104
5.2. एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank: ADB) 106

6. बदलती विश्व व्यवस्था की गतिशीलता (Dynamics Of Changing World Order) 108

6.1. नियम आधारित विश्व व्यवस्था (Rules Based World Order: RBWO) 108

6.2. भारत की विदेश नीति की गतिशीलता (Evolving Dynamics of India's Foreign Policy) 109
6.2.1. भारत की आर्थिक कूटनीति (India's Economic Diplomacy) 110
6.2.2. पैराडिप्लोमेसी (Paradiplomacy) 111
6.3. भारत और ग्लोबल साउथ (India and Global South) 111
6.4. सॉफ्ट पॉवर कूटनीति (Soft Power Diplomacy) 115
6.4.1. सॉफ्ट पावर कूटनीति के रूप में धर्म (Religion As Soft Power Tool) 115
6.4.2. भारतीय डायस्पोरा (Indian Diaspora) 118
6.5. साझी सुरक्षा (Common Security) 119
6.6. खाद्य सुरक्षा की भू-राजनीति (Geopolitics of Food Security) 121
6.7. प्रौद्योगिकी की भू-राजनीति (Geopolitics of Technology) 122

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अलग कर वर्ष 2013–2022 तक पूछे गए प्रश्नों (अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड के लिए) की एक रेफरेंस शीट प्रदान की गई है। इस डॉक्यूमेंट के साथ, यह परीक्षा की मांग को समझने और बेहतर उत्तर लिखने के लिए थॉट प्रॉसेस को विकसित करने में मदद करेगा।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थियों,

समसामयिक घटनाक्रमों को ठीक से समझने से जटिल मुद्दों के बारे में आपकी समझ और बेहतर हो सकती है। इससे विशेष रूप से मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आपको बारीक समझ विकसित करने में मदद मिलती है।

इसे ध्यान में रखते हुए, मेन्स 365 डॉक्यूमेंट्स के जरिए आपकी अध्ययन प्रक्रिया को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसी विशेषताएं शामिल हैं जिससे आपको उत्तर तैयार करने व संक्षेप में लिखने, कंटेंट को बेहतर रूप से समझने और उसे याद रखने में सहायता मिलेगी।

इस संदर्भ में हमने इस डॉक्यूमेंट में कुछ नई विशेषताएं शामिल की हैं:

टॉपिक – एक नज़र में: इसमें आवश्यक डेटा और तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। यह स्टेटिक जानकारी और समसामयिक घटनाओं के विश्लेषण को जोड़कर विषय का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेगा।

इन्फोग्राफिक्स: इन्फोग्राफिक्स को इस डॉक्यूमेंट में इस तरह से शामिल किया गया है कि उन्हें आप तेजी से रिवाइज कर सकें तथा अपने उत्तरों में आसानी से शामिल कर सकें, जिससे आपके उत्तर और आकर्षक व इंफॉर्मेटिव दिखेंगे।

वीकली फोकस डॉक्यूमेंट्स की सूची
प्रासंगिक वीकली फोकस डॉक्यूमेंट्स की QR कोड से लिंक्ड एक सूची को इस डॉक्यूमेंट के अंत में जोड़ा गया है ताकि आपको इन विषयों तक पहुंचने में आसानी हो।

विगत वर्षों के प्रश्न: बेहतर तरीके से रिविजन हेतु सिलेबस के अनुसार अलग कर पिछले वर्ष के प्रश्नों के लिए एक QR कोड प्रदान किया गया है।

हम आशा करते हैं कि मेन्स 365 डॉक्युमेंट्स आपकी तैयारी में प्रभावी ढंग से आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको मुख्य परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करेंगे।

"आप कभी भी, किसी से भी, कुछ भी सीख सकते हैं। हमेशा एक ऐसा समय आएगा, जब आप सुखद अनुभव करेंगे कि आपने ऐसा किया।"

शुभकामनाएं! टीम VisionIAS

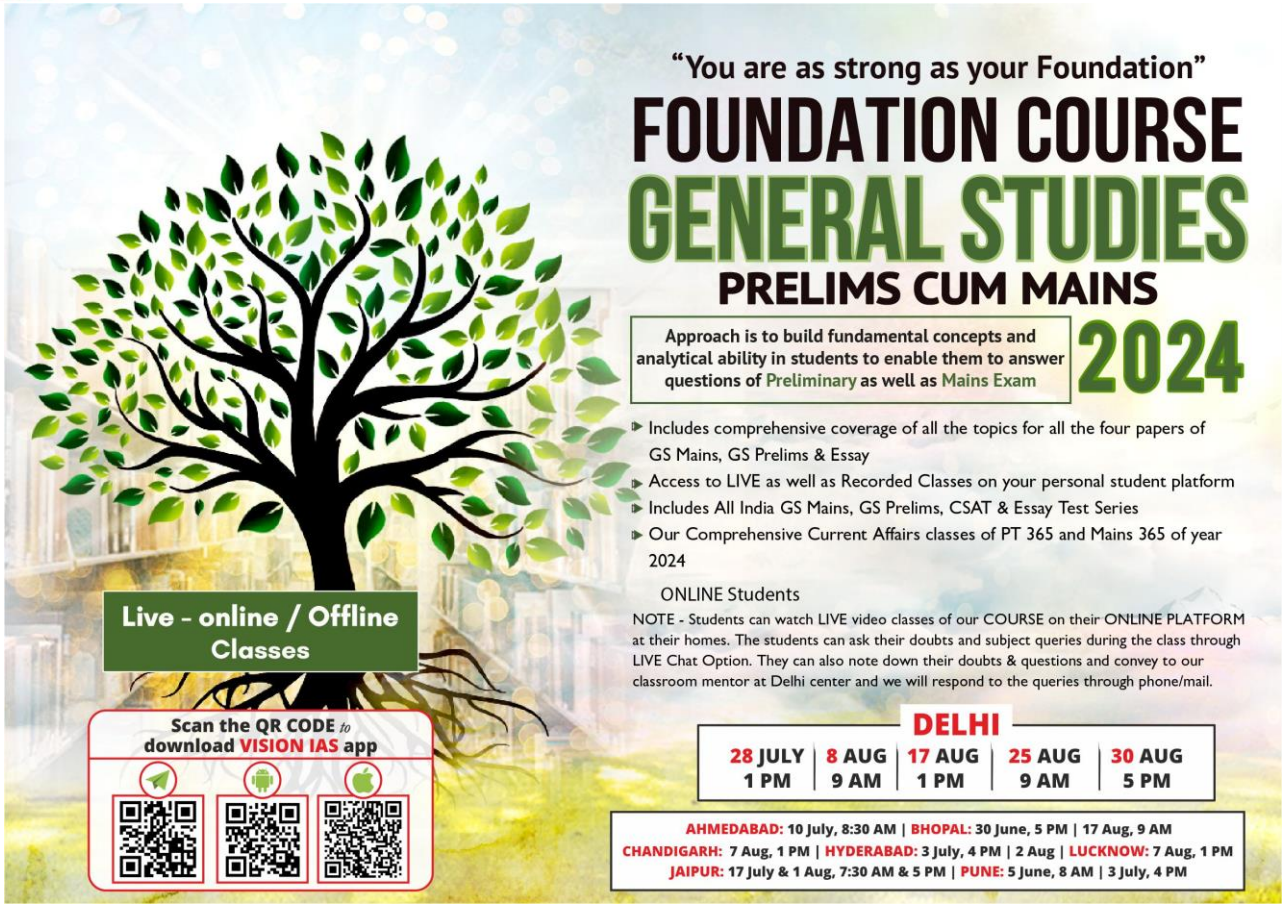
"You are as strong as your Foundation"
FOUNDATION COURSE
GENERAL STUDIES
PRELIMS CUM MAINS
2024
Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains Exam
Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims & Essay
Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform
Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2024
ONLINE Students
NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts and subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions and convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail.
Live - online / Offline Classes
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI
28 JULY 1 PM | 8 AUG 9 AM | 17 AUG 1 PM | 25 AUG 9 AM | 30 AUG 5 PM
AHMEDABAD: 10 July, 8:30 AM | BHOPAL: 30 June, 5 PM | 17 Aug, 9 AM
CHANDIGARH: 7 Aug, 1 PM | HYDERABAD: 3 July, 4 PM | 2 Aug | LUCKNOW: 7 Aug, 1 PM
JAIPUR: 17 July & 1 Aug, 7:30 AM & 5 PM | PUNE: 5 June, 8 AM | 3 July, 4 PM

ABHYAAS
MAINS 2023
ALL INDIA GS MAINS
MOCK TEST (OFFLINE)*
PAPER DATES
ESSAY 25 AUGUST | GS - 1 & GS - 2 26 AUGUST | GS - 3 & GS - 4 27 AUGUST
OFFLINE IN 40+ CITIES
All India Percentile
Comprehensive Evaluation, Feedback & Corrective Measures
Available In ENGLISH / हिन्दी
AHMEDABAD | AIZAWL | BENGALURU | BHOPAL | BHUBANESWAR | CHANDIGARH | CHENNAI | COIMBATORE | DEHRADUN
DELHI | GHAZIABAD | GORAKHPUR | GUWAHATI | HYDERABAD | IMPHAL | INDORE | ITANAGAR | JABALPUR | JAIPUR
JAMMU | JODHPUR | KANPUR | KOCHI | KOTA | KOLKATA | LUCKNOW | LUDHIANA | MUMBAI | NAGPUR | NOIDA | PATNA
PRAYAGRAJ | PUNE | RAIPUR | RANCHI | ROHTAK | SHIMLA | THIRUVANANTHAPURAM | VARANASI | VIJAYAWADA |
VISAKHAPATNAM

1. भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध (India and its Neighborhood Relations)

1.1. भारत-चीन संबंध (India-China Relations)

भारत–चीन व्यापार संबंधः एक नज़र में

2022 में चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 135.98 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसके अलावा, चीन के साथ **भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 100 बिलियन डॉलर से अधिक** हो गया।

चीन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। प्रमुख निर्यात मदों में **पेट्रोलियम उत्पाद** और प्रमुख आयात मदों में **इलेक्ट्रिकल मशीनरी, परमाणु उत्पाद** आदि शामिल हैं।

अप्रैल, 2000 से दिसंबर, 2021 के दौरान **भारत में FDI इक्विटी अंतर्वाह में केवल 0.43% हिस्सेदारी** के साथ चीन 20वें स्थान पर है।

बढ़ते व्यापार घाटे के कारण

- **इलेक्ट्रिकल मशीनरी** जैसे उत्पादों के कारण आयात बढ़ रहा है।
- **कम मूल्य का निर्यातः** चीन को भारत द्वारा किए जाने वाले निर्यात में मुख्य रूप से कम मौद्रिक मूल्य वाली प्राथमिक वस्तुएं, जैसे– लौह अयस्क आदि शामिल हैं।
  - इसके अलावा, भारत के पास निर्यात के लिए वस्तुओं की एक संकीर्ण बास्केट है।
- **बाजार पहुंचः** चीन भारत के उच्च क्षमता वाले निर्यात क्षेत्रकों, जैसे– फार्मास्यूटिकल्स, IT/ITeS आदि पर कर और गैर–कर बाधाएं लागू करता है।
- बाजार पर नियंत्रण करने के लिए कम लागत पर **भारतीय बाजार में उत्पादों की डंपिंग।**
- **चीन की विनिमय दर नीतिः** इसने अमेरिकी डॉलर के संबंध में रॅन्मिन्बी का अवमूल्यन किया है, जिससे भारत के लिए निर्यात महंगा हो गया।
- **मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकताः** कई कारणों से चीनी उत्पाद सस्ते होते हैं।

व्यापार घाटे को रोकने के लिए भारत द्वारा की गई पहलें

आयात को घटाने हेतु किए गए उपाय

- **संरक्षात्मक उपायः** चीन के उत्पादों पर एंटी–डंपिंग और काउंटरवेलिंग शुल्क लगाया जा रहा है।
- **आत्मनिर्भर भारतः** इस पहल के तहत सरकार घरेलू विनिर्माण/उत्पादों को बढ़ावा दे रही है।
  - भारतीय उद्योग की रक्षा के लिए भारत **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP)** में शामिल **नहीं** हुआ।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधनः** भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI)** आरंभ किया है।
- **उत्पाद प्रतिबंधः** भारत ने कुछ उत्पादों, जैसे– कई सारे चाईनीज एप्लिकेशन्स, बिजली उपकरणों आदि पर प्रतिबंध लगाए हैं।

निर्यात बढ़ाने हेतु किए गए उपाय

- **उत्पादन–से–संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) (2020):** इसके तहत सरकार भारतीय कंपनियों को उनके उत्पादों की बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- **मेक इन इंडिया (2014):** इसका उद्देश्य भारत को दुनिया में विनिर्माण का केंद्र बनाना है।
- **विशिष्ट क्षेत्रकों को बढ़ावाः** भारत को वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाने और आयात बिल में कटौती करने के लिए 2020 में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 12 क्षेत्रकों की पहचान की थी।

आगे की राह

- **आत्मनिर्भरः** इलेक्ट्रिकल, API आदि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीति तैयार करने की आवश्यकता है।
- **बाजार पहुंचः** कूटनीतिक माध्यम और सॉफ्ट पावर का उपयोग करके, उच्च मूल्य वाले निर्यात हेतु अधिक पहुंच उपलब्ध कराई जा सकती है।
- **आयात प्रतिस्थापनः** भारत अपने घरेलू उत्पादों से चीनी आयात को प्रभावी ढंग से प्रतिस्थापित कर सकता है।
- **भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकताः** भारत को अपने उत्पादों की लागत–प्रभावशीलता को बढ़ाना चाहिए।

भारत को अपना व्यापार घाटा कम करने के लिए रणनीतिक नीति बनानी चाहिए। साथ ही, उसे चीन के समक्ष असंतुलित व्यापार घाटे के बारे में अपनी चिंताओं को प्रकट करना चाहिए ताकि बाजार पहुंच के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

1.1.1. भारत-चीन सीमा विवाद (India-China Border Dispute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने चीन के नए कानून पर चिंता प्रकट की है। भारत को लगता है कि यह कानून सीमा के प्रबंधन और समग्र सीमा के प्रश्न पर मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों को प्रभावित कर सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस कानून का **अनुच्छेद 8 भारत के लिए विशेष चिंता का विषय** है। इस अनुच्छेद के अनुसार, यदि कोई संगठन या व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है, जिससे चीन के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचता है, तो उसे इस कानून के जरिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।
- इसके अलावा, **अनुच्छेद 33** में उपबंध किया गया है कि चीन की सरकार को देश की संप्रभुता या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शासित करने वाले मौलिक मानदंडों को खतरे में डालने वाले **कृत्यों के खिलाफ जवाबी कार्यवाही करने का भी अधिकार** है।

चीन के साथ सीमा विवाद के बारे में

- दोनों देशों के मध्य **वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) को लेकर आपसी सहमति का अभाव** है।
  - LAC को **तीन भागों में विभाजित** किया गया है, यथा- पश्चिमी, मध्य और पूर्वी।
    - **पश्चिमी क्षेत्र (लद्दाख);**
    - **मध्य क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड); तथा**
    - **पूर्वी क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम)।**
  - तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से सटे कुछ क्षेत्रों पर चीन और भारत, दोनों अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। इन क्षेत्रों में **चीन कथित तौर पर अपनी तरफ से बुनियादी ढांचों का निर्माण** कर रहा है।
  - यह **चीन की सलामी स्लाइसिंग रणनीति या कैबेज रणनीति** का हिस्सा है। यह अपने **पड़ोसियों के नए क्षेत्रों पर कब्जा करने की चीनी रणनीति** है।
- **भारत-चीन के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए 5 व्यवस्थाओं की एक श्रृंखला है।** इनमें सबसे नया 2013 में हस्ताक्षरित **सीमा रक्षा सहयोग समझौता** है।

अनसुलझे सीमा विवाद के लिए उत्तरदायी कारण

- **सीमा का सीमांकन:** भारत-चीन सीमा लगभग 3,000 कि.मी. लंबी है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। इसके कारण दोनों देशों के बीच **सीमा को लेकर कई तरह की धारणाएं** बनी हैं।
- **संसाधन से युक्त/ सामरिक भाग:** लद्दाख भारत के लिए बहुत अधिक मूल्यवान है, क्योंकि यह ताजे जल की आपूर्ति में मदद करता है। चूंकि, यह चीनी शिनजियांग प्रांत को पश्चिमी तिब्बत से जोड़ता है इसलिए लद्दाख चीन के लिए भी बहुत महत्त्व रखता है।
- **भारत के भू-राजनीतिक हितों से कथित खतरा:** भारत की **नेबरहुड फर्स्ट नीति,** संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का बढ़ता प्रभाव।
- **बढ़ता शक्ति असंतुलन:** चीन दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में विशेष रूप से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के माध्यम से भारत की स्थिति को चुनौती दे रहा है।
  - चीन ने प्रथम **"चीन-हिंद महासागर क्षेत्र मंच[1]"** का आयोजन किया है। भारत को छोड़कर, इस क्षेत्र के 19 देशों और भारत के सभी पड़ोसी देशों ने इस बैठक में भाग लिया है। इस बैठक में चीन और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच **एक समुद्री आपदा रोकथाम तथा शमन सहयोग तंत्र** स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

आगे की राह

- दोनों देशों को आपसी भरोसा पैदा करने के लिए खुले संवाद के माध्यम से एक-दूसरे की क्षेत्रीय पहलों के बारे में बेहतर समझ बनानी चाहिए।
  - भारत के लिए "इंडिया-पैसिफिक विज़न" उतनी ही विकासात्मक आवश्यकता में है, जितनी चीन के लिए बेल्ट एंड रोड पहल (BRI)।
- दोनों देशों को अपनी **सेनाओं की तैनाती में कमी** करनी चाहिए।
- **संतुलित व्यापारिक और आर्थिक संबंध** भविष्य के संबंधों के लिए एक ठोस नींव का निर्माण कर सकते हैं।

[1] China-Indian Ocean Region Forum

- यदि चीन भारत की बहुपक्षीय आकांक्षाओं को स्वीकार कर ले तो दोनों देश कई वैश्विक मुद्दों पर आपस में सहयोग कायम कर सकते है। इसमें वैश्विक स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन से लेकर नई प्रौद्योगिकियों में मानक स्थापित करने जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।
- **प्रमुख साझेदार देशों के साथ अपने-अपने हितों में संतुलन:** इस संदर्भ में, चीन के लिए पाकिस्तान और भारत के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका।

1.1.2. भारत-ताइवान संबंध (India-Taiwan Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत में, **ताइवान-भारत** उप-वित्त मंत्री स्तरीय वार्षिक बैठक आयोजित की गई।

बैठक के मुख्य परिणाम

- ताइवान ने अपनी **"न्यू साउथबाउंड पॉलिसी (NSP)"** के तहत भारत को प्राथमिकता प्रदान की है।
  - **NSP को 2016 में शुरू** किया गया था। इसका उद्देश्य अपने क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ाने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के व्यापक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए ताइवान की **सांस्कृतिक, तकनीकी और आर्थिक परिसंपत्तियों का लाभ** उठाना है।
- भारत ने **ताइवान के उद्योगों को इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, हरित प्रौद्योगिकियों** जैसे क्षेत्रकों में विस्तार करने के लिए **अवसर प्रदान करने में अपनी रुचि व्यक्त** की है।
- **भारत में सेमीकंडक्टर सुविधा की स्थापना की जाएगी।**

भारत-ताइवान संबंधों के बारे में

- भारत **वर्ष 1949 से 'एक चीन' नीति** का पालन करता रहा है और अभी तक **ताइवान के साथ उसका कोई औपचारिक संबंध नहीं** है।
  - 'एक चीन' नीति इस **तथ्य की स्वीकृति** है कि अलग-अलग चीनी राज्यों की बजाय **'चीन की केवल एक ही सरकार'** है।
  - इसके अलावा, इस सिद्धांत के तहत विश्व के देश **ताइवान, तिब्बत, हांगकांग और शिनजियांग** जैसे विवादित राज्यक्षेत्रों को चीनी मुख्य भूमि का ही एक अविभाज्य हिस्सा मानते हैं।
- हालांकि, **भारत ने ताइवान के साथ गैर-राजनयिक (अनौपचारिक) संबंध** स्थापित किए हुए हैं। इन संबंधों को दोनों देशों के मध्य आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग द्वारा सुविधाजनक बनाया गया है।
- ज्ञातव्य है कि **2010 से, भारत ने "एक चीन नीति"** शब्दावली का उपयोग करना बंद कर दिया है।
- **संबंधों में हालिया घटनाक्रम:**
  - भारत ने ताइवान के साथ **'दोहरे कराधान से बचाव समझौता' और 'द्विपक्षीय निवेश संधि'** पर हस्ताक्षर किए हैं।
  - वर्ष 2018 में, एक **संसदीय समिति ने दोनों पक्षों की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए भारत-ताइवान संबंधों को मजबूत करने की सिफारिश** की थी।
  - **वेदांता और फॉक्सकॉन (ताइवान) ने गुजरात में सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण संयंत्र** स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत और ताइवान के बीच मजबूत संबंध विकसित करने की आवश्यकता क्यों?

- **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) की सफलता के लिए:** ताइवान सेमीकंडक्टर निर्माण में **अग्रणी** है। उल्लेखनीय है कि भारत की सेमीकंडक्टर जरूरत का **74% ताइवान से आयात** किया जाता है।
  - इसके अलावा, यह **सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन के लिए भी महत्वपूर्ण** है।
- **स्वतंत्र और खुला हिंद-प्रशांत:** ताइवान चीन की आक्रामकता से निपटने के साथ-साथ दक्षिण चीन सागर में भारत की वाणिज्यिक महत्वाकांक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु है।
- **भू-राजनीतिक बदलाव:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र और क्वाड के उद्भव ने भारत व ताइवान को अपने द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया है।

भारत-ताइवान संबंधों में चुनौतियां

- **चीन कारक:** ताइवान और तिब्बत से अपने संबंधों के संचालन में भारत चीन की संवेदनशीलता को लेकर अत्यधिक सतर्क रहता है। उदाहरण के लिए- ताइवान कभी भी भारत की 'लुक ईस्ट' और अब 'एक्ट ईस्ट' नीति का केंद्रीय तत्व नहीं रहा है।
- **निरंतरता की कमी:** आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई आकर्षक कारण मौजूद होने के बावजूद, दोनों पक्षों के मध्य संबंध ठोस नहीं रहे हैं। इनमें कभी-कभी ही प्रगाढ़ता आई है।
- **सीमित आर्थिक भागीदारी:** दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1995 के 934 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2011 में **7.5 बिलियन डॉलर** हो गया था। ज्ञातव्य है कि 2011 के बाद से यह व्यापार धीमी वृद्धि दर्शा रहा है। **वर्ष 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार 8.9 अरब डॉलर था।**
- **लोगों के बीच सीमित संपर्क:** शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रकों से काफी हद तक लाभ प्राप्त किया जाना बाकी है। भारतीय विश्वविद्यालयों में ताइवान-केंद्रित विद्वानों की एक सीमित संख्या ही मौजूद है, ऐसी ही स्थिति ताइवान में भी है।

भारत-ताइवान आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आगे की राह

- **एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की आवश्यकता:** FTA परिशुद्ध कृषि (Precision Agriculture), नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रकों में सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा।
- **दक्षिण चीन सागर में सहयोग:** दक्षिण चीन सागर में संसाधनों की खोज और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देना भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं होनी चाहिए।
- **नियमित राजनीतिक वार्ताएं आयोजित करना: भारत-ताइवान संसदीय मैत्री मंच की बैठक को नियमित** किया जाना चाहिए। साथ ही, इस प्रकार की वार्ताओं को सुविधाजनक बनाने के लिए अन्य तंत्र भी स्थापित किए जाने चाहिए।

संबंधित तथ्य:

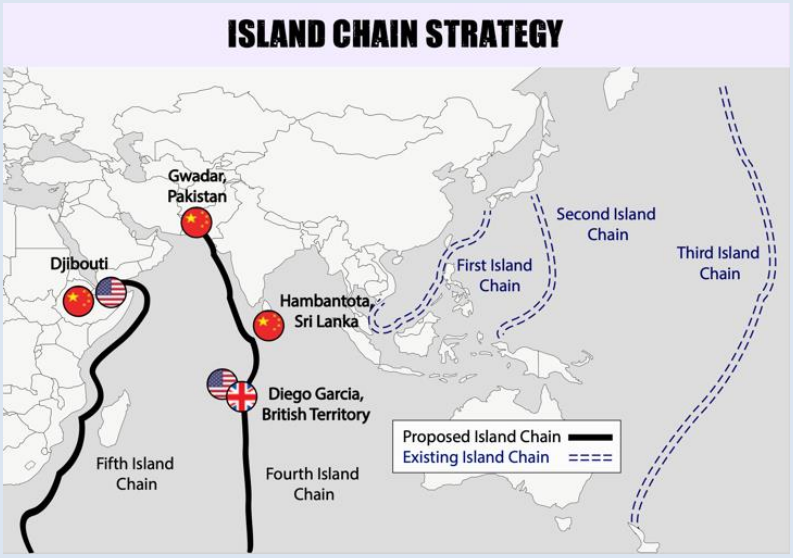

चीन-ताइवान संघर्ष की पृष्ठभूमि

- ताइवान (इसे पहले फॉर्मोसा के नाम से जाना जाता था) पहली बार 17वीं शताब्दी में पूर्ण चीनी नियंत्रण में आया, जब **क्विंग राजवंश** ने इस पर प्रशासन शुरू किया। फिर, 1895 में **पहले चीन-जापान युद्ध** में हार के बाद उन्होंने यह द्वीप जापान को सौंप दिया।
- **द्वितीय विश्व युद्ध में** जापान की हार के बाद 1945 में चीन ने फिर से इस द्वीप पर कब्जा कर लिया।
- 1949 में चीन में गृहयुद्ध के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई और उन्होंने बीजिंग पर अधिकार स्थापित कर लिया। च्यांग काई-शेक और राष्ट्रवादी पार्टी (जिसे **कुओमिन्तांग** के नाम से जाना जाता है) भागकर ताइवान चले गए, जहां उन्होंने अगले कई दशकों तक शासन किया।
- चीन इस इतिहास का हवाला देते हुए कहता है कि ताइवान मूल रूप से एक चीनी प्रांत था। हालांकि, ताइवानी उसी इतिहास की ओर इशारा करते हुए तर्क देते हैं कि वे उस आधुनिक चीनी राज्य का हिस्सा नहीं थे, जो 1949 में माओ के अधीन स्थापित किया गया था।

ताइवान के लिए अमेरिकी नीति क्या है?

- अमेरिका **1970 के दशक** से ताइवान को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता देते हुए **'एक चीन' नीति** का समर्थन करता रहा है। हालांकि, ताइवान के साथ भी उसके अनौपचारिक संबंध हैं। ताइवान के साथ उसकी इस नीति को **'रणनीतिक अस्पष्टता' या 'इरादतन अस्पष्टता'** की रणनीति के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ है कि अमेरिका जानबूझकर यह स्पष्ट नहीं कर रहा है कि वह हमले की स्थिति में ताइवान की रक्षा करेगा या नहीं।
  - हालांकि, अमेरिका ने ताइवान के साथ अनौपचारिक संबंधों को बनाए रखा है। वह अपने **ताइवान रिलेशन्स एक्ट, 1979** के तहत ताइवान की पर्याप्त आत्मरक्षा क्षमताओं को बनाए रखने के लिए उसे हथियारों और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करता है। अमेरिका **ताइवान के लिए अब तक का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता** रहा है।
- ताइवान द्वीप अमेरिका के अनुकूल क्षेत्रों की तथाकथित **"फर्स्ट आईलैंड चेन"** का हिस्सा है। इस सूची में वे देश शामिल हैं, जो अमेरिकी विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण हैं।
  - यह चेन रक्षा की पहली पंक्ति है और **पूर्वी चीन सागर, फिलीपीन सागर, दक्षिण चीन सागर और सुलु सागर के बीच समुद्री सीमाओं** के रूप में कार्य करती है।
  - यह 1951 में अमेरिका द्वारा तैयार की गई **आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी** (चित्र देखें) का एक हिस्सा है, जिसमें पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक अड्डों की एक श्रृंखला बनाकर तत्कालीन सोवियत संघ (USSR) और चीन को रोकने का प्रयास किया गया है।

1.2. भारत-बांग्लादेश संबंध (India-Bangladesh Relations)

भारत–बांग्लादेश संबंधः एक नज़र में

भारत और बांग्लादेश के बीच एक अनोखा साझा संबंध है। दोनों देश **समान इतिहास (1947 के विभाजन तक), भाषा, संस्कृति** आदि से जुड़े हुए हैं और एक सामूहिक भविष्य की तलाश में हैं।

- दोनों देशों के बीच **द्विपक्षीय व्यापार 18.2 अरब डॉलर का** है।
- बांग्लादेश **दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** है।
- बांग्लादेश भारत के **लाइन ऑफ़ क्रेडिट का सबसे बड़ा लाभार्थी** है।

द्विपक्षीय संबंध

सहयोग के क्षेत्र

- **रक्षा और सुरक्षाः** मिलन (MILAN) एवं सम्प्रीति (SAMPRITI) जैसे सैन्य अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करना और भारत द्वारा सैन्य उपकरणों की आपूर्ति तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और पूर्वोत्तर में सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- पर्यटन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा जैसे **पारंपरिक क्षेत्रों** के साथ–साथ परमाणु, अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी जैसी **उन्नत प्रौद्योगिकियां।**
- **विदेश नीतिः** बांग्लादेश भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों के केंद्र में है।
- **बहुपक्षीय सहयोगः** सार्क, बिम्सटेक, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) आदि।
- **सीमा प्रबंधनः** भूमि सीमा समझौता (2015), समुद्री सीमा का परिसीमन आदि।
- **सांस्कृतिक संबंधः** भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद बांग्लादेश के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है।

चुनौतियां

- **तीस्ता और बराक नदी के जल का बंटवारा।**
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि और अवसंरचना में निवेश के माध्यम से **चीन के हस्तक्षेप में बढ़ोतरी।**
- **अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या अप्रवासी** भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चिंता पैदा कर रहे हैं।
- अवैध गतिविधियों को जन्म देने वाली **छिद्रिल सीमाएं** (Porous borders)।
- **बढ़ती कट्टरताः** बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार और हरकत–अल–जिहाद–अल–इस्लामी (HUJI) जैसे कट्टरपंथी समूहों की उपस्थिति।
- नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के कारण बांग्लादेश के कुछ समूहों की आपत्ति।

उठाए गए कदम

- **व्यापार को बढ़ावाः** सीमा शुल्क में कटौती और आव्रजन दस्तावेजों में सरलता, लैंड कस्टम स्टेशन्स, बॉर्डर हाट, एकीकृत चेक पोस्ट (उदाहरण के लिए– असम में सुतारकंडी में) आदि।
- **विकास में सहयोगः** भारत–बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, अखौरा–अगरतला रेल लिंक, भारत और रूस द्वारा बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना आदि।
- **कनेक्टिविटी में सुधारः** अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल (PIWTT) तथा फेनी ब्रिज जैसे पुलों का निर्माण।
- कोरोना महामारी के दौरान भारत द्वारा बांग्लादेश की सहायता।
- **नदी विवादों का समाधानः** फेनी नदी के जल बंटवारे पर 2019 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

आगे की राह

- जमीनी स्तर पर डिजिटलीकरण के माध्यम से **सीमा–पार आव्रजन प्रबंधन।**
- **जल संसाधनों का प्रबंधन** करने के लिए नियमित JRC बैठकों का आयोजन करना, नदी बेसिन को लेकर समन्वित दृष्टिकोण अपनाना आदि।
- **लोगों के मध्य आपसी संपर्क को प्रोत्साहित करना।**
- मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जैसी **परियोजनाओं में तेजी लाना।**
- भारत के पूर्वोत्तर से/को माल के परिवहन के लिए **चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग को लेकर समझौते का अनुपालन करना।**

बदलते जिओ–इकोनॉमी की स्थिति में बांग्लादेश के साथ संबंधों को गहरा करना एक आवश्यकता बन गई है। सहयोग, समन्वय और समेकन के आधार पर भारत–बांग्लादेश संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाने की संभावनाएं मौजूद हैं।

1.2.1. बांग्लादेश की प्रधान मंत्री की भारत यात्रा (Bangladesh PM's visit to India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बांग्लादेश की प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने आपसी सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए **कई पहलों की घोषणा** की।

प्रमुख निर्णयों और घोषित पहलों पर एक नज़र:

व्यापक आर्थिक सहयोग तथा भागीदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement: CEPA)	• दोनों पक्ष जल्द ही **CEPA पर वार्ता आरम्भ करेंगे।**
जल साझाकरण	• **कुशियारा नदी के जल साझाकरण हेतु समझौता ज्ञापन** पर हस्ताक्षर किए गए। यह वर्ष 1996 में गंगा जल संधि के बाद इस तरह का पहला समझौता है। ○ **इस समझौते से दक्षिणी असम और बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र में रहने वाले** लोगों को लाभ होगा।
कनेक्टिविटी परियोजनाएं	• **रूपशा पुल** का उद्घाटन किया गया। यह पुल **खुलना-मंगला बंदरगाह रेल परियोजना का हिस्सा है।** • **खुलना दर्शना रेलवे लिंक परियोजना** को अपग्रेड किया जा रहा है। • **पार्वतीपुर-कौनिया रेलवे लाइन।**
अन्य	• **खुलना के रामपाल में मैत्री विद्युत संयंत्र** का उद्घाटन किया गया। इसे **रियायती वित्त पोषण योजना (CFS)[2] के तहत भारतीय विकास सहायता के रूप में स्थापित** किया जा रहा है। ○ CFS के तहत, भारत सरकार **विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं** के लिए बोली लगाने वाली **भारतीय संस्थाओं का समर्थन** करती रही है।

[2] Concessional Financing Scheme

1.3. भारत-भूटान संबंध (India-Bhutan Relations)

1.3.1. भूटान नरेश की भारत यात्रा (Bhutan King's recent visit to India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भूटान नरेश भारत की यात्रा पर आए थे। इस यात्रा का उद्देश्य **दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत** करना था।

इस यात्रा के मुख्य परिणाम

- **भूटान को समर्थन:**
  - पांच वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त **स्टैंडबाय क्रेडिट सुविधा (SCF)** प्रदान की जाएगी।
    - **SCF के तहत निम्न आय वाले देशों को उनकी अल्पकालिक भुगतान संतुलन आवश्यकताओं की पूर्ति** हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- **जलविद्युत:** भूटान में **मांगदेछू, चूखा, बसोछु, पुनातसांगछू-I, संकोश परियोजना** जैसे जलविद्युत संयंत्रों की स्थापना पर चर्चा की गई है।
- **सुरक्षा: जयगांव** (पश्चिम बंगाल, भारत) और **फुंतशोलिंग** (भूटान) में पहली एकीकृत चेक पोस्ट (Integrated Check Post) की स्थापना पर सहमति बनी है।
- **कनेक्टिविटी: कोकराझार (असम)-गेलेफू रेल लिंक** में तेजी लाई गई है। साथ ही, **गेलेफू हवाई अड्डे के निर्माण** हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए सहायता प्रदान की गई है।

1.4. भारत-नेपाल संबंध (India-Nepal Relations)

भारत–नेपाल संबंध: एक नज़र में

नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। यह भारत की विदेश नीति में विशेष महत्व रखता है। हालांकि, वर्ष 2015 में दोनों के बीच आपसी संबंधों में कुछ गिरावट आई थी। इस दौरान नेपाल ने भारत को अपने संविधान की मसौदा प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का दोषी ठहराया था। नेपाल ने भारत द्वारा की गई एक अनौपचारिक नाकाबंदी के लिए भी आलोचना की थी। इस नाकाबंदी के कारण नेपाल में भारत के खिलाफ व्यापक नाराजगी पैदा हुई थी।

दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार **11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक** का है।

भारत नेपाल का **सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** और FDI प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्रोत है

नेपाल को भारत का निर्यात **पिछले 10 वर्षों में 8 गुना से अधिक बढ़ा** है।

द्विपक्षीय संबंध

सहयोग के क्षेत्र

- **रक्षा:** भारत नेपाल की सेना के आधुनिकीकरण में सहायता कर रहा है। **सूर्य किरण** जैसे सैन्य अभ्यास इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं।
- **जल संसाधन,** बाढ़ प्रबंधन आदि में सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए **कोसी संधि तथा महाकाली संधि।**
- **ऊर्जा:** सीमावर्ती क्षेत्रों में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्युत विनिमय समझौता, **मोतिहारी (बिहार) से अमलेखगंज (नेपाल)** तक सीमा–पार तेल पाइपलाइन, सोलू कॉरिडोर में जलविद्युत परियोजनाएं आदि।
- **कनेक्टिविटी परियोजनाएं:** रक्सौल–काठमांडू रेलवे परियोजना, BBIN (बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इंडिया) आदि।
- **शिक्षा:** भारत विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नेपाली छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
- **संस्कृति:** धर्म, भाषा, व्यंजन, फिल्म आदि के संदर्भ में मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध (रोटी–बेटी का नाता)।

संबंधों में चुनौतियां

- नेपाल की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में **चीन का बढ़ता हस्तक्षेप** भारत के पारंपरिक रूप से प्रभुत्वशाली प्रभाव को कम कर रहा है।
  - नेपाल में **भारत विरोधी बयानबाजी** में तेजी आई है।
  - **सीमा विवाद पर नेपाल का आक्रामक रुख** (कालापानी सीमा मुद्दा)।
  - **नेपाल** चीन के BRI में शामिल हो गया है।
- नेपाल में **द्विपक्षीय व्यापार में भारी व्यापार घाटे** के कारण असंतोष व्याप्त है।
- भारत का बड़े भाई वाला व्यवहार, वर्ष 1950 की शांति और मित्रता की संधि पर फिर से विचार करने के प्रति उदासीन दृष्टिकोण तथा नदी संधियों से निपटने से संबंधित शिथिल दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप **भारत के प्रति अविश्वास।**
- **लोगों की अप्रतिबंधित सीमा पार आवाजाही** ने (विशेष रूप से कोविड के दौरान) नेपाल के घरेलू उद्योग, स्थानीय आजीविका के अवसरों, कानून और व्यवस्था तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित किया है।

द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हालिया पहल

- हाल ही में, **भारत–नेपाल संयुक्त आयोग** की छठी बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें विद्युत, तेल और गैस, जल संसाधन, क्षमता–निर्माण और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई।
- **कोविड–19 के दौरान भारत की ओर से सहायता** तथा भारतीय और नेपाली स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच सहयोग।
- **जयनगर (बिहार) से कुर्था (नेपाल)** तक सीमा–पार रेल लिंक की शुरुआत।
- भारतीय प्रधान मंत्री ने लुंबिनी में भारतीय सहायता से बनाए जा रहे एक बौद्ध विहार की आधारशिला रखी। यह नेपाल में **बौद्ध धर्म** से जुड़े संबंधों को मजबूत करने और भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है।
- **सप्त कोसी हाई डैम परियोजना** को आगे बढ़ाया जा रहा है।

आगे की राह

- भारत और नेपाल के बीच **मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करना।**
- विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा के लिए **उपयुक्त द्विपक्षीय तंत्र सीपित करना।** (भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद समाधान तंत्र को एक मॉडल के रूप में काम करना चाहिए)
- **बहुपक्षीय मंचों**, जैसे– BBIN, बिम्सटेक, NAM, सार्क आदि का उपयोग सामान्य हितों की पूर्ति हेतु करना चाहिए।
- राजनीतिक संदर्भ में **नेपाल के साथ निरंतर जुड़ाव और सीमित हस्तक्षेप।**
- **आर्थिक सहयोग को मजबूत करना।**
- दोनों देशों के मध्य एक स्थिर और पारस्परिक रूप से उत्पादक संबंध सुनिश्चित करने के लिए **लोगों के मध्य संपर्कों का लाभ उठाना।**
- दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से गठित प्रख्यात व्यक्तियों के समूह द्वारा अनुशंसित **वर्ष 1950 की शांति और मित्रता संधि पर फिर से विचार करना।**

इस संवेदनशील पड़ोसी देश में भारत के दीर्घकालिक हित के लिए दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग की आवश्यकता है। यह नेपाल में स्थिर व बहुदलीय लोकतंत्र और आर्थिक समृद्धि द्वारा सर्वोत्तम तरीके से संभव हो सकता है।

1.4.1. भारत-नेपाल जलविद्युत संबंध (India-Nepal Hydropower Relationship)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत और नेपाल ने जलविद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह **पश्चिम सेती एवं सेती नदी (SR6) परियोजनाओं** को विकसित करने से संबंधित है।
  - इसके अलावा, इसमें सेती हाइड्रो प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाएं भी शामिल हैं। ज्ञातव्य है कि इस परियोजना को **मूल रूप से चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) के तहत पूरा किया जाना था, लेकिन अब इसे भारत द्वारा पूरा** किया जाएगा। इस प्रकार, नेपाल के साथ **जलविद्युत संबंधों को नेपाल में चीन के प्रतिसंतुलन** के रूप में देखा जा रहा है।
  - **पश्चिम सेती नदी** नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित **कर्णाली नदी** की एक सहायक नदी है।
- भारत और नेपाल **सप्तकोसी हाई डैम परियोजना** को आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं।
  - भारत पश्चिमी और पूर्वी नेपाल में क्रमशः **महाकाली संधि, ऊपरी कर्णाली परियोजना तथा अरुण-III परियोजनाओं** जैसी अन्य परियोजनाओं में भी शामिल है।

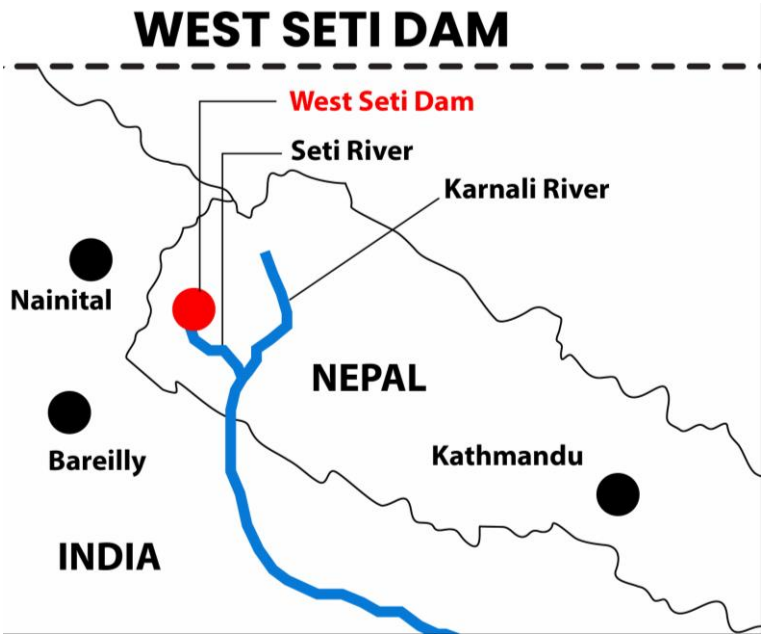

जलविद्युत संबंधों के विकास में चुनौतियां

- **पर्वतीय स्थलाकृति:** दुर्गम भूभाग, पर्यावरणीय मुद्दे और जनसंख्या घनत्व।
- **अवसंरचना की कमी:** परिवहन सुविधाओं, ट्रांसमिशन ग्रिड और अन्य बुनियादी ढांचे की कमी से जलविद्युत विकास की लागत बढ़ जाती है।
- **नीतिगत और विनियामक मुद्दे:** निम्नलिखित के कारण ग्रिड तक तीसरे पक्ष की पहुंच के लिए **नीतिगत और विनियामक तंत्र का अभाव है:**
  - **लागत और लाभ की गणना में पारदर्शिता का अभाव;**
  - **कार्यान्वयन का नेतृत्व करने के लिए संस्थागत समर्थन का अभाव;**
  - **कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी;**
  - **विद्युत बाजार की गारंटी का अभाव।**
- **जल साझाकरण संबंधी मुद्दे:** डाउनस्ट्रीम (प्रवाह की दिशा में) जल उपयोग के अधिकार का मुद्दा विनियमित जल के लाभ के लिए सहयोग और बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के साथ बाढ़ नियंत्रण की योजना को बाधित करता है।
- **पहले की परियोजनाओं का पूरा न होना:** महाकाली और अपर कर्णाली जैसी परियोजनाएं कई वर्षों से लंबित हैं।

आगे की राह

- परियोजना से संबंधित निवेश परिदृश्यों, वितरण और पारेषण नेटवर्क तथा पुनर्स्थापन व पुनर्वास की लागत का **सावधानीपूर्वक अध्ययन** किया जाना चाहिए।
- **अन्य देशों के साथ सहयोग:** सीमा-पार ऊर्जा सहयोग के लिए जलविद्युत परियोजनाओं को **बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) फ्रेमवर्क के तहत अन्य क्षेत्रीय भागीदारों तक बढ़ाया** जा सकता है।

1.5. सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty: IWT)

सिंधु जल संधि (IWT): एक नज़र में

भारत और पाकिस्तान के बीच नौ वर्षों की चर्चा के बाद 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व बैंक ने इस समझौते में मध्यस्थता की थी और वह इसका एक हस्ताक्षरकर्ता भी है।

वर्तमान उपयोग के संदर्भ में, **भारत सिंधु जल के अपने कोटे का 90% से थोड़ा अधिक उपयोग करता है।**

हाल ही में पाकिस्तान ने कश्मीर में **किशनगंगा बांध और चिनाब पर रतले जल विद्युत स्टेशन** के निर्माण को लेकर चिंता जताई है।

IWT के बारे में

- **जल साझाकरण:**
  - पूर्वी नदियों (**रावी, ब्यास** और **सतलुज**) का समग्र जल **भारत को बिना किसी रोक–टोक के उपयोग हेतु आवंटित किया गया है।**
  - पश्चिमी नदियों (**सिंधु, झेलम** और **चिनाब**) का जल मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित किया गया है।
    - भारत को कुछ कृषि उपयोगों के लिए सीमित भंडारण के साथ **"रन ऑफ द रिवर" जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति है।**
- **स्थायी सिंधु आयोग** (PIC): नदियों के जल के उपयोग के संबंध में **सहयोग और सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए** दोनों देशों द्वारा आयुक्तों की नियुक्ति की गई है।
  - यह संधि एक **3–स्तरीय विवाद समाधान** तंत्र प्रदान करती है। इसमें PIC पहला चरण है, तटस्थ विशेषज्ञ दूसरा चरण है और तीसरा चरण मध्यस्थता न्यायालय है।
- **IWT में किसी भी एक पक्ष (भारत या पाकिस्तान) द्वारा संधि से अलग होने का प्रावधान नहीं है।** यह संधि तब तक लागू रहेगी, जब तक कि दोनों देश आपसी सहमति से किसी और समझौते की पुष्टि नहीं कर देते।

IWT से जुड़े मुद्दे

- **जल के बंटवारे पर असंतोष:** क्योंकि, IWT के तहत 80% जल पाकिस्तान को आवंटित किया गया है।
- **संधि में अस्पष्टता और विवाद की संभावना की स्थिति:** संधि के तहत काफी तकनीकी प्रावधानों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी नदियां जम्मू और कश्मीर के विवादित क्षेत्र से होकर बहती हैं, जिससे संघर्ष की संभावना उत्पन्न होती है।
- **आपसी विश्वास की कमी:** भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास निर्माण तंत्र की कमी है।
- दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव के कारण **पर्याप्त डेटा साझाकरण का अभाव है।**
  - इसके अतिरिक्त, कई बार साझा किए गए **डेटा की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए जाते हैं।** साथ ही, ऐसे डेटा तक शोधकर्ताओं की पहुंच हेतु कोई व्यवस्था भी नहीं है।
- गारंटीकर्ता की सीमित भूमिका: उदाहरण के लिए– KHEP और RHEP के मौजूदा विवादों में विश्व बैंक द्वारा तटस्थ विशेषज्ञ तथा मध्यस्थता न्यायालय के अध्यक्ष दोनों को एक साथ नियुक्त करना पड़ा है।
  - **एक साथ की जाने वाली ऐसी नियुक्तियों से व्यावहारिक और कानूनी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।**
  - हालांकि, **विश्व बैंक के पास यह तय करने की शक्ति नहीं है कि किस पक्ष को वरीयता दी जानी चाहिए।**
- **पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का अभाव है।**

IWT को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक सुधार:

- **UN वाटर कन्वेंशन का अनुसमर्थन करना:** यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधन है, जो आपसी सहयोग को सुगम बनाकर **सीमा–पारीय जल संसाधनों का संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करता है।**
- **सीमा–पारीय नदियों के लिए वैश्विक मंच:** सीमा–पारीय जल विवादों के समाधान के लिए एक संरचनात्मक रूप से मजबूत वैश्विक मंच की स्थापना की जानी चाहिए। यह व्यापक नीति–निर्माण में भी सहायता करेगा।
- **पारदर्शी डेटा नीति को बढ़ावा देना:** इससे संबंधित डेटा तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षी निकायों और अन्य हितधारकों को निःशुल्क डेटा एक्सेस प्रदान करने की आवश्यकता है। इससे पारदर्शिता और संबंधित व्यावहारिक वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
- **संधि का अधिकतम लाभ उठाना:** इस **संधि से एकपक्षीय रूप से स्वयं को अलग करना** संभव नहीं है। इसलिए, भारत को नदियों के कुल उपलब्ध जल का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।
- **संधि पर फिर से समझौता करना:** दोनों देशों को 'भविष्य में सहयोग' के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु नदियों पर संयुक्त रूप से शोध करना चाहिए। यह IWT के अनुच्छेद VII में भी रेखांकित है।

प्रतिद्वंद्विता के लंबे इतिहास के साथ, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग का एक दुर्लभ उदाहरण है। यह समझौता दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता दोनों देशों के बीच किसी सहमति तक पहुंचने में कैसे सहायक हो सकती है।

1.5.1. सीमा-पार बाढ़ प्रबंधन (Cross Border Flood Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दक्षिण एशियाई क्षेत्र सामूहिक रूप से हर साल मौसम में बदलाव या नदी के प्रवाह में परिवर्तन के कारण बाढ़ की समस्या का सामना करता है। इस समस्या के समाधान के लिए **सीमा-पार बाढ़ प्रबंधन तंत्र** की स्थापना आवश्यक हो गई है।

भारत को सीमा-पार बाढ़ प्रबंधन तंत्र की आवश्यकता क्यों है?

- **कोसी क्षेत्र में बाढ़ की उच्च बारंबारता: कोसी क्षेत्र (मिथिलांचल क्षेत्र) में निरंतर आने वाली बाढ़** भारत और नेपाल के मध्य चर्चा का एक प्रमुख बिंदु है।
- **नदियों पर वृहद निर्भरता: भारत की लगभग 80% आबादी** भोजन और आजीविका के लिए 14 प्रमुख नदियों पर निर्भर है।
- **बाढ़ नियंत्रण तंत्र के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता:** उदाहरण के लिए, चीन में ब्रह्मपुत्र पर अवसंरचनात्मक घटनाक्रम भारत और बांग्लादेश दोनों को प्रभावित करता है।
- **जलवायु परिवर्तन जैसे उभरते संकट:** जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अर्थात् समुद्र का बढ़ता जलस्तर या हिमनदों के पिघलने से नदी के पारितंत्र में परिवर्तन हो सकता है। इस समस्या से निपटने हेतु क्षेत्रीय सहयोग एक अनिवार्य घटक है।

पड़ोसी देशों के साथ नदी जल के बंटवारे को लेकर भारत की वर्तमान सहयोगात्मक व्यवस्था

देश	सहयोगात्मक व्यवस्था
भारत-नेपाल	• **महाकाली और कोसी नदियों के संबंध में समझौता**
भारत-पाकिस्तान	• **सिंधु जल संधि**
भारत-चीन	• **ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदी** की जल-विज्ञान से संबंधित सूचना के साझाकरण के संबंध में **समझौता ज्ञापन।**
भारत-बांग्लादेश	• **गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र और बराक** जैसी प्रमुख नदियों के संबंध में समझौता।
भारत-भूटान	• भारत और भूटान दोनों में प्रवाहित होने वाली साझा नदियों के संबंध में **जल-मौसम विज्ञान और बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क की स्थापना के लिए व्यापक योजना।** • **बाढ़ प्रबंधन पर संयुक्त विशेषज्ञ समूह (Joint Group of Expert)।**

सीमा-पार बाढ़ प्रबंधन से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **जल-विज्ञान संबंधी डेटा का सीमित साझाकरण:** दक्षिण एशियाई देशों के मध्य जल वितरण अव्यवस्थित है और यह संबंधित देशों के राजनीतिक संबंधों की स्थिति पर निर्भर रहता है।
  - उदाहरण के लिए- चीन ने वर्ष 2017 में 73 दिवसीय डोकलाम गतिरोध के दौरान भारत के साथ **ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में जल विज्ञान संबंधी आंकड़े** साझा करना बंद कर दिया था।
- **नदी प्रवाह के ऊपरी और निचले क्षेत्रों में स्थित देशों के बीच असममित नियंत्रण:** उदाहरण के लिए- चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सहित अन्य मुद्दों पर **नदी के अनुप्रवाह मार्ग में स्थित दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से रियायत प्राप्त करने के लिए जल के प्रवाह के संदर्भ में अपनी लाभप्रद अवस्थिति का अनुचित लाभ उठाता रहा है।**
- **समझौतों को लागू करने से जुड़ी समस्या:** देशों के बीच द्विपक्षीय व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता बहुत सीमित होती है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संभवत: ही कभी लागू होती है।

कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और सर्वश्रेष्ठ प्रथाएं

- **अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के गैर-नौवहन उपयोगों की विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nations Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses), 1997:** यह जलमार्गों और उनके जल के उपयोग से संबंधित संरक्षण, परिरक्षण एवं प्रबंधन के उपायों से संबंधित है।
- **वर्ष 1978 में अमेजन सहयोग के लिए संधि:** दक्षिण अमेरिका में नदी जल के न्यायोचित साझाकरण हेतु हस्ताक्षर किए गए थे।
- **मेकांग नदी आयोग:** यह वर्ष 1995 में थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम द्वारा हस्ताक्षरित मेकांग नदी के सतत विकास के लिए एशिया में प्रमुख बहुपक्षीय समझौता है।

- **जल राष्ट्रवाद की समस्या:** उदाहरण के लिए- पाकिस्तान ने विश्व बैंक के समक्ष **चिनाब नदी पर भारत की बगलिहार बांध परियोजना** को बार-बार चुनौती दी है।
- **प्रचलित संधियों से संबंधित मुद्दे:**
  - **भविष्योन्मुख आधार का अभाव:** उदाहरणार्थ- कोसी संधि में **तटबंधों के रख-रखाव के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए हैं। इससे नदी अपना प्रवाह मार्ग परिवर्तित करती रहती है।**
  - **संधियों का खराब कार्यान्वयन:** उदाहरण के लिए- हालांकि महाकाली संधि प्रभावी हो चुकी है, परन्तु इसके कार्यान्वयन में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं।
  - **बहुपक्षीय संधियों का अभाव:** उदाहरण के लिए- भारत-बांग्लादेश सहयोग नदी पारितंत्र नेपाल द्वारा जल के उपयोग पर निर्भर है, क्योंकि नेपाल ऊपरी क्षेत्र में अवस्थित है।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है?

- **सहयोग के विकल्पों का अन्वेषण:** क्षेत्रीय सहयोग की व्यापक संभावनाओं वाले मुद्दों में जल-अल्पता की अवधि के दौरान प्रमुख नदियों के जल का साझाकरण, जल विद्युत उत्पादन और वितरण आदि शामिल हैं।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता:** जल वितरण और उपयोग जैसे रोजमर्रा के नीतिगत मुद्दों पर प्रायः कम ध्यान दिया जाता है। उन्हें व्यापक सुरक्षा या सीमा संबंधी मुद्दों के साथ जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए।
- **बाढ़ प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों पर स्थायी समिति की अनुशंसाएं:** इस समिति ने सिंधु बेसिन में जल उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के साथ संधि पर **पुनः वार्ता करने के लिए सरकार को आवश्यक राजनयिक उपाय** करने की अनुशंसा की है।
- **सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना:** दक्षिण एशियाई क्षेत्र में प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय संधियों (बॉक्स देखें) और नदी बेसिन संगठनों के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है।
- **दीर्घकालीन योजना:** दोनों देशों द्वारा जल प्रबंधन सहयोग की दीर्घकालिक रणनीति अंगीकृत करनी चाहिए।

1.6. तालिबान के प्रति भारत का रुख (India's Engagement with Taliban)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **तालिबान शासन ने संकटग्रस्त अफगानिस्तान में भारत के मानवीय और विकास प्रयासों की सराहना** की है। साथ ही, दोनों देशों के बीच सकारात्मक द्विपक्षीय संबंधों की इच्छा भी व्यक्त की है।

अफगानिस्तान में भारतीय निवेश

इमारतों और विभिन्न प्रकार की अवसंरचनाओं के निर्माण, अपग्रेडेशन, पुनर्निर्माण और पुनर्बहाली में भारत द्वारा अफगानिस्तान को दी जाने वाली सहायता, उदाहरण के लिए–

- काबुल में अफगानिस्तान की संसद।
- सलमा बांध (अफगान–भारत मित्रता बांध) का पुनर्निर्माण।
- जारंज–देलाराम सड़क का निर्माण।
- उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना (High Impact Community Development Project: HICDP) कार्यक्रम।

विभिन्न सामग्रियों या वस्तुओं का स्थानांतरण जैसे कि एम्बुलेंस, बस, बिस्किट, औषधि, सैन्य गाड़ियां, हेलिकॉप्टर आदि।

लोगों से लोगों के बीच संपर्क, उदाहरण के लिए–

- अफगानिस्तान के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।
- अफगानी सैनिकों, पुलिसकर्मियों और सरकारी सेवकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना।

अन्य संबंधित तथ्य

- तालिबानी सरकार चाहती है कि **भारत काबुल में शहतूत बांध परियोजना को पूरा** करे।
- तालिबानी सरकार **ईरान के चाबहार बंदरगाह और तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से कनेक्टिविटी को पुनर्जीवित** करने की भी इच्छुक है।
- उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के लगभग दस महीने बाद **भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोल** दिया है।

भारत को तालिबान के साथ संबंध क्यों बहाल करने चाहिए?

- **अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण हितधारक:** भारत द्वारा अफगानिस्तान को दी गई विकास सहायता महत्वपूर्ण रही है।
- **बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी:** कई अन्य देश भी अब तालिबान सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो रहे हैं।
  - **CPEC का विस्तार करके अफगानिस्तान को चीन की BRI के अंतर्गत शामिल** किया गया है। ईरान ने अफगानिस्तान के साथ अपनी **परियोजनाओं और कनेक्टिविटी लिंक को फिर से शुरू** कर दिया है।

- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** तालिबान के संबंध लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से भी रहे हैं। तालिबान के साथ **भारतीय सहभागिता, भारत को अपनी चिंताओं को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करने** का अवसर प्रदान करेगी।
- **कूटनीतिक भागीदारी की अधिक संभावनाएं**: सत्ता पर काबिज़ तालिबान, सत्ता में आने के लिए युद्धरत तालिबान की तुलना में अधिक विभाजित है। यह स्थिति विभिन्न कर्ताओं के साथ कई स्तरों वाली राजनीतिक और राजनयिक भागीदारी का अवसर प्रदान करती है।
- **मूल निवासियों के साथ पुनः संपर्क स्थापित करना:** तालिबान तक भारत की पहुंच उसे अफगान लोगों के साथ फिर से जुड़ने में मदद करेगी। यह संभवतः वह कड़ी है जो पिछले अगस्त में तालिबान के अधिग्रहण के बाद टूट गई थी।

भारतीय सहभागिता के नकारात्मक पहलू

- **भारत की नीति के प्रति ठोस रुख नहीं:** जबकि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में शांति और सुलह के लिए **"अफगान के नेतृत्व वाली, अफगान-स्वामित्व वाली और अफगान-नियंत्रित" प्रक्रिया** का समर्थन किया है।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की तालिबान निगरानी समिति की रिपोर्ट से पता चला है कि तालिबान के समर्थन से आतंकवादी समूहों को अफगान ज़मीन पर सुरक्षित स्थान प्रदान किया जा रहा है।
- **तालिबान की विचारधारा में कोई बदलाव नहीं:** तालिबान अपनी रूढ़िवादी सोच से बाहर नहीं निकला है। अल्पसंख्यकों पर हमले जारी हैं और महिलाओं पर प्रतिबंध बढ़ गए हैं।
- **तालिबान के पड़ोसी देशों द्वारा चीन का समर्थन:** जैसे-जैसे भारत और तालिबान के संबंध गहरे होंगे, भारत को ताजिकिस्तान के साथ अपने संबंधों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। इसका कारण यह है कि ताजिकिस्तान के काबुल के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। साथ ही, पिछले एक दशक में चीन के साथ ताजिकिस्तान के संबंधों में काफी सुधार हुआ है।

आगे की राह

तालिबान के साथ भारत के रुख के पीछे का खाका अफगानिस्तान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित है। तालिबान का प्रयास लंबे समय तक सत्ता में बने रहना है और भारत के पास इससे निपटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए दोनों पक्षों के लिए एक-दूसरे की चिंताओं को ध्यान में रखना एवं राजनयिक और आर्थिक संबंधों में सुधार करना आवश्यक है।

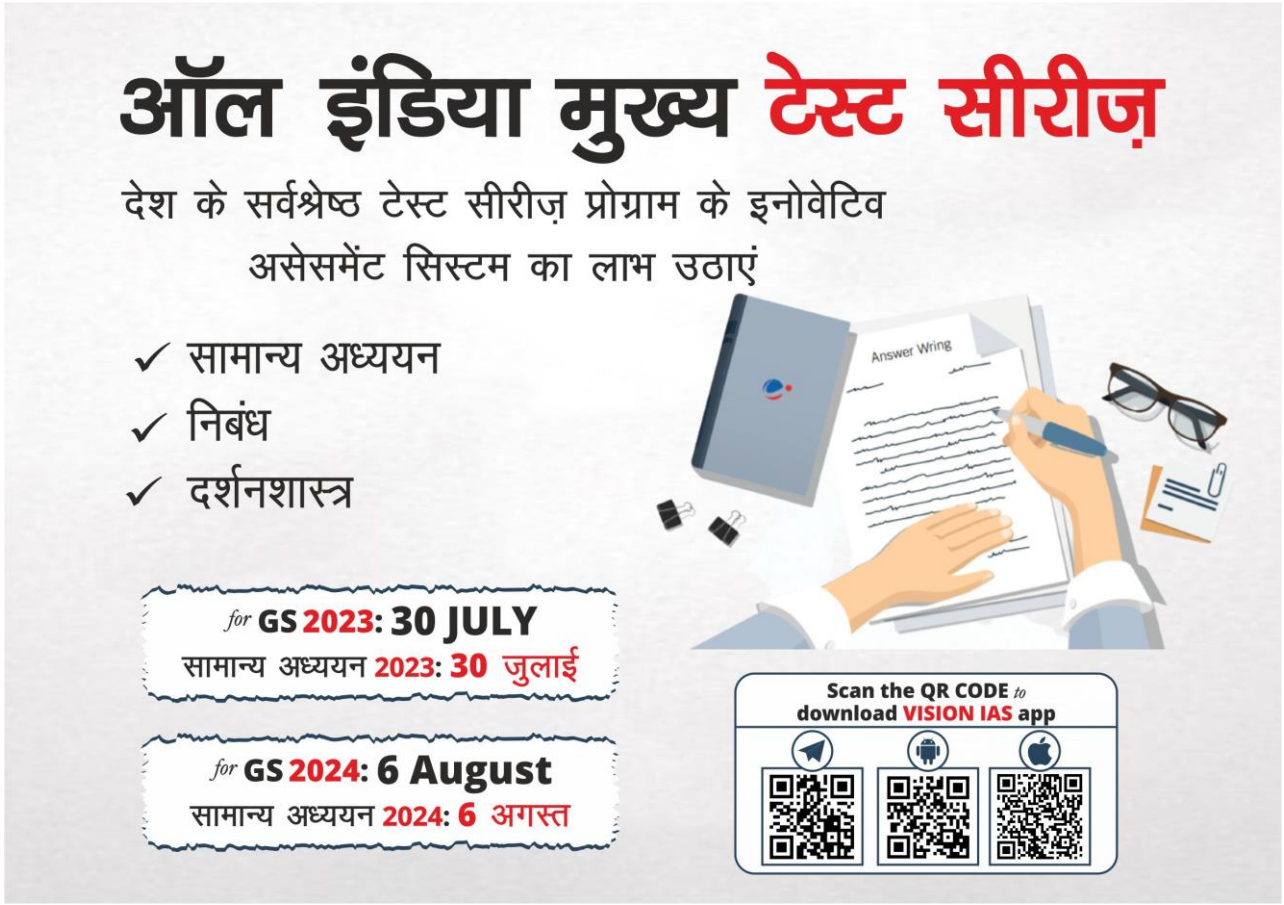

1.7. भारत-मालदीव संबंध (India-Maldives Relations)

भारत–मालदीव संबंध: एक नज़र में

दोनों देश प्राचीन काल से ही नृजातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संपर्कों को साझा करते हैं। फरवरी 2012 से नवंबर 2018 के बीच की एक संक्षिप्त अवधि (जब मालदीव में चीन समर्थक सरकार थी) को छोड़कर, दोनों देशों के संबंध घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण और बहुआयामी रहे हैं। हाल ही में, मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने छह समझौतों पर हस्ताक्षर कर रणनीतिक संबंधो को और आगे बढ़ाया है।

भारत–मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग **323 मिलियन अमेरिकी डॉलर है**, जो मुख्यतः **भारत के पक्ष** में है।

भारत 2021 में मालदीव का **तीसरे सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** बन गया था।

सहयोग के क्षेत्र

- **द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंध:** भारत द्वारा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को विकसित किया जा रहा है। यह मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक सिद्ध होगा।
- **सुरक्षा और रक्षा सहयोग:** रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच रक्षा के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए थे। रक्षा क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं में समग्र प्रशिक्षण केंद्र, तटीय रडार प्रणाली (CRS) आदि का निर्माण शामिल हैं।
- **भारत द्वारा विकास सहायता संबंधी परियोजनाएं:** इसमें शामिल है– **इंदिरा गांधी स्मारक अस्पताल, मालदीव तकनीकी शिक्षा संस्थान, मालदीव में शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंगीकरण कार्यक्रम** आदि। इसके अलावा, भारत ने अपनी उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना के तहत मालदीव में कई परियोजनाओं को वित्त–पोषित भी किया है।
- **भारत द्वारा मानवीय सहायता:** 1988 में सैन्य तख्तापलट के प्रयास के दौरान त्वरित सहायता, 2004 की सुनामी और दिसंबर 2014 में माले में जल संकट के दौरान सहायता [ऑपरेशन नीर (NEER)], मालदीव में खसरे के प्रकोप को रोकने के लिए टीका, कोविड–19 वैश्विक महामारी के बाद त्वरित व व्यापक सहायता आदि।
- **अन्य क्षेत्र** जैसे पर्यटन सहित चिकित्सा पर्यटन, सांस्कृतिक आदान–प्रदान, लोगों के मध्य संपर्क आदि।

भारत के लिए मालदीव का महत्त्व

- **भू–सामरिक:** यह भारत की **'नेबरहुड फर्स्ट'** नीति और **सागर** (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और संवृद्धि) विज़न का एक महत्वपूर्ण सदस्य है।
- **भू–राजनीतिक:** मालदीव को शामिल करते हुए चीन की **"बेल्ट एंड रोड (BRI)"** पहल ने चीनी प्रभाव क्षेत्र को विस्तृत कर दिया है। इसमें भारत के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता है।
- **भू–आर्थिक क्षेत्र:** भारत का लगभग 50 प्रतिशत विदेशी व्यापार और उसका 80 प्रतिशत ऊर्जा आयात समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) के माध्यम से ही होता है। इन संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए मालदीव की भूमिका महत्वपूर्ण है।
- **निवल सुरक्षा प्रदाता की भूमिका:** मालदीव पश्चिमी हिंद महासागर चोक पॉइंट्स तथा मलक्का जलडमरूमध्य के पूर्वी हिंद महासागर चोक पॉइंट्स के मध्य एक 'टोल गेट' की भांति स्थित है।
- सार्क, दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC), IORA और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) जैसे मंचों के माध्यम से **क्षेत्रीय सहयोग।**

चुनौतियां

- **मालदीव में घरेलू राजनीति:** वर्ष 2018 तक, मालदीव के राष्ट्रपति ने खुले तौर पर भारत के प्रति अपनी शत्रुता और चीन के लिए वरीयता का प्रदर्शन किया था। वर्ष 2018 में नव राष्ट्रपति के चुनाव के बाद स्थिति बदल गई। उन्होंने "भारत–प्रथम नीति" की पुष्टि की।
- **चीन का प्रभाव:** मालदीव की चीन से बढ़ती नजदीकी और बेल्ट एंड रोड पहल का समर्थन।
- प्रवासी कामगारों विशेषकर मालदीव में **अकुशल कामगारों से संबंधित चिंता।**

आगे की राह

- **'कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव'** जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से सुरक्षा सहयोग को मजबूत किया जाना चाहिए।
- भारत–मालदीव संबंधों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, **गुजराल सिद्धांत के पांच बुनियादी सिद्धांत** प्रासंगिक हैं।

भारत और मालदीव की अवस्थिति एक–दूसरे के सामरिक हितों को सर्वोत्तम तरीके से पूरा कर सकती है। अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अनुसार, भारत स्थिर, समृद्ध और शांतिपूर्ण मालदीव के लिए एक प्रतिबद्ध विकास भागीदार बना हुआ है।

1.8. भारत के उत्तर-पूर्व में स्थित पड़ोसी देश (India and North Eastern Neighbours)

भारत के उत्तर–पूर्व में स्थित पड़ोसी देशः एक नज़र में

हाल ही में, विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया था कि **बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार** और **नेपाल** के साथ–साथ जापान और आसियान के सदस्य भारत के सबसे भरोसेमंद वैश्विक भागीदार हैं।

भारत का **पूर्वोत्तर क्षेत्र 5,812 कि.मी. की अंतर्राष्ट्रीय सीमा** साझा करता है।

पूर्वी सीमा के मामले में भारत के पड़ोसी देशों में **चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार** शामिल हैं।

भारत के लिए उत्तर–पूर्व के पड़ोसी देशों के साथ विश्वसनीय संबंधों का महत्त्व

- **भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) में विकासः** पूर्वी एशिया के साथ बेहतर व्यापारिक संबंध भारत के अल्प विकसित NER के तीव्र विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षाः** चीन की आक्रामक उपस्थिति के कारण पड़ोसी देशों के साथ भारत का सकारात्मक जुड़ाव आवश्यक है।
- **भू–राजनीतिकः** इस क्षेत्र के साथ अधिक जुड़ाव भारत को एक मजबूत **कूटनीतिक और आर्थिक** आधार प्रदान करेगा।
- **'एक्ट ईस्ट पॉलिसी'** के लिए दक्षिण–पूर्व एशिया से जुड़ना महत्वपूर्ण है।
- बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देश प्रमुख विनिर्माण केंद्र बन गए हैं। इसलिए **क्षेत्रीय और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ भारत का एकीकरण** आवश्यक है।

उत्तर–पूर्व के पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए किए गए उपाय

- **एक्ट ईस्ट पॉलिसीः** इसके तहत वाणिज्य, संस्कृति और कनेक्टिविटी जैसे तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने दक्षिण–पूर्वी पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने पर बल दिया गया है।
- अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए **क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों,** जैसे– आसियान, आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS), बिम्सटेक, एशिया सहयोग वार्ता (ACD), मेकांग–गंगा सहयोग (MGC) और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) के साथ साझेदारी पर दिया गया है।
- **कनेक्टिविटी परियोजनाएंः** निर्माणाधीन अवसंरचना परियोजनाएं जैसे कि भारत–म्यांमार–थाईलैंड (IMT) त्रिपक्षीय राजमार्ग, कलादान मल्टी–मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट (KMMTT), और बांग्लादेश में अखौरा को अगरतला से जोड़ने के लिए रेल परियोजना आदि।

प्रमुख मुद्दे / चिंता के विषय

- **भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएंः** संसाधनों की कमी, खराब सीमावर्ती–अवसंरचना और चीन जैसे देशों के साथ सीमा विवाद।
- **राष्ट्र के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देने वाला नारकोटिक्स उद्योगः** थाईलैंड, लाओस और म्यांमार को जोड़ने वाला उप–क्षेत्र (इसे "गोल्डन ट्रायंगल" भी कहते हैं) मादक पदार्थों की तस्करी और विद्रोही समूहों को बढ़ावा देता है।
- कम जनसंख्या घनत्व, खुली सीमा आदि के कारण **पूर्वोत्तर भारत में शरणार्थियों से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं।**
- भारतीय पक्ष की ओर से नौकरशाही से जुड़े और प्रक्रियात्मक मुद्दे मौजूद हैं। इनके कारण त्रिपक्षीय IMT राजमार्ग जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं को पूरा करने में अधिक विलंब हो रहा है।
- **भारत में आर्थिक सुस्ती का दौर जारी है और अंतर्मुखी नीतियां लागू की गई हैं।** साथ ही, भारत ने RCEP समझौते से बाहर रहने का निर्णय लिया है। इन सभी कारकों ने क्षेत्रीय व्यापार को हतोत्साहित किया है।
- भारत के पास विकास संबंधी सहायता, बाजार पहुंच और सुरक्षा गारंटी प्रदान करने की क्षमता सीमित है।

आगे की राह

- **कनेक्टिविटी में सुधार करनाः** मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने के अलावा, हवाई एवं समुद्री कनेक्टिविटी में सुधार को भी एजेंडे में प्राथमिकता देनी चाहिए।
- डिजिटल प्रौद्योगिकियों जैसे **सहयोग के नए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।**
- **सांस्कृतिक संबंधों का लाभ उठानाः** भारत सरकार की "बौद्ध सर्किट" पहल के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक कूटनीति, पूर्वी एशियाई देशों के साथ समन्वित होनी चाहिए।
- **सामरिक सहयोगः** विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है जहां चीन ने आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित किया है।
- नियमित व उच्च स्तरीय परामर्श और बैठकों के माध्यम से **द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के प्रयास करना चाहिए।**
- SAARC **जैसी संस्थाओं को मजबूत करना।**

भारत की विदेश नीति में पड़ोसियों का केंद्रीय महत्त्व दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि भारत के विविध विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध आवश्यक हैं। इसके अलावा, भारत का मानना है कि एक स्थिर और समृद्ध दक्षिण एशिया भारत की समृद्धि में योगदान देगा।

1.9. भारत और हिंद महासागर क्षेत्र (India-Indian Ocean Region)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, छठा अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन (IOC) **बांग्लादेश** में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में **क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा** की गई।

भारत IOR में एक समग्र सुरक्षा प्रदाता के रूप में कैसे कार्य कर रहा है?

भारत की नीतियां: IOR के तटवर्ती देशों के प्रति भारत की नीति **'नेबरहुड फर्स्ट'** नीति तथा प्रधान मंत्री के विज़न **"सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा व संवृद्धि** (SAGAR)[3]**"** द्वारा निर्देशित है।

- **प्राकृतिक आपदाओं और विपदाओं के मद्देनजर सहायता:** भारत अपने पड़ोसियों के बीच मानवीय सहायता तथा आपदा राहत (HADR)[4] सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करता रहा है। इसमें विशेषज्ञता साझा करने और क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- **हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS)[5]:** यह एक ऐसा मंच है, जो IOR के तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का प्रयास करता है। साथ ही, राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में भी मदद करता है।

समग्र सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत के समक्ष बाधाएं

- **संसाधन उपलब्धता बनाम आवश्यकता:** समग्र सुरक्षा प्रदाता की स्थिति प्राप्त करने से देश के सीमित संसाधनों पर भारी दबाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा सैन्य हार्डवेयर में कई गुना वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है।

समग्र सुरक्षा प्रदाता क्या है?

- समग्र सुरक्षा प्रदाता का आशय आमतौर पर **एक से अधिक देशों की पारस्परिक सुरक्षा को मजबूत करने से है।** इसमें सामान्य सुरक्षा चिंताओं को दूर किया जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैती से निपटना या आपदाओं से निपटना आदि शामिल हैं।
- **इसमें 4 अलग-अलग गतिविधियां शामिल हैं:**
  - **क्षमता निर्माण:** इसमें **विदेशी बलों को प्रशिक्षण** दिया जाता है। इसके तहत नागरिक एवं सैन्य दोनों बलों को या तो घरेलू स्तर पर या विदेशों में प्रशिक्षकों को तैनात करके प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
  - **सैन्य कूटनीति:** इसमें मुख्यतः **सैन्य यात्राओं और अभ्यासों** के माध्यम से सैन्य कूटनीति में वृद्धि की जाती है।
  - **सैन्य सहायता:** इसमें मुख्य रूप से उपकरणों (हथियार और गोला-बारूद) की आपूर्ति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
  - **सैन्य बलों की सीधी तैनाती:** इसके तहत पर्यावरणीय आपदा और संघर्षों से निपटने के लिए सैन्य बलों की तैनाती की जाती है।

[3] Security & Growth for All in the Region

[4] Humanitarian Aid and Disaster Relief

[5] Indian Ocean Naval Symposium

- **मौजूदा नागरिक-सैन्य संबंध:** भारत में मौजूद अस्पष्ट नागरिक-सैन्य संबंध गंभीर मतभेदों और रणनीति तैयार करने पर स्पष्टता की कमी में प्रकट होते हैं। इसके अलावा, ये तैयार नीतियों के प्रभावी निष्पादन पर भी प्रकट होते हैं।
- **गुटनिरपेक्ष नीति:** भारत ने हमेशा वैश्विक महाशक्तियों के साथ सैन्य गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत का वैचारिक रूप से पालन किया है, ताकि अपनी सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखा जा सके। यह नीति अन्य देशों के साथ गहन सुरक्षा साझेदारी के अवसरों को सीमित करती है।
- **विदेशों में तैनाती का पिछला अनुभव:** 'विदेशों में तैनाती' समग्र सुरक्षा प्रदाता की अवधारणा का एक महत्वपूर्ण घटक है। हालांकि, **श्रीलंका के अनुभवों** का विदेशों में तैनाती से जुड़ी किसी भी विचार प्रक्रिया पर एक "गंभीर प्रभाव" पड़ा है।
- **अमेरिकी नीति में बदलाव:** अमेरिका की हिंद-प्रशांत नीति में अनिश्चितता IOR में एक रिक्त स्थान छोड़ देगी, जिसे भरने के लिए चीन प्रेरित होगा। परिणामस्वरूप, भारत के लिए यह चीन के साथ अकेले या पाकिस्तान की मिलीभगत से समुद्री संघर्ष की संभावनाओं को और अधिक विस्तृत करेगा।
- **गैर-पारंपरिक खतरे: समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी, अवैध प्रवासी** आदि के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन की अनियमितताएं संघर्ष के गैर-पारंपरिक खतरे हैं।

समग्र सुरक्षा प्रदाता के लिए आवश्यक उपागम

- **क्षमता निर्माण और सैन्य कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करना।**
- **उच्चतर रक्षा संगठन:** यह **रक्षा अधिग्रहण की स्पष्ट रूप से परिभाषित प्राथमिकताओं** को स्थापित करने की सुविधा भी प्रदान करेगा।
- **एक राष्ट्रीय रक्षा नीति का निर्माण:** एक मुखर रक्षा नीति न केवल भारत में बल्कि IOR के छोटे तटवर्ती देशों के बीच भी आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करेगी।
    - **सुसंगत IOR रणनीति:** इससे इन देशों पर सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, छोटे पड़ोसी देशों द्वारा भारत को "बिग ब्रदर" के रूप में मानने की मिथ्या धारणा को समाप्त करने में भी सहायता प्राप्त होगी।
- **अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूहों का विकास:** इन द्वीपों में बुनियादी ढांचे का उन्नयन और एक शक्तिशाली सैन्य अड्डे के रूप में उनका विकास एक मुखर हिंद महासागर नीति के लिए आवश्यक प्रथम चरणों में से एक सिद्ध होगा।
- **IOR राष्ट्रों की क्षमता वृद्धि:** IOR राष्ट्रों, विशेष रूप से उनकी संबंधित नौसेनाओं की क्षमता वृद्धि पर बल देने से संपूर्ण IOR को अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। ज्ञातव्य है कि भारत पहले से ही विनिमय कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न IOR देशों के नौसेना कर्मियों के प्रशिक्षण में शामिल है।

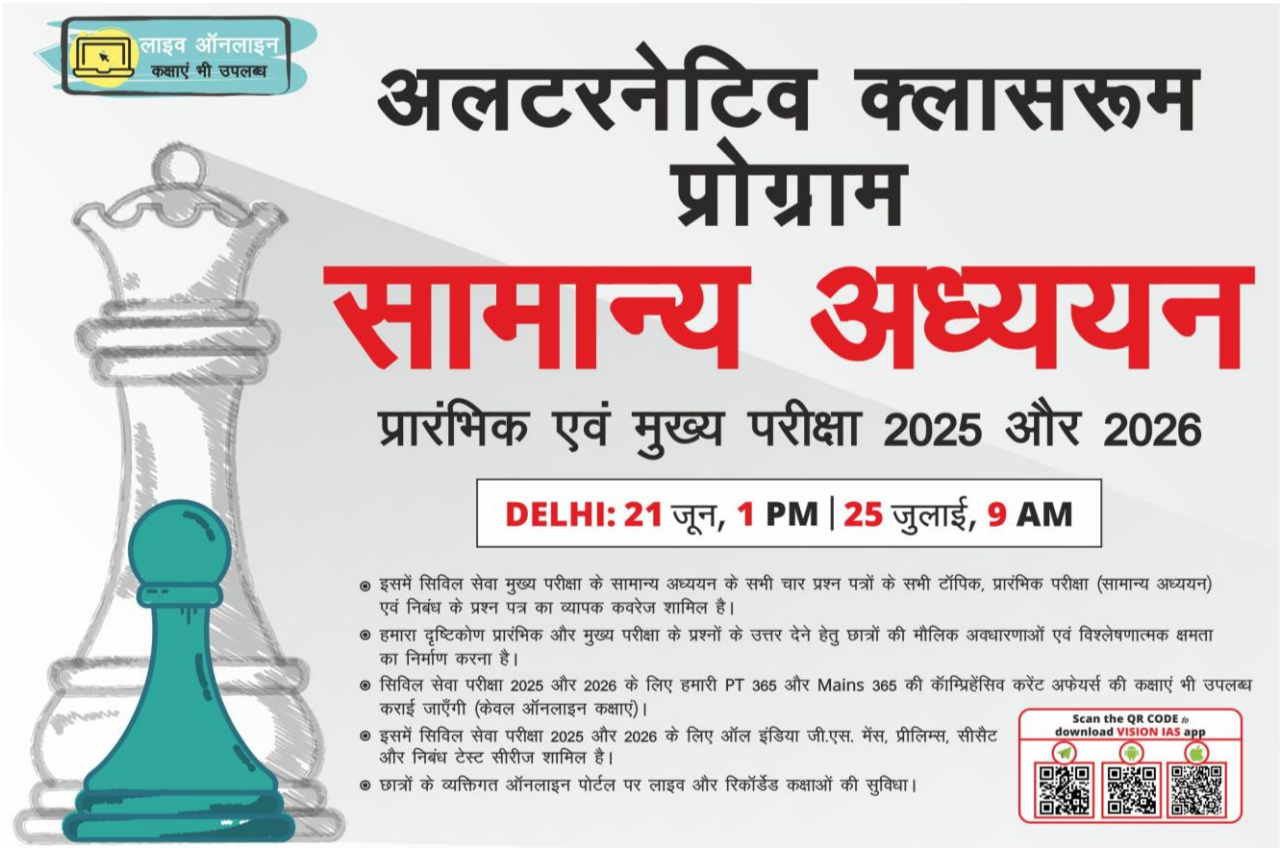

1.10. भारत-दक्षिण एशिया (India-South Asia)

दक्षिण एशिया में भारत का नेतृत्वः एक नज़र में

दक्षिण एशिया आंशिक रूप से महाद्वीपीय और आंशिक रूप से समुद्री क्षेत्र है। इसमें सात देश शामिल हैं: भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव। हालांकि, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन (जैसे– विश्व बैंक) इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किए हुए हैं।

यह क्षेत्र एशियाई महाद्वीप के क्षेत्रफल का 10% है।

इस क्षेत्र की आबादी 1.65 अरब से ज्यादा है।

क्षेत्र का महत्त्व

- भारत के **दर्जे और भूमिका में वृद्धि** के लिए महत्वपूर्ण।
- दक्षिण एशियाई देशों के प्रति चीन की सक्रिय नीति।
- अफगानिस्तान में अस्थिरता और अमेरिका तथा अन्य देशों का हस्तक्षेप।
- भारत और पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता हासिल कर ली है। साथ ही, 2006 में भारत–संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
- दक्षिण एशिया को व्यापक रूप से विशाल हिंद–प्रशांत समुद्री भूगोल के केंद्रीय स्तंभ के रूप में देखा जाता है।
- यह क्षेत्र समुद्र के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है।

क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां

- देशों के लिए आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर दोहरा संकट है:
  - भारत में मुद्रास्फीति, मुद्रा अवमूल्यन और बेरोजगारी में वृद्धि जैसे आर्थिक मुद्दे उभर रहे हैं।
  - श्रीलंका राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है।
  - नेपाल पर अत्यधिक विदेशी ऋण है और उसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी करना पड़ता है।
  - म्यांमार में सेना और निर्वाचित सरकार के बीच सत्ता संघर्ष जारी है।
  - बांग्लादेश में आर्थिक संकट की संभावना है।
  - पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता ने वहाँ के नेतृत्व के लिए गंभीर आर्थिक संकट को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना कठिन बना दिया है।
  - अफगानिस्ता पर तालिबान का शासन भी एक गंभीर चिंता का विषय है।
- आर्थिक एकीकरण: विश्व बैंक के अनुसार, दक्षिण एशिया दुनिया का सबसे कम एकीकृत उपक्षेत्र है।
- कोविड 19 का प्रभाव।
- जलवायु परिवर्तन, मानसून की बढ़ती अनिश्चितता, हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र के स्तर में वृद्धि आदि अन्य प्रमुख चुनौतियाँ हैं।

दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत द्वारा की गई पहलें

- **सुरक्षा प्रदाताः** सागर पहल।
- **तकनीकी प्रगतिः** श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान तक राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN) का विस्तार।
- **व्यापारः** बांग्लादेश, नेपाल के साथ एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित करना। सीमा–पार व्यापार निपटान में रुपये के इस्तेमाल का प्रस्ताव।
- **दक्षिण एशियाई उपग्रह** के माध्यम से अंतरिक्ष–आधारित **संचार प्रणाली को सुविधाजनक बनाना।**
- **आपदा प्रबंधनः** गुजरात में सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र।
- **क्षेत्रीय संपर्कः** नेबरहुड फर्स्ट नीति।
- **विकास अनुदानः** विकास सहायता के लिए 6,292 करोड़ रुपये का आवंटन।
- **कोविड के दौरानः** SAARC कोविड–19 सूचना विनिमय प्लेटफॉर्म (COINER)।

आगे की राह

- **भारत को केंद्र में रहना होगाः** दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र की कूटनीति में मजबूत और प्रभावी भूमिका चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकेगी।
- **क्षेत्रीय कनेक्टिविटीः** पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल करने से **व्यापार आय में वृद्धि** हो सकती है, देशों में
- **इन्टर–लिंकेज उद्योगों की स्थापना** हो सकती है और लोगों का आपसी जुड़ाव मजबूत हो सकता है।
- SAARC और SAFTA **की प्रभावशीलता** बढ़ानी चाहिए।
- द्विपक्षीय समझौतों को आगे बढ़ाना, व्यापार संबंधों को मजबूत करना और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाना चाहिए।

आज एक अग्रणी वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत का उदय उसे वर्तमान संकट से निपटने में अपने **पड़ोसियों का समर्थन करने के लिए बहुपक्षीय संस्थानों और अन्य प्रमुख शक्तियों को संगठित करने में अपनी भूमिका का लाभ** उठाने का अवसर देता है।

1.10.1. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association for Regional Cooperation: SAARC)

सार्क (SAARC): एक नज़र में

सार्क एक **क्षेत्रीय अंतरसरकारी संगठन** है जिसकी स्थापना 1985 में ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। इसका सचिवालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। विशेषज्ञों और व्यवसायियों ने राजनीतिक विवाद और जलवायु परिवर्तन सहित सभी चुनौतियों पर काबू पाने के लिए क्षेत्रीय शक्तियों का उपयोग करने हेतु सार्क देशों के बीच प्रभावी सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है।

उद्देश्य: दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, आर्थिक विकास, क्षेत्रीय अखंडता, आपसी विश्वास को गहरा करना, सामूहिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना आदि।

सार्क समूह में विश्व का 3% भूमि क्षेत्र, विश्व की 21% जनसंख्या और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 5.21% (4.47 ट्रिलियन यू.एस. डॉलर) शामिल है।

सदस्य राष्ट्र: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।

सार्क की उपलब्धियां

- **दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता (SAFTA)**: वर्ष 2016 तक सभी व्यापारिक वस्तुओं पर सीमा शुल्क को कम कर शून्य पर लाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- **दक्षिण एशिया तरजीही व्यापार समझौता (SAPTA), 1995**: सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए।
- **सेवाओं में व्यापार पर सार्क समझौता (SATIS)**: सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने और उसे बढ़ाने के लिए।
- भारत में **सार्क विश्वविद्यालय** की स्थापना की गई है।
- इस्लामाबाद में **सार्क मध्यस्थता परिषद** की स्थापना की गई है जो दक्षिण एशियाई देशों को संघर्षों को सुलझाने के लिए एक कानूनी मंच प्रदान करता है।
- दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए **सार्क विकास कोष** गठित किया गया है।
- **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन (SARSO)** अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए सामंजस्यपूर्ण मानक विकसित करेगा।

सार्क की विफलताएं एवं चुनौतियां

- **भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों** ने संगठन के भीतर तनावों एवं संघर्षों को बढ़ा दिया है, जिससे सार्क की संभावनाएं गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं।
  - **पिछला सार्क शिखर सम्मेलन 2014 में आयोजित** किया गया था।
- **विवाद समाधान तंत्र का अभाव** है।
- **दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (SAFTA):** संवेदनशील सूचियों की उपस्थिति को देखते हुए, SAFTA को अभी तक मूल रूप से लागू नहीं किया गया है।
- सदस्य देशों के सामने आने वाले मुद्दों पर **आम सहमति तक पहुंचने में विफलता** की स्थिति है।
- **आतंकवाद से निपटना:** संगठन आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक सामान्य और व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम नहीं है।
- **भारत और अन्य सदस्य देशों के बीच विषमता:** वे भारत को 'बड़े भाई' के रूप में देखते हैं।
- सदस्य देशों के पास संसाधनों की सीमित उपलब्धता है।

सार्क के पुनरुद्धार की आवश्यकता क्यों?

- **संपूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधि:** यह क्षेत्र के देशों की दक्षिण एशियाई पहचान को दर्शाता है।
- **क्षेत्र के आम मुद्दों** जैसे कि आतंकवाद, ऊर्जा की कमी, जल संबंधी मुद्दों और जलवायु परिवर्तन सहित कई अन्य मुद्दों से निपटने में सहायक हो सकता है।
- **क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण:** विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, कुल व्यापार के 5% से कम अंतर-क्षेत्रीय व्यापार के साथ, दक्षिण एशिया दुनिया में सबसे कम एकीकृत क्षेत्र है।
- भारत की **नेबरहुड फर्स्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ** है।
- **कोई वास्तविक विकल्प नहीं:** बिम्सटेक अपने सभी सदस्यों के बीच एक समान पहचान और इतिहास की कमी जैसे कारणों से सार्क की जगह नहीं ले सकता है।

आगे की राह

- सार्क की नियमित बैठकों का आयोजन जरूरी है, चाहे वह भौतिक हो या वर्चुअल हो।
- **देशों के बीच मतभेदों को हल करना:** क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप **अनौपचारिक चर्चा, औपचारिक मध्यस्थता और समाधान तंत्र के लिए एक तंत्र** स्थापित करना चाहिए।
- **आर्थिक एकीकरण समस्याओं का समाधान है:** दक्षिण एशियाई क्षेत्र को सुरक्षा तत्व से प्रभावित होने के बजाय **आर्थिक और सामाजिक तत्व को प्राथमिकताओं के रूप में पहचानना** चाहिए।
- **सार्क चार्टर को पुनः परिभाषित करना,** जिसमें अत्यधिक सुरक्षा उपायों को हटाना, 'सार्क माइनस' अवधारणा को शामिल करना और व्यापार सुविधा, ऊर्जा व्यापार कनेक्टिविटी आदि पर ध्यान केंद्रित करना शामिल हैं।

चूंकि सार्क को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सराहना मिल रही है, इसलिए दक्षिण एशिया में प्रमुख क्षेत्रीय समूह के रूप में इसके पुनरुद्धार की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अंततः, इसकी सफलता सदस्य देशों की अपने मतभेदों को दूर करने और आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग की साझा दृष्टि की दिशा में काम करने की क्षमता पर निर्भर करेगी।

1.10.2. सॉफ्ट लोन डिप्लोमेसी (Soft Loan Diplomacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पिछले आठ वर्षों में भारत द्वारा पड़ोसी देशों को दिए गए सॉफ्ट लोन की राशि **3 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 15 बिलियन डॉलर** हो गई है।

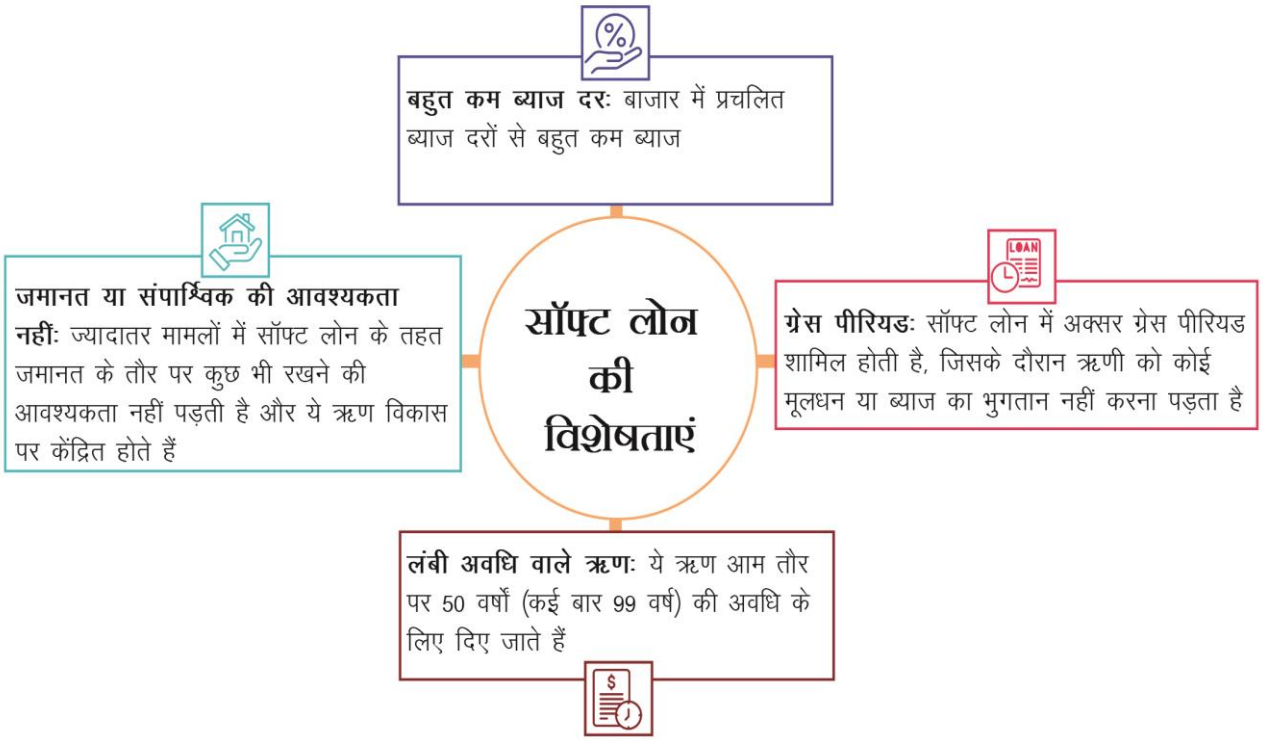

सॉफ्ट लोन के बारे में

- वर्ष 2003 में, केंद्र ने विकासशील देशों में संचालित परियोजनाओं को रियायती वित्त-पोषण प्रदान करने के लिए **"भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (IDEAS)[6]"** की शुरुआत की थी।
- वर्ष 2012 में, विदेश मंत्रालय ने **"विकास साझेदारी प्रशासन (DPA)[7]"** का सृजन किया था। इसका उद्देश्य **समन्वित उपायों को सुनिश्चित करना और देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर** बनाना था।
- **सॉफ्ट लोन के लिए बजट आवंटन** 2010 में लगभग 500 मिलियन डॉलर था। यह 2019-20 में बढ़कर 1.32 बिलियन डॉलर हो गया था। यह वित्तीय वर्ष 2019-20 के संपूर्ण बजट का 0.3% था।

सॉफ्ट लोन डिप्लोमेसी का महत्त्व

- यह प्राप्तकर्ता देशों के साथ **भारत की व्यापार से जुड़ी संभावनाओं में सुधार** कर सकती है।
- **अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरी करने में मदद** कर सकती है। उदाहरण के लिए- जल विद्युत परियोजना हेतु भूटान को **सॉफ्ट लोन** अंततः भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है।
- इसमें चीन की **'आक्रामक ऋण-जाल में फंसाने की नीति'** का स्थान लेने की क्षमता है।
- इसके जरिए **दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा** दिया जा सकता है।
- यह विशेष रूप से **अल्प-विकसित और विकासशील देशों में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त** करने में सहायक है।

सॉफ्ट लोन वितरण में चुनौतियां

- **भारत में सॉफ्ट लोन देने के लिए एक समेकित एजेंसी/ फ्रेमवर्क का अभाव है।** वर्तमान में विदेश मंत्रालय, वित्त, वाणिज्य जैसे कई विभाग सॉफ्ट लोन देने की प्रक्रिया में शामिल हैं।

[6] The Indian Development and Economic Assistance Scheme

[7] Development Partnership Administration

- **सॉफ्ट लोन के बारे में इस तरह की गलत धारणाएं फैली** हुई हैं कि यह हमारी अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं/ प्रदर्शन में हस्तक्षेप कर सकता है।
- अधिकांश मामलों में **राजनयिक देरी** के कारण धन के वितरण में विलंब देखने को मिलता है।
- **चीनी प्रभाव:** चीन पहले से ही अपनी ऋण जाल कूटनीति के जरिए इस क्षेत्र में अपना प्रभाव फैला चुका है। इसके कारण भारत द्वारा किसी अन्य देश को चीन की नीति के प्रतिसंतुलन में सॉफ्ट लोन देना कठिन कार्य हो जाता है।

निष्कर्ष

भारत को अपनी सॉफ्ट लोन कूटनीति का लाभ उठाने के लिए **एक समेकित फ्रेमवर्क का निर्माण** करना चाहिए। साथ ही, संबंधित **राजनयिक देरी को कम करना चाहिए और भारतीय वस्तुओं के प्रचार के लिए एक माध्यम के रूप में इसका इस्तेमाल** करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

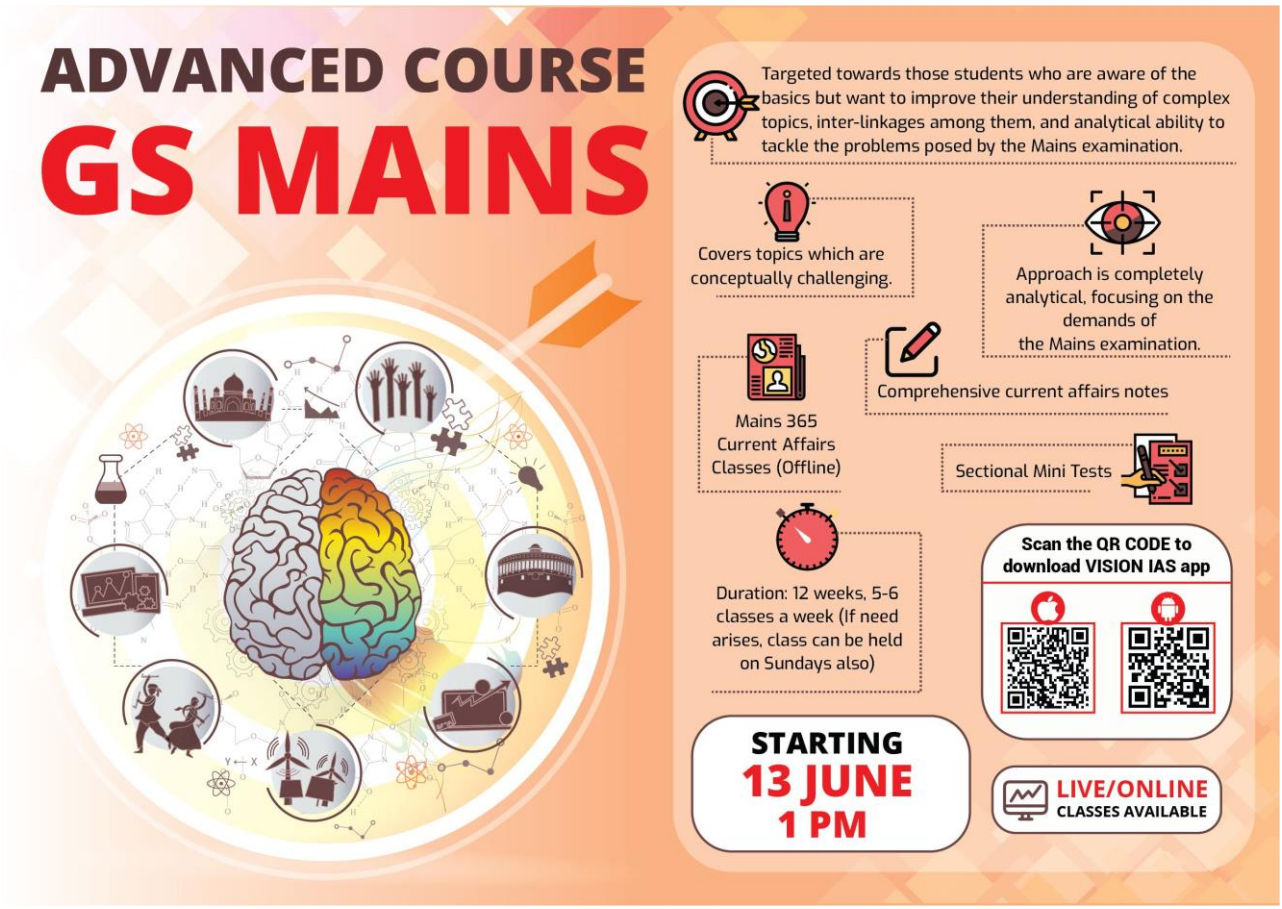

2. भारत को शामिल करने वाले और/ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय समूह तथा समझौते (Bilateral Grouping and Agreements Involving India and/or Affecting India's Interest)

2.1. भारत-रूस संबंध (India-Russia Relations)

भारत–रूस संबंध: एक नज़र में

रूस भारत का एक लंबे समय से और विश्वसनीय भागीदार रहा है। वर्ष 2000 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी के बाद, भारत–रूस द्विपक्षीय संबंधों ने लगभग सभी क्षेत्रों में गुणात्मक रूप से एक नया स्वरूप प्राप्त कर लिया है। वर्ष 2010 में, रणनीतिक साझेदारी को एक विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी (Special and Privileged Strategic Partnership) के स्तर तक बढ़ा दिया गया था। वर्ष 2023 में भारत–रूस मैत्री संधि के 30 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस संधि पर दोनों देशों ने 1993 में हस्ताक्षर किए थे।

द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2021–22 में 13.2 बिलियन डॉलर था।

भारत में कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (जैसे– हाइड्रोकार्बन, विद्युत, कोयला, परमाणु ऊर्जा, उर्वरक आदि) में रूसी निवेश 18 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।

दोनों देशों ने **2025 तक द्विपक्षीय निवेश को बढ़ाकर 50 अरब डॉलर और द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब डॉलर** करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

सहयोग के क्षेत्र

- **परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग:** भारत में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP), बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना आदि।
- **अंतरिक्ष अन्वेषण: उपग्रह परीक्षण सहित बाह्य अन्तरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग,** ग्लोनास (GLONASS) नेविगेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग और बाहरी अंतरिक्ष के अन्य सामाजिक अनुप्रयोग, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम आदि।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी:** इंडिया–रशिया ब्रिज टू इनोवेशन, टेलीमेडिसिन में सहयोग, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL) का निर्माण, और विश्व. विद्यालयों का रूस इंडिया नेटवर्क (RIN)।
- वर्ष 2000 की रणनीतिक साझेदारी के बाद से भारत के प्रधान मंत्री और रूसी राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन होता रहा है।

भारत के लिए रूस का महत्त्व

- **चीन और उसकी आक्रामकता को संतुलित करना।**
- खनन, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां, रूसी सुदूर पूर्व और आर्कटिक में भारत का बढ़ता प्रभाव जैसे **आर्थिक संलग्नता के उभरते नए क्षेत्र।**
- **आतंकवाद से निपटना:** दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का आह्वान करते आए हैं।
- UNSC और NSG जैसे **बहुपक्षीय मंचों पर रूस का समर्थन।**
- रूस भारत के लिए मुख्य रक्षा उपकरणों या साधनों (जैसे कि S-400 मिसाइल प्रणाली, INS विक्रमादित्य) का एक **प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।**

संबंधों में प्रमुख चुनौतियां

- **रूस और चीन के बीच बढ़ती सैन्य साझेदारी।**
- अच्छे राजनीतिक संबंधों के बावजूद **रूस के साथ वाणिज्यिक संबंध स्थिर हैं।**
- **रूसी रक्षा सामग्रियों की आपूर्ति और सर्विसिंग के संबंध में भारत की चिंताएं।**
- **हिंद–प्रशांत और क्वाड के विचार की रूस द्वारा आलोचना।**
- **रूस–यूक्रेन युद्ध।**
- **संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते संबंध।**

आगे की राह

- यूरेशियाई क्षेत्र, आर्कटिक, अफगानिस्तान जैसे सहयोग के नए विषयों पर कार्य करके **द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग को व्यापक बनाना।**
- **मेक इन इंडिया के माध्यम से रक्षा सहयोग को अपग्रेड करना।**
- **स्पेयर पार्ट्स का संयुक्त विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स समर्थन।**
- संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों (ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन आदि) में अधिक सहयोग के माध्यम से **नियम–आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर कार्य करना।**
- **आर्थिक सहयोग को मजबूत करना:** हरित गलियारे व अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे का संचालन करना और यूरेशियाई आर्थिक संघ (Eurasian Economic Union: EaEU) के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हो रहे व्यवस्थित परिवर्तनों के चलते भारत और रूस को एक मजबूत आर्थिक एवं रणनीतिक साझेदारी स्थापित करनी होगी। इसके अलावा, ऊर्जा और रक्षा से परे सहयोग के अपने क्षेत्रों में विविधता लाने पर बल देना होगा।

2.2. भारत-जापान संबंध (India-Japan Relations)

भारत–जापान संबंधः एक नज़र में

भारत और जापान के बीच मित्रता का एक लंबा इतिहास रहा है जिसकी जड़ें आध्यात्मिक आत्मीयता और मजबूत सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संबंधों में निहित हैं। इतिहास के विभिन्न चरणों के दौरान, दोनों देश कभी भी एक–दूसरे के विरोधी नहीं रहे और द्विपक्षीय संबंध हर प्रकार के विवाद से मुक्त रहे हैं।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान **द्विपक्षीय व्यापार लगभग 20.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।**

जापान भारत के लिए **सबसे बड़ा ODA (ऑफिसियल डेवलपमेंट असिस्टेंस)** भागीदार है।

2021 में, भारत जापान के लिए **18वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** था, और जापान, भारत के लिए **13वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** था।

संबंधों का महत्व

- QUAD, G20, G4, जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से **बहुपक्षीय सहयोग।**
- **आर्थिक सहयोगः CEPA** और करेंसी स्वैप एग्रीमेंट।
- **रक्षा सहयोगः** धर्म संरक्षक, शिन्यू मैत्री जैसे रक्षा अभ्यास; समुद्री अभ्यास – जिमेक्स।
- आपूर्ति और सेवाओं का आदान–प्रदान करने के लिए **एक्यूजिशन एंड क्रॉस–सर्विसिंग एग्रीमेंट (ACSA)।**
- **सामरिक सहयोगः** हिंद–प्रशांत महासागर की पहल; आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल; 2 + 2 संवाद; एशिया–अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (**AAGC**), आदि।
- **संस्कृतिः** 2014 में वाराणसी और क्योटो के बीच पार्टनर सिटी संबद्धता समझौता।
- **ऐतिहासिक संबंधः** बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय संस्कृति का जापानी संस्कृति पर बहुत प्रभाव पड़ा है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकीः भारत–जापान इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फंड; भारत–जापान डिजिटल साझेदारी; इसरो और JAXA का एक संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण (LUPEX) मिशन।
- जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसे भारत ने पूर्वोत्तर में सामाजिक–आर्थिक विकास में मदद के लिए सक्रिय रूप से आमंत्रित किया है।

चिंताएं

- **व्यापारः** भारत–जापान व्यापार चीन के साथ भारत के व्यापार का सिर्फ एक चौथाई रह गया है; CEPA की सीमित सफलता; भारतीय कंपनियों और उत्पादों के लिए प्रवेश बाधा।
- **सीमा पार डेटा प्रवाह पर अंतरः** भारत जहां डेटा स्थानीयकरण पर विचार कर रहा है, वहीं **'ओसाका ट्रैक'** के तहत जापान ने सीमा–पार डेटा प्रवाह के मानकीकरण का प्रस्ताव रखा है।
- **AAGC की व्यवहार्यता पर संदेह।**
- **अलग–अलग हितः** RCEP से भारत का बाहर होना जापान के दृष्टिकोण से निराशाजनक था।
- **सामान्य आधारः** भारत और जापान के संबंध विकास के पारस्परिक आधार, जैसे– व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग आदि पर विकसित न होकर चीन की बढ़ती पृष्ठभूमि में विकसित हो रहे हैं।
- **लंबित परियोजनाएंः** अहमदाबाद और मुंबई के बीच फ्लैगशिप प्रमुख बुलेट ट्रेन परियोजना अभी भी प्रगति पर है और भूमि अधिग्रहण अभी भी पूरा नहीं हुआ है।

आगे की राह

- **निवेशः** बेहतर लॉजिस्टिक्स, एक अधिक खुली, स्थिर और सुसंगत व्यापार नीति व्यवस्था एवं साथ ही 'केंद्रीकृत सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम' की स्थापना से जापानी निवेशकों के लिए भारत का आकर्षण बढ़ेगा।
- **मजबूत व्यापारः** दोनों तरफ के लीडर्स को द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता को समझना चाहिए और मौजूदा तंत्र के माध्यम से CEPA के कार्यान्वयन की आगे की समीक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **चीन का मुकाबलाः** USA को शामिल कर वार्षिक त्रिपक्षीय मालाबार अभ्यास इस बारे में एक दृष्टि दे सकता है। इसी तर्ज पर ये तीन राष्ट्र क्षेत्र में चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए सैन्य गठबंधन जैसी राह भी अपना सकते हैं।
- **ऊर्जा सुरक्षाः** दोनों देश हरित ऊर्जा भागीदारी के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर और विनिर्माण एवं **MSME** क्षेत्रकों में अभिनव साझेदारी कर मजबूत साझेदारी विकसित कर सकते हैं।

गौरतलब है कि भारत ने पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार किया है। इस कवायद में उसे जापान से समर्थन मिला है। यहाँ तक कि चीन के साथ सीमा विवादों पर भी भारत को जापान का अडिग समर्थन मिला है।

2.3. भारत-दक्षिण कोरिया संबंध (India-South Korea Relations)

भारत–दक्षिण कोरिया संबंध: एक नज़र में

भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। भारत–दक्षिण कोरिया संबंधों में हाल के वर्षों में काफी प्रगति हुई है। परस्पर हित, आपसी सद्भावना और उच्च स्तरीय आदान–प्रदान के चलते दोनों देश के संबंधों में काफी वृद्धि हुई है।

वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 2022 में 27.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

भारत, **दक्षिण कोरिया के लिए सातवां सबसे बड़ा निर्यात बाजार** है।

सहयोग के क्षेत्र

- **राजनीतिक:** दक्षिण कोरिया की मुक्त बाजार नीतियां और नई सदर्न पॉलिसी वस्तुतः **भारत की आर्थिक उदारीकरण, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो–पैसिफिक रणनीति** के अनुरूप है।
- **आर्थिक: दोनों देशों ने 2010 में CEPA पर हस्ताक्षर किए थे।**
- भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा देने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए **2016 में कोरिया प्लस की शुरुआत** की गई।
- **रक्षा और रणनीतिक संबंध:** 2020 में भारत और साउथ कोरिया के मध्य रक्षा उद्योग सहयोग के लिए एक रोडमैप पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- **ऊर्जा:** जुलाई 2011 में परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- दोनों देशों ने **2010 में रणनीतिक साझेदारी** पर हस्ताक्षर किए, जिसे 2015 में **एक विशेष रणनीतिक साझेदारी** में अपग्रेड कर दिया गया।

भारत के लिए दक्षिण कोरिया का महत्त्व

- **चीन और दक्षिण कोरिया के मध्य बढ़ती दूरी:** इससे लोक स्वास्थ्य, हरित विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी और व्यापार जैसे अन्य क्षेत्रों में नए आर्थिक अवसर व अंतक्रियाओं को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा मिल सकता है।
- **इंडो–पैसिफिक आउटलुक:** जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के साथ जारी भारतीय हिंद–प्रशांत रणनीति में दक्षिण कोरिया को चौथे मागीदार के रूप में शामिल किया जा सकता है। यह इस क्षेत्र में भारत की स्थिति और प्रभाव में एक आदर्श बदलाव ला सकता है।
- **त्रिपक्षीय सुरक्षा वार्ता:** दक्षिण कोरियाई नीतियों में बदलाव सामान्यतः भारत, दक्षिण कोरिया और जापान के मध्य रक्षा नीति समन्वय को मजबूत बनाने में मदद करेगा। यह मजबूत समन्वय नई संयुक्त क्षेत्रीय सुरक्षा नीतियों को प्रभावी ढंग से तैयार करने में सहयोग करेगा।

चुनौतियां

- **राष्ट्रीय उद्देश्यों में विचलन:** दक्षिण कोरिया का क्वाड (अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान) से अलगाव, जबकि भारत का क्वाड में सक्रिय रूप से भाग लेना।
- **शिथिल आर्थिक संबंध:** भारत और दक्षिण कोरिया द्वारा **CEPA** समझौते को अपग्रेड करने की कोशिश के बावजूद इसका लाभ उठाने में असमर्थ होना।
- **चीन का दबाव:** यदि चीन के दबाव को कम करने के लिए उचित प्रयास नहीं किए गए, तो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मौजूदा उभरता गठजोड़ अल्पकालिक सिद्ध हो सकता है। इस गठजोड़ में दोनों देशों को एक साथ लाने की क्षमता है।
- **उत्तर कोरिया का दबाव:** कोरियाई प्रायद्वीप पर किसी भी प्रकार की प्रतिकूल घटना दक्षिण कोरिया की इंडो–पैसिफिक परियोजना को विफल बना सकती है।

आगे की राह

- **समान चुनौतियां:** दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ सहयोग बढ़ाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन के मध्य समीकरणों को संतुलित किए जाने हेतु दबाव बनाया जाना चाहिए।
- **समुद्री साझेदारी की संभावना:** इनमें जहाज निर्माण, संयुक्त दक्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, खोज एवं बचाव, समुद्री प्रदूषण व समुद्री डकैती की रोकथाम, आतंकवाद रोधी और तस्करी विरोधी आदि जैसे प्रयास शामिल हैं।
- **समुद्री प्रक्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness: MDA)** हेतु अवसर: भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में एक इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर (**IFC**) स्थापित किया गया है। इसे मैरीटाइम कॉमन्स में स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है।
- **लोगों के मध्य संपर्क तथा सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया जाना चाहिए।**

भारत, दक्षिण कोरिया को मौजूदा चीनी दबाव और उत्तर कोरियाई खतरों का सामना करने में मदद कर सकता है। एक स्वतंत्र, मजबूत और लोकतांत्रिक देश के रूप में दक्षिण कोरिया भारत का एक दीर्घकालिक साझेदार बन सकता है। साथ ही, यह भारत की हिंद–प्रशांत रणनीति में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हुए सहयोग कर सकता है।

2.4. भारत-वियतनाम संबंध (India-Vietnam Relations)

भारत–वियतनाम संबंध: एक नज़र में

दोनों देश पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध साझा करते हैं। दोनों देशों ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए साझा संघर्ष किया है। साथ ही स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में भी दोनों की ऐतिहासिक जड़ें जुडी हुई हैं। वर्ष 2022 भारत और वियतनाम के बीच राजनयिक यात्रा की स्थापना का 50वां वर्ष था।

वियतनाम में भारत का निवेश लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है

भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 27% की वृद्धि दर्ज की गई और पिछले साल यह 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

वियतनाम, आसियान में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

भारत के लिए वियतनाम का महत्त्व

- **भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण घटक** है: एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो–पैसिफिक विजन, सागर (SAGAR) नीति।
- **अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को समर्थन,** जैसे– UNSC में भारत की सदस्यता।
- दक्षिण चीन सागर में **चीन का मुकाबला** करने हेतु रणनीतिक भागीदारी के निर्माण हेतु।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** दक्षिण चीन सागर में तेल और पेट्रोलियम की खोज।
- **समुद्री सुरक्षा और संरक्षण।**

हालिया घटनाक्रम

- **परस्पर लॉजिस्टिक्स सहयोग** पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- भारत, वियतनाम में जमीनी स्तर पर समुदायों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए **क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स** (QIP) क्रियान्वित कर रहा है।
- रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए **'2030 की ओर भारत–वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टि वक्तव्य'** पर हस्ताक्षर किए।

चिंताएं

- **दक्षिण चीन सागर पर चीन का दावा** इस क्षेत्र में भारत की हाइड्रोकार्बन खोज की संभावना को खतरे में डाल सकता है।
- **RCEP से बाहर निकलने के भारत के फैसले** से व्यापार संबंधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- विदेश नीति में अंतर के कारण **असंगत व्यापार वृद्धि।**

आगे की राह

- **पीपल–टू–पीपल एक्सचेंज को बढ़ावा देना:** बौद्ध और चाम संस्कृति, सीधी उड़ान, यात्रा में आसानी आदि।
- हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA), बिम्सटेक आदि उप–क्षेत्रीय फ्रेमवर्क के तहत **आर्थिक सहयोग को बढ़ाना।**
- समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर सहयोग की आवश्यकता।

भारत–वियतनाम के बीच रणनीतिक कूटनीतिक और सैन्य जुड़ाव के चलते दोनों देशों को चीन के बढ़ते समुद्री प्रभाव से जुड़ी साझा चिंताओं को देखते हुए अपने संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

2.5. भारत-थाईलैंड (India-Thailand)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2022 में भारत और थाईलैंड के बीच **राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हुए।**

भारत-थाईलैंड संबंध

- **राजनीतिक: भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति को थाईलैंड की 'एक्ट वेस्ट' नीति** से समर्थन मिला है। इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए हैं।

- **आर्थिक:** वर्ष 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है।
- **रक्षा सहयोग:**
  - रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन (2012) पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
  - इंडो-थाई कार्पेट और मैत्री सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है।
  - भारत वर्ष 2015 से कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास में भाग ले रहा है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है।
- **द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र:** संयुक्त आयोग की बैठक, विदेश कार्यालय परामर्श, संयुक्त कार्य बल आदि।
- **कनेक्टिविटी:** दोनों देशों के मध्य **कनेक्टिविटी संबंधी प्रमुख पहलें हैं:**
  - भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग,
  - एशियाई राजमार्ग नेटवर्क (UNESCAP के तहत),
  - बिम्सटेक (BIMSTEC) ढांचे के तहत बिम्सटेक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स स्टडी (BTILS)।
- **सांस्कृतिक:** बौद्ध धर्म एक साझा सूत्र है, जो दोनों देशों को जोड़ता है। लाखों थाई बौद्ध **लुंबिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर** की यात्रा करते हैं।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** दोनों देश आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, बिम्सटेक, मेकांग गंगा सहयोग (MGC), इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) आदि में घनिष्ठ सहयोग करते हैं।
- **पीपल-टू-पीपल संपर्क:** थाईलैंड में भारतीय मूल के लगभग 2,50,000 लोग रहते हैं।

हालिया घटनाक्रम और सहयोग

- **पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के दूसरे संस्करण** का आयोजन **बैंकॉक** में किया गया।
- भारतीय दूतावास ने थाईलैंड की त्रिरत्नभूमि सोसायटी के सहयोग से बैंकॉक में भारत के **बौद्ध विरासत स्थलों पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया।**
- थाईलैंड में भी **'आजादी का अमृत महोत्सव'** की शुरुआत की गई है।
- क्वाड की **वैक्सीन साझेदारी** के तहत भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से **थाईलैंड को मेड इन इंडिया कोवोवैक्स वैक्सीन प्रदान किए गए।**

चुनौतियां

- **रुकी हुई त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना:** इस त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना का अधिकांश हिस्सा म्यांमार के अंतर्गत आता है, जहां फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट हो गया था। इसके परिणामस्वरूप, यह परियोजना अवरुद्ध हो चुकी है।
- **चीन की बढ़ती भूमिका:** चीन अपनी वन बेल्ट वन रोड पहल के माध्यम से इस क्षेत्र में लगातार अपनी उपस्थिति और प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** विद्रोही समूह थाईलैंड की भूमि का इस्तेमाल छोटे हथियारों की तस्करी के साथ-साथ हिंसक गतिविधियों की योजना बनाने और विद्रोहियों की भर्ती के लिए करते हैं।
- **थाईलैंड में लोकतंत्र का अभाव:** पांच साल की सैन्य तानाशाही के बाद, 2019 से थाईलैंड पर एक सैन्य-प्रभुत्व वाली अर्ध-निर्वाचित सरकार शासन कर रही है।
- **क्षेत्र में तनाव:** यह क्षेत्र उभरते हुए हिंद-प्रशांत सुरक्षा ढांचे की धुरी है। यहां बाह्य संतुलन के लिए महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता और प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है।

आगे की राह

- **क्षेत्रीय समूहन:** भारत को बिम्सटेक, आसियान, APEC, IORA आदि के संदर्भ में थाईलैंड के पास मौजूद अवसरों का पता लगाना चाहिए। यह भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है।
- **कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना:** अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने में होने वाली देरी को कम करने और बाधाओं का समाधान करने पर बल देना चाहिए।
- प्रशुल्क दरों से संबंधित समस्याओं का समाधान करके और व्यापार बाधाओं को कम करके **व्यापार की क्षमता का दोहन करने की आवश्यकता है।**
- **लोगों के बीच संपर्कों को मजबूत करना:** अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए और सांस्कृतिक समावेशन कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करना चाहिए।

2.6. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध (India Australia Relations)

भारत–ऑस्ट्रेलिया संबंधः – एक नज़र में

भारत–ऑस्ट्रेलिया में बहुत कुछ एक जैसा है। ये दोनों ही एक बहुलवादी, वेस्टमिंस्टर शैली के लोकतंत्र, राष्ट्रमंडल परंपराओं पर तो आधारित हैं हीं, इसके अलावा दोनों के बीच आर्थिक जुड़ाव भी बढ़ रहा है और दोनों ही एक–दूसरे के साथ उच्च स्तरीय बातचीत में भी संलग्न हैं। हाल ही में, पहले भारत–ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

वर्ष 2022 में दोनों देशों के मध्य **द्विपक्षीय व्यापार 46.5 बिलियन डॉलर था।**

भारत, ऑस्ट्रेलिया का **9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।**

ऑस्ट्रेलिया, भारत में FDI इक्विटी प्रवाह में 29वें स्थान पर है। इसकी संचयी FDI राशि 1,060.27 मिलियन यू.एस. डॉलर है।

द्विपक्षीय संबंध

सहयोग के क्षेत्र

- **आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधः** ऑस्ट्रेलिया की "एन इंडिया इकॉनॉमिक स्ट्रेटजी टू 2035" का लक्ष्य द्विपक्षीय संबंधों को आकार देना है। साथ ही, दोनों के मध्य **ग्रेन्स पार्टनरशिप** का उद्देश्य फसलोपरांत प्रबंधन में ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता का उपयोग करना है।
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोगः** सैन्य अभ्यास (**AUSINDEX**, मालाबार), सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा–पत्र और नागरिक परमाणु सहयोग समझौता।
- G–20, राष्ट्रमंडल, इंडियन ओशेन रिम–एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (IOR-ARC), आसियान क्षेत्रीय मंच, क्वाड जैसे मंचों के माध्यम से रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकीः** ऑस्ट्रेलिया–भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष तथा साइबर और साइबर–सक्षम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पर समझौता।
- **वैश्विक सहयोगः** दोनों की साझा चिंताएं (जैसे– चीनी आक्रामकता) और साझा हित (जैसे– मुक्त एवं समावेशी हिंद–प्रशांत क्षेत्र) हैं।
- **पीपल टू पीपल रिलेशनः** छात्रों सहित ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों की कुल संख्या लगभग 7 लाख है।

चुनौतियां

- **इंडो–पैसिफिक के संबंध में दृष्टिकोण में अंतरः** भारत **संपूर्ण हिंद महासागर** क्षेत्र को प्राथमिकता देता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया केवल **दक्षिण–पश्चिम हिंद महासागर,** अर्थात् इसके उत्तरी भाग और **दक्षिण प्रशांत के विशाल भाग** को प्रमुखता देता है।
- **प्राथमिकताओं और वैश्विक नजरिए में भिन्नताः** भारत ने, हिंद–प्रशांत क्षेत्र में रक्षा संबंधों को प्रमुखता प्रदान की है। इसके विपरीत, ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को उच्च प्राथमिकता दी है।
- ऑस्ट्रेलिया में **भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ भेदभाव और नस्लवाद।**
- **व्यापार समझौते पर प्रगति का अभावः व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA)** पर दुविधाजनक स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा, **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) समझौते** से भारत बाहर हो गया है।
- **व्यापार घाटाः** वित्त वर्ष 2022 में, द्विपक्षीय व्यापार में भारत का व्यापार घाटा 8.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

संबंधों में हालिया विकास

- हाल ही में, **आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA)** पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह एक दशक से अधिक समय के बाद **किसी विकसित देश के साथ** भारत का पहला **मुक्त व्यापार समझौता (FTA)** है।
- **SAIEP (स्टडी ऑस्ट्रेलिया इंडस्ट्री इमर्शन प्रोग्राम)** को वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत भारतीय छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है।
- **मैत्री नामक स्कॉलर्स भारतीय छात्रों** को ऑस्ट्रेलिया के वैश्विक रूप से अग्रणी विश्वविद्यालयों में **अध्ययन के लिए सहायता प्रदान करेंगे।**
- दोनों देशों ने औपचारिक रूप से **CECA के लिए वार्ता फिर से शुरू** की है।

आगे की राह

- **प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को गहन करना चाहिए।**
- **रक्षा क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र में इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार करने की आवश्यकता है।**
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और IORA जैसे **क्षेत्रीय संस्थानों और मंचों में समन्वय बढ़ाया जाना चाहिए।**
- **व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को गहन और व्यापक करने की ज़रुरत है।**

भारत और ऑस्ट्रेलिया के समग्र संबंध काफी ऊंचाई तक जा सकते हैं। साथ ही, दोनों ही देशों की नज़र में एक–दूसरे के साथ द्विपक्षीय संबंध रणनीतिक रूप से उपयोगी, आर्थिक रूप से उत्पादक और एक–दूसरे के नए एजेंडे के अनुरूप हैं।

2.7. भारत-यू.के. संबंध {India-United Kingdom (UK) relations}

भारत–यू.के. संबंध: एक नज़र में

भारत और यू.के. इतिहास एवं संस्कृति के मजबूत संबंधों से जुड़े हैं। साथ ही, वे लोकतंत्र, मौलिक स्वतंत्रता, बहुपक्षवाद और एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर प्रतिबद्ध हैं।

दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 25.7 बिलियन डॉलर का है। व्यापार अधिशेष भारत के पक्ष में है।

भारत यू.के. में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है, जबकि यू.के. भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है।

भारतीय IT सेवाओं के लिए यू.के. यूरोप का सबसे बड़ा बाजार है।

सहयोग के क्षेत्र

- **रक्षा:** रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भागीदारी (**DISP**), ट्राई सर्विसेज जॉइंट एक्सरसाइज (कोंकण शक्ति) आदि।
- **शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार:** यू.के.–इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव और यू.के. रिसर्च एंड इनोवेशन (**UKRI**) कार्यक्रम।
- **जलवायु और पर्यावरण:** मंत्रिस्तरीय ऊर्जा वार्ता जैसे तंत्रों के माध्यम से जुड़ाव। भारत में अक्षय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन आदि में संस्थागत निवेश जुटाने के लिए **भारत–यू.के. ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड।**
- **सांस्कृतिक संबंध:** यू.के. में नेहरू केंद्र सक्रिय रूप से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। वर्ष 2017 को भारत–यू.के. संस्कृति वर्ष के रूप में मनाया गया।
- **भारतीय प्रवासी** यू.के. में सबसे बड़े नृजातीय अल्पसंख्यक समुदायों में से एक हैं। ये वहां के सकल घरेलू उत्पाद में 6% योगदान देते हैं।

भारत–यू.के. संबंधों से जुड़े मुद्दे

- **औपनिवेशिक विरासत:** ब्रिटेन को लेकर उपनिवेश–रोधी आक्रोश।
- **भारत की घरेलू राजनीति,** जैसे– वित्तीय अपराधियों को शरण देने, कश्मीर मुद्दे और किसानों के आंदोलन में **ब्रिटिश हस्तक्षेप।**
- **भारत में कारोबारी माहौल:** कर, आयात और FDI पर जटिल कानून भारत में व्यापार करने में बाधा डालते हैं।
- **यू.के. की आव्रजन नीतियां** लोगों की आवाजाही को सीमित करती हैं।
- **पाकिस्तान और चीन से निकटता:** यू.के. द्वारा पाकिस्तान की वकालत करना और ब्रेक्ज़िट के बाद की आर्थिक नीति में चीन को विशिष्ट स्थान देने के लिए किए गए ठोस प्रयास।
- **डिएगो गार्सिया का मुद्दा:** डिएगो गार्सिया की संप्रभुता को लेकर मॉरीशस और यू.के. के बीच विवाद है। भारत ने उपनिवेशवाद के सैद्धांतिक विरोध के कारण मॉरीशस के दावे का समर्थन किया है।

भारत पर ब्रेक्ज़िट डील का प्रभाव

- **सेवा क्षेत्र के लिए लाभ:** भारत IT, R&D, वास्तुकला और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में यू.के. एवं यूरोपीय संघ दोनों बाजारों में लाभ प्राप्त कर सकता है।
- **दोनों पक्षों से व्यापार समझौता:** ब्रेक्ज़िट ने भारत के लिए यूरोपीय संघ और यू.के. दोनों के साथ अलग–अलग व्यापार समझौतों का अवसर खोला है।
- दोनों बाजारों के लिए अलग–अलग मानकों और पंजीकरण को पूरा करने में निर्यातकों के लिए **परिचालन संबंधी कठिनाई।**
- यू.के. या यूरोपीय संघ में मुख्यालय वाली भारतीय कंपनियों के लिए पेशेवरों के आवागमन पर प्रतिबंध के कारण चुनौतियां।

आगे की राह

- शिक्षा, क्षमता निर्माण, रोजगार आदि में पीपल–टू–पीपल कनेक्ट के लिए **संस्थागत तंत्र और उपायों को मजबूत करना।**
- UN, G–20, WTO, WHO, IMF आदि में **सहयोग और समन्वय को बढ़ाना।**
- **प्रवासन और गतिशीलता:** व्यापक प्रवासन और गतिशील साझेदारी को लागू करना, एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करना। इसके अलावा, द्विपक्षीय प्रत्यर्पण और पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों के तहत सहयोग को बढ़ाना।
- **यू.के.–भारत FTA पर वार्ता को आगे बढ़ाना।**

भारत एक प्रमुख शक्ति के रूप में विकसित वैश्विक व्यवस्था में अपने लिए एक नई भूमिका बनाना चाहता है। यू.के. ब्रेक्जिट के बाद अपने रणनीतिक दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित करने की चाह रखता है। यह भारत और यू.के., दोनों के लिए एक अनूठा क्षण है। लोगों और ग्रह की साझा सुरक्षा और समृद्धि के लिए दोनों देशों को अपना द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करते हुए इसे विजन 2047 की ओर ले जाना चाहिए।

2.8. भारत-यूरोपीय संघ संबंध (India-European Union Relations)

भारत–यूरोपीय संघ संबंधः एक नज़र में

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच का संबंध **लोकतंत्र, विधि के शासन, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और बहुपक्षवाद जैसे साझा मूल्यों तथा सिद्धांतों पर आधारित** हैं। वर्तमान समय में भारत–यूरोपीय संघ के संबंधों को आकार देने वाले कारकों में **भू–राजनीतिक बदलाव, जैसे– रूस–यूक्रेन युद्ध, चीन का उदय, हिंद महासागर में साझा हित और कोविड–19 के बाद उभरती नई विश्व व्यवस्था** शामिल हैं।

2021 में दोनों के मध्य **द्विपक्षीय व्यापार 116.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का था।

EU, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद **भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** है।

EU, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद **भारतीय निर्यात के लिए दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य** है।

भारत के लिए यूरोपीय संघ का महत्त्व

- **चीन का मुकाबला करने के लिए।**
- **ब्रेक्ज़िट के बाद की परिस्थितियों** में भारत यह मानता है कि उसकी अपनी आर्थिक संभावनाएं उसके सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों की निरंतर वृद्धि और आंतरिक स्थिरता पर निर्भर करती हैं।
- **आर्थिक पक्षः** भारत यूरोपीय संघ की **'जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफ्रेंस'** के तहत **तरजीही टैरिफ का लाभार्थी** रहा है। यूरोपीय कंपनियां भारत में लाखों नौकरियां प्रदान करती हैं। यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते से भारत को अपने **निर्यात का विस्तार करने और विविधता लाने तथा मूल्य श्रृंखला प्राप्त करने में मदद मिलेगी।**
- यूरोपीय संघ के छोटे देशों, जैसे– डेनमार्क, एस्टोनिया और पुर्तगाल के साथ **संभावित संबंध।**
- **2000 से 2022 के बीच यूरोपीय संघ से भारत में FDI का अंतर्वाह 101.26 बिलियन अमरीकी डालर रहा था।**

सहयोग के क्षेत्र

- **नीली अर्थव्यवस्थाः** यूरोपीय संघ की **ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव, "नीली क्रांति"** को अपनाने हेतु भारत के आह्वान के अनुरूप है।
- **बहुपक्षवाद और नियम आधारित व्यवस्था की रक्षा करनाः** दोनों पक्ष **संयुक्त राष्ट्र में सुधार, विश्व व्यापार संगठन जैसे कई सुधार एजेंडा** पर एक–दूसरे को एक महत्वपूर्ण भागीदार मानते हैं।
- **इंडो–पैसिफिकः** यूरोपीय संघ की इंडो–पैसिफिक रणनीति **इस क्षेत्र में भारत के लक्ष्यों के करीब है।**
- **जलवायु परिवर्तन से मुकाबला** तथा **स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु भागीदारी** की सहायता से एक सतत अर्थव्यवस्था में बदलाव को सुविधाजनक बनाना।
- **कनेक्टिविटीः** भारत और यूरोपीय संघ ने **व्यापक कनेक्टिविटी साझेदारी** की घोषणा की है, जो चीन के **BRI का विकल्प** प्रदान करेगी।

भारत–यूरोपीय संघ संबंधों में चिंताएं

- **अपर्याप्त राजनयिक संबंध।**
- FTA (BTIA) की अनुपस्थिति के कारण **व्यापार क्षमता का कम प्रयोग** हुआ है।
- **मानवाधिकारः** यूरोपीय संघ के सदस्यों ने भारत में मानवाधिकारों की तथाकथित बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की है।
- **पीपल–टू–पीपल संबंधों की कमी।**

आगे की राह

- **BTIA को शीघ्र संपन्न करना** महत्वपूर्ण है।
- वार्षिक स्तर पर आयोजित होने वाले **राजनीतिक संवाद को मजबूत करना चाहिए।**
- अफ्रीका, मध्य एशिया जैसे क्षेत्र के भागीदार देशों में **ठोस त्रिपक्षीय/ सहयोग परियोजनाओं की शुरुआत करना।**
- यूरोप के सभी देशों के साथ **सांस्कृतिक संवाद को बढ़ाना।**

भारत और यूरोपीय संघ, दोनों ने 60 वर्षों से अधिक समय से मित्रता तथा मजबूत रणनीतिक संबंध को बनाए रखा है। हालांकि, अभी भी कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावना है।

2.8.1. भारत-जर्मनी संबंध (India-Germany Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत-जर्मनी **नवाचार और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत** हुए हैं।

भारत-जर्मनी सहयोग की प्रमुख पहलें:

हरित और सतत विकास साझेदारी (GDDP)	• दोनों देश 2022 में इस भागीदारी पर सहमत हुए थे। इसके तहत, जर्मनी भारत को **2030 तक 10 बिलियन यूरो की अतिरिक्त विकास सहायता** प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य **भारत की हरित विकास योजनाओं को समर्थन** देना है।

भारत-जर्मनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र (IGSTC)	• यह अत्याधुनिक विनिर्माण, एम्बेडेड सिस्टम, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (ICT), सतत ऊर्जा/ पर्यावरण जैसे **राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं को सहायता** प्रदान करता है।
त्रिपक्षीय विकास सहयोग	• दोनों देश 2022 में इस पहल पर सहमत हुए थे। इसके तहत **भारत और जर्मनी किसी तीसरे देश में विकास परियोजनाओं को सहायता** प्रदान करते हैं। • इसके तहत **कैमरून, मालावी, घाना और पेरू** में चार परियोजनाएं कार्यान्वयन के अग्रिम चरणों में हैं।
स्वच्छ प्रौद्योगिकियां	• 2022 में **इंडो-जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स** का गठन किया गया था। • भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) **हाइड्रोजन ऊर्जा क्लस्टर्स** स्थापित कर रहा है। इसमें जर्मनी का फ्राउनहोफर-गेसेलशाफ्ट (FhG) भी DST को सहयोग दे रहा है। • यह **FhG की प्रौद्योगिकियों को भारतीय प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकृत करने** और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में दीर्घकालिक प्रौद्योगिकी विकास पर बल देता है।

2.9. भारत-नॉर्डिक संबंध (India-Nordic Relations)

भारत–नॉर्डिक संबंधः एक नज़र में

भारत–नॉर्डिक रणनीतिक संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, संस्थागत समानताओं, लोगों के बीच संपर्क, बहुलवादी समाज, निरंतर सुरक्षा और व्यापार सहयोग, नवाचार तथा जलवायु न्याय की मजबूत नींव पर आधारित हैं। हाल ही में, दूसरा भारत–नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कोपेनहेगन, डेनमार्क में आयोजित किया गया था।

नॉर्डिक देश वस्तुतः नॉर्डिक क्षेत्र के पांच देश हैं: **डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड।**

2022 में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का **कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 13 बिलियन डॉलर** का था।

पांच नॉर्डिक देशों में से चार यूरोप में भारत के शीर्ष 20 व्यापारिक भागीदारों में से हैं।

सहयोग के क्षेत्र

- **ब्लू इकोनॉमीः** भारत और नॉर्डिक देश अपने समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।
- **जलवायु परिवर्तन और सतत विकासः नॉर्डिक सस्टेनेबल सॉल्यूशंस मिशन** भारतीय शहरों में सक्रिय रहा है।
- **आर्कटिक परिषदः** भारत आर्कटिक परिषद में एक पर्यवेक्षक है जिसमें सभी नॉर्डिक देश सदस्य हैं।
- नॉर्डिक देश परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) जैसे समूहों में भारत की सदस्यता तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं।
- **प्रवासीः** कई सारे भारतीय प्रवासी IT और अन्य पेशेवर सेवाओं के लिए इस क्षेत्र में प्रवास करते हैं।

चुनौतियां

- **रूस के साथ संबंधः** नॉर्डिक देश आर्कटिक क्षेत्र में रूस की आक्रामकता के खिलाफ हैं, जबकि भारत और रूस घनिष्ठ संबंध साझा करते हैं।
- **सदस्यों के अलग–अलग हितः** पांच देशों के साथ सहयोग का एक साझा लक्ष्य हासिल करना कठिन है।
- **व्यापार बाधाएंः** टैरिफ, गैर–टैरिफ बाधाएं और जटिल नियम जैसे मुद्दे व्यापार एवं निवेश के अवसरों को सीमित करते हैं।

आगे की राह

- **सांस्कृतिक आदान–प्रदान को बढ़ावा देनाः** लोगों के आपसी संबंधों को मजबूत करना।
- **सहयोग में सुधारः** नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन शमन और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं, विशेषज्ञता एवं अनुसंधान को साझा करना।
- **डिजिटल स्टार्ट–अप, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विभिन्न मोर्चों पर प्रौद्योगिकी** का लाभ उठाना।
- लगातार **कूटनीतिक संवाद** की सुविधा प्रदान करना।

21वीं सदी की विश्व व्यवस्था के विकास में अंतर्राष्ट्रीय नियम–आधारित प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में **भारत–नॉर्डिक साझेदारी को विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण शक्ति** के रूप में मान्यता दी गई है।

2.10. भारत और पश्चिम एशिया/ मध्य पूर्व संबंध (India and West Asia/Middle East Relations)

भारत–मध्य पूर्व संबंधः एक नज़र में

भारत का मध्य पूर्व/पश्चिमी एशिया के साथ अत्यधिक निकट, ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध रहा है। यह क्षेत्र भारत के "विस्तारित पड़ोस (Extended Neighborhood)" दृष्टिकोण का हिस्सा है।

भारत–मध्य पूर्व संबंधों के बदलते पहलू

पहलेः भारत के लिए आर्थिक रूप से विकसित होने हेतु मध्य पूर्व का बहुत महत्त्व था। यह **तेल आयात का महत्वपूर्ण स्रोत** होने के साथ–साथ **भारतीय श्रमिकों और धन प्रेषण के लिए भी महत्वपूर्ण क्षेत्र** रहा है।

वर्तमान समय में: भारत अभी भी उसी राह पर चल रहा है, किंतु **"लुक वेस्ट"** नीति के तहत दृष्टिकोण को तीव्र कर दिया गया है। तीन मुख्य धुरियों पर अधिक ध्यान दिया रहा है: **अरब की खाड़ी के देश, इजराइल और ईरान।**

इस क्षेत्र के विभिन्न देशों के साथ सहयोग के नए आयामः

- **इजराइलः** रक्षा, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्रित संबंध।
- **ईरानः** INSTC और चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाओं का विकास।
- **अन्य देशः**
  - **इराक, यू.ए.ई.** और **सऊदी अरब** संभावी व्यापार सहयोगी व निवेशक बन सकते हैं।
  - **सऊदी अरबः** सऊदी अरब में हज की यात्रा करने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों की संख्या को बढ़ाना।
  - **जॉर्डन** रॉक फॉस्फेट प्रदान करता है तथा यह फिलिस्तीन तक पहुंचने की एक कड़ी है।
  - **खाड़ी सहयोग परिषद** (GCC) के देशों ने भारत के खिलाफ़ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के संभावित खतरे को अंततः पहचान लिया है, जो इस क्षेत्र के लिए भी खतरा है।

हाल ही के समय में उठाए गए कदम

- **खाड़ी देशों में इकोनॉमिक डायवर्सिफिकेशन ड्राइव** (सऊदी अरब विजन 2030) ने संबंधों को तीव्र गति प्रदान की है।
  - ARAMCO और ADNOC इस क्षेत्र की प्रमुख तेल कंपनियां हैं। ये दोनों सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक की भारतीय कंपनियों के साथ अपने संबंधों को गहरा बना रही हैं।
- भारत ने दवाओं और चिकित्सकों को भेजकर **इस क्षेत्र में महामारी के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया** दिखाई थी।
- हाल ही में, भारत ने UAE के साथ FTA पर हस्ताक्षर किए हैं तथा इजराइल के साथ के साथ FTA समझौते को फिर से शुरू किया है।

लुक वेस्ट नीति से संबंधित बाधाएं

- **इजराइल के साथ अरब देशों के संबंधों में हो रहे सुधारों के आगे न बढ़ने परः** अरब की जनता फ़िलिस्तीनियों के लिए व्यापक समर्थन देती आई है। इससे खाड़ी में स्थित देशों पर इजराइल के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने वाले प्रयासों को रोकने का दबाव पड़ सकता है। यह इजराइल के साथ भारत की बढ़ती निकटता को भी प्रभावित कर सकता है।
- चीन के **बेल्ट एंड रोड** पहल की तुलना में **मध्य एशिया और मध्य पूर्व में भारत के प्रयासों के स्तर में कमी।**
- कोविड–19 के कारण उत्पन्न संरक्षणवाद के कारण क्षेत्र में रोजगार के संबंध में **भारतीय मूल के लोगों की असुरक्षित स्थिति।**
- **क्षेत्रीय विवादों से भारत पर प्रभावः** सऊदी–ईरान संघर्ष; सऊदी अरब और यू.ए.ई द्वारा कतर का बहिष्कार; इसी तरह, इजराइल को संदेह है कि ईरान द्वारा हमास और हिजबुल्ला को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है।

आगे की राह

- **मध्यस्थ की भूमिकाः** भारत यू.एस.ए., साउदी अरब और इजराइल के साथ अपने संबंधों का उपयोग कर प्रतिबंधों को कम कर सकता है तथा यू.एस.ए. की "मैक्सिमम प्रेशर" रणनीति के दबाव को कम कर सकता है।
- **सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मानवतावादी सहायता।**
- ईरान, सऊदी अरब और इजराइल के साथ **रणनीतिक सहयोग और स्थायी सॉफ्ट डिप्लोमेसी।**
- **तेल का विकल्पः** भारत को तेल आपूर्ति के विकल्पों पर फिर से ध्यान देना चाहिए।
- सेमीकंडक्टर डिजाइन और फैब्रिकेशन तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में UAE एवं इजराइल जैसे देशों के साथ **सहयोग को विस्तारित करना।**

भारत और मध्य पूर्वी देशों के बीच मज़बूत एवं बहुविध सहयोग है। यह क्षेत्र भारत को पारस्परिक रूप से हितकारी तरीके से विकसित होने का वास्तविक अवसर प्रदान करता है। हिंद–प्रशांत की तरह ही मध्य पूर्व में भी क्षेत्रीय गठबंधन से भारत की पहुंच व्यापक होगी और इसका प्रभाव गहरा होगा।

2.10.1. पश्चिम एशिया में नया समूह (New Group in West Asia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सऊदी अरब ने **भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात** के **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSAs)**[8] की एक विशेष बैठक की मेजबानी की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **पहले क्वाड-I2U2 के बाद** इन सभी देशों की एकीकृत उपस्थिति को **पश्चिम एशिया के दूसरे क्वाड** के गठन के रूप में देखा जा रहा है। क्वाड-I2U2 से तात्पर्य **भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका** से है।
  - हालांकि, यह क्वाड **भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया वाले इंडो-पैसिफिक क्वाड** से अलग होगा।
- इसे **भारत की "पश्चिम की ओर देखो"** नीति की सफलता के रूप में भी देखा जा रहा है।

इस नए क्वाड का भारत के लिए महत्त्व

- **मध्य पूर्व के साथ संबंध:** इससे भारत को मध्य पूर्व के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
  - इसके अलावा, यह एशिया के अतिरिक्त अमेरिका के साथ भी संबंधों के विस्तार से जुड़े अवसरों को बढ़ावा देगा।
- **वैश्विक स्थिति को मजबूत बनाना:** नए क्वाड का निर्माण सामरिक रूप से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने के लिए किया जा रहा है। यह रूस, यूरोप और चीन जैसी अन्य प्रमुख शक्तियों के हितों के साथ भारत के हितों के एकीकरण में मदद करेगा।
- **शांति और सुरक्षा:** इससे **समुद्री पाइरेसी (जलदस्युता या डकैती), ड्रग्स और हथियारों की अवैध तस्करी तथा आतंकवाद** जैसे खतरों को कम करने में मदद मिलेगी।
- **बाजार तक पहुंच:** यह द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद करेगा। यह पश्चिम एशिया के सामरिक बाजारों तक पहुंच को भी सुगम बनाएगा, जिसकी शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से होगी।
  - इसके अलावा, विशेष रूप से तेल आयात के भुगतान हेतु भारतीय रुपये की स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए भी यह उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

भारत और विश्व के लिए पश्चिम एशिया क्यों महत्वपूर्ण है?

- **ऊर्जा संसाधन:** यहाँ विश्व के कुछ सबसे बड़े **तेल और गैस भंडार** मौजूद हैं। **सऊदी अरब, ईरान, इराक और संयुक्त अरब अमीरात** तेल के प्रमुख उत्पादक व निर्यातक देश हैं।
- **भू-सामरिक स्थिति:** यह सामरिक रूप से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के मध्य स्थित है। यह अलग-अलग महाद्वीपों और व्यापारिक मार्गों के संपर्क बिंदु पर अवस्थित है। यह प्रमुख शक्तियों को भी जोड़ता है।
  - विश्व व्यापार का कम-से-कम 12 प्रतिशत हिस्सा स्वेज नहर के जरिए पूरा होता है।
- **संघर्ष और सुरक्षा:** यह क्षेत्र इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष, सीरियाई गृहयुद्ध और ईरान एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच चल रहे तनाव सहित कई संघर्षों का साक्षी रहा है। इन संघर्षों के कारण क्षेत्रीय और वैश्विक निहितार्थ उभर कर सामने आए हैं, जो क्षेत्र में स्थिरता व कच्चे तेल की कीमतों आदि को प्रभावित करते हैं।
- **धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व:** यह क्षेत्र यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम जैसे प्रमुख वैश्विक धर्मों की भी जन्म स्थली रहा है।
- **आर्थिक और व्यापार के अवसर: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर** जैसे खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)[9] के देश अवसंरचनात्मक विकास में निवेश कर रहे हैं। साथ ही, विदेशी निवेश को आकर्षित कर रहे हैं तथा व्यावसायिक भागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं।

[8] National Security Advisors

[9] Gulf Cooperation Council

- **चीन को प्रतिसंतुलित करना:** क्योंकि, चीन सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबंधों को बढ़ाने में सफल रहा है जिसके चलते इस क्षेत्र में चीनी राजनयिक उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
  - वर्ष 2021 में, ईरान और चीन ने 25 वर्ष की लंबी अवधि वाले एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका (India, Israel, UAE and United States: I2U2)

उत्पत्ति: I2U2 मंच का पहली बार उल्लेख इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अब्राहम समझौते के अनुसरण में अक्टूबर 2021 में किया गया था। इस मंच को समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए प्रस्तुत किया गया था।

उद्देश्य: इसे परस्पर हित के साझा क्षेत्रों पर चर्चा करने तथा व्यापार और निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में स्थापित किया गया था।

सहयोग के क्षेत्र:

- इसके तहत जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे सहयोग के छह क्षेत्रकों की पहचान की गई है।
- इसके अंतर्गत निम्नलिखित घटकों के लिए निजी क्षेत्रक की पूंजी और विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा रहा है:
  - अवसंरचना का आधुनिकीकरण,
  - कम कार्बन उत्सर्जन आधारित औद्योगिक विकास,
  - लोक स्वास्थ्य में सुधार, तथा
  - महत्वपूर्ण व उभरती और हरित प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास।

इस नए समूह से संबंधित समस्याएं/ चुनौतियां

- **स्पष्टता का अभाव:** इस समूह के रणनीतिक लक्ष्यों को स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा, यह समूह अपने गठन के प्रारंभिक चरण में है और इसके द्वारा अभी व्यावहारिक कार्य शुरू नहीं किया गया है।
- **सदस्यों के बीच विषमता:** शक्ति संपन्न होने के मामले में सदस्य देशों के मध्य विषमता मौजूद है। उदाहरण के लिए- संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य रूप से भारत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से अधिक शक्तिशाली है।
- **सहयोग:** इस समूह में शामिल देशों के बीच चीन व रूस के साथ संबंधों की स्थापना को लेकर अत्यधिक मतभेद बना हुआ है।
  - उदाहरण के लिए- भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर मतदान करने से इनकार कर दिया था।
- **सामरिक स्वायत्तता:** अमेरिका द्वारा प्रायोजित सुरक्षा समझौता मध्य पूर्व में भारत की 'सामरिक स्वायत्तता' को जटिल बना सकता है। इसका कारण यह है कि भारत स्वयं को एक तटस्थ देश के रूप में बनाए रखने पर जोर देता है अर्थात् यह किसी एक का पक्ष लेने से बचता रहा है।

आगे की राह

- **द्विपक्षीय चिंताओं को दूर करना:** इन चार देशों के बीच सहयोग के माध्यम से मैत्रीपूर्ण संबंध को स्थापित किया जा सकता है। साथ ही, इस मैत्रीपूर्ण संबंध को बनाए रखने के द्वारा प्रतिद्वंद्वी देशों को कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से संतुलित किया जा सकता है।
- **भविष्य में नए क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करके** या मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया दोनों में अन्य भागीदारों के साथ संबंधों को बनाए रखकर ऐसे सहयोग को व्यापक बनाया जा सकता है।
- **विकास:** बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने तथा लोक स्वास्थ्य के लिए मिलकर प्रयास करने चाहिए। इससे पश्चिम एशिया के विकास में मदद मिल सकती है।
- **शांति बनाए रखना:** समूह को इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। साथ ही, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया में ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा तथा आर्थिक संवृद्धि से संबंधित बढ़ती चिंताओं को दूर करना चाहिए।

2.10.2. भारत-सऊदी अरब संबंध (India-Saudi Arabia Relations)

भारत–सऊदी अरब संबंधः एक नज़र में

भारत और सऊदी अरब के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। ये सदियों पुराने आर्थिक और सामाजिक–सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। 1947 में राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई और 2010 में द्विपक्षीय संबंधों को "रणनीतिक साझेदारी" के स्तर पर ले जाया गया था।

सऊदी अरब, भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

वित्त वर्ष 2021–22 में भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार 42.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।

भारत सऊदी अरब से 18% से अधिक कच्चे तेल और लगभग 22% LPG का आयात करता है।

संबंधों का महत्त्व

- **भू–रणनीतिक सहयोगीः** पश्चिम एशिया में सऊदी अरब की रणनीतिक अवस्थिति इस क्षेत्र में भारत की **विदेश नीति की प्राथमिकताओं के लिए महत्वपूर्ण** है।
- यहां **लाखों भारतीय प्रवासी** रहते हैं।
- कठिन **समय में सहयोग,** जैसे कि कोविड महामारी के दौरान।
- **सांस्कृतिक संगम बिंदुः** सऊदी अरब में मक्का और मदीना के पवित्र शहर हैं जो वार्षिक हज और उमरा तीर्थयात्राओं के लिए प्रसिद्ध हैं।
- दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, G–20 और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) जैसे **बहुपक्षीय सहयोग आधारित मंचों पर साझा** हितों पर चर्चा करते हैं।
- **आतंकवाद से निपटने में सहयोगः** 2012 में, सऊदी अरब ने 2008 के मुंबई हमलों के संदिग्ध को गिरफ्तार करने में भारत की मदद की थी।
- **रक्षा एवं सुरक्षा में बढ़ती भागीदारीः** सूचनाओं का आदान–प्रदान, संयुक्त सैन्य अभ्यास और सैन्य प्रशिक्षण आदि सुरक्षा और रक्षा–संबंधी घनिष्ठ संबंधों के उदाहरण हैं।

संबंधों के समक्ष चुनौतियां:

- **क्षेत्रीय अस्थिरताः** मध्य पूर्व क्षेत्र की जटिल और बहुआयामी राजनीति एक चुनौती पेश करती है।
- **भारत में सऊदी निवेश के मामले में अत्यधिक देरीः** अरामको कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की योजना रद्द कर दी तथा इसने रत्नागिरी एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स परियोजना में भी अपनी भागीदारी पर रोक लगा दी है।
- **प्रवासियों से संबंधित मुद्देः** सऊदी सरकार द्वारा अपने नागरिकों को अधिक नौकरियां प्रदान करने के लिए 'सऊदीकरण' नीति को बढ़ावा देने और **'फैमिली टैक्स'** आदि से भारतीय प्रवासी प्रभावित हो सकते हैं।
- **कच्चे तेल से जुड़े मुद्देः** ओपेक देश तेल बेचते समय पश्चिमी देशों की तुलना में एशियाई देशों से एशियाई प्रीमियम (अतिरिक्त शुल्क) वसूलते हैं।
- **पाकिस्तान का प्रभावः** पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ घनिष्ठ सैन्य संबंध हैं।

हालिया घटनाक्रमः

- **रक्षा एवं सुरक्षाः**
  - पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास **"अल मोहम्मद अल हिंदी"** 2021 में आयोजित किया गया था।
  - दोनों देशों का लक्ष्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर एक **'व्यापक सुरक्षा वार्ता'** करना और आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना करना भी है।
- **संस्कृतिः**
  - वर्ष 2021 में, **योग के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए** गए थे। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के **औपचारिक मानकों और पाठ्यक्रमों को तैयार करना** था। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला सऊदी अरब पहला खाड़ी देश है।
  - **2019 में हज कोटा बढ़ाकर** अधिक भारतीयों को हज यात्रा करने में सक्षम बनाया गया।
- **प्रवासीः** श्रमिकों के लिए प्रवासन प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु **सऊदी अरब की ई–थावतीक प्रणाली के साथ भारत की ई–माइग्रेट प्रणाली का एकीकरण किया गया है।**

संबंधों को मजबूत करने की दिशा में आगे की राह

- **सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना।**
- **व्यापार संबंधों को संतुलित करनाः** भारत को निर्यात को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
- **प्रवासी भारतीयों से संबंधित विवादों का समाधान करनाः** सऊदी अरब को भारतीय प्रवासियों को प्रभावित करने वाली मौजूदा नीतियों पर फिर से विचार करने के लिए कहना चाहिए।
- **जलवायु परिवर्तन शमन में सहयोगः**
  - भारत की तरह, **सऊदी अरब भी 'सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव' और 'मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव'** के माध्यम से अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है।
- **स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी** जैसे सहयोग के अन्य क्षेत्रों का पाता लगाना।
- **भारत–अब्राहम फ्रेमवर्क** के तहत क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना।

ऐसे समय में, जब विश्व अस्थिरता क सामना कर रहा है, भारत–सऊदी रणनीतिक सहयोग साझा विकास, समृद्धि, स्थिरता, सुरक्षा और विकास को लेकर अपार संभावनाएं प्रस्तुत करता है।

2.10.2.1 भारत के विदेश मंत्री की सऊदी अरब की अपनी पहली यात्रा (MEA First Visit to Saudi Arabia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के विदेश मंत्री सऊदी अरब की अपनी पहली यात्रा पर गए थे।

विदेश मंत्री की इस यात्रा से जुड़े कुछ तथ्य

- भारत ने **रुपया-रियाल व्यापार** के लिए सऊदी अरब के साथ वार्ता शुरू की है।
- दोनों देशों ने वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी, LNG[10] अवसंरचना और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण सुविधाओं जैसी **संयुक्त परियोजनाओं में सहयोग** करने पर सहमति प्रकट की है।
- इस दौरान **भारत और GCC[11] के बीच एक परामर्श तंत्र के संबंध में समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।**

2.10.3. चाबहार पोर्ट (Chabahar Port)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने 'चाबहार दिवस' मनाया। इस दौरान भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह एवं INSTC (अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा) अंतर-महाद्वीपीय व्यापार मार्ग की प्रगति की समीक्षा की।

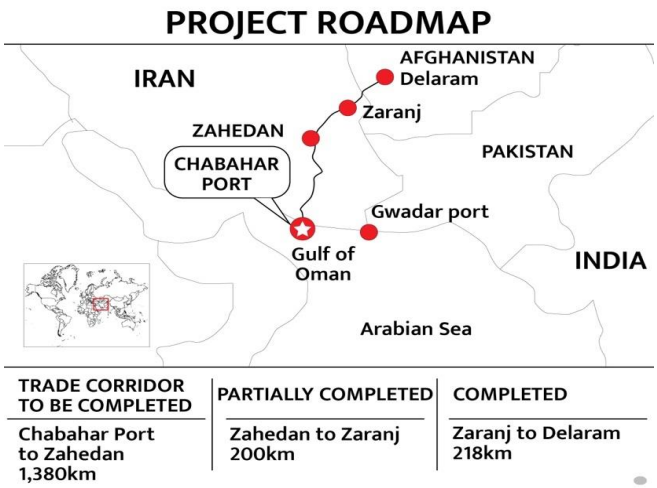

चाबहार पोर्ट के बारे में अन्य संबंधित तथ्य

- चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिण-पूर्वी हिस्से के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में **ओमान की खाड़ी** में स्थित है।
- यह **ईरान का एकमात्र गहरा समुद्री बंदरगाह (Deep-Sea Port) है, जिसकी खुले समुद्र तक सीधी पहुंच है।**
- अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों के साथ इसकी भौगोलिक निकटता है। इसके साथ ही यह **तेजी से विकसित हो रहे INSTC पर एक प्रमुख ट्रांजिट सेंटर के रूप में अवस्थित है।** ये सारी स्थितियां इसे इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्रों में शामिल होने की क्षमता प्रदान करती हैं।
- **भारत, अफगानिस्तान और ईरान ने 2016 में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर (चाबहार एग्रीमेंट) स्थापित** करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

भारत के लिए चाबहार बंदरगाह का भू-राजनीतिक महत्व:

- **भारत-ईरान व्यापार, राजनयिक और सैन्य संबंधों को मजबूत करना**, जो बढ़ते चीन-पाकिस्तान सहयोग को संतुलित कर सकता है।
- यह स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (CIS)[12] देशों तक पहुंचने के लिए INSTC के तहत एक ट्रांजिट हब के रूप में **चाबहार बंदरगाह का विकास करता है।**
  - चाबहार बंदरगाह का विकास **अश्गाबात समझौते का भी पूरक होगा।**

संबंधित सुर्ख़ियां

नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (STCW), 1978

- **'भारत और ईरान'** ने STCW के प्रावधानों के अनुसार दोनों देशों के मध्य **नाविकों की सुचारू आवाजाही के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर** किए हैं।
- **STCW अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी से संबंधित न्यूनतम मानकों** को स्थापित करने के लिए एक बहुपक्षीय सम्मेलन है।
  - इसे **वर्ष 1978 में अपनाया** गया था। यह **1984 में लागू** हुआ था।
  - **भारत** ने इसे **1984** में अधिसूचित किया था। भारत के लिए यह **1985** से प्रभावी हुआ था।
  - इसके अनुपालन और कार्यान्वयन की समीक्षा **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)** करता है। IMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय **जिनेवा** में स्थित है। इसे **वर्ष 1948** में स्थापित किया गया था।

[10] द्रवित प्राकृतिक गैस / Liquified Natural Gas

[11] खाड़ी सहयोग परिषद / Gulf Cooperation Council

[12] Commonwealth of Independent States

- चाबहार बंदरगाह के माध्यम से **पश्चिमी और मध्य एशिया के लिए समुद्र आधारित व्यापार मार्ग** उपलब्ध हो जाएगा। इससे भारत पाकिस्तान को बाईपास कर सकेगा।
  - ईरान के चाबहार में स्थित शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह का निर्माण भारत द्वारा किया गया है। इस बंदरगाह ने **भारत को अफगानिस्तान से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।**
- **सामरिक महत्व:** यह बंदरगाह पाकिस्तान में चीन द्वारा संचालित ग्वादर बंदरगाह से सिर्फ 170 कि.मी. दूर है।
- **मानवीय कार्य:** चाबहार बंदरगाह को एक ऐसे स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां से मानवीय कार्यों को संचालित किया जा सकता है।

चाबहार परियोजना के क्रियान्वयन में चुनौतियां

- **ईरान का रुख:** वर्ष 2020 में, ईरान ने अपने दम पर रेलवे लाइन का निर्माण करने का फैसला किया। ईरान द्वारा ऐसा करने के पीछे तर्क यह था कि **परियोजना को शुरू करने एवं वित्त-पोषण में भारतीय पक्ष की ओर से देरी की गई थी।**
- **अमेरिकी प्रतिबंध:**
  - भारत **उस निर्माण कंपनी के साथ समझौता करने में झिझक रहा है, जिसके इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC)** से संबंध हैं और जो अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन है।
  - हालांकि, इस परियोजना को **संयुक्त राज्य अमेरिका से विशेष छूट मिली हुई है,** फिर भी अमेरिका के निशाने पर होने की चिंता के कारण **उपकरण आपूर्तिकर्ताओं और भागीदारों को खोजना मुश्किल था।**
- **चीन के साथ ईरान की निकटता:** चीन और ईरान ने आपस में सहयोग के लिए एक **विस्तृत सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।** इस सौदे में **चाबहार के शुल्क-मुक्त क्षेत्र में चीनी भागीदारी,** पास की एक तेल रिफाइनरी और संभवतः चाबहार बंदरगाह में चीन की एक बड़ी भूमिका शामिल है।

भारत के लिए आगे की राह

- **भारत के लिए प्रतिबद्धताओं की समय-सीमा और सुपुर्दगी को ध्यान में रखना** महत्वपूर्ण होगा।
- भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच एक **संतुलन स्थापित करने** और क्षेत्र में अपने हितों की सक्रिय रूप से रक्षा करने की आवश्यकता है।
- हाल ही में, उज्बेकिस्तान ने भी चाबहार बंदरगाह को एक ट्रांजिट बंदरगाह के रूप में संयुक्त रूप से उपयोग करने के लिए रुचि दिखाई है। **क्षेत्रीय देशों के साथ बंदरगाह का संचालन और संयुक्त रूप से उपयोग करना** महत्वपूर्ण होगा।
- एक उभरती हुई शक्ति के रूप में, **एक शांतिपूर्ण विस्तारित पड़ोस** (ईरान-अफगानिस्तान) **न केवल व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा है,** बल्कि **महाशक्ति बनने की भारत की आकांक्षाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।**

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) के बारे में

- यह गलियारा 7,200 कि.मी. लंबा एक **मल्टी-मॉडल परिवहन नेटवर्क है,** जिसकी परिकल्पना पहली बार 2000 में रूस, भारत और ईरान द्वारा सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
  - INSTC, **फारस की खाड़ी से होते हुए हिंद महासागर को कैस्पियन सागर से** तथा रूस और उत्तरी यूरोप को जोड़ता है।
  - **वर्तमान में, इसमें भारत सहित 13 सदस्य हैं।**
  - हाल ही में, INSTC ने ईरान के रास्ते, रूस से भारत को पहली शिपमेंट भेजने के साथ अपना संचालन शुरू किया।

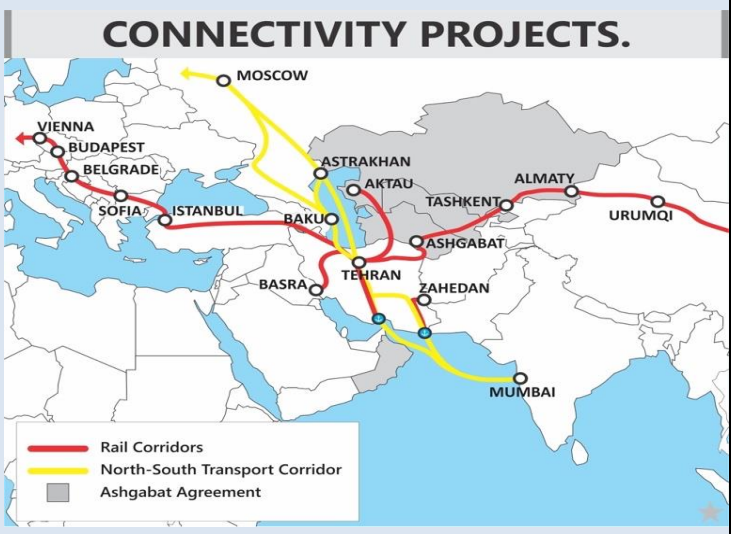

- **भारत के लिए INSTC का महत्व**
  - भारत और रूस के बीच **माल ढुलाई लागत को 30% तक कम करना** और ट्रांजिट समय (स्वेज नहर की तुलना में लगभग आधा) में कमी करना।
  - यह **भारत को मध्य एशिया और उससे आगे आर्कटिक, नॉर्डिक और बाल्टिक क्षेत्र में सुगम पहुंच प्रदान** करने में मदद करेगा। साथ ही, व्यापार और निवेश लिंक का भी विस्तार करने में मदद करेगा।
  - **यह आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन की सहायता से वर्तमान व्यापारिक भागीदारों,** विशेष रूप से ऊर्जा कनेक्टिविटी **पर निर्भरता को कम करेगा।**

- इसे **चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के विकल्प के रूप में भी देखा** जा रहा है।

- **भारत को रूस और यूरोप से जोड़ने वाले अन्य नियोजित कॉरिडोर**
  - भारत-रूस को जोड़ने वाला चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा।
  - भारत का अरब-भूमध्यसागरीय (Arab-Med) गलियारा, भारत को ग्रीस और मध्य पूर्व के पीरियस बंदरगाह के माध्यम से यूरोप की मुख्य भूमि से जोड़ता है।

2.10.4. भारत-कतर (India-Qatar)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2023 में भारत और कतर के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। **वर्ष 1973** में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई थी।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

- **भू-राजनैतिक**: कतर मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण भागीदार और अरब जगत में एक प्रभावशाली शक्ति है।
- **आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा:** कतर के पास गैस का बड़ा भंडार है और गैस व्यापार दोनों के आर्थिक संबंधों की आधारशिला है।
- **रक्षा और सुरक्षा:** दोहा इंटरनेशनल मेरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस (DIMDEX), ज़ैर-अल-बहर जैसे सैन्य अभ्यास का आयोजन।
- **सांस्कृतिक संबंध:** योग और आयुर्वेद दोनों के बीच आपसी संबंधों की प्रमुख विशेषताएं हैं। कतर ने आयुर्वेद सहित पूरक उपचार पद्धति की अनुमति दी है।
- **पीपल-टू-पीपल संपर्क:** कतर में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय निवास करता है।

भारत-कतर संबंधों के विकास में चुनौतियां

- **खाड़ी राजनयिक संकट (2017-2021): कतर के प्रति सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात** की दुश्मनी बनी रहने की संभावना है।
- **मानवाधिकारों का उल्लंघन:** कतर पर 2022 फीफा विश्व कप की तैयारी में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
- **चीन की मौजूदगी: चीन ने 2022 में कतर के साथ LNG आपूर्ति के लिए 27 वर्षों के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।**
- उनके भू-राजनीति संबंधी नीति एवं हित **अफगानिस्तान, ईरान और पश्चिम एशिया में मौजूद क्षेत्रीय सुरक्षा के बड़े प्रश्नों पर आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं।**
- **अन्य मुद्दे:** कतर के अधिकारियों ने सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना कर्मियों को लंबी हिरासत (अगस्त 2022 से अभी तक) में रखा है।

आगे की राह

- **डायस्पोरा की सुरक्षा:** भारत को कतर में भारतीय प्रवासी कामगारों की सुरक्षा के लिए वार्ता को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **ऊर्जा संक्रमण:** भारत को एक स्वच्छ और अधिक ऊर्जा दक्ष परिवेश विकसित करने के लिए कतर के साथ सहयोग करना चाहिए।
- **सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी:** भारत को कतर के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अतिरिक्त तरीकों के माध्यम से अपने "सॉफ्ट पावर" प्रभाव को बढ़ावा देना चाहिए।
- **लोगों के मध्य संपर्क:** शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सहयोग से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हो सकते हैं।

2.10.5. भारत-इजराइल संबंध (India-Israel Relations)

भारत–इजराइल संबंधः एक नज़र में

भारत और इजराइल महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हैं। दोनों देश आपस में लोकतंत्र एवं बहुलतावाद (Pluralism) के मूल्यों को साझा करते हैं। दोनों देशों ने ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं के रूप में नवाचार और अनुसंधान पर ध्यान देते हुए अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहन करना जारी रखा है।

द्विपक्षीय व्यापार **5.66 बिलियन डॉलर** का है, जिसमें **व्यापार संतुलन भारत के पक्ष** में है।

भारत एशिया में इजराइल का **तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार** है।

हीरों का व्यापार द्विपक्षीय व्यापार का लगभग **50%** है।

सहयोग के क्षेत्र

- **राजनीतिक संबंधः** 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे। वर्ष 2017 में इन संबंधों को रणनीतिक स्तर तक ले जाया गया। दोनों देश I2U2 पहल के सदस्य हैं जिसमें US और UAE भी शामिल हैं।
- **आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधः** कुछ क्षेत्रों में **भारत को इजराइल की विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकियों से लाभ हुआ है।** ये क्षेत्र हैं– बागवानी मशीनीकरण, सूक्ष्म सिंचाई और फसल कटाई के बाद का प्रबंधन आदि।
- **रक्षा और सुरक्षाः** भारत इजराइल से महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों का आयात करता है, उदाहरण के लिए– **बराक मिसाइल** जैसी प्रमुख रक्षा वस्तुओं का संयुक्त उत्पादन और विकास।
- **संस्कृति और शिक्षाः** भारत इजराइल के लिए एक आकर्षक व वैकल्पिक पर्यटन स्थल है। इन दोनों के बीच संयुक्त शैक्षणिक अनुसंधान हेतु नया वित्त पोषण कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- **भारतीय समुदायः** इजरायल में भारतीय मूल के लगभग 85,000 यहूदी रहते हैं।

चिंता के क्षेत्र

- **व्यापार और निवेश क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया हैः** व्यापार मुख्य रूप से हीरे और रक्षा तक ही सीमित है।
  - FTA वार्ता एक दशक से भी अधिक समय से रुकी पड़ी है।
- **पश्चिम एशियाई क्षेत्र में उभरती दरारेंः** ईरान के खिलाफ इजराइल और सऊदी अरब की नजदीकियां बढ़ रही हैं। ऐसे में तीनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखना भारत के समक्ष एक **चुनौती पैदा करता है।**
- **इजरायल द्वारा फिलिस्तीन के खिलाफ मानवाधिकारों का उल्लंघनः** भारत मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर हमेशा मुखर रहा है। हालांकि, इस मुद्दे से निपटने में भारत को रणनीतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
- **रक्षा क्षेत्रक मेंः** इजरायली कंपनियां भारत की लंबी रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया से संबंधित अनिश्चितताओं को लेकर चिंतित हैं।
- **चीन के साथ इजरायल के करीबी रिश्ते।**

भारत की डी–हाइफ़नेटेड नीतिः इजराइल और फिलिस्तीन

- अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, **डी–हाइफ़नेशन का अर्थ है दो ऐसे देशों के साथ अलग–अलग स्वतंत्र तरीके से व्यवहार करना जिनके बीच प्रतिकूल संबंध हों।**
- परंपरागत रूप से, इजराइल और फिलिस्तीन के प्रति भारत की विदेश नीति एक हाइफ़नेटेड विदेश नीति रही है। भारत लंबे समय से इजराइल के साथ संबंधों को फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों से जोड़कर देखता था। इस प्रवृत्ति के कारण, भारत उस व्यावहारिक नीति का पालन नहीं करता था जो उसके सबसे ज़्यादा हित में थी।
- भारत हाल के वर्षों में **इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक डी–हाइफ़नेशन नीति का पालन कर रहा है। इजराइल के साथ भारत के संबंध अपने हितों के आधार पर स्वतंत्र होंगें।** ये फिलिस्तीनियों के साथ भारत के संबंधों से अलग होंगे। डी–हाइफ़नेशन एक संतुलनकारी कार्य है। इसमें भारत परिस्थितियों के अनुसार एक तरफ से दूसरी तरफ स्थानांतरित हो रहा है।

आगे की राह

- **पीपल–टू–पीपल संपर्क को बढ़ाना।**
- **शिक्षाः** भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थान इजराइल में पनप रही अनुसंधान और नवाचार की मजबूत संस्कृति से लाभ उठा सकते हैं।
- **इजराइल की जल प्रबंधन तकनीकों से सीखना।**
- **सेमीकंडक्टर निर्माण में सहयोग।**
- **सामुदायिक प्रथाओं पर पारस्परिक शिक्षा का आदान–प्रदान करना।**

ऐतिहासिक काल से लेकर वर्तमान समय तक भारत और इजराइल अनेक क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक रहे हैं। यह साझेदारी अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और उपग्रहों में सहयोग के नए क्षेत्रों को खोल सकती है।

2.10.6. अब्राहम समझौता (Abraham Accords)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एजेंडे संबंधी कुछ समस्याओं और प्रतिकूल परिस्थितियों का हवाला देते हुए **मोरक्को ने अब्राहम समझौते संबंधी शिखर सम्मेलन के अगले दौर को स्थगित** कर दिया है।

अब्राहम समझौते के बारे में

- यह **संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित** करने के लिए एक **सामान्यीकरण** समझौता है। यह समझौता 2020 में **संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता** में संपन्न हुआ था।
- इसके तहत, **संयुक्त अरब अमीरात (UAE)** इजरायल को मान्यता देने वाला **तीसरा अरब देश** बन गया है। इससे पहले **मिस्र (1979) और जॉर्डन (1994)** ने इजरायल को मान्यता प्रदान की थी।
- **बहरीन, सूडान और मोरक्को** भी 2020 में इस समझौते में शामिल हो गए थे।

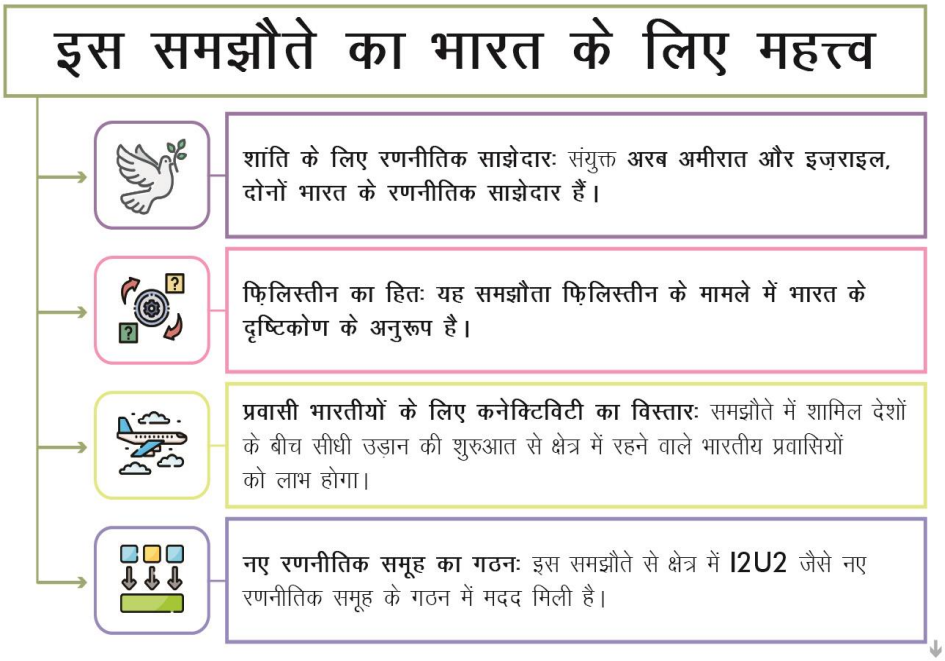

समझौते की मुख्य विशेषताएं

- **कनेक्टिविटी में आसानी:** इस समझौते के माध्यम से इन देशों के बीच प्रत्यक्ष उड़ानें शुरू की गई हैं। इससे इन राष्ट्रों के मध्य कनेक्टिविटी में वृद्धि हुई है।
- इसके तहत **क्षेत्र में शांति स्थापित** करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, इजरायल की सैन्य आक्रामकता को भी कम किया जा रहा है।
- इस समझौते के जरिए हस्ताक्षरकर्ता देशों के नागरिकों को **यरूशलेम में स्थित इस्लाम धर्म के पवित्र स्थल, अल-अक्सा मस्जिद** की यात्रा की अनुमति दी गई है।
- संबंधित देशों के बीच **संचार के नए माध्यम उपलब्ध करवाकर** टू स्टेट सलूशन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है।

समझौते के समक्ष चुनौतियां

- **फ़िलिस्तीनी कारक:** सऊदी अरब पहले ही यह बात कह चुका है कि **वह इजरायल के साथ अपने संबंधों को तब तक आगे नहीं बढ़ाएगा, जब तक फ़िलिस्तीनियों के साथ रुकी हुई शांति प्रक्रिया में कोई प्रगति नहीं** हो जाती।
- **अमेरिकी प्रशासन में बदलाव: नवगठित अमेरिकी सरकार की इस समझौते को आगे बढ़ाने में कम रुचि** है। यह 3 बिलियन डॉलर वाले **अब्राहम फंड के प्रमुख की नियुक्ति में देरी** से प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है। ज्ञातव्य है कि इस फंड का अमेरिका ने भी समर्थन किया था।
- **क्षेत्र में बढ़ता चीनी प्रभाव:** चीन ने हाल ही में **एक-दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाने वाले ईरान और सऊदी अरब के बीच शांति वार्ता** की मेजबानी की है।
- **ईरान कारक:** ईरान को रोकना **इजरायल और सऊदी अरब के बीच सहयोग का एक प्रमुख चालक** रहा है। **इजरायल ईरान और सऊदी के बीच शुरू हुई शांति वार्ता की सराहना नहीं करेगा।**
- **इजरायल की निरंतर आक्रामकता:** इजरायल अभी भी **गाजा और वेस्ट बैंक क्षेत्र पर हमले** करता रहता है, जो समझौते के आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करता है।

भारत के लिए चुनौतियां

- **ध्रुवीकरण की संभावना: इजरायल-GCC (खाड़ी सहयोग परिषद) संबंध नए ध्रुवीकरण को पैदा** कर सकता है। साथ ही, यह खाड़ी क्षेत्र में **विशेषकर ईरान और इजरायल के बीच नए छद्म युद्धों का कारण बन** सकता है।
- **कूटनीति को संतुलित करना:** भारत द्वारा इजरायल के साथ बेहतर संबंधों पर बल देने से खाड़ी के देशों के साथ भारत के संबंध प्रभावित हो सकते हैं, ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो सकती है तथा क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों के समक्ष समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसका कारण यह है कि अब्राहम समझौते को सभी खाड़ी देशों ने स्वीकार नहीं किया है।
- **भारतीय प्रवासियों का रोजगार:** इजरायल GCC देशों को कुशल और अर्ध-कुशल कार्यबल की आपूर्ति करने में सक्षम है। इससे प्रत्यक्ष रूप से कई भारतीयों के रोजगार की संभावना प्रभावित हो सकती है।
- **GCC के साथ मौजूदा राजनीतिक-आर्थिक संबंधों में व्यवधान:** खाड़ी क्षेत्र में इजरायल की उपस्थिति भारत के मौजूदा राजनीतिक-आर्थिक ढांचे को बाधित कर सकती है, जिसे भारत ने वर्षों से GCC देशों के साथ सावधानीपूर्वक निर्मित किया है।

आगे की राह

- **I2U2 को एक मंच के रूप में उपयोग करना:** भारत नवगठित I2U2 मंच की सहायता से पश्चिम एशिया में बेहतर ढंग से अपना प्रभाव स्थापित कर सकता है।
- **फिलिस्तीनी हित पर बल:** यद्यपि, फिलिस्तीन के संबंध में भारत अभी भी अपनी पुरानी नीति पर कायम है, फिर भी भारत को देशों के बीच वार्ता शुरू करने पर बल देना चाहिए।
- **ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना:** हालांकि, इस क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, फिर भी भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध फिर से स्थापित करने चाहिए।
- **भारतीय प्रवासियों के हितों की रक्षा करना:** भारतीय प्रवासियों के रोजगार की सुरक्षा और इस क्षेत्र में उनके निवेश को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के देशों के साथ वार्ता एवं पहलें शुरू करनी चाहिए।

2.10.7. पश्चिम एशिया में अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम (Other Important Developments in West Asia)

भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)	• **भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर फिर से वार्ता शुरू करने का निर्णय लिया।**
	  ○ इससे पहले वर्ष 2006 और 2008 में दोनों पक्ष **एक व्यापार समझौते** पर पहुंचे थे, लेकिन बाद में आगे इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।
	• GCC खाड़ी क्षेत्र के **6 देशों का राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन** है। ये देश हैं- **सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन।**
	• GCC की **स्थापना वर्ष 1981 में सऊदी अरब के रियाद में** हुई थी।
	भारत-GCC संबंध
	• **सामरिक संबंध:** खाड़ी देश भारत के **"निकट" पड़ोसी** हैं, केवल **अरब सागर** भारत को इन देशों से अलग करता है।
	  ○ दोनों पक्ष इस क्षेत्र में **राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा** स्थापित करना चाहते हैं।
	• **व्यापार और आर्थिक संबंध:** GCC वर्तमान में **भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार समूह** है। वित्त वर्ष 2021-22 में दोनों पक्षों के बीच **154 बिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार दर्ज किया गया था।
	• GCC देश **भारत के तेल आयात में लगभग 35% और गैस आयात में 70%** का योगदान करते हैं।
	• भारत में वैश्विक **विप्रेषण (remittances) का लगभग 50% GCC क्षेत्र से** आता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में भारत, **विश्व में सर्वाधिक विप्रेषण प्राप्त करने वाला देश** था।
	• **डायस्पोरा:** GCC के सभी सदस्य देशों में **लगभग 6.5 मिलियन भारतीय रह रहे हैं।**

2.11. भारत-अफ्रीका संबंध (India-Africa Relations)

भारत–अफ्रीका संबंधः एक नज़र में

भारत का अफ्रीका के साथ साझेदारी का एक लंबा इतिहास रहा है। दोनों में एकजुटता और राजनीतिक आत्मीयता **1920 के दशक** की शुरुआत से चली आ रही है। उस समय दोनों क्षेत्र औपनिवेशिक शासन और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रहे थे। हालांकि, अफ्रीका के साथ भारत का आर्थिक जुड़ाव 2000 के दशक के आरंभ में द्विपक्षीय रूप से एवं अफ्रीकी संघ (AU) जैसे क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों के उदय के साथ तेज होने लगा।

- दोनों देशों के मध्य **2020–21 में द्विपक्षीय व्यापार 46 बिलियन डॉलर** का था।
- अफ्रीका के लिए **भारत चौथा सबसे बड़ा** व्यापारिक भागीदार है।
- भारत अफ्रीका में **पांचवां सबसे बड़ा** निवेशक है।
- अफ्रीका में भारत का FDI प्रवाह मुख्य रूप से **सेवा क्षेत्रक में केंद्रित** है।

भारत के लिए अफ्रीका का महत्त्व

- **भू–रणनीतिकः** हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र से भारत की सुरक्षा के समक्ष खतरे उभरते रहते हैं। इनमें कट्टरतावाद, समुद्री पायरेसी, संगठित अपराध इत्यादि शामिल हैं। यह क्षेत्र इस महाद्वीप में पर्याप्त सैन्य उपस्थिति वाली बड़ी वैश्विक शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता के मंच के रूप में उभर रहा है।
- **भू–राजनीतिकः** भारत लंबे समय से UNSC में स्थायी सीट हासिल करने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए अफ्रीकी देशों का समर्थन महत्वपूर्ण है। यह भारत की सॉफ्ट और हार्ड पावर दोनों को प्रदर्शित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **आर्थिकः** अफ्रीका का बढ़ता मध्यम वर्ग और पर्याप्त कृषि भूमि भारत की खाद्य सुरक्षा का समाधान कर सकते हैं।
- **ऊर्जा सुरक्षाः** अफ्रीका में दुनिया के खनिज भंडार का लगभग 30% हिस्सा है। साथ ही, इस महाद्वीप में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार की पर्याप्त उपस्थिति है।

अफ्रीका के साथ भारत की भागीदारी से संबंधित चिंताएं

- **चीन की तुलना में भारत की आर्थिक भागीदारी बहुत कम है।**
- भारत के सहयोग से इस क्षेत्र के विकास के लिए अनेक बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं जारी हैं। इसके बावजूद चीन की तुलना में इन परियोजनाओं की धीमी डिलीवरी चिंताजनक है।
- लाइन ऑफ क्रेडिट, अनुदान और क्षमता निर्माण पहलों के बीच **तालमेल का अभाव** है।
- भारत के पास **संसाधनों की कमी।**
- **ज़मीन हथियाने और स्थानीय आबादी को विस्थापित करने को लेकर** कृषि व्यवसाय से जुड़े कुछ फर्मों की आलोचना की गई है।
- दोनों देशों में **नौकरशाही जटिल** है।
- भारत में **अफ्रीकी छात्रों के साथ हिंसा और भेदभाव के अनेक मामले सामने आते रहते हैं।**
- अफ्रीका में अलग–अलग देशों और साथ ही, देशों के भीतर भी संघर्ष देखने को मिलते हैं।

अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग के लिए शुरू की गई पहल

- **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम।**
- **क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR) पहल।**
- **कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एशिया अफ्रीका विकास गलियारा (AAGC)।**
- **भारत–अफ्रीका रक्षा वार्ता (IADD)।**
- **एक्ज़िम बैंक द्वारा की गई पहलें:** इसने अफ्रीका के अलग–अलग क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों और पैरास्टेटल इकाइयों तक अपनी वाणिज्यिक लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है।
- कोविड–19 महामारी जैसे संकट के दौरान भारत द्वारा मानवीय सहायता।
- **मार्गदर्शक सिद्धांतः** प्रधान मंत्री ने "भारत–अफ्रीका संबंधों को बढ़ावा देने हेतु दस मार्गदर्शक सिद्धांतों" को रेखांकित किया है।

आगे की राह

- अगले दशक के लिए **अफ्रीका की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना** और **निकट सहयोग के लिए कुछ क्षेत्रों की पहचान करना।**
- अफ्रीका में कम लागत पर विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए **भारतीय सिविल सोसाइटी संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों और भारतीय प्रवासियों के साथ अधिक सहयोग का प्रयास करना।**
- **परियोजनाओं को समय पर पूरा करना।**
- **विकास के अनुकूल निजी निवेश को बढ़ावा देना।**
- ट्रैक 1.5 स्तर का **'वार्षिक भारत–AU संवाद' आयोजित** करना चाहिए। इसमें दोनों पक्षों के सरकारी प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, व्यापारिक नेताओं और कार्यात्मक क्षेत्रों को शामिल करना चाहिए।

अफ्रीका का विकास भारत की विदेश नीति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही, वैश्विक व्यवस्था के ध्रुवों में से किसी एक के रूप में भारत का उभार भी आवश्यक है। अतः भारत को पैन–अफ्रीकी संबंधों को बनाए रखना तथा उन्हें और मजबूत करना चाहिए।

2.11.1. भारत-अफ्रीका रक्षा संबंध (India-Africa Defence Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गुजरात के गांधीनगर में **डिफेंस एक्सपो, 2022** के दौरान **भारत-अफ्रीका रक्षा संवाद (IADD)**[13] का भी आयोजन किया गया।

[13] India-Africa Defence Dialogue

भारत-अफ्रीका रक्षा संवाद (IADD) के बारे में

- IADD की शुरुआत 2020 में की गई थी। साथ ही, यह निर्णय भी लिया गया था कि इसका **आयोजन दो वर्ष में एक बार डिफेंस एक्सपो** के दौरान किया जाएगा।
- **IADD, 2022 के तहत तैयार किए गए दस्तावेज को गांधीनगर घोषणा-पत्र** के रूप में अपनाया गया।
  - यह अफ्रीकी रक्षा बलों के सशक्तीकरण एवं क्षमता-निर्माण, सैन्य अभ्यासों में भागीदारी और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता आदि का प्रस्ताव करता है। इस प्रकार, यह **आपसी हित के सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण संबंधी सहयोग बढ़ाने का समर्थन करता है।**
  - इसके तहत भारत ने मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के माध्यम से **अफ्रीकी देशों के विशेषज्ञों को फेलोशिप प्रदान करने का प्रस्ताव** रखा है।

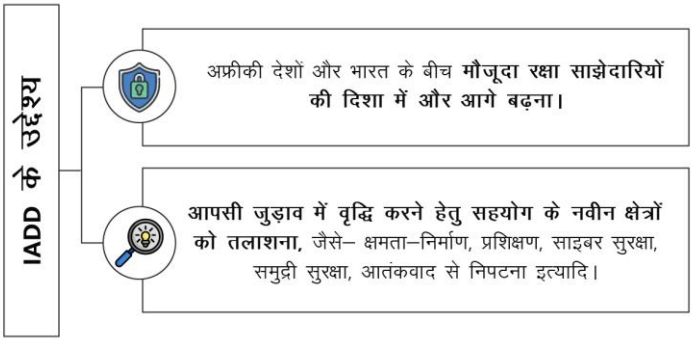

भारत-अफ्रीका रक्षा संबंधों का महत्त्व

- **भू-राजनीतिक:** अफ्रीकी देशों के साथ एक रचनात्मक रक्षा और सुरक्षा संबंधी भागीदारी इस अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा।
  - **अफ्रीकी देशों के हितों को सुरक्षित करना:** इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती उपस्थिति, अफ्रीकी देशों को महाशक्तियों (संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बीच) के बीच बढ़ती प्रतिद्वंदिता की स्थिति में तटस्थ रहने में मदद करेगी।
  - **चीन के प्रभाव से निपटना।**
- **समुद्री सुरक्षा:** विशेष रूप से **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR)**[14] में समुद्री सुरक्षा संबंधित चुनौतियां से निपटना।
- **संचार के समुद्री मार्गों को सुरक्षित करना (Securing Sea-lanes of Communications: SLOCs):** बाब-अल मंदेब, अदन की खाड़ी, होर्मुज जल संधि, मोजाम्बिक चैनल आदि की सुरक्षा शामिल है।

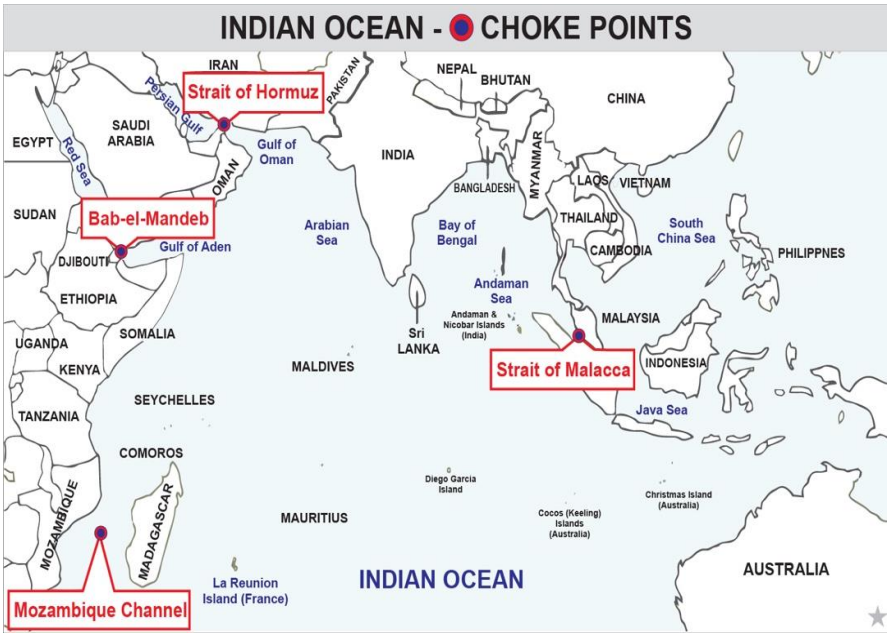

अफ्रीका में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की दिशा में भारत का योगदान

भारतीय संस्थानों में **अफ्रीकी रक्षा, सेना, नौसेना एवं असैन्य कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान** करना।

मुख्य रूप से एंटी–पायरेसी (समुद्री डकैती के खिलाफ) प्रयासों और संयुक्त समुद्री गश्त के माध्यम से **समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना।**

संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों में **सैनिकों और पुलिस इकाइयों (महिला बल सहित) के रूप में आवश्यक सहयोग** प्रदान करना।

[14] Indian Ocean Region

- **आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई:** कई अफ्रीकी देश और भारत, आतंकवाद व कट्टरपंथी उग्रवाद से पीड़ित रहे हैं, उदाहरण के लिए- बोको हरम, अल-शबाब, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा आदि।
- **रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना:** विगत पांच वर्षों में भारत के रक्षा निर्यात में 334% की वृद्धि हुई है।
- **शांति अभियानों को समर्थन:** एक मजबूत रक्षात्मक साझेदारी से संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को स्थानीय परिस्थितियों को समझने में मदद मिल सकती है, जो शांति स्थापना अभियानों के लिए आवश्यक हैं।

भारत-अफ्रीका रक्षा संबंधों के समक्ष चुनौतियां

- **चीन की बढ़ती उपस्थिति:** इन गतिविधियों में रक्षा प्रतिनिधि (Defence Attaché) की उपस्थिति, नौसैनिक जहाजों का दौरा, हथियारों की बिक्री आदि शामिल हैं।
- **कम पूंजी आवंटन:** वर्तमान में भारतीय नौसेना के लिए अभी भी बहुत कम बजट का आवंटन होता है।
- **अफ्रीका में देशों के मध्य और देशों के भीतर संघर्ष:** सशस्त्र संघर्ष वास्तविक हितधारकों के साथ लगातार रक्षा साझेदारी स्थापित करना मुश्किल बना रहे हैं।
- **किए गए वादों और उन्हें पूरा करने के बीच अंतर:** भारत की ओर से वादों के अनुसार पूंजी अदायगी या उसके प्रभाव में देरी दिखती रही है।
- **समुद्री अपराधों का खतरा:** पूर्वी अफ्रीकी तट से दूर अदन की खाड़ी तथा पश्चिम अफ्रीका में नाइजर डेल्टा क्षेत्र एवं गिनी की खाड़ी में पायरेसी की बढ़ती घटनाओं ने अफ्रीकी समुद्री सुरक्षा के मुद्दे की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित किया है।
- **नए और उभरते खतरे:** नए और उभरते खतरे जैसे कि सीमा-पारीय आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और अवैध प्रवास आदि पारस्परिक प्राथमिकताओं को निर्धारित करना कठिन बनाते हैं।
- रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच **तालमेल का अभाव** है। यह अभाव इस क्षेत्र में भारत की भागीदारी को प्रभावित करता है। इसका एक संभावित कारण सीमित संसाधनों की उपलब्धता भी है।

भारत द्वारा शुरू की गई पहलें

- रक्षा तैयारियों और सुरक्षा को मजबूत करने हेतु **अफ्रीका-भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास, 2019 (AFINDEX-19)** आयोजित किया गया।
- 2020 में **भारत-अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव (IADMC)**[15] का आयोजन किया गया था। इसके तहत, **लखनऊ घोषणा-पत्र को अपनाया गया था**। यह दोनों पक्षों के मध्य विशेष रूप से रक्षा, सैन्य और सुरक्षा सहयोग से संबंधित है।
- अफ्रीकी देश **भारतीय नौसेना द्वारा संचालित मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR)**[16] **अभियानों,** खराब सुरक्षा की स्थिति में नागरिकों को सुरक्षित निकालने तथा खोज व बचाव संबंधी अभियानों **के प्रमुख लाभार्थी हैं।**
- **भारत ने** डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो, मोजाम्बिक, सोमालिया, अंगोला, रवांडा, सिएरा लियोन, लाइबेरिया आदि सहित अफ्रीकी महाद्वीप पर कार्यान्वित **संयुक्त राष्ट्र के कई शांति स्थापना अभियानों में भाग लिया है।**
- इस क्षेत्र के प्रमुख देशों के साथ संयुक्त रक्षा सहयोग समितियों और रक्षा सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों/ समझौतों जैसे **द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र** स्थापित किए गए हैं।

आगे की राह

- **संपूर्ण अफ्रीका को एकल रूप में देखने वाले दृष्टिकोण को विकसित करना:** यह दृष्टिकोण अफ्रीकी जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार होना चाहिए।
- **द्विपक्षीय भागीदारी को बढ़ाना:** इस क्षेत्र के प्रमुख देशों, जैसे- दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, अंगोला, घाना, केन्या आदि के साथ सैन्य जुड़ाव को बढ़ाया जाना चाहिए। यह कार्य सामरिक स्तरीय फ्रेमवर्क के भाग के रूप में किया जा सकता है।
- **अफ्रीका के साथ सुरक्षा सहयोग को प्राथमिकता देना:** भारत-अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी में व्यापार, निवेश और विकास की तुलना में सुरक्षा संबंधी सहयोग का अभी तक बेहतर लाभ नहीं उठाया जा सका है।
- **सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करना:** क्षमता-निर्माण, प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने सहित रक्षा संबंधी क्षेत्रों के लिए सहयोग के नए बिंदुओं की संभावनाओं को तलाशने की आवश्यकता है।
- **अफ्रीकी बाजारों में भारतीय रक्षा कंपनियों की उपस्थिति बढ़ाना: भारत को** 'चयनित अफ्रीकी देशों, भारत और यू.एस. अफ्रीकॉम (US AFRICOM) घटकों आदि को शामिल करते हुए **बहुपक्षीय रक्षा सहयोग कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।**

[15] India-Africa Defence Ministers Conclave

[16] Humanitarian Assistance and Disaster Relief

2.11.2. भारत-मॉरीशस संबंध (India-Mauritius Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते **(CECPA)**[17] के तहत उच्चाधिकार प्राप्त **जॉइंट ट्रेड कमिटी (JTC)** की बैठक का पहला सत्र सम्पन्न हुआ।

भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते (CECPA)

- CECPA वर्ष 2021 में लागू हुआ था। यह **भारत द्वारा अफ्रीका में किसी देश के साथ हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है।**
- **भारत-मॉरीशस CECPA में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - वस्तुओं का व्यापार,
  - उत्पाद के उत्पत्ति संबंधी नियम,
  - सेवाओं में व्यापार,
  - सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) उपाय,
  - विवाद निपटान, आदि।
- **भारत-मॉरीशस संबंध:**
  - **आर्थिक:** वर्ष 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 690.02 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2021-22 में यह बढ़कर 787 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। मॉरीशस, भारत (2020-21) में **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत था।**
  - **सामरिक:** मॉरीशस भारत के सागर/ SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) विजन में एक विशेष स्थान रखता है। यह महत्वपूर्ण समुद्री परिवहन मार्गों के निकट स्थित है।
  - **पीपल-टू-पीपल संपर्क:** मॉरीशस की आबादी में भारतीय मूल के लोगों की हिस्सेदारी लगभग 70% है।
  - **रक्षा सहयोग:** भारत ने मॉरीशस को एक डोर्नियर विमान और ध्रुव नामक एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर सौंपा है।
- **भारत-मॉरीशस संबंधों में चुनौतियां:**
  - हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति और प्रभाव,
  - मॉरीशस के माध्यम से भारत में निवेश की राउंड-ट्रिपिंग की जा रही है आदि।

2.11.3. दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय (Southern African Development Community: SADC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत-दक्षिणी अफ्रीका संवृद्धि साझेदारी पर **भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)**[18] और **भारतीय आयात-निर्यात बैंक (एक्ज़िम बैंक) के सहयोग** से एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

SADC के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता

- **महत्वपूर्ण खनिजों का स्रोत:** दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र **लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, निकल, तांबा और दुर्लभ मृदा खनिज**[19] की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है।
- **चीन के एकाधिकार को रोकना:** दुनिया के दुर्लभ मृदा खनिज के बाजार काफी हद तक चीन के नियंत्रण में हैं। इसी कारण इनकी बढ़ती मांग के साथ इनसे जुड़े उद्योगों पर चीन के एकाधिकार का जोखिम भी बढ़ गया है।
  - अफ्रीका उन क्षेत्रों में से एक है, जिसे दुर्लभ मृदा खनिज जिंसों के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में लक्षित किया गया है।
- **समुद्री सुरक्षा:** लंबी समुद्री तट रेखाओं के कारण SADC को एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में देखा जाता है। यह विशेषकर हिंद महासागर क्षेत्र में एक सुरक्षित और संरक्षित समुद्री परिवेश सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।

[17] Comprehensive Economic Cooperation and Partnership agreement

[18] Confederation of Indian Industry

[19] Rare Earth Minerals

- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग:** अन्य विकासशील देशों के प्रति भारतीय वैश्विक व्यापार के बढ़ते विविधीकरण के साथ, SADC भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है।
- **भारत के लिए निवेश के अवसर:** SADC देश परिवहन, ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा सहित आर्थिक क्षेत्र में अवसर प्रदान करते हैं।
- **क्षेत्र के लिए आर्थिक स्थिरता:** निजी क्षेत्रक के निवेश को प्रोत्साहित करने से बेहतर ऋण संधारणीयता एवं प्रबंधन के साथ-साथ नवाचार और दक्षता को भी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप, उनकी अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में भी वृद्धि होगी।

SADC के साथ भारत के संबंधों को बेहतर करने में आने वाली चुनौतियां

- **ख़राब गवर्नेंस प्रणाली:** इनमें भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, हिंसा, अपर्याप्त अवसंरचना, गरीब समुदायों को सरकारी सेवाओं का सही ढंग से वितरण नहीं करना इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा, राजनीतिक अस्थिरता भी व्यवसायों के लिए जोखिम को बढ़ा सकती है।
- **एक चुनौती के रूप में चीन:** चीन, अफ्रीका में भारत की तुलना में एक मजबूत बढ़त की स्थिति में है। यह बढ़त चीन के रणनीतिक दृष्टिकोण, उसकी स्थिरता, आर्थिक मजबूती, तकनीकी क्षमता तथा विशाल संसाधन के कारण है।
- **सहयोग के लिए एक स्पष्ट रणनीति का अभाव:** विकास के लिए दी जाने वाली भारतीय सहायता को बड़े विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखकर डिज़ाइन नहीं किया गया है, जैसे- खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा, सभी के लिए शिक्षा या स्वच्छ ऊर्जा इत्यादि।
- **विविधता:** दक्षिण अफ्रीका में कई संस्कृतियां और कई अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसका अर्थ है कि अलग-अलग क्षेत्रों के लिए एक मांग-आधारित या आवश्यकता अनुरूप दृष्टिकोण (Bespoke Approach) अपनाना अत्यंत आवश्यक है।

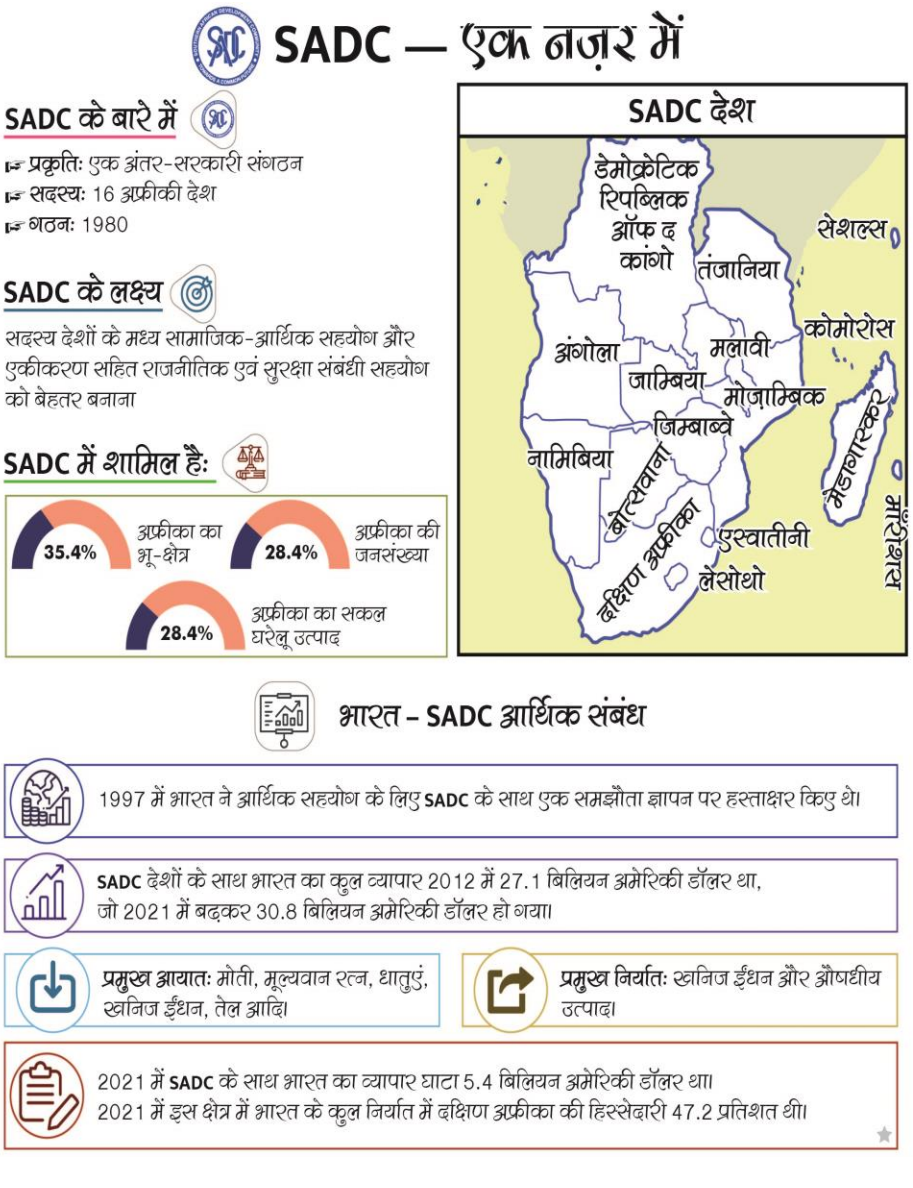

- **कुशल श्रमिक:** सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की खराब स्थिति के कारण कई तकनीकी और पेशेवर क्षेत्रों में कुशल कामगारों को खोजना मुश्किल हो सकता है।
- **विदेशी नियंत्रण पर सीमाएं:** उदाहरण के लिए- दक्षिण अफ्रीका में सरकारी निविदाओं और अनुबंधों पर बोली के मामले में वरीयता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि कंपनी के स्वामित्व और उसमें भागीदारी के मामले में अश्वेत दक्षिण अफ्रीकियों की समान सहभागिता हो।

SADC के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाने के लिए आगे की राह

- **कोबाल्ट और लिथियम** जैसे **महत्वपूर्ण खनिजों के लिए रणनीतिक गठबंधन।**
- **विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का विकास:** यह कार्य SADC औद्योगीकरण रणनीति और रोडमैप के लिए विदेशी पूंजी व तकनीकी ज्ञान प्रदान करके किया जा सकता है।
- **अफ्रीका के खनन क्षेत्र में चक्रीयता (Circularity) को बढ़ाना:** जल की बचत करने वाली तकनीकों का उपयोग करके, नवीकरणीय ऊर्जा समाधान प्रदान करके इत्यादि।
- **दक्षिणी अफ्रीका में व्यापार वित्त तक पहुंच:** इसके लिए, **विकास वित्त संस्थान** (DFIs)[20] जोखिम भागीदारी और लेन-देन संबंधी गारंटी समझौतों जैसे वित्तीय साधनों को विकसित कर सकते हैं।

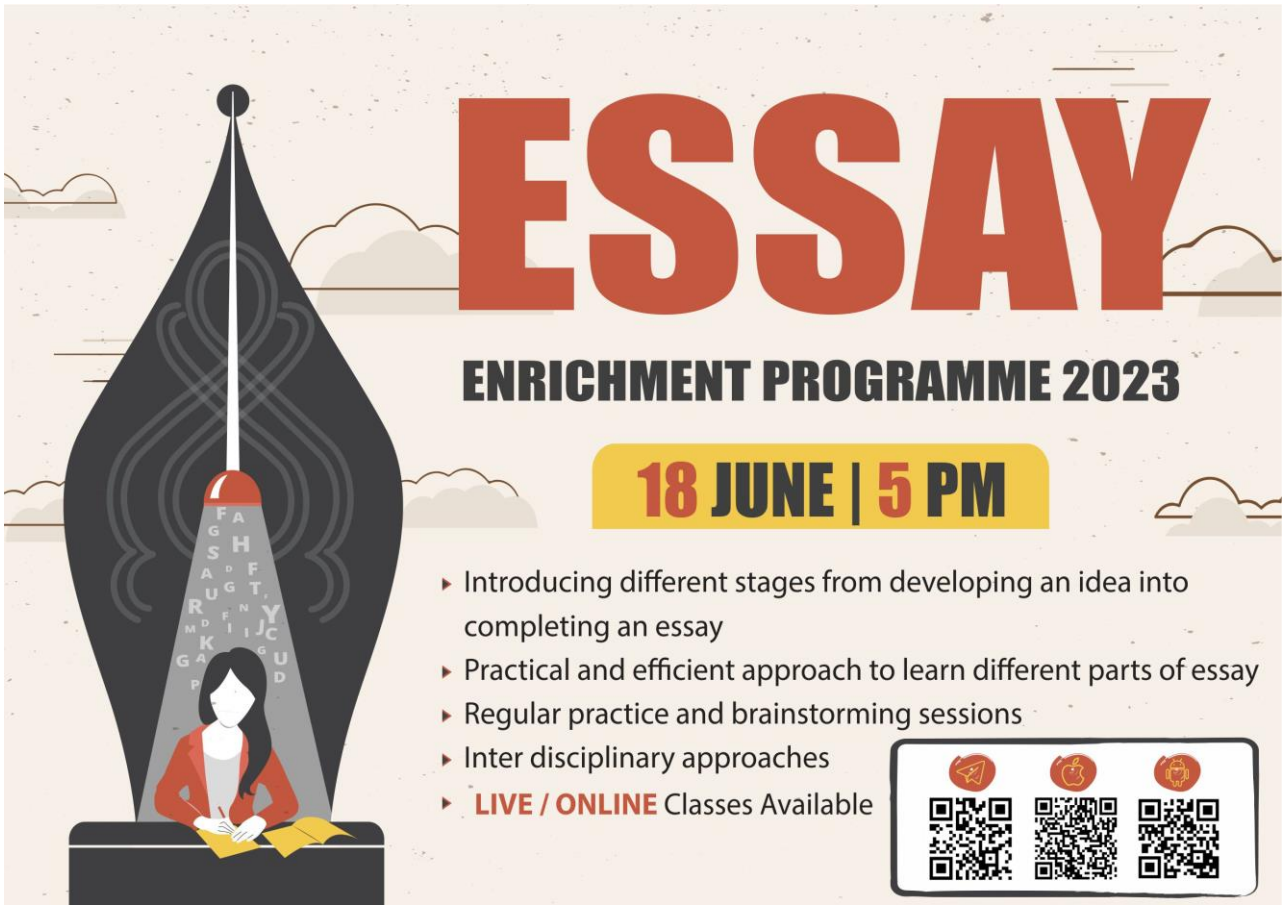

[20] Development Finance Institutions

3. भारत से जुड़े और/ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और समझौते (Regional, and Global Groupings and Agreements Involving India and/or Affecting India's Interest)

3.1. भारत-यूरेशिया (India-Eurasia Relations)

भारत–यूरेशिया: एक नज़र में

यूरेशिया एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र के रूप में उभरा है। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र अटलांटिक, प्रशांत और आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है तथा इसका दक्षिणी भाग अफ्रीका, हिंद महासागर और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है।

- **यूरेशिया क्षेत्र भौगोलिक रूप से यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है जिसमें लगभग 93 देश शामिल हैं।**
- **यूरेशिया की आबादी 5 अरब से अधिक है।**
- **क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन:** प्राकृतिक गैस, तेल के भंडार, लौह अयस्क, सोना और तांबा।

वर्तमान विश्व व्यवस्था में यूरेशिया का महत्त्व

- **चीन की मुखरता:** चीन और यू.एस.ए. के बीच बढ़ती शत्रुता से BRI जैसी परियोजनाओं एवं चीन–रूस संबंधों को मजबूती मिली है।
  - उदाहरण के लिए– चीन और रूस ने 2015 में "ग्रेट यूरेशियन पार्टनरशिप" घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य BRI और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EEU) को समन्वित करना था।
- **क्षेत्रीय गठबंधन:** प्रतिबंधों के कारण रूस और ईरान के बीच राजनयिक एवं आर्थिक संबंध गहरे हो गए हैं।
- **हिंद–प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिक्रिया:** पश्चिमी ब्लॉक के जवाबी उपाय के रूप में चीन और रूस **यूरेशिया को पावर ब्लॉक के रूप में** विकसित कर रहे हैं।

भारत के लिए यूरेशिया का महत्त्व

- BRI का विकल्प: अश्गाबात समझौते के साथ अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) BRI के विकल्प के रूप में कार्य कर सकता है।
- **आर्थिक:** भारत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EEU) में शामिल होने की दिशा में काम कर रहा है जो एकल टैरिफ के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को संपूर्ण क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करेगा।
- **सामाजिक:** भारत द्वारा 'मध्य एशियाई ई–नेटवर्क' वस्तुतः आई.टी. क्षेत्रक में अपनी शक्ति का लाभ उठाने का एक प्रयास है।
- **स्वेज नहर का विकल्प:** यूरो–एशियाई अंतर्देशीय परिवहन लिंक अत्यंत व्यस्त स्वेज नहर का एक विकल्प प्रदान करता है।

यूरेशियाई क्षेत्र में भारत के समक्ष चुनौतियां

- **विलंबित परियोजनाएं:** अधिकांश INSTC **परियोजनाएं (अज़रबैजान तथा KTI यानी, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान रेलवे कॉरिडोर को छोड़कर),** चाबहार बंदरगाह और अश्गाबात समझौते को वित्त–पोषण की आवश्यकता है।
- **प्रतिबंधों के बीच चीन का उदय:** विशेष रूप से रूस एवं ईरान पर प्रतिबंधों के बाद इस क्षेत्र में BRI पहल और द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से चीन की उपस्थिति बढ़ रही है।
- **क्षेत्रीय उथल–पुथल:** 2009 में यूरोज़ोन संकट की शुरुआत के बाद से, यूरोपीय संघ में **शरणार्थियों के प्रवेश, ब्रेक्जिट, कोविड महामारी और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण** जैसी कई चुनौतियां सामने आई हैं।
- **कूटनीतिक चुनौती:** पश्चिम (यू.एस.ए. और नाटो) और पूर्व (रूस) में संतुलन बनाना।

भारत के लिए आगे की राह

- **मुक्त व्यापार समझौता** (FTA): भारत को यूरेशिया में निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए और FTA में तेजी लानी चाहिए।
- **नाटो और यूरोपीय संघ को शामिल करना:** भारत की यूरेशियन नीति में यूरोपीय संघ (EU) और नाटो दोनों के साथ अधिक जुड़ाव शामिल होना चाहिए।
- क्षेत्रीय मंच: भारत को यूरेशियन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए SCO, **ब्रिक्स और RIC के प्लेटफार्म्स का उपयोग करके रूस एवं चीन के साथ नियमित जुड़ाव की दिशा में प्रयास** करना चाहिए।
- **कनेक्टिविटी में सुधार:** भारत को सुदूर पूर्व और यहां तक कि जापान से जुड़ने के लिए रूस के वृहद यूरेशियन गलियारे और पूर्वोत्तर मार्ग से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए।
- **ईरान और अरब के साथ सहयोग:** इन देशों के साथ भारत की साझेदारी तुर्की के पाकिस्तान के साथ गठबंधन के प्रभाव को कम कर सकती है। साथ ही, यह अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी को बढ़ा सकती है।

यूरेशिया के साथ भारत का जुड़ाव एक ऐसे अवसर को दर्शाता है जो आर्थिक एवं रणनीतिक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। इससे भारत और यूरेशियाई देशों के बीच साझा विकास तथा आपसी समझ में योगदान मिलेगा।

3.2. भारत-लैटिन अमेरिका संबंध (India-Latin America Relations)

भारत–लैटिन अमेरिका संबंधः एक नज़र में

औपनिवेशिक काल की समाप्ति के बाद भारत और लैटिन अमेरिकी देशों का साझा इतिहास रहा है। इसके बावजूद, दोनों पिछले कई दशकों से न्यूनतम द्विपक्षीय संबंधों को ही बनाए रख पाए हैं। हालांकि, हाल ही में यह क्षेत्र भारत की विदेश नीति में तेजी से प्रमुखता प्राप्त कर रहा है।

लैटिन अमेरिका के साथ भारत का वार्षिक व्यापार लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है।

भारत के ऊर्जा आयात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 15 प्रतिशत है। वेनेजुएला, कोलंबिया, मैक्सिको और क्यूबा भारत को तेल की आपूर्ति करते हैं।

समग्र संबंध

भारत–लैटिन अमेरिका और कैरेबियन (LAC) संबंधों का महत्त्व

- **व्यापारः** 2021–2022 में भारत से लैटिन अमेरिका को होने वाला निर्यात **48% बढ़कर 18.89 बिलियन डॉलर** तक पहुंच गया।
- **निवेशः** इस क्षेत्र के फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और विद्युत पारेषण जैसे क्षेत्रकों में भारतीय निवेश **12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच** है।
- **खाद्य और ऊर्जा सुरक्षाः** लैटिन अमेरिका में उपजाऊ भूमि का विशाल क्षेत्र है; ब्राजील की खाद्य भंडारण प्रौद्योगिकियां अत्याधुनिक हैं; पर्यावरण के अनुकूल एथेनॉल को लेकर ब्राजील के साथ सहयोग।
- **रणनीतिक महत्त्वः** लैटिन अमेरिका **तांबे** के वैश्विक उत्पादन में लगभग **40%** का योगदान करता है। साथ ही, विश्व के **35%** लिथियम की आपूर्ति करता है।
- **सामरिक हितः** भारत के लिए अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इन महत्वाकांक्षाओं में UNSC, NSG आदि में अपनी स्थायी सदस्यता सुनिश्चित करना तथा जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, व्यापार आदि मुद्दों या वार्ताओं या समझौतों में अपना पक्ष मजबूती से रखना शामिल है।
- **बहुपक्षीय सहयोगः ब्रिक्स (ब्राजील–रूस–भारत–चीन और साउथ अफ्रीका; दक्षिण–दक्षिण सहयोग एवं ISA**
- **विकास सहायताः** हाल ही में, भारत ने **सामुदायिक विकास परियोजनाओं** के लिए 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान; एवं सौर, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए 150 मिलियन डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है।
- **दक्षिण–दक्षिण सहयोगः** भारत ने **पहला वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन** आयोजित किया था। इसमें **29 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देश** सम्मिलित हुए थे।

चुनौतियां

- **कुटनीतिक स्तर पर पर्याप्त ध्यान न देना।**
- **व्यापारः** लैटिन अमेरिकी देशों की कृषि वस्तुओं पर भारत द्वारा अधिक शुल्क (चीन की तुलना में 5 गुना) लगाना।
- **कनेक्टिविटी का अभावः** भारत के पास इस क्षेत्र के लिए कोई सीधी पोत–परिवहन सेवाएं नहीं हैं।
- **पर्याप्त संस्थागत उपस्थिति का अभाव।**
- **भाषा संबंधी बाधाएंः** स्पेनिश और पुर्तगाली भाषाओं में अकुशल पकड़ भारतीय कंपनियों के लिए एक बड़ी बाधा है; भारत के लोकाचार से अपरिचित होना भारत में लैटिन अमेरिकी कंपनियों के समक्ष प्रमुख समस्या है।
- **चीन के साथ प्रतिस्पर्धाः** चीन कई लैटिन अमेरिकी देशों में सबसे बड़ा निवेशक है। पनामा नहर के माध्यम से चीन की सीधी शिपिंग लेन है।
- क्षेत्र को समग्र रूप में शामिल करने हेतु तंत्र का अभाव है।

आगे की राह

- **व्यापार संबंधी विविधीकरणः** वर्तमान में लैटिन अमेरिकी देशों से भारत में होने वाला निर्यात मुख्य रूप से खनन उत्पादों पर ही केंद्रित है, जिनकी कुल निर्यात में 72% की हिस्सेदारी है।
- एक उज्जवल भविष्य के लिए घनिष्ठ दक्षिण–दक्षिण सहयोग की दिशा में संयुक्त कदम बढ़ाने हेतु **वित्तीय संस्थानों का विकास करना** चाहिए।
- **लैटिन अमेरिकी भाषा संबंधी अध्ययनों को बढ़ावा देना;** पोत–परिवहन उद्योगों में निवेश करना; तरजीही व्यापार समझौतों एवं मुक्त व्यापार समझौतों को साकार करना।
- भारतीय निर्यातकों को इस क्षेत्र में व्यापार के अवसरों की खोज हेतु प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए **फोकसः LAC** प्रोग्राम को नया रूप देना।
- **चिली और मर्कोसुर के साथ वर्तमान PTA को FTA में अपग्रेड करना चाहिए।**

भारत और लैटिन अमेरिका विश्व अर्थव्यवस्था के प्रमुख विकास इंजन के रूप में उभर रहे हैं। इसलिए दोनों को एक–दूसरे के साथ बढ़ती साझेदारी से प्राप्त होने वाले पारस्परिक लाभों का फायदा उठाना चाहिए।

3.2.1. भारतीय विदेश मंत्री की लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा (MEA visit to Latin American Countries)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय विदेश मंत्री ने चार लैटिन अमेरिकी देशों- **पनामा, गुयाना, कोलंबिया और डोमिनिकन गणराज्य** की यात्रा की।

इस यात्रा के दौरान हुई बैठक का महत्त्व

- **गुयाना:** गुयाना के भीतर कनेक्टिविटी और गतिशीलता में सुधार करने के लिए एक **भारत निर्मित नौका एमवी मा लिशा (MV Ma Lisha)** को गुयाना को सौंपा गया है।
- **पनामा:** वर्ष 2022 में पनामा के साथ 610 मिलियन डॉलर का वार्षिक व्यापार हुआ था। इस प्रकार यह **भारत का सबसे बड़ा मध्य अमेरिकी व्यापारिक भागीदार है।**
  - इसकी भौगोलिक अवस्थिति **भारत के लिए लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में प्रवेश द्वार** के रूप में कार्य करती है। एक समुद्री केंद्र के रूप में यह अपनी **विशिष्ट लॉजिस्टिक क्षमताओं को प्रदर्शित** करता है।
- **कोलंबिया:** इसके साथ **2023-26 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम** पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- **डोमिनिकन गणराज्य: डोमिनिकन गणराज्य में भारत के दूतावास का उद्घाटन** किया गया है।

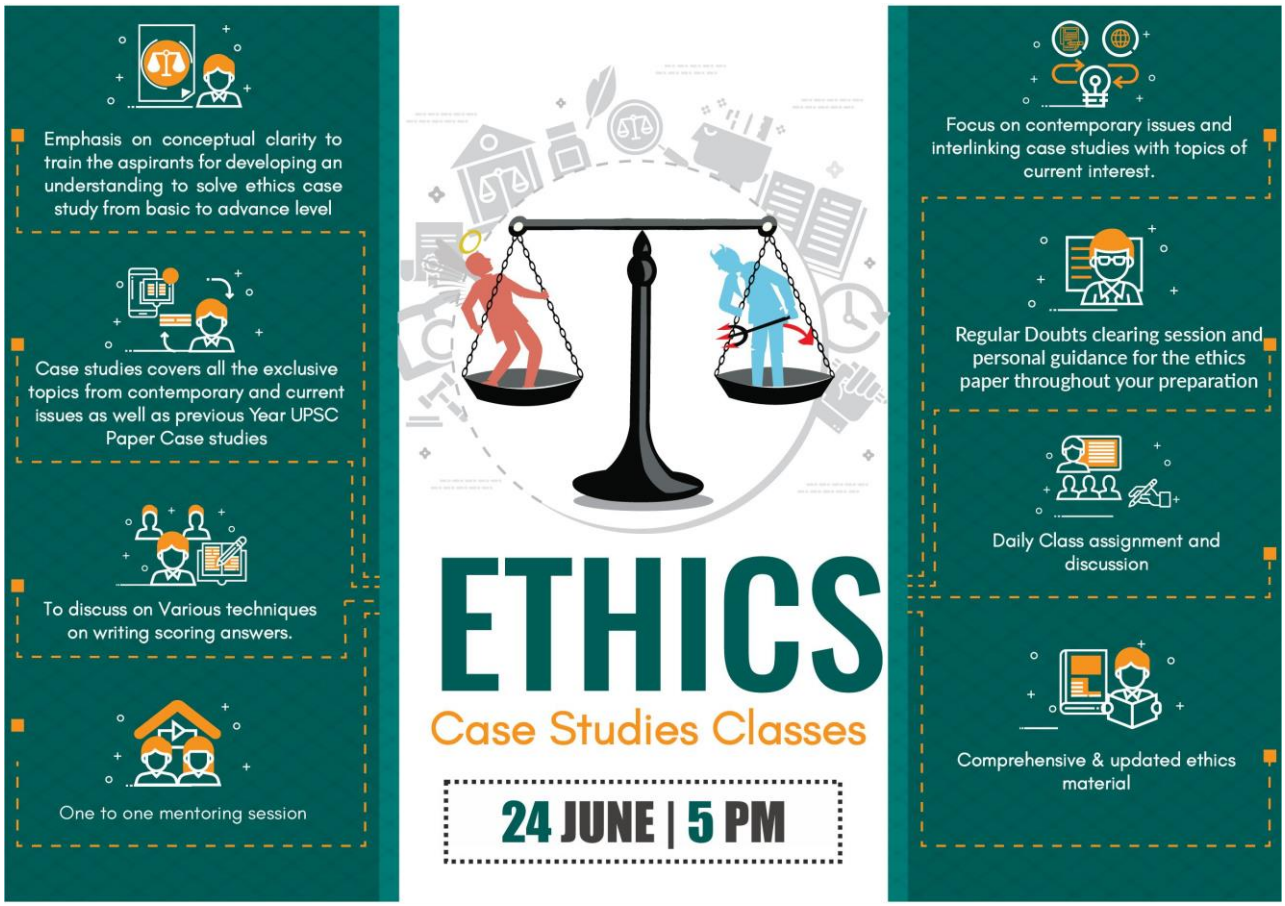

3.3. हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo Pacific Region)

भारत और हिंद–प्रशांतः एक नज़र में

यह **"एशिया–प्रशांत"** के स्थान पर एक भू–राजनीतिक व्यवस्था है, जो **हिंद महासागर और प्रशांत महासागर** को जोड़ने वाले एक एकीकृत रूप का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि, विभिन्न हितधारक इसमें शामिल घटकों के संबंध में अलग–अलग व्याख्याएं करते हैं।

- वैश्विक जनसंख्या में **65%** की हिस्सेदारी
- वैश्विक **GDP** में **63%** की भागीदारी
- वैश्विक समुद्री व्यापार में **50%** की हिस्सेदारी

हिंद–प्रशांत के लिए भारत के विज़न के प्रमुख तत्व (पी. एम. शांगरी ला डायलॉग, 2018) में शामिल हैं

- एक मुक्त, खुला व समावेशी क्षेत्र।
- हिंद प्रशांत के केंद्र में दक्षिण पूर्व एशिया।
- क्षेत्र के लिए एक साझा नियम–आधारित व्यवस्था।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक अधिकार के रूप में समुद्र और हवा में साझा स्थानों तक समान पहुंच, साझेदारी की सहायता से शक्ति प्रतिस्पर्धा को रोकना।

हिंद–प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की नीति

- IOR **में पारंपरिक भूमिकाओं,** जैसे– सुरक्षा प्रदाता, विकास संबंधी सहायता आदि को **मजबूत और संरक्षित करना।**
- नौसैनिक रणनीतिः सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (IMAC) जैसे संस्थानों के माध्यम से समुद्री डोमेन जागरूकता (MDA); मिशन आधारित तैनाती (MBD) और संयुक्त अभ्यास के माध्यम से भारत की नौसैनिक उपस्थिति का विस्तार/ रख–रखाव।
- **पहलः** इंडो–पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ट्राईलैटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (TDC) फंड, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन (CDRI) आदि।
- साझेदारीः IPEF, QUAD, ASEAN, BIMSTEC, इंडिया–FIPIC (प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच), फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ त्रिपक्षीय वार्ता जैसे मिनीलैटरल।
- विदेश नीतिः विदेश मंत्रालय के तहत अलग इंडो–पैसिफिक डिवीजन (IPD), सॉफ्ट पावर (प्रोजेक्ट मौसम), एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर आदि का उपयोग।

हिंद–प्रशांत में भारत के हित

- हिंद महासागर में **शांति और सुरक्षा।**
- इस क्षेत्र में **अपनी उपस्थिति का विस्तार करना।** विशेष रूप से अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में।
- **निवल सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखना।**
- **चीन का मुकाबला।**
- **व्यापार और निवेश सहयोग बढ़ाना** तथा सतत विकास को बढ़ावा देना।
- **अन्य रुचियांः** समुद्री प्रदूषण से निपटना, अवैध, अनियमित और असूचित (IUU) मत्स्यन को विनियमित करना, गहरे समुद्र में खनिज अन्वेषण तथा प्रभावी आपदा जोखिम प्रबंधन।

भारत के सामने चुनौतियां

- **सीमित नौसैनिक क्षमता और सैन्य ठिकानों की कमी।**
- **व्यापार के समक्ष चुनौतियांः** कोविड–19 के बाद अर्थव्यवस्थाओं के बीच संरक्षणवादी प्रवृत्तियों का उदय, टैरिफ और गैर–टैरिफ उपाय (NTMs) तथा खराब कनेक्टिविटी।
- **विभिन्न पहलों के विकास की धीमी गति।**
- **महाद्वीपीय और समुद्री रणनीतियों को संतुलित करना।**
- **MDA के लिए चुनौतियांः** पनडुब्बी की तैनाती, ग्रे शिपिंग और डार्क शिपिंग।
- गुटनिरपेक्षता पर पारंपरिक दृष्टिकोण से विचलन के कारण अस्वीकृति।
- **सार्थक साझेदारी में बाधाएंः** निश्चित सहमति का अभाव और प्राथमिकताओं में अंतर।

आगे की राह

- **मुद्दा आधारित गठबंधन और भागीदारी,** जिन्हें जिम्मेदारी साझाकरण के मॉडल द्वारा तैयार किया गया हो।
- माइक्रोनेशिया जैसे गैर–पारंपरिक अभिकर्त्ताओं के साथ **संपर्क बढ़ाना।**
- **द्वीपीय क्षेत्रों का सामरिक उपयोग।**
- **कमजोर देशों के लिए ऋण का समाधान।**
- QUAD+ जैसे नवोन्मेषी तंत्र (अन्य महत्वपूर्ण उभरती अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करने के लिए हिंद–प्रशांत में मिनीलैटरल इंगेजमेंट)

सामूहिक प्रयास एक ऐसे स्वतंत्र, ओपन और समावेशी हिंद–प्रशांत क्षेत्र को बरकरार रखने में योगदान देंगे, जहां क्षेत्रीय अखंडता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतर्राष्ट्रीय नियमों तथा मानदंडों के अनुपालन हेतु सम्मान होगा।

3.3.1. इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity: IPEF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने बाली (इंडोनेशिया) में दूसरे **इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF)** वार्ता में भाग लिया।

IPEF के बारे में

- IPEF, 14 भागीदार देशों के लिए **अपने संबंधों को मजबूत करने तथा क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक मामलों में संलग्न होने हेतु** संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के नेतृत्व वाला एक फ्रेमवर्क है।
  - **यह एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। IPEF** का उद्देश्य मुख्यतः **मानक स्थापित करना और व्यापार को सुविधाजनक बनाना है।**
- **सदस्य देश:** संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, भारत, आदि।
  - समग्र रूप से, ये देश **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 40% भाग के लिए उत्तरदायी हैं।**
- ये देश किसी भी निर्धारित स्तंभ के तहत की गई **पहलों में सम्मिलित होने (या सम्मिलित नहीं होने) के लिए स्वतंत्र हैं,** किन्तु एक बार सम्मिलित हो जाने के पश्चात इन देशों से सभी प्रतिबद्धताओं का पालन करने की उम्मीद की जाती है।
  - **भारत ने व्यापार स्तंभ (स्तंभ 1) में शामिल न होने का विकल्प चुना है।** इसका कारण भारत की आशंका है, जो श्रम एवं सार्वजनिक खरीद जैसे मामलों में **बाध्यकारी शर्त की संभावना से जुड़ी है।**

भारत के RCEP में शामिल न होने के कारण

- डेयरी, कृषि, इस्पात, प्लास्टिक जैसे **स्थानीय उद्योगों** की सस्ते विदेशी उत्पादों को लेकर चिंताएं।
- व्यापार वार्ता में **सेवा संबंधी घटक का अभाव।**
- **RCEP सदस्यों के साथ व्यापार असंतुलन:** RCEP के 15 देशों में से 10 देशों के साथ भारत **व्यापार घाटे की स्थिति** में है।
- **भू-राजनीतिक विचार:** भारत की इच्छा है कि RCEP में भू-राजनीतिक कारणों से मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) दायित्वों को शामिल न किया जाए।
- ई-कॉमर्स अध्याय में कुछ खंड ऐसे हैं, जो भारत में **डेटा स्थानीयकरण मानदंडों को प्रभावित** कर सकते हैं।
- बाजार पहुंच, गैर-प्रशुल्क बाधाओं पर **विश्वसनीय आश्वासन का अभाव** तथा उत्पत्ति के नियमों संबंधी मतभेद।

भारत के लिए IPEF का महत्त्व

- **क्षेत्रीय व्यापार में भागीदारी:** भारत के लिए IPEF की सदस्यता इसे एशियाई व्यापार व्यवस्था के संबंध में अवसर प्रदान करती है। ग़ौरतलब है कि भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से बाहर होकर एशियाई व्यापार व्यवस्था में भागीदारी का महत्वपूर्ण अवसर खो दिया था।
- **घरेलू आवश्यकताओं के अनुरूप:** IPEF की गैर-विशिष्ट और सुनम्य प्रकृति भी भारत के अनुकूल है। यह जीवाश्म ईंधन पर पर्यावरणीय प्रतिबंध, डेटा स्थानीयकरण आदि जैसे कई मुद्दों पर वार्ता के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।
- **बेहतर आर्थिक अवसर:** IPEF भारत को एक वृहद आर्थिक व्यवस्था का भाग (किन्तु चीन के प्रभाव से बाहर) बनने का एक और अवसर प्रदान कर रहा है।

- **सुनम्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी:** सुनम्य आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण IPEF के उद्देश्यों में से एक है। भारत अपने कच्चे माल की आवश्यकताओं के लिए सदस्य देशों को वैकल्पिक स्रोत के रूप में मान सकता है।

IPEF से जुड़े मुद्दे

- **स्पष्टता का अभाव:** वर्तमान में, IPEF न तो 'मुक्त व्यापार समझौता' है और ना ही प्रशुल्क कटौती या बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए कोई मंच है।
- **चीन को प्रतिसंतुलित करने में अक्षम:** अपने वर्तमान स्वरूप में, IPEF में प्रत्यक्ष प्रोत्साहन की कमी के कारण IPEF इस क्षेत्र में चीन के आर्थिक प्रभुत्व को कम करने में सक्षम नहीं हो सकता है।
- **अमेरिकी प्रभुत्व का भय:** ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका इस सौदे को समग्र रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र की तुलना में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए संपन्न कर रहा है।
  - उदाहरण के लिए- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों के नियमों एवं मानकों पर अमेरिकी प्रभुत्व।
- **BDN और B3W के साथ अतिव्यापन:** IPEF की संकल्पनात्मक मद ("नियमों," "मानकों," और "सिद्धांतों" को निर्धारित करना) पहले ही सामने आ चुकी है। वर्ष 2019 में शुरू किए गए **ब्लू डॉट नेटवर्क (BDN)** और वर्ष 2021 में शुरू किए गए **बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W)** पहल दोनों में इसका परीक्षण किया जा चुका है।
- **विश्व व्यापार संगठन के नियमों का संभावित उल्लंघन:** IPEF को FTA के रूप में प्रस्तावित नहीं किया गया है। FTA के अभाव में, विश्व व्यापार संगठन के नियम IPEF सदस्यों के बीच अधिमान्य व्यवहार की अनुमति प्रदान नहीं करेंगे।
- हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा एकतरफा कार्रवाई से बचने के लिए IPEF में **विवाद निपटान तंत्र का अभाव है।**

भारत के लिए चिंता

- IPEF के घोषित उद्देश्यों में **डिजिटल अर्थव्यवस्था में नियमों का पालन करना** शामिल है, जैसे सीमा-पार डेटा प्रवाह और डेटा स्थानीयकरण पर मानक।
  - यह **कुछ ऐसा उद्देश्य है, जिसे भारत अपने सभी मुक्त व्यापार समझौतों में टालता रहा है**, क्योंकि भारत अपने डेटा के एवज में संप्रभुता का त्याग नहीं करना चाहता है।
- IPEF **श्रम मानकों, पर्यावरणीय मानदंडों व डीकार्बोनाइजेशन (वि-कार्बनीकरण) पर भी नियम बनाना चाहता है। जिसके लिए भारत कभी भी उत्सुक नहीं रहा है,** जिसमें कि भारत के मुक्त व्यापार समझौते भी शामिल हैं।
- अमेरिका विश्व व्यापार संगठन में इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क पर स्थायी रोक का समर्थन करने के लिए भारत पर दबाव बनाने हेतु IPERF का उपयोग कर सकता है।

अमेरिका के लिए IPEF का महत्त्व

- IPEF **अमेरिका के एक दशक से भी अधिक पुराने "एशिया के लिए धुरी (Pivot to Asia)" कार्यक्रम का हिस्सा है।** इसमें अमेरिका सहित एक भौगोलिक निर्माण के रूप में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की पुनः कल्पना की गई है (क्वाड भी समान गतिविधि का हिस्सा है)।
- वर्ष 2017 में ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते (CPTPP/मूल रूप से TPP) से बाहर निकलने के पश्चात, IPEF **अमेरिका को पूर्वी एशिया और आसियान क्षेत्र में आर्थिक नेतृत्व को पुनः प्राप्त करने में सहायता करेगा।**
- **IPEF, अमेरिका के यह दर्शाने के तरीके का एक रूप है** कि यूरोप में युद्ध पर अपना ध्यान केंद्रित करने और आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से रूस का उग्र रूप से मुकाबला करने (hot pursuit) के बावजूद, **अमेरिका अपने इस दृष्टिकोण को नहीं भूला है कि एशिया** और चीन की चुनौती अमेरिका के एजेंडे में प्रमुख स्थान पर है।

अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर क्यों केंद्रित है?

- पृथ्वी की लगभग आधी आबादी, **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का एक-तिहाई भाग और विश्व की कुछ सर्वाधिक सक्षम सेनाओं के साथ, यह क्षेत्र अमेरिका के वाणिज्यिक, राजनयिक और रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।**

निष्कर्ष

इसके शुभारंभ समारोह के दौरान भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा उल्लिखित **3Ts- ट्रस्ट (विश्वास), ट्रांसपरेंसी (पारदर्शिता) और टाइमलीनेस (समयबद्धता)-** इस पहल की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विश्वास और पारदर्शिता तभी निर्मित होगी जब सदस्य देश, विशेष रूप से अमेरिका, एक-दूसरे के हितों पर ध्यान देंगे।

3.3.2. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय सहयोग (Regional Cooperation for Disaster Risk Management in Indo-Pacific)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, क्वाड देशों ने **"मानवीय सहायता और आपदा राहत" (HADR)**[21] समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

[21] Humanitarian Assistance and Disaster Relief

अन्य संबंधित तथ्य

- इस सहयोग की घोषणा एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और लचीले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में की गई थी।
- इस सहयोग को निम्नलिखित के लिए डिजाइन किया गया है:
  - हिंद-प्रशांत क्षेत्र की **कमियों को दूर करना;**
  - इस क्षेत्र में आपदा के प्रति सदस्य देशों की प्रतिक्रियाओं के समन्वय हेतु **एक समर्पित फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करना;**
  - HADR से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने के लिए **सदस्यों की क्षमता एवं सामर्थ्य,** परस्पर क्रिया एवं परिचालन संबंधी तालमेल में वृद्धि करना।
  - यह सुनिश्चित करके **समावेशन को बढ़ावा देना** कि समाज का कमजोर वर्ग मानवीय कार्रवाइयों का एजेंट और लाभार्थी, दोनों हों।

क्वाड देशों द्वारा की गई अन्य सहयोगात्मक पहलें

- अमेरिका द्वारा विकासशील देशों को उपग्रह और भू-स्थानिक जानकारी प्रदान करने के लिए **NASA-SERVIR** पहल।
- जापान द्वारा **एशिया-प्रशांत जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सूचना प्लेटफ़ॉर्म** (AP-Plat) पहल।
- ऑस्ट्रेलिया द्वारा **प्रशांत महासागर में जलवायु और महासागर समर्थन कार्यक्रम** (COSPPac) पहल।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मौजूद सुभेद्यताएं

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र अत्यधिक आपदा प्रवण क्षेत्र है। सुनामी, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात जैसी विश्व **की कुल आपदाओं में से तीन-चौथाई इसी क्षेत्र में घटित होती हैं।**
- **यह क्षेत्र अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है** जैसे, उच्च तापमान, वर्षा में असामान्य उतार-चढ़ाव आदि। ध्यातव्य है कि इस क्षेत्र में लघु द्वीपीय देश और विकासशील तटवर्ती देश (Littoral countries) शामिल हैं। इसके कारण ये सुभेद्यताएं इस क्षेत्र को अधिक गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं।
- **सहयोग के क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:**
  - **पूर्व चेतावनी प्रणाली,**
  - **आपातकालीन तैयारी,**
  - **आपदा संवेदनशीलता, आदि।**

आपदा प्रबंधन हेतु क्षेत्रीय सहयोग के लिए की गई वैश्विक पहलें

- **आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-2030:** इस फ्रेमवर्क में नई आपदाओं को रोकने और मौजूदा आपदा जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई के सात स्पष्ट लक्ष्यों एवं चार प्राथमिकताओं को निर्धारित किया गया है।
- **हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA)[22] के तहत आपदा जोखिम प्रबंधन:** इसके तहत संवेदनशील एवं अप्रत्याशित स्थितियों के लिए तैयारियों और प्रतिक्रिया रणनीतियों पर क्षेत्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने व बढ़ाने का प्रयास किया गया है।
- **एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (UN-ECSCAP)[23] द्वारा एशिया पैसिफिक डिजास्टर रेजिलिएशन नेटवर्क (APDRN)** की स्थापना की गई है।

आपदा जोखिम प्रबंधन में क्षेत्रीय सहयोग का महत्व

- **जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण:** यह अत्यधिक आपदा प्रवण क्षेत्र है। यहां विश्व की तीन-चौथाई से अधिक सुनामी, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात आदि की घटनाएं घटित होती हैं।
- **आपदा के बाद बेहतर अनुक्रिया के लिए:** सूचना, विशेषज्ञता और संसाधनों के आदान-प्रदान या साझाकरण तथा समन्वय के माध्यम से आपदा के बाद के महत्वपूर्ण 48 घंटों के दौरान देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं।
- **रिकवरी चरण में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण:** इस क्षेत्र में भागीदारी और नेटवर्क के जरिए उचित दृष्टिकोण, उपकरणों, प्रौद्योगिकियों तथा बेहतरीन कार्यप्रणालियों को साझा किया जा सकता है। इससे विकास के अधिक लाभप्रद परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
- **राजनयिक संबंधों में सुधार:** प्रत्यक्ष लाभ के अतिरिक्त, HADR संबंधी गतिविधियों और प्रतिक्रिया की योजनाओं में सहयोग करने से इस क्षेत्र में एक विश्वास का माहौल बन सकता है। साथ ही, इससे राजनयिक संबंधों में भी सुधार हो सकता है।
- **उभरती आवश्यकताएं:** चूंकि, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, इसलिए वर्तमान समय में प्राकृतिक खतरों से बेहतर तरीके से निपटने की आवश्यकता ने क्षेत्रीय सहयोग को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है।

इस क्षेत्र में प्रभावी सहयोग की प्राप्ति में आने वाली चुनौतियां

- **संप्रभुता संबंधी मुद्दे:** प्रतिस्पर्धात्मक और जटिल भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के कारण डेटा साझाकरण को लेकर विरोध की स्थिति बनी रहती है। इससे संप्रभुता संबंधी चिंताएं पैदा होती हैं।
- **क्षमता की कमी:** लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक नीतियों को लागू करने में संसाधन तथा प्रशिक्षण की कमी एक चुनौती बनी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, **आपदा प्रबंधन केवल तैयारियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया पर ही केंद्रित हो गया है।**

[22] Indian Ocean Rim Association

[23] UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

- **सशस्त्र बलों की प्रधानता:** दक्षिण एशिया में आपदा से निपटने की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया के संबंध में पूरा उत्तरदायित्व राष्ट्रीय सशस्त्र बलों को सौंपा गया है। इससे **क्षेत्रीय सहयोग में बाधा पैदा होती है,** क्योंकि कोई भी देश पड़ोसी देश के सशस्त्र बलों को अपने राज्यक्षेत्र में बुलाने में संकोच करता है।
- **विकास संबंधी प्राथमिकताओं के कारण आवश्यक निवेश का प्राप्त न होना:** मौजूदा आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क और एजेंसियों को मजबूत बनाने के लिए संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता है। हालांकि, संसाधनों का इस उद्देश्य हेतु उपयोग दक्षिण एशियाई देशों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु उपलब्ध संसाधनों को कम करता है।
- **चीन की मौजूदगी:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है। इसके कारण आपदा प्रतिक्रिया और समुद्री सुरक्षा, दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं।

आगे की राह

- **विश्वास पैदा करना:** आपदा प्रबंधन से संबंधित ऐतिहासिक उदाहरणों के अतिरिक्त देशों को मौजूदा परिस्थितियों तथा इनमें मौजूद दुविधाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके माध्यम से जनता में पुनः विश्वास पैदा किया जा सकता है।
- **महत्वपूर्ण डेटा को साझा करना:** आपदाओं से पहले मौसम संबंधी डेटा, वाहनों की भौगोलिक अवस्थिति या सेल फोन से संबंधित डेटा जैसे महत्वपूर्ण डेटा को साझा करने के लिए सहकारी माध्यम निर्मित करना चाहिए।
- **एकीकृत तकनीक:** प्रौद्योगिकी, अनेक विषयों के प्रबंधन की प्रक्रिया को स्वचालित करने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए- बड़ी मात्रा में डेटा का त्वरित प्रसंस्करण और एक केंद्रीकृत/सुलभ डेटाबेस स्थापित करना।
- **महामारी के दौरान मिले सबक को ध्यान में रखना:** आपदा रिकवरी की प्रभावशीलता में सुधार के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों को प्राप्त अनुभवों को ग्रहण करना चाहिए। साथ ही, उनके परामर्श एवं अनुभवों को आपदा विशेषज्ञों के साथ साझा किया जाना चाहिए।
- **सामान्य नागरिकों और स्थानीय समूहों की संभावित भागीदारी प्राप्त करना:** इनकी भागीदारी को समन्वय और प्रतिक्रिया ढांचा निर्मित करके प्राप्त किया जा सकता है। इससे तदर्थ समूहों और स्वयंसेवकों को औपचारिक संगठनों व एजेंसियों के साथ जोड़ने में सहायता मिलेगी।
    - नागरिक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रशिक्षण (CERT)[24] ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक उदाहरण है। ध्यातव्य है कि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न समुदायों में लागू किया गया है।

3.3.2.1. भारत की आपदा राहत कूटनीति (India's Disaster Relief Diplomacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने भूकंप प्रभावित **तुर्की और सीरिया के लिए ऑपरेशन दोस्त** शुरू किया था।

आपदा राहत कूटनीति: अर्थ और इसके मार्गदर्शक सिद्धांत

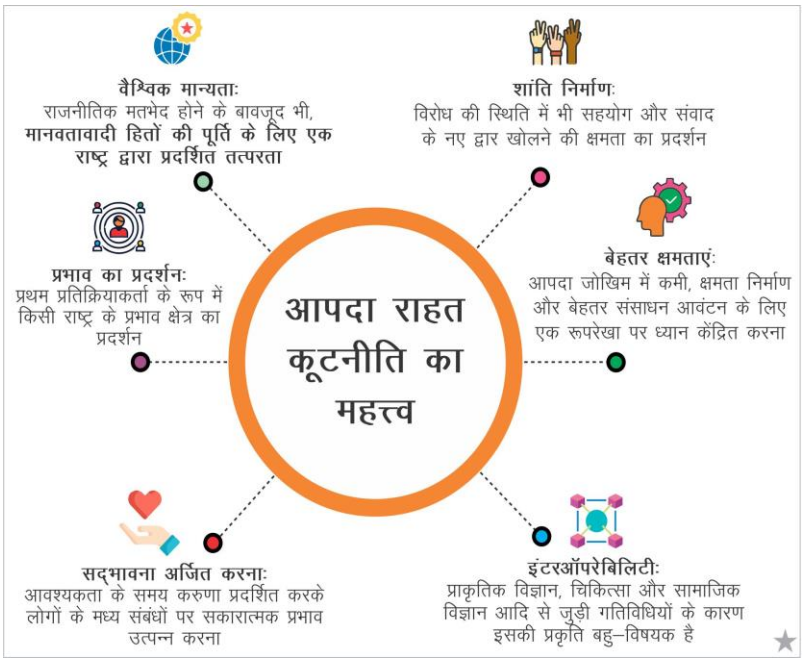

- **आपदा राहत कूटनीति को HADR कूटनीति** भी कहा जाता है। यह 'प्राकृतिक आपदाओं या संघर्षों से प्रभावित अन्य देशों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए किसी देश के प्रयासों' को संदर्भित करती है।
    - इसमें अग्रलिखित प्रकार से सहायता की जाती है: **विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करके या मानव संसाधनों की तैनाती करके।**
- **HADR, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए एक परिष्कृत कूटनीतिक साधन के रूप में उभर रहा है,** उदाहरण के लिए-
    - **बोस्निया संकट** (1990 के दशक) में केवल **16 सहायता प्रदाता सरकारों** ने ही आधिकारिक तौर पर सहायता करने का वचन दिया था।

[24] Citizen Emergency Response Training

- जबकि, **हिंद महासागर सुनामी** (2004) के दौरान **92 देशों** ने सहायता देने का वचन दिया था।

- **ओस्लो दिशा-निर्देश:** "आपदा राहत में विदेशी सैन्य और नागरिक सुरक्षा परिसंपत्तियों के उपयोग" पर दिशा-निर्देशों को **1994** में जारी किया गया था। इन दिशा-निर्देशों को **2006** में फिर से जारी किया गया। ये दिशा-निर्देश **संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी एजेंसियों** के लिए मानवीय सहायता के मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।

भारत की आपदा राहत कूटनीति

भारत के मानवीय सहायता हस्तक्षेप इसकी स्वतंत्रता के तुरंत बाद शुरू हो गए थे। ये हस्तक्षेप भारत के **सभ्यतागत लोकाचार, वसुधैव कुटुम्बकम के दर्शन और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों व उद्देश्यों द्वारा निर्देशित हैं।**

- **योगदान:** दो लाख से अधिक भारतीयों ने 1948 के बाद से गठित **71 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में से 49 में अपनी सेवाएं दी है।** इनमें **कोरिया, कांगो** आदि के मिशन भी शामिल हैं। इनमें आपदा राहत कार्य भी सम्मिलित थे।
- **अन्य प्रमुख आपदा राहत अभियान-**
  - **ऑपरेशन कैस्टर और ऑपरेशन रेनबो को 2004 में सुनामी से प्रभावित क्रमशः मालदीव और श्रीलंका की मदद** करने के लिए शुरू किया गया था।
    - वर्तमान **चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (क्वाड/ Quad) भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका** का एक संयुक्त रणनीतिक मंच है। इसकी उत्पत्ति के चिन्ह हिंद महासागर सुनामी, 2004 की प्रतिक्रिया में बनाए गए तदर्थ सुनामी कोर ग्रुप में खोजे जा सकते हैं।
  - **वैक्सीन मैत्री** भारत के निकटतम पड़ोसी देशों से शुरू हुई थी। इस पहल के ज़रिए भारत ने कोविड-19 टीकों की लगभग 94 देशों में आपूर्ति की है।
- **भू-राजनीति से रहित आपदा राहत: तुर्की** को भारत के आंतरिक मामलों पर उसकी अवांछित टिप्पणियों के बावजूद भी सहायता प्रदान की गई है। यह संघर्ष प्रबंधन के लिए भारत के **आम सहमति दृष्टिकोण** को प्रकट करता है। यह दृष्टिकोण भारत की इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है कि **ऐसा क्या है, जो भारत को अन्य देशों से अलग करने की बजाय उसे अन्य देशों से जोड़ सकता है।**

आपदा राहत कूटनीति के वैश्विक प्रयासों में भारत का योगदान

- **आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure: CDRI):** CDRI ने **'इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलेंट आइसलैंड स्टेट्स'** पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य **अवसंरचना में संधारणीय विकास प्राप्त करने के लिए छोटे द्वीपीय विकासशील राष्ट्रों (SIDS)[25] की सहायता** करना है।
- भारत **सेंडाई फ्रेमवर्क का एक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है।**
- भारत **दक्षिण एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने** में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उदाहरण के लिए- प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ त्वरित प्रतिक्रिया पर सार्क समझौता तथा बिम्सटेक द्वारा सहयोग के प्राथमिक क्षेत्र के रूप में 'पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन' को चिन्हित करना।
- भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNISDR)[26] और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन (WCDRR)[27] **के साथ भागीदारी** की है।
- आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने **कई देशों, जैसे- स्विट्जरलैंड, रूस, जापान और ताजिकिस्तान के साथ द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय समझौते** किए हैं।

आपदा राहत कूटनीति की सीमाएं/ जोखिम

- **सीमित मानव और प्रौद्योगिकीय संसाधन:** यह आपदा राहत प्रयासों में सशस्त्र बलों की **अधिक निर्भरता/ उपयोग** की ओर ले जा रहा है।

[25] Small Island Developing States

[26] United Nations Office for Disaster Risk Reduction

[27] World Conference on Disaster Risk Reduction

- **सीमित दीर्घकालिक प्रभाव:** इसका प्रभाव अल्पकालिक होता है। उदाहरण के लिए- 2015 में **भूकंप आपदा में मदद** के बाद भी भारत-नेपाल के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं।
- **राजनीतिक और वित्तीय संघर्ष अक्सर आपदा से संबंधित गतिविधियों** पर भारी पड़ जाता है। यही कारण है कि संघर्ष समाधान में **उपर्युक्त गतिविधियों के महत्वपूर्ण प्रभाव का कोई उदाहरण नहीं** मिलता है। उदाहरण के लिए-
  - 1999 के भूकंप के बाद **तुर्की और ग्रीस** के बीच सहायता का परिवेश दोनों देशों के मध्य व्याप्त अविश्वास के कारण इनकी पुरानी राजनीतिक दुश्मनी के सामने बेअसर हो गया था।
- पुरानी दुश्मनी के कारण प्रभावित देशों द्वारा **इनकार करने का खतरा, उदाहरण के लिए-**
  - क्यूबा ने 1998 में पड़े सूखे के दौरान अमेरिकी सहायता लेने से इनकार कर दिया था।
  - इसी तरह, पाकिस्तान ने भी 2022 की बाढ़ के दौरान भारत की मानवीय सहायता लेने से इनकार कर दिया था।
- **सशर्त या सहबद्ध (Tied) द्विपक्षीय सहायता का खतरा** विद्यमान रहता है। इसका अर्थ है कि ऐसी सहायता के माध्यम से भविष्य में आर्थिक व सैन्य सहयोग समझौते किए जा सकते हैं।

आगे की राह

भारत ने **ऑपरेशन दोस्त** के तहत किए गए प्रयासों से अपनी **तेज और सक्षम प्रतिक्रिया की क्षमता का प्रदर्शन** किया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों (विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र) में आपदा राहत एक मानक कार्यकलाप (स्टैंडर्ड प्रैक्टिस) के रूप में उभरी है। इससे आपदा राहत कूटनीति के केवल दायरे और महत्त्व में वृद्धि होगी। **इसलिए, इसे निम्नलिखित के माध्यम से और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है:**

- **क्षमता निर्माण,** यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य संबंधित संगठनों को पर्याप्त जनशक्ति व प्रौद्योगिकी प्रदान करना।
  - **NASA-ISRO SAR (निसार) मिशन** का प्रक्षेपण 2024 में किया जाएगा। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
- **आपदा राहत पर दीर्घकालिक बहुपक्षीय फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए।**
  - **हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI)[28] का आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन स्तंभ, दीर्घकालिक सहायता तंत्र** के निर्माण में बहुत मदद कर सकता है।
- यदि अन्य कूटनीतिक पहलों का अनुसरण करना संभव नहीं है, तो HADR पहलों को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करके **मौजूदा कूटनीतिक प्रयासों को मजबूत** करना चाहिए।
- राजनीतिक और वित्तीय संघर्षों को दूर करने के लिए **विश्वास प्राप्त करना और करुणा को बढ़ावा देना** चाहिए। इस प्रकार से HADR पहलों के माध्यम से **लोगों के मध्य संबंधों में सुधार करना चाहिए।**

3.3.3. भारत और प्रशांत द्वीपीय देश (India and Pacific Island Countries: PIC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **'भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच' (FIPIC)[29]** के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन **पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी** में किया गया था।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस शिखर सम्मेलन में भारत ने प्रशांत द्वीपीय देशों के लिए **"12 सूत्री विकास योजना"** की घोषणा की। इस **विकास योजना** के तहत स्वास्थ्य देखभाल, नवीकरणीय ऊर्जा और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- FIPIC, भारत की **एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत नीति** का हिस्सा है। **यह दक्षिण-दक्षिण सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।**

[28] Indo-Pacific Oceans Initiative

[29] Forum for India-Pacific Islands Cooperation

प्रशांत द्वीपीय देशों का महत्त्व

- **भू-सामरिक: हिंद-प्रशांत क्षेत्र** के समुद्री-मार्ग **अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य** के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनका अधिकांश हिस्सा प्रशांत द्वीपीय देशों के राज्यक्षेत्रों के अंतर्गत आता है।
- **समुद्री सुरक्षा:** भारत ने अपनी **बढ़ती नौसैनिक क्षमताओं** के साथ मलक्का के पूर्व के आगे के क्षेत्रों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। इस प्रकार ये द्वीपीय देश भारत की **व्यापक समुद्री रणनीति** के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं।

भारत–प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच
(Forum for India–Pacific Islands Cooperation: FIPIC)

उत्पत्ति: इसे 2014 में गठित किया गया था।

सदस्य: इसमें 14 द्वीपीय देश शामिल हैं–कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, मायक्रोनेशिया, नौरू, नीयू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु और वनुआतु।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: प्रशांत द्वीप समूह के अंतर्गत द्वीपों के तीन प्रमुख समूह शामिल हैं: मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया।

- **आर्थिक:** इन द्वीपीय देशों के पास संसाधनों से समृद्ध **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)** हैं। ये LNG जैसे प्राकृतिक और खनिज संसाधनों के स्रोत भी हैं।
- **क्षेत्रीय और वैश्विक जुड़ाव:** इन द्वीपीय देशों के साथ भागीदारी भारत को संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठन तथा अन्य क्षेत्रीय संगठनों में सहयोग और साझेदारी के अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने में सहयोग प्रदान कर सकती है।
- **सांस्कृतिक संबंध: फिजी और पापुआ न्यू गिनी** में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी समुदाय मौजूद हैं।

संबंधों को मजबूत बनाने में चुनौतियां

- **वैश्विक शक्तियों से प्रतिस्पर्धा:** क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रशांत द्वीपीय देशों ने चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस जैसे देशों को व्यापक तौर पर अपनी ओर आकर्षित किया है। इस क्षेत्र में भारत के लिए इन देशों के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

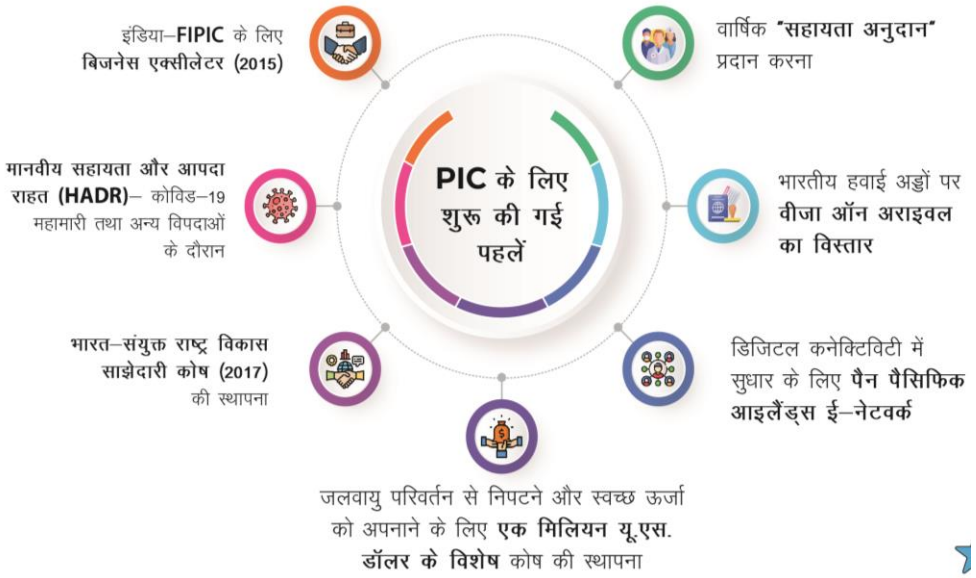

- **अप्रयुक्त व्यापार क्षमता:** भारत और प्रशांत द्वीपीय देशों के बीच कुल वार्षिक व्यापार लगभग 300 मिलियन डॉलर का है, जो बहुत कम है।
- **पारंपरिक दृष्टिकोण पर जोर:** भारत की विदेश नीति **हिंद महासागर क्षेत्र पर अधिक केंद्रित** है। इस वजह से प्रशांत द्वीपीय देशों सहित प्रशांत क्षेत्र पर **अपेक्षाकृत कम ध्यान** दिया गया है।
- **सीमित भागीदारी:** प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भारत की भागीदारी अभी भी काफी हद तक फिजी और पापुआ न्यू गिनी पर ही केंद्रित है। इसका मुख्य कारण **इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति है।**

- **भौगोलिक दूरी:** प्रशांत द्वीपीय देश भारत से बहुत दूर स्थित हैं। ऐसे में इन देशों के साथ भौतिक संपर्क और नियमित जुड़ाव मुश्किल हो जाता है।
- **लोगों के बीच आपसी संपर्क को कम महत्त्व देना:** पश्चिमी देशों और पूर्व एशिया के देशों की तुलना में, प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ परस्पर संपर्क बढ़ाने पर कम ध्यान दिया गया है।

आगे की राह

- **उच्च-स्तरीय भागीदारी:** दोनों पक्षों के उच्च स्तरीय नेताओं को एक-दूसरे के यहां यात्रा करनी चाहिए और भागीदारी बढ़ानी चाहिए।
- **विकास सहायता:** भारत को प्रशांत द्वीपीय देशों को उपलब्ध कराए जाने वाली विकास सहायता (अनुदान, रियायती ऋण, तकनीकी सहयोग आदि) में बढ़ोतरी करनी चाहिए।
- **व्यापार और निवेश संवर्धन:** भारत को इन देशों के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने के लिए नए अवसरों की खोज करनी चाहिए।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** दोनों पक्षों के **लोगों के बीच परस्पर संपर्क** और आपसी समझ को बढ़ावा देने में सांस्कृतिक आदान-प्रदान से जुड़े प्रोत्साहन महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
- **कनेक्टिविटी और अवसंरचना संबंधी विकास:** भारत को प्रशांत द्वीपीय देशों में बंदरगाहों, हवाई अड्डों, सड़कों तथा डिजिटल अवसंरचना में निवेश के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

3.4. भारत-अमेरिका-चीन का त्रिकोणीय संबंध (India-USA-China Triangle)

सुर्ख़ियों में क्यों?

"युद्ध अभ्यास" का **18वां संस्करण उत्तराखंड** में संपन्न हुआ। यह **भारत** और **संयुक्त राज्य अमेरिका** के बीच एक **वार्षिक सैन्य अभ्यास** है। यह अभ्यास **वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)[30] से केवल 100 किलोमीटर** की दूरी पर आयोजित किया गया था। इस युद्धाभ्यास पर चीन ने आपत्ति प्रकट की है।

1993 व 1996 के भारत-चीन समझौते:

1993 के समझौते में, दोनों देश निम्नलिखित पर सहमत हुए थे:

- दोनों पक्षों के बीच **LAC को सख्ती से मानने और उसका पालन करने पर सहमति बनी।**
- दोनों पक्ष **LAC से सटे क्षेत्रों में सैन्य बलों को न्यूनतम स्तर तक बनाए रखेंगे।**
- दोनों पक्ष **परस्पर चिन्हित क्षेत्रों में सैन्य अभ्यास नहीं करेंगे।**
- प्रत्येक पक्ष **LAC के निकट निर्दिष्ट स्तरों के सैन्य अभ्यासों की पूर्व सूचना एक-दूसरे को प्रदान करेंगे।**

1996 के समझौते में, दोनों देश निम्नलिखित पर सहमत हुए:

- कोई भी पक्ष **दूसरे पक्ष के विरुद्ध अपनी सैन्य क्षमता का प्रयोग नहीं करेगा।**
- LAC से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में **दोनों पक्षों की ओर से कोई सशस्त्र बल तैनात नहीं किया जाएगा।**

अन्य संबंधित तथ्य

- **चीन ने दावा किया है कि भारत ने LAC पर 1993 और 1996 के समझौतों का उल्लंघन किया है।** साथ ही, चीन ने अमेरिका को भी **भारत-चीन संबंधों में हस्तक्षेप न करने** की सलाह दी है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, भारत, अमेरिका और चीन के मध्य संबंध भविष्य में विश्व के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये **तीन महाशक्तियां** उभरती हुई विश्व व्यवस्था के लिए **अति महत्वपूर्ण हैं।**

भारत-अमेरिका और चीन के बीच त्रिकोणीय संबंध

- एक त्रिकोणीय व्यवस्था में, **देश "A" और देश "B" का आपसी व्यवहार अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से देश "C" के व्यवहार को प्रभावित करता है।** ऐसा तीनों पक्षों के बीच स्थापित अंतर्क्रिया मॉडल (Model of Interaction) के कारण होता है।
- एक त्रिकोणीय संबंध के लिए पूर्व शर्तें ये हैं कि **प्रत्येक भागीदार तीन सिद्धांतों की रणनीतिक विशेषता को स्वीकार करता हो। इसके अतिरिक्त, किन्हीं भी दो भागीदारों के बीच का संबंध तीसरे भागीदार से उनके संबंध से प्रभावित होगा।**
    - **भारत-अमेरिका-चीन त्रिकोण की वर्तमान गतिशीलता के साथ, यह संबंध अभी भी विकास के चरण में है।** उनके संबंधों में विचलन (Divergences) और अभिसरण (Convergences) दोनों देखने को मिलते हैं।
- **तीन पक्षों के बीच एक त्रिकोणीय संबंध तब तक नहीं बन सकता, जब तक कि दो पक्ष आपस में मित्र या सहयोगी हों और तीसरा पक्ष उनका साझा शत्रु हो।**

[30] Line of Actual Control

भारत-अमेरिका-चीन त्रिकोण में विचलन के क्षेत्र

- **असंगत विदेश नीतियां:** चीन **भारत की तिब्बत नीति और संयुक्त राज्य अमेरिका की ताइवान नीति** को अपने संप्रभु प्रादेशिक दावों के समक्ष बाधा के रूप में देखता है।
  - इसी प्रकार भारत, चीन के पाकिस्तान के साथ सैन्य और आर्थिक संबंधों के माध्यम से घनिष्ठ गठबंधन से परेशान है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका चीन को अपने महाशक्ति के दर्जे के लिए निकटतम खतरे के रूप में देखता है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति भारत की स्पष्ट निकटता:** अमेरिका के साथ भारत की निकटता को चीन एक समस्या के रूप में देखता है, उदाहरण के लिए-
  - **संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार** के रूप में नामित किया है। साथ ही, भारत को **स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर 1 का दर्जा** भी प्रदान किया है।
  - दोनों देशों ने निम्नलिखित **चार रक्षा सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं-**
    - **जनरल सिक्योरिटी ऑफ़ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट (GSOMIA);**
    - **लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA);**
    - **कम्युटेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरंडम ऑफ़ एग्रीमेंट (CISMOA);** तथा
    - **बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA)**
- **चुनौतीपूर्ण आधिपत्य:** चीन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्थिति को कमजोर करके इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है। चीन अपनी **"स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" की नीति के माध्यम से भारत को घेरने की योजना बना रहा है।**
  - चीन **क्वाड समूह में भारत और अमेरिका की सहभागिता** को अपने लिए एक खतरा बताता है।
  - **चीन इस क्षेत्र में आक्रामक रूप से हस्तक्षेप करता रहा है।** उदाहरण के लिए- **दक्षिण चीन सागर के संबंध में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ विवाद।**

दक्षिण चीन सागर विवाद:

- चीन **दक्षिण चीन सागर के 90% हिस्से** पर अपना दावा करता है। उसका यह दावा **U-आकार की नाइन-डैश लाइन** पर आधारित है।
- **क्षेत्रीय विवाद: ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम** दक्षिण चीन सागर पर चीन के इस दावे का विरोध करते हैं।
- **दक्षिण चीन सागर में भारत के हित:**
  - इस क्षेत्र से जुड़े वाणिज्यिक हित,
  - नौवहन की स्वतंत्रता और
  - नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था।

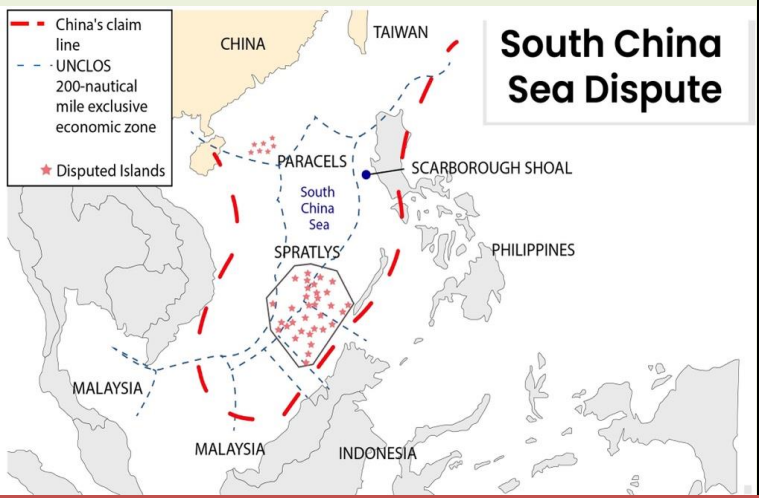

- **चीन की बेल्ट एंड रोड पहल:** चीन ने इस पहल को ऋण जाल के रूप में इस्तेमाल किया है। साथ ही, अपने लाभों के लिए दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया है।
- **शक्ति संघर्ष:** चीन भारत को अपना ऐसा **'एशियाई प्रतिद्वंद्वी'** मानता है, जिसके पास एशिया में उसकी वर्चस्ववादी महत्वाकांक्षाओं को रोकने की अंतर्निहित क्षमता है।
  - इसी प्रकार, चीन अमेरिका को अपने **'वैश्विक प्रतिद्वंद्वी'** के रूप में देखता है। वहीं दूसरी ओर, भारत और अमेरिका दोनों चीन को एक आक्रामक देश के रूप में देखते हैं, जो उनकी संप्रभुता में घुसपैठ करता है।
- **बहुपक्षीय मंचों पर चीन का रुख:** चीन भारत को **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह** (NSG)[31] और **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)**[32] जैसे महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंचों से दूर रखने का प्रयास करता है।

[31] Nuclear Suppliers Group

[32] UN Security Council

- वहीं दूसरी ओर, अमेरिका चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत को उन्हीं मंचों में सदस्य के तौर पर शामिल करवाने की कोशिश कर रहा है।

- **चीन व्यापार को अपने हथियार के रूप में उपयोग कर रहा है:** चीन संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों के साथ व्यापार संतुलन को मजबूती से अपने पक्ष में बनाए रखने का प्रयास करता रहता है।
  - चीन ने भारत से आने वाली कई वस्तुओं पर गैर-प्रशुल्क बाधाएं (Non-tariff barriers) आरोपित की हैं। इस कारण व्यापार संतुलन के मामले में चीन मजबूत स्थिति में रहता है।

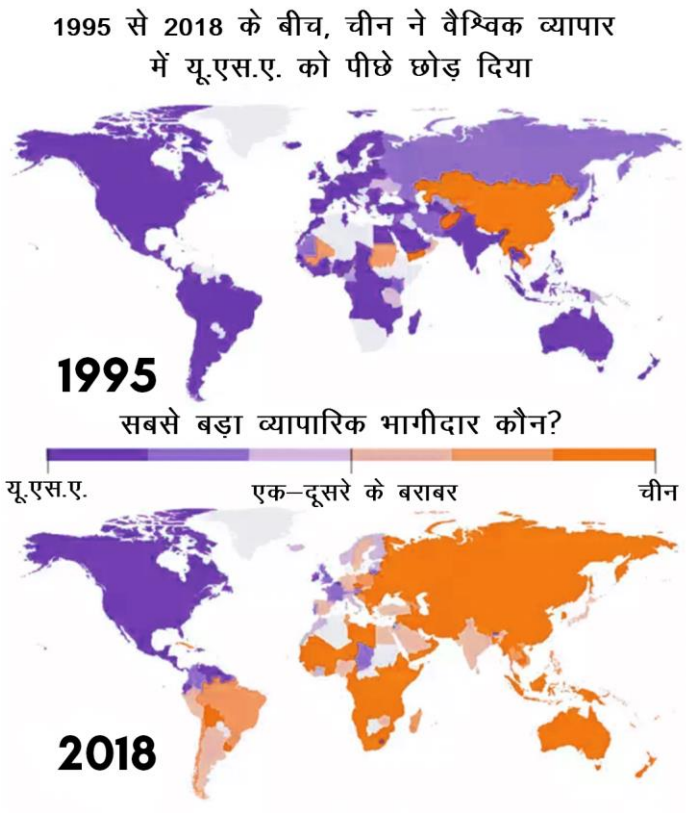

भारत-अमेरिका-चीन के त्रिकोण में अभिसरण के क्षेत्र

- **व्यापार और वाणिज्य:** चीन, भारत और अमेरिका दोनों के लिए सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है।
  - दूसरी ओर चीन के लिए भारत और अमेरिका दोनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कोई अन्य देश इसके कारखानों से इतनी अधिक मात्रा में खरीद नहीं कर सकता है।
- **निवेश संबंधी आवश्यकताएं:** भारत को अपने बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए भारी निवेश की जरूरत है। चीन इसमें भारत की मदद कर सकता है।
- **शांति में स्थिरता:** 1962 और 1967 में भारत-चीन युद्ध की दो घटनाओं को छोड़कर, दोनों देशों ने सीमा क्षेत्रों में मामूली झड़पों को कम करके इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने की कोशिश की है।
  - इसी तरह, चीन और अमेरिका एक-दूसरे के साथ कभी भी सीधे सैन्य संघर्ष में नहीं रहे हैं।
- **पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटना:** तीनों देश संयुक्त रूप से बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जित करते हैं। साथ ही, वे अपने उत्सर्जन को धीरे-धीरे कम करने और पेरिस जलवायु लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायता करने के लिए भी दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं।
- **संबंधों का निर्माण:** भारत एवं चीन के बीच वुहान (2018) और मामल्लपुरम (2019) में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन तथा G20 व संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंचों पर तीनों देशों के बीच निरंतर वार्ता ने उनके मतभेदों को दूर करने में मदद की है।
  - **भारत-चीन दोनों शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स** में भी शामिल हैं।

निष्कर्ष

भारत को इस त्रिकोणीय संबंध में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का प्रयोग जारी रखना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता पर अत्यधिक निर्भरता भारत के लिए एक उचित विकल्प नहीं है। इसका कारण यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वयं को कई अवसरों पर यह साबित कर दिया है कि वह भारत का अच्छा मित्र देश नहीं है। भारत का चीन के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह भारत का भौगोलिक पड़ोसी है। हालांकि, भारत की सीमाओं और अन्य क्षेत्रों में इसकी आक्रामकता को कम करने पर भी पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है।

3.4.1. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के विकल्प (Alternatives To Belt and Road Initiative: BRI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका ने विकासशील देशों में आवश्यक अवसंरचना के वित्त-पोषण के लिए अगले **पांच वर्षों में 200 बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य** निर्धारित किया है। यह कार्य G7 की एक पहल के तहत किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य **चीन की बेल्ट एंड रोड पहल** को प्रतिसंतुलित करना है।

वैश्विक अवसंरचना एवं निवेश के लिए साझेदारी (Partnership for Global Infrastructure and Investment: PGII) के बारे में

- इसका उद्देश्य पिछले दशक में दुनिया भर में **चीन द्वारा ठोस अवसंरचना** में **किए गए लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर** के निवेश का एक विकल्प प्रदान करना है।
- यह G7 पहल **चार प्रमुख श्रेणियों** में परियोजनाओं का वित्त-पोषण कर रही है:
  - **स्वच्छ ऊर्जा,**
  - **स्वास्थ्य प्रणालियां,**
  - **लैंगिक समानता, तथा**
  - **सूचना व संचार प्रौद्योगिकी।**
- PGII के तहत अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस दृष्टिकोण के तहत **अधिक मात्रा में निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी धन का सीमित उपयोग** किया जाएगा।
  - यह **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** के विपरीत है। यहाँ बड़े पैमाने पर **"शामिल देशों (स्टेट-टू-स्टेट)" से वित्त-पोषण का प्रावधान है। इस प्रकार के वित्त-पोषण से अस्थिर ऋण स्तर की समस्या उत्पन्न होती है।**
- विचार यह है कि **सरकारी फंडिंग को** पेंशन फंड, निजी इक्विटी फंड और बीमा फंड एवं ऐसे ही अन्य फंड्स की **निजी पूंजी के साथ जोड़ा जाए।**

अन्य संबंधित तथ्य

- इस प्रयास को अब **वैश्विक अवसंरचना एवं निवेश के लिए साझेदारी (PGII)** कहा जा रहा है।
- यह घोषणा पिछले वर्ष (2021 में) यूनाइटेड किंगडम में आयोजित G7 की बैठक में आरंभ की गई पहल **"बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड" (B3W)** की एक **औपचारिक शुरुआत** और **रीब्रांडिंग** है।

BRI के बारे में

- BRI चीन की एक बुनियादी ढांचा विकास परियोजना है। यह **एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने के लिए** ऐतिहासिक सिल्क रोड के समानांतर चलने वाले **भूमि और समुद्री मार्गों के विकास हेतु** पूंजी प्रदान करेगी। ग़ौरतलब है कि इसे **2013** में **वन बेल्ट वन रोड** के रूप में शुरू किया गया था।

BRI के विकल्प क्यों उभर रहे हैं?

- **खंडित प्रकृति**: बेल्ट एंड रोड एक **एकीकृत, सुसंगत रणनीति** नहीं है, इसके बजाय यह **विभिन्न शर्तों** पर किए गए **द्विपक्षीय समझौतों का एक खंडित संग्रह** है।
- **इसकी अपारदर्शी प्रकृति अविश्वास पैदा करती है:** चीन सरकार ने कभी भी बेल्ट एंड रोड के ऋणों के **आकार और शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी** प्रकाशित नहीं की है। सूचनाओं का यह अभाव **भ्रम और अविश्वास उत्पन्न करता है।**

- **ऋण जाल की कूटनीति:** कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, 40 से अधिक निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMICs) के पास अब चीन के प्रति डेब्ट एक्सपोज़र का स्तर उनके राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत से अधिक है।
  - श्रीलंका की सरकार **चीन के ऋण को चुकाने में असमर्थ** थी। इस कारण, हंबनटोटा बंदरगाह को वर्ष **2017 में 99 साल के पट्टे पर चीन को** सौंप दिया गया।
- **कार्यान्वयन के मुद्दों के कारण धीमी प्रगति:** एक रिपोर्ट के अनुसार, **BRI की 35% अवसंरचना परियोजनाओं** को कार्यान्वयन संबंधी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इनमें **भ्रष्टाचार, श्रम कानूनों का उल्लंघन, पर्यावरणीय जोखिम और सार्वजनिक विरोध** आदि शामिल हैं।
- **पर्यावरणीय लागत:** पर्यावरण पर **गंभीर और अपरिवर्तनीय प्रभाव डालने** एवं **दीर्घकालिक सतत विकास** की प्रगति को खतरे में डालने के लिए BRI की आलोचना की गई है।

BRI के संबंध में भारत की चिंताएं:

- **भू-राजनीतिक चिंताएं:** भारत विशेष रूप से **छोटे दक्षिण एशियाई देशों** और **हिंद महासागर के तटवर्ती देशों** में BRI अवसंरचनाओं एवं कनेक्टिविटी परियोजनाओं को लेकर चिंतित है।
- **संप्रभुता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** भारत, BRI की **प्रमुख परियोजनाओं में से एक CPEC का विरोध करता रहा** है। यह गलियारा चीन के शिनजियांग स्वायत्त क्षेत्र को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से जोड़ता है।
  - यह परियोजना **पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर** से होकर गुजरती है और इसलिए यह **'भारत की संप्रभुता का उल्लंघन'** करती है।

भारत की प्रतिक्रिया

- हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए **मौसम परियोजना** आरंभ की गई है।
- कई उद्देश्यों के साथ "सागर" अर्थात **क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR)**[33] की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। इसके उद्देश्य हैं;
  - **समुद्री हितों** की रक्षा करना,
  - तटीय क्षेत्रों में **आर्थिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना,**
  - समुद्री खतरों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना,
  - समुद्री नियमों, मानदंडों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए **विश्वास में वृद्धि करना और सम्मान को बढ़ावा देना।**
- पड़ोसी देशों में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए **इन देशों को सहायता देना तथा निवेश और अन्य आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करना।**

BRI के अन्य विकल्प क्या हैं?

- **यूरोपीय संघ की ग्लोबल गेटवे परियोजना:** इस परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2021 से 2027 के बीच **300 बिलियन यूरो** का निवेश **जुटाना** है, ताकि **चिरस्थायी वैश्विक सुधार** किया जा सके।
  - यह निवेश **अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और मानकों के अनुरूप** गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना में **स्मार्ट निवेश** का समर्थन करेगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप **उच्चतम सामाजिक और पर्यावरण मानकों को ध्यान में रखा जाएगा।**
- **स्वच्छ हरित पहल (Clean Green Initiative):** इसे UK द्वारा COP26 में शुरू किया गया था। इसमें विकासशील देशों हेतु अगले 5 सालों के लिए 3 बिलियन पाउंड से अधिक के जलवायु वित्त-पोषण की व्यवस्था की गयी है। यह वित्त-पोषण स्वच्छ ऊर्जा,परिवहन एवं शहरी विकास जैसे क्षेत्रकों में स्वच्छ और लचीली अवसंरचना के लिए किया जाएगा।
- **एशिया-अफ्रीका संवृद्धि गलियारा (Asia-Africa Growth Corridor: AAGC):** यह भारत और जापान द्वारा BRI के विकल्प के रूप में शुरू किया गया एक अन्य प्रयास है। इस द्विपक्षीय साझेदारी का लक्ष्य अफ्रीका में **गुणवत्तापूर्ण और सतत (सामाजिक और परिवहन संबंधी) अवसंरचनाओं, विकासात्मक परियोजनाओं और कनेक्टिविटी** को बढ़ाना है।

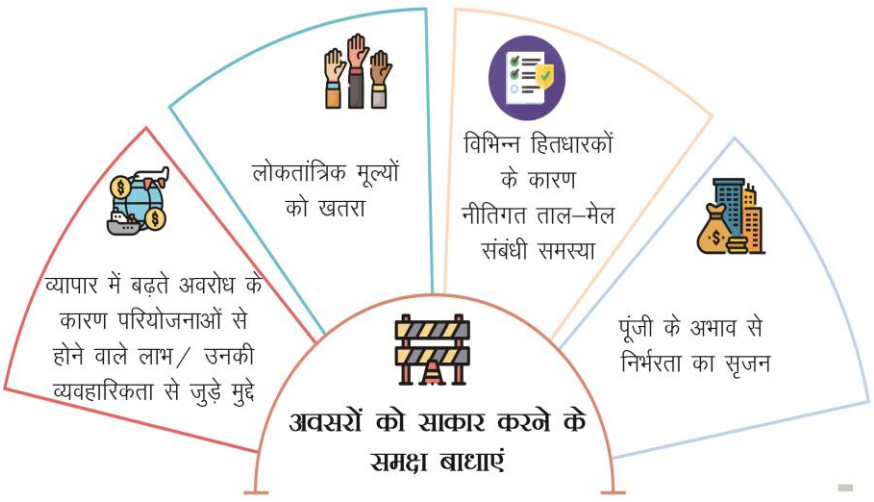

[33] Security and Growth for all in the region

वैश्विक अवसंरचना में भारत के लिए अवसर

- **यूरोपीय संघ के साथ साझेदारी:** हाल ही में, यूरोपीय संघ ने **भारत के साथ एक व्यापक कनेक्टिविटी साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य डिजिटल, ऊर्जा, परिवहन और लोगों से लोगों के बीच संपर्क के लिए** अफ्रीका, मध्य एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में 'लचीली और संधारणीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं' को समर्थन देना है।
- **द्विपक्षीय सहभागिता:** चीन पर अविश्वास और BRI के तहत दिए गए ऋण के पीछे छुपे चीनी मंसूबे कई मौकों पर उजागर हो चुके हैं। इसके कारण पैदा हुए अवसर का भारत विशेष रूप से अफ्रीकी और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में विकास परियोजनाओं में भागीदारी के माध्यम से लाभ उठा सकता है। ग़ौरतलब है कि इन देशों में पारंपरिक रूप से चीन और भारत दोनों प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

भारत के लिए आगे की राह

- **नीति समन्वय में सुधार करना:** बड़े पैमाने पर, उच्च प्रभाव वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की योजना बनाना और उनका समर्थन करना। ऐसा नौकरशाही व्यवस्था को सुव्यवस्थित करके और एकल-बिंदु प्रक्रियाओं का निर्माण करके किया जा सकता है।
- **परियोजनाओं की व्यवहार्यता में वृद्धि करना:** कोविड -19 के हानिकारक प्रभाव को दूर करने के लिए सीमा-पार निवेश की सुविधा और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को मज़बूत करके आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- **पूंजी की कमी को दूर करना:** निजी क्षेत्र से निजी क्षेत्र के वित्त-पोषण मॉडल के उपयोग के द्वारा समान विचारधारा वाले देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय **वित्तीय एकीकरण** को मज़बूत करना।
- **लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना:** लोगों का भरोसा और विश्वास हासिल करने के लिए परियोजनाओं के माध्यम से प्रदर्शन में सुधार करना। साथ ही, इसके ज़रिए लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
- बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर गतिशीलता और अन्य समाधानों की पेशकश तक और अधिक सेवाएं देने के लिए लंबी अवधि के दृष्टिकोण से **घरेलू क्षमताओं का निर्माण करना।**

3.5. लघुपक्षीय समूहों का उद्भव (Rise of the Minilaterals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में विविध समूहों का व्यापक उद्भव देखा गया है, जिन्हें लोकप्रिय रूप से लघुपक्षीय समूह कहा जाता है। यह समूह सामरिक रूप से व्यवहार्य क्षेत्रों के संबंध में साझा समझ और खतरे की धारणाओं पर आधारित होते हैं।

लघुपक्षीय समूह के बारे में

लघुपक्षीय समूह, अनौपचारिक एवं अधिक लक्षित पहलों को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य एक विशिष्ट खतरे, आकस्मिकता या सुरक्षा संबंधी मुद्दे का समाधान करना है। इसके तहत कुछ राज्य एक सीमित अवधि के भीतर इसे हल करने के लिए समान हित साझा करते हैं। उदाहरण के लिए-

- सुरक्षा सहयोग के लिए गठित **लघुपक्षीय समूह, जैसे कि क्वाड, भारत-जापान-संयुक्त राज्य अमेरिका त्रिपक्षीय समूह** और **भारत-फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समूह।**
- अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए क्षेत्रीय और विविध क्लब, जैसे **कि यूरोपीय संघ, आसियान, G-20 आदि।**

'लघुपक्षीय' समूहों के उद्भव हेतु उत्तरदायी कारक

- **हितों में समन्वय स्थापित करना आसान:** लघु साझेदारी विशिष्ट पारस्परिक उद्देश्यों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।
- **रणनीतिक तर्क:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र, खुली और समावेशी व्यवस्था सुनिश्चित करने में अपनी भागीदारी के कारण भारत-फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समूह इन तीनों देशों के लिए प्राकृतिक रूप से उपयुक्त है।
- **कुछ भागीदारों द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं से आगे बढ़ना:** विशिष्ट भागीदारों द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं के समाधान के लिए बड़े समूहों के भागीदार अपने हितों के लिए लघु भागीदारी को अपना रहे हैं, उदाहरण के लिए- अमेरिकी नीतियों की अस्थिरता से बचने के लिए।
- **अनौपचारिक संवादों की खोज करना:** त्रिपक्षीय समूह, कठोर प्रतिबद्धताओं की स्थापना और विस्तृत औपचारिक वार्ताओं के बिना लोचशील नीति के अंतर्गत उभरते मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक प्रभावी मंच है।
- **यह बहुपक्षवाद और बहुपक्षीय संस्थानों से संबंधित चुनौतियों के समाधान हेतु प्रभावी है:**
  - **ध्रुवीकरण और वैचारिक संघर्ष:** बहुपक्षीय संस्थान/ समूह प्राय: कुछ प्रभावशाली देशों के नेतृत्व में संचालित होते हैं। इससे विचारधाराओं या विशेष मुद्दों में मतभेदों की तर्ज पर विसंगति उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है, जहाँ व्यक्तिगत दृष्टिकोण को चिन्हित करने के लिए अत्यल्प या कोई स्थान नहीं बचता है।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

- **विभूमंडलीकरण (Reverse globalization) और संरक्षणवादी प्रवृत्तियों में वृद्धि:** देश अब अधिक अंतर्मुखी होते जा रहे हैं अर्थात् वे अपने राष्ट्रीय हितों को ही सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें अपने राष्ट्रीय हितों से परे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करना कठिन प्रतीत हो रहा है।
- **संस्थागत कठिनाई:** यह एक ऐसी अवस्था है, जहां संस्थान पर्याप्त गति से अनुकूलन और परिवर्तन करने में विफल होते हैं। मौजूदा बहुपक्षीय संस्थानों को जलवायु परिवर्तन, डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा आदि जैसी नई और उभरती वैश्विक चुनौतियों से निपटने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

क्या लघुपक्षीय समूह बहुपक्षीय समूहों का स्थान ले सकते हैं?

लघुपक्षीय समूह को क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताओं के मुद्दों/ समस्याओं का समाधान करने के लिए "इच्छुकों" की साझेदारी एवं गठबंधन बनाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन **उनकी अपनी कमियां हैं:**

- ये **महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कमजोर करने** तथा वैश्विक गवर्नेंस में जवाबदेही को कम करने के खतरों को प्रस्तुत करते हैं।
  - उदाहरण के लिए- **G20 की पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया (MAP)**[34] के 'प्रभावहीन' होने की आलोचना की गई है। पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया (MAP) के तहत, सदस्य देश राष्ट्रीय आर्थिक योजनाएं साझा करते हैं और उनके संभावित नकारात्मक प्रभावों की सूचना देते हैं।
- ये **कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं को प्रोत्साहन न देकर** सॉफ्ट लॉ मैकेनिज्म अर्थात् **स्वैच्छिक एवं गैर-बाध्यकारी लक्ष्यों को प्रोत्साहन देते हैं।**
  - ये समूह राज्य की नीति, हितों और व्यवहार को आकार देने में कम प्रभावी होते हैं तथा वैश्विक व्यवस्था में नियमों पर आधारित फ्रेमवर्क के अस्तित्व को बाधित कर सकते है।
- ये **देशों को WHO या UNICEF जैसे बहुपक्षीय फ्रेमवर्क में शामिल/ संलग्न होने के लिए हतोत्साहित** कर सकते हैं। यह एक ऐसी संभावना है, जो उनकी प्रासंगिकता को प्रभावित और उनके कार्यक्रमों को बाधित कर सकती है।
- ये उन **देशों पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं, जो वार्ता का हिस्सा नहीं हैं।**
  - विकासशील देशों के लिए उनकी संख्या ही उनकी सौदेबाजी की सबसे बड़ी शक्ति (Bargaining power) है। **लघुपक्षीय समूहों में वे विकसित देशों से प्रभावित हो सकते हैं।**
- नतीजतन, लघुपक्षीय समूह वास्तविक वैश्विक सहयोग प्राप्त करने के लिए बहुपक्षीय समूहों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं, लेकिन **वे कूटनीति, विश्वास-निर्माण और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करके बहुपक्षीय संगठनों के कार्य को पूरा कर सकते हैं।**

3.5.1. भारत, ईरान और आर्मेनिया: एक त्रि-पक्षीय समूह (India, Iran, Armenia Trilateral)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत, ईरान और आर्मेनिया ने **येरेवान** में राजनीतिक विचार-विमर्श का एक दौर आयोजित किया है। साथ ही, ये देश भविष्य की बैठकें भी त्रिपक्षीय प्रारूप में आयोजित करने पर सहमत हुए हैं।

त्रि-पक्षीय समूह का महत्त्व

- **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का कायाकल्प करना:** भारत ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह से जुड़ने के लिए आर्मेनिया से होकर INSTC का विस्तार करने का इच्छुक है। इसके द्वारा हिंद महासागर को **यूरेशिया और फिनलैंड** से भी जोड़ा जाएगा।
- **पाकिस्तान-अजरबैजान-तुर्किये त्रिपक्षीय समूह के प्रतिसंतुलन के रूप में देखना: वर्ष 2021 की बाकू घोषणा में**, पाकिस्तान-अज़रबैजान-तुर्किये ने अपनी-अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की थी। इस घोषणा को निम्नलिखित के लिए प्रत्यक्ष समर्थन की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है:
  - काराबाख़ में अज़रबैजान का अभियान,
  - **जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के दावे, तथा**
  - साइप्रस, एजियन और पूर्वी भूमध्यसागरीय विवादों के संबंध में तुर्की का दृष्टिकोण।

[34] Mutual Assessment Process

- **नागोर्नो-काराबाख:** आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का यह विवादित क्षेत्र भी इन दो अलग-अलग त्रिपक्षों में एक प्रमुख कारक है। दो अलग-अलग त्रिपक्ष हैं- **भारत, ईरान और आर्मेनिया तथा पाकिस्तान-अजरबैजान-तुर्किये।**
  - नागोर्नो-काराबाख को **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है,** किंतु अधिकांश क्षेत्र पर आर्मेनियाई अलगाववादियों का नियंत्रण है।
  - इस **विवाद का समाधान करने** के लिए 1994 में मिन्स्क ग्रुप का गठन किया गया था और इसकी सह-अध्यक्षता **संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और रूस** द्वारा की जाती है।
    - तुर्किये और पाकिस्तान ने परंपरागत रूप से संघर्ष में **अजरबैजान** की सहायता की है, जबकि ईरान व भारत ने **आर्मेनिया** का साथ दिया है।

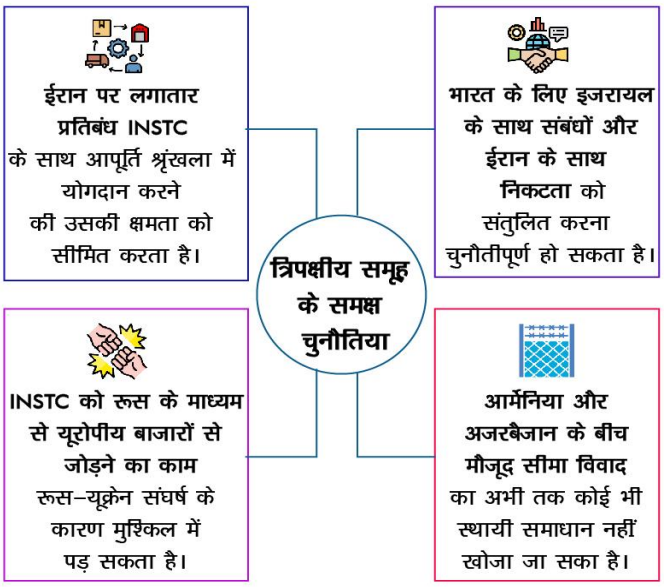

ऐसे बिंदु, जिन पर ये देश एक साथ हैं:

भारत और आर्मेनिया	• दोनों देशों ने वर्ष 2022 में द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने की वर्षगांठ मनाई है। • दोनों देशों ने **अंतर्राष्ट्रीय निकायों के भीतर सक्रिय राजनीतिक संबंधों और प्रभावी सहयोग** के लाभ प्राप्त किए हैं। • **नवीन हस्ताक्षरित एक निर्यात समझौते के तहत,** भारत आर्मेनिया को मिसाइल, रॉकेट और गोला-बारूद जैसे सैन्य हथियार भेजेगा। • भारत के **विदेश मंत्री** ने 2021 में आर्मेनिया की यात्रा की थी। वर्ष 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित किए जाने के बाद यह किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की पहली यात्रा थी। • **भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** पर वर्तमान में वार्ता चल रही है। ○ चूंकि आर्मेनिया EAEU का सदस्य है, इसलिए इस FTA के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
भारत और ईरान	• दोनों देशों के बीच **सदियों से ऐतिहासिक संबंध रहे हैं** और इनके बीच एक साझा सांस्कृतिक विरासत रही है। • **ईरान में चाबहार बंदरगाह** दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी का प्रमुख केंद्र है। • दोनों देश **INSTC समझौते के हस्ताक्षरकर्ता हैं।**
ईरान और आर्मेनिया	• दोनों देश सीमा साझा करते हैं और मजबूत संबंधों से लाभान्वित होते हैं। • दोनों देश अपने व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। • आर्मेनिया **ईरान के लिए EAEU तक पहुँच स्थापित करके एक पारगमन मार्ग** के रूप में कार्य करता है।

निष्कर्ष:

त्रिपक्षीय संदर्भ में, ईरान-भारत-आर्मेनिया समझौता मुख्य रूप से व्यापार पर केंद्रित है। यह विशेष रूप से **फारस की खाड़ी-काला सागर व्यापारिक मार्ग** से भारतीय वस्तुओं को पश्चिम में भेजने में सहयोग करेगा। साथ ही, यह क्षेत्रीय सहयोग विश्व के एशियाई और यूरेशियाई क्षेत्रों को भी मजबूत करेगा।

3.5.2. भारत-जापान-दक्षिण कोरिया त्रिपक्षीय पहल (India-Japan-South Korea trilateral)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विशेषज्ञों का मानना है कि जापान और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों में सुधार के साथ, भारत एक दशक पहले परिकल्पित 'त्रिपक्षीय पहल' को आगे बढ़ाने की संभावना पर पुनर्विचार कर सकता है।

भारत-जापान-दक्षिण कोरिया त्रिपक्षीय पहल की आवश्यकता क्यों?

- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समान अवसर उत्पन्न करने के लिए:** हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता को केवल क्षेत्रीय शक्तियों के सशक्त प्रयासों द्वारा ही रोका जा सकता है।

- **पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध स्थापित करने के लिए:** जापानी निवेश एवं दक्षिण कोरिया की प्रौद्योगिकी द्वारा भारत अपनी विनिर्माण क्षमताओं में सुधार करने की महत्वाकांक्षा को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाने के लिए:** चीन से आयात पर निर्भरता कम करना महत्वपूर्ण है। ये तीनों देश चीन से आयात की आवश्यकता को प्रतिसंतुलित कर सकते हैं।
- **शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए:** शत्रुतापूर्ण पड़ोस इस समूह की एक साझी समस्या है। भारत का अपने पड़ोसी पाकिस्तान से विवाद है। वहीं जापान और दक्षिण कोरिया का अपने पड़ोस में स्थित रूस (कुरील द्वीप), चीन (सेनकाकू द्वीप) तथा उत्तर कोरिया के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर संघर्ष जारी है।
- **चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को कम करने के लिए:** चीन भारत के अरुणाचल और लद्दाख में घुसपैठ कर रहा है। इसके अतिरिक्त, यह येलो सी (पीला सागर) में कोरिया की संप्रभुता और पूर्वी चीन सागर के सेनकाकू द्वीप क्षेत्र में जापान की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है।

त्रिपक्षीय पहल से संबंधित चुनौतियां

- **जापान और दक्षिण कोरिया के बीच ऐतिहासिक रूप से कटु संबंध:** कोरिया पर जापान के औपनिवेशिक शासन ने दोनों देशों के बीच कई मोर्चों पर दरार पैदा की है।
- **रूस के साथ भारत का जुड़ाव:** जापान और दक्षिण कोरिया दोनों के संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध हैं और उन्होंने यूक्रेन पर आक्रामकता के लिए रूस पर प्रतिबंध लगाया है। दूसरी ओर रूस के साथ भारत का गठबंधन इस त्रिपक्षीय पहल में शामिल अन्य दोनों देशों को असहज कर सकता है।
- **मौजूदा व्यापार घाटा:** भारत के संदर्भ में, व्यापार घाटा जापान और दक्षिण कोरिया के पक्ष में है, जबकि भारतीय वस्तुओं को अभी भी इन दोनों देशों में बड़ी संख्या में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- **भाषाई बाधा:** एक साझा भाषा की कमी लोगों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने में बाधा उत्पन्न करती है। साथ ही, तीनों देशों में अंग्रेजी बोलने वाली आबादी का प्रतिशत भी तुलनात्मक रूप से कम है।

आगे की राह

- **G20 और G7 मंचों का उपयोग करना:** वर्तमान में, भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और G7 का अध्यक्ष जापान है। इन मंचों का उपयोग त्रिपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अवसर के रूप में किया जा सकता है।
- **लोगों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करना:** देशों के बीच सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। इसके अलावा, तीनों देशों के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के बीच छात्रों के आदान-प्रदान को और बेहतर किया जा सकता है।
- **भारत की सॉफ्ट पावर का उपयोग करना:** बुद्ध और उनके विचारों का उपयोग इन दोनों देशों को भारत की सॉफ्ट पावर से प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। ध्यातव्य है कि जापान और दक्षिण कोरिया में बड़ी संख्या में बौद्ध आबादी निवास करती है।
- **QUAD में दक्षिण कोरिया को शामिल करना:** QUAD समूह में दक्षिण कोरिया को शामिल करने से चीन के विरुद्ध इस समूह की सीमावर्ती स्थिति मजबूत होगी। इससे चीन के खिलाफ इस त्रिपक्षीय समूह का रुख मजबूत होगा।
- **सैन्य अभ्यासों में सुधार करना:** हालांकि, भारत और जापान के बीच पहले से ही JIMEX, धर्मा गार्जियन, क्वाड जैसे सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। अब त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास के लिए भी ऐसी संभावनाएं तलाशने की आवश्यकता है।

3.5.3. भारत-फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय पहल (India-France-Australia Trilateral)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत-फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया (IFA) त्रिपक्षीय पहल की दूसरी मंत्रिस्तरीय फोकल प्वाइंट बैठक** आयोजित की गई। इस बार की बैठक को 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया गया है।

IFA के बारे में अधिक जानकारी

- **IFA त्रिपक्षीय पहल की शुरुआत फ्रांस द्वारा 2021 में की गई थी।** इस पहल का उद्देश्य **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी नेतृत्व वाली क्षेत्रीय व्यवस्था से स्वतंत्र एक विकल्प तैयार करना** था।
- यह त्रिपक्षीय साझेदारी **समुद्री सुरक्षा, ग्लोबल कॉमन्स, नीली अर्थव्यवस्था और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मानवीय राहत के प्रयासों** पर केंद्रित है।
- वर्ष 2021 के अंत में, **फ्रांस AUKUS में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी का हवाला देते हुए इस गठबंधन से बाहर** हो गया। हालांकि, हाल ही में यह गठबंधन पुनः सक्रिय हो गया है।
- अब, इस त्रिपक्षीय पहल को नेतृत्वकर्ताओं के स्तर तक बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है।

त्रिपक्षीय पहल का महत्त्व

- **राज्यक्षेत्रीय उपस्थिति:** फ्रांस की **हिंद महासागर में रीयूनियन और अन्य द्वीपों पर राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता** है।
  - भारत के सागर/SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा व विकास) विज़न, फ्रांस के हिंद-प्रशांत विज़न और हिंद-प्रशांत में ऑस्ट्रेलिया के सुरक्षा और स्थिरता के रुख के बीच एक स्वाभाविक अनुरूपता है।
- **नीली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन:** इस क्षेत्र के कुल मत्स्यन में **16% से 34% मछलियां अवैध, असूचित और अनियमित (IUU) मत्स्यन के जरिए पकड़ी जाती हैं।** इसे IFA के बीच निरंतर देखरेख, नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था द्वारा कम किया जा सकता है।
- **समान विचारधारा वाले राज्यों का संघ:** तीनों देश **नियम-आधारित व्यवस्था का सम्मान** करते हैं। यह व्यवस्था राष्ट्रों की संप्रभु समानता के साथ-साथ **दबाव और हस्तक्षेप से बचाव की आवश्यकता पर आधारित** है, चाहे यह दबाव हस्तक्षेप राज्यों की ओर से हो या आतंकवाद की ओर से।

त्रिपक्षीय पहल द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

- **ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति झुकाव:** फ्रांस पहले ही एक बार इस त्रिपक्षीय समझौते से बाहर निकल चुका है। इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति झुकाव के कारण फ्रांस अपनी **'अटैक-क्लास'** पनडुब्बी परियोजना में से एक को रद्द भी कर चुका है।
- **क्षेत्र में चीन की उपस्थिति में वृद्धि:** दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में चीन का रणनीतिक रुझान है। यह पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में कई क्षेत्रों पर अपना दावा करता है। इसके अलावा, चीन भारत के साथ अपनी सीमा पर भी प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।

संबंधित सुर्ख़ियां

- हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र (UNGA 77) के दौरान ऑस्ट्रेलिया-भारत-इंडोनेशिया त्रिपक्षीय बैठक** भी संपन्न हुई।
  - त्रिपक्षीय बैठक का उद्देश्य **हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA), हिंद-प्रशांत, G20 और नीली अर्थव्यवस्था के ढांचे के तहत सहयोग को मजबूत** करना है।

- **संसाधनों की कमी:** तीनों देशों में से किसी के पास अपने क्षेत्रीय उद्देश्यों को स्वयं प्राप्त करने के लिए संसाधन नहीं हैं। इसके लिए उन्हें समान विचारधारा वाले भागीदारों और क्षेत्रीय देशों के साथ सहयोग की आवश्यकता होगी।
- **सहयोग के क्षेत्र को व्यापक बनाने की आवश्यकता:** त्रिपक्षीय साझेदारी वर्तमान में केवल समुद्री सुरक्षा, नीली अर्थव्यवस्था और मानवीय राहत प्रयासों पर केंद्रित है।

आगे की राह

- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र का रणनीतिक विभाजन:** जापान-ऑस्ट्रेलिया गठबंधन की व्यवस्था के समान पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र का भी एक रणनीतिक विभाजन किया जाना चाहिए। जापान-ऑस्ट्रेलिया गठबंधन ने हिंद-प्रशांत को दो भागों (पूर्व और पश्चिम प्रशांत) में विभाजित किया हुआ है। इस व्यवस्था के तहत चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए अलग-अलग रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाए गए हैं।
- **भारत द्वारा नेतृत्व किया जाना:** चूंकि, भारत अन्य दो देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखता है, इसलिए इसे फ्रांस के संदेहों को कम करने और सभी के लिए एक साझा मंच स्थापित करने हेतु आगे आना चाहिए।
- संबंधों और सहयोग के क्षेत्रों में तेज गति से सुधार करने के लिए **नेताओं के स्तर के शिखर सम्मेलन पर जोर देना** चाहिए।
- सहयोग के अन्य क्षेत्रों जैसे खुफिया जानकारी साझा करना, समुद्री डोमेन जागरूकता आदि के लिए **सहयोग की संरचनाओं का निर्माण करना चाहिए।**

3.5.4. भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) त्रिपक्षीय {India-Brazil-South Africa (IBSA) Trilateral}

सुर्ख़ियों में क्यों?

ब्राजील ने मार्च 2023 में भारत से IBSA फोरम की अध्यक्षता ग्रहण की। 2023 में, इस समूह के गठन के 20 वर्ष पूरे हो गए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- ब्राजील अपनी अध्यक्षता में IBSA फंड के माध्यम से IBSA के तीन स्तंभों, यथा- राजनीतिक समन्वय, त्रिपक्षीय सहयोग और अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने की योजना बना रहा है।

IBSA के बारे में

- इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका प्रबंधन **दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा** किया जाता है।

- इसका उद्देश्य विकासशील देशों में गरीबी और भुखमरी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मानव विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाना है।
- भारत के लिए IBSA निम्नलिखित अवसर प्रस्तुत करता है:
  - वैश्विक मामलों में मजबूती से अपना पक्ष रखने,
  - मर्कोसुर (MERCOSUR) के साथ व्यापार और वाणिज्य बढ़ाने, और
  - G-4 के माध्यम से ब्राजील के साथ-साथ भारत के UNSC संबंधी सुधार के लिए समर्थन हासिल करने के लिए।

IBSA से जुड़ी चुनौतियां

- **ब्रिक्स का गठन:** 2009 में ब्रिक्स फोरम का गठन किया गया था। इसमें **ये सभी तीन देश** सदस्य हैं, और ब्रिक्स पहले गठित IBSA की तुलना में वर्तमान में अधिक सक्रिय है।
- राष्ट्र प्रमुखों की नियमित आधार पर कोई निर्धारित बैठक नहीं होती है। शुरुआत से केवल 5 बार ही बैठकें हुई हैं और 2011 के बाद से कोई बैठक नहीं हुई है।
- **सुरक्षा संबंधी मिश्रित चिंताएं:** IBSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक 2021 में आरंभ होने के बाद अभी तक नहीं हुई है।
- **व्यापार वार्ता:** तीन महाद्वीपों की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने के लिए भारत-मर्कोसुर-SACU के बीच प्रस्तावित FTA अभी तक संपन्न नहीं हुआ है।

निष्कर्ष

नियमित बैठकों और सामूहिक रूप से काम करने से, एक मंच के रूप में IBSA वैश्विक भू-राजनीति में विकासशील दुनिया के लिए बेहतर हिस्सेदारी को सुनिश्चित कर सकता है। इस प्रक्रिया में, यह तीन IBSA देशों के बीच लोगों को आपस में बेहतर ढंग से जोड़ने में सहायता करेगा।

3.6. उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organization: NATO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान मैड्रिड (स्पेन) में नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।

NATO के बारे में

- नाटो का **गठन** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद **वर्ष 1949 में** किया गया था। **इसका गठन** यूरोप में सोवियत विस्तार के खतरे को रोकने के लिए किया गया था।
- **उद्देश्य:** यह संगठन **सामूहिक सुरक्षा गठबंधन के रूप में कार्य** करता है। इसका उद्देश्य सैनिक और राजनीतिक साधनों के माध्यम से पारस्परिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसका अर्थ है कि यदि किसी सदस्य राष्ट्र को किसी बाहरी देश द्वारा धमकाया जाता है या उस पर हमला किया जाता है तो वह हमला सभी सदस्य देशों पर माना जाएगा। (नाटो चार्टर का **अनुच्छेद 5**)।
  - वर्ष 2001 में 9/11 के हमलों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अनुच्छेद 5 को एक बार लागू किया गया है।
- **सदस्य:** युक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस आदि सहित इसके 12 संस्थापक सदस्य हैं तथा **वर्तमान में नाटो के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या 31 हो गई है।**
  - नाटो की **ओपन डोर पॉलिसी** (चार्टर का अनुच्छेद 10) ऐसे किसी भी यूरोपीय देश को शामिल होने की अनुमति देती है जो "उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा" में वृद्धि और योगदान कर सकता है।

संबंधित सुर्ख़ियां

संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ़ रेप्रेज़ेंटेटिव की एक समिति (चीनी साम्यवादी दल पर चयन समिति) ने भारत को नाटो (NATO) प्लस का हिस्सा बनाने की सिफारिश की है।

- **नाटो प्लस-5, नाटो देशों और पांच साझेदार देशों** को एक मंच पर लाने वाला एक सुरक्षा गठबंधन है। ये पांच साझेदार देश हैं: **ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजरायल और साउथ कोरिया।** नाटो प्लस 5 का उद्देश्य **वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ावा** देना है।
- **इस सिफारिश का महत्त्व:**
  - **संयुक्त राज्य अमेरिका** के लिए इस कदम का अर्थ **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के साथ सामरिक प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करना और ताइवान की सुरक्षा सुनिश्चित** करना होगा।
  - **भारत के लिए नाटो प्लस-5 में शामिल होने का अर्थ होगा** कि नाटो गठबंधन देशों और भारत के बीच **निरंतर खुफिया जानकारी साझा** हो सकेगी।

- **प्रमुख गैर-नाटो सहयोगियों की स्थिति:** यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उन नजदीकी सहयोगी देशों के लिए दिया गया एक नाम है जिनके यू.एस. सशस्त्र बलों के साथ रणनीतिक संबंध हैं लेकिन वे नाटो के सदस्य नहीं हैं।
    - **संयुक्त राज्य अमेरिका** ने जापान, दक्षिण कोरिया, इजरायल आदि सहित **30 अन्य देशों को** प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया है।
    - यह दर्जा **विभिन्न प्रकार के सैन्य और वित्तीय लाभ प्रदान करता है** जो अन्यथा गैर-नाटो देशों द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं।

नाटो से संबंधित मुद्दे

- **सदस्यों के बीच संघर्ष और मतभेद:** आतंकवाद, रूस और यूरोपीय सुरक्षा के बारे में नाटो नेतृत्वकर्ताओं के दृष्टिकोण मौलिक रूप से अलग हैं।
    - नाटो के सदस्य देशों के बीच संघर्ष बढ़ गए हैं, उदाहरण के लिए- ग्रीस और तुर्की के बीच संघर्ष।
- **स्पष्ट रूप से परिभाषित मिशन का अभाव।**
- यह गठबंधन तकनीकी रूप से एडवांस, सैन्य रूप से सक्षम और राजनीतिक रूप से आक्रामक होते रूस के साथ **रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में अपनी बढ़त खोता जा रहा है।**

समकालीन समय में नाटो की प्रासंगिकता

- **तेजी से बदलते सुरक्षा परिवेश से निपटने हेतु:** नाटो ने यूक्रेन के खिलाफ **रूस की आक्रामकता की निंदा की है** । नाटो ने **यूक्रेन की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को** अपना अटूट समर्थन प्रदान किया है।
    - नाटो सहयोगियों और भागीदार देशों ने लगभग 20 वर्षों तक **अफगानिस्तान में सैन्य बलों को तैनात रखा था।** इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अफगानिस्तान पुनः अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह न बन सके।
    - नाटो **इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है।** साथ ही, यह ISIS को हराने के लिए वैश्विक गठबंधन को सहायता भी प्रदान करता है।
    - यह विश्व का **सबसे लंबे समय तक बना रहने वाला अंतर-सरकारी सुरक्षा संगठन है** और समय के साथ इसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- **कोविड के प्रति अनुक्रिया:** नाटो ने निम्नलिखित के माध्यम से कोविड-19 संकट का सामना करने में भूमिका निभाई है:
    - सैन्य कर्मियों की रक्षा करके,
    - महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति के लिए वायु परिवहन की सुविधा प्रदान करके
    - अभिनव प्रतिक्रियाएं देने के लिए संसाधनों का उपयोग करके।
- **नाटो का पूर्व की ओर विस्तार:** हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन में लिए गए प्रमुख निर्णय यूरोप से लेकर एशिया-प्रशांत तक पूर्व की तरफ नाटो के विस्तार की ओर इशारा करते हैं। यह **एशियाई क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता स्थापित करने में नाटो की आगामी भूमिका की ओर संकेत करता है।**

नाटो चीन पर ध्यान केंद्रित क्यों कर रहा है?

हाल ही में, नाटो ने चीन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और इसे अपनी **"सामूहिक रक्षा"** के लिए उचित ठहराया है। नाटो के अनुसार इसका कारण यूरोपीय हितों पर चीन का अतिक्रमण है, जैसे:

- **प्रमुख बंदरगाह, जैसे ग्रीस का पीरियस बंदरगाह (Port of Piraeus)** अब चीनी कंपनियों के पास हैं। **ग्रीस में स्थित पीरियस बंदरगाह यूरोप के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है।**
- **अटलांटिक महासागर क्षेत्र में चीनी नौसैनिक गश्त में वृद्धि।**
- **आर्कटिक सागर में चीन की बढ़ती दिलचस्पी।**
- चीनी सरकार द्वारा पश्चिमी वाणिज्यिक और सैन्य ठिकानों पर **व्यापक साइबर हमले।**
- रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग, अर्थात् दक्षिण चीन सागर के संसाधन-समृद्ध जल पर **चीन द्वारा स्वामित्व का दावा।**

- नाटो के दस्तावेज में पहली बार चीन का नाम आया है।
- **नाटो शिखर सम्मेलन में** पहली बार चार इंडो-पैसिफिक देश, अर्थात् **ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और द रिपब्लिक ऑफ कोरिया शामिल हुए।** इन राष्ट्रों का सम्मेलन में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य सहयोग को अधिक मजबूत करना और वैश्विक चुनौतियों से निपटना है।

3.7. शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation: SCO)

शंघाई सहयोग संगठन (SCO): एक नज़र में

यह वर्ष 2001 में स्थापित एक स्थायी अंतर–सरकारी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य परस्पर विश्वास को सुदृढ़ करना और सहयोग को बढ़ावा देना, क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता सुनिश्चित करना और एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना है।

- यह **यूरेशियाई क्षेत्र के लगभग 60 प्रतिशत** हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह **वैश्विक आबादी के लगभग 42 प्रतिशत** हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
- **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी लगभग 20 प्रतिशत** है।
- इसे **नाटो को संतुलित करने वाली शक्ति माना गया है।**

भारत के संदर्भ में SCO की प्रासंगिकता

- यह **भारत की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति' को आगे बढ़ाने** और एक उपयुक्त यूरेशियाई रणनीति तैयार करने हेतु एक संभावित मंच हो सकता है।
- **क्षेत्रीय आतंकवाद को नियंत्रित करना:** SCO की रक्षा–केंद्रित संरचनाओं और क्षेत्रीय आतंकवाद–रोधी संरचना (RATS) के माध्यम से किए गए प्रयासों ने क्षेत्रीय आतंकवाद को रोकने में काफी सफलता हासिल की है।
- **अफगानिस्तान का मुद्दा:** SCO के सदस्य देशों ने आतंकवाद, युद्ध और ड्रग्स से मुक्त एक स्वतंत्र देश के रूप में अफगानिस्तान के निर्माण हेतु अपना समर्थन व्यक्त किया है। इससे अंततः भारत को लाभ होगा।
- **राजनीतिक:** SCO के वार्षिक शिखर सम्मेलन, भारत को क्षेत्रीय देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को नवीनीकृत करने का अवसर प्रदान करते हैं।
- **आर्थिक: लौह–अयस्क, कोयला, तेल, गैस, यूरेनियम** जैसे खनिजों के मामले में मध्य एशियाई गणराज्य (CAR) अत्यंत समृद्ध हैं। SCO के अधीन नेताओं और भारत–मध्य एशियाई व्यापार परिषद की लगातार बैठकों से आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- **ऊर्जा सहयोग:** SCO यूरेशिया में भारत की पहुंच को सुगम बना सकता है और तुर्कमेनिस्तान–अफगानिस्तान–पाकिस्तान–भारत (तापी/ TAPI) परियोजना को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है।

SCO में भारत के समक्ष चुनौतियां

- **चीन का प्रभुत्व:** भारत को छोड़कर, सभी सदस्यों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का समर्थन किया है।
- **यूरेशिया की उभरती भू–राजनीति:** इसमें महाशक्तियों के मध्य प्रतिद्वंदिता का स्थानान्तरण, भू–सामरिक और भू–आर्थिक सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा की भावना और मध्य एशियाई देशों द्वारा अपने हितों को बनाए रखने के लिए अधिक रणनीतिक प्रयास शामिल हैं।
- **भारत–पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता।**
- **रूस–पाकिस्तान–चीन धुरी:** रूस एवं चीन तथा चीन एवं पाकिस्तान के मध्य बढ़ते संबंध भारत के समक्ष बाधाएं पैदा कर सकते हैं। विशेष रूप से यह SCO में भारत के हितों की पूर्ति पर रणनीतिक स्तर पर असर डालेगा।
- **आतंकवाद के खिलाफ कमजोर लड़ाई:** अभी तक SCO ने अफगानिस्तान–पाकिस्तान क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के खतरे के विरुद्ध कोई स्पष्ट उपाय नहीं किया है।
- तालिबान से निपटने के लिए **एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव।**

भारत के लिए आगे की राह

- **रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखना:** समूह में अन्य सदस्यों के प्रभुत्व के विरुद्ध भारत को अपना स्वतंत्र मत बरकरार रखना चाहिए।
- **कनेक्टिविटी परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना:** चाबहार बंदरगाह और अश्गाबात समझौते का उपयोग यूरेशिया में एक मजबूत उपस्थिति के लिए किया जाना चाहिए।
- **चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार करना:** यह आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा व क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा।
- **मध्य एशियाई क्षेत्र (CAR) में रचनात्मक भूमिका:** भारत मध्य एशिया में युवाओं के कट्टरपंथ को खत्म करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। साथ ही, यह अपने सॉफ्ट पावर से लाभ उठा सकता है।
- SCO सदस्यों के साथ आपसी समझ और विश्वास को गहरा करने के लिए **पीपल–टू–पीपल संपर्क को मजबूत** करना और **शैक्षिक सहयोग को बेहतर** बनाना।

SCO के साथ भारत की भागीदारी क्षेत्रीय सहयोग, आपसी समझ और साझा चुनौतियों से निपटने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

3.7.1. शंघाई सहयोग संगठन की बैठक (SCO Meeting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **SCO के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद (HSC)**[35] का 22वां सम्मेलन **उज्बेकिस्तान के समरकंद** शहर में संपन्न हुआ है।

सम्मेलन के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- इसमें **समरकंद घोषणा-पत्र (Samarkand Declaration)** को अपनाया गया।
- **SCO की अध्यक्षता भारत को सौंप दी गई।** SCO के वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी।

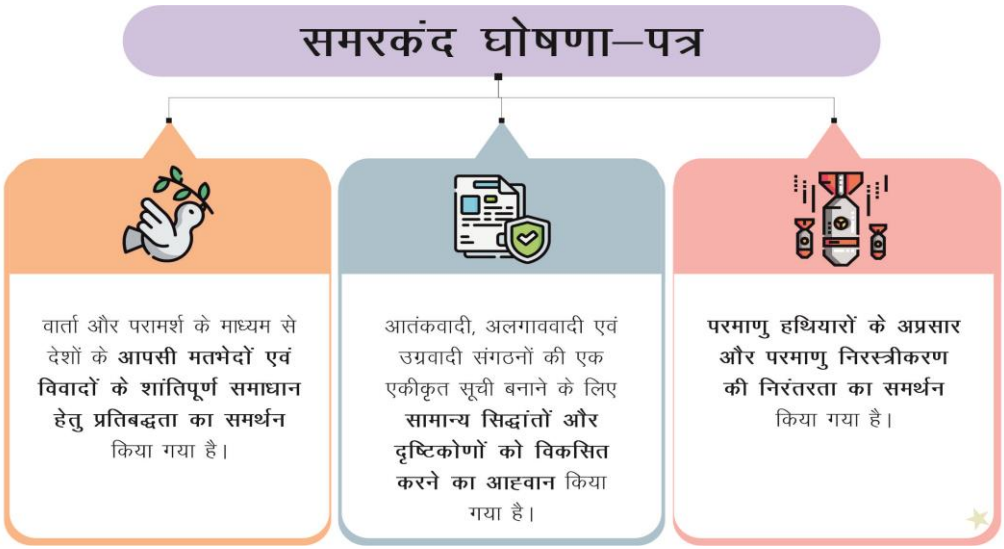

- इस सम्मेलन में **वाराणसी को वर्ष 2022-2023 के लिए SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित** किया गया है। इसका उद्देश्य इस संगठन के सदस्य देशों की समृद्ध विरासत और पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना है।
- **ईरान को संगठन के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है।**
- **शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका:**
  - **खाद्य सुरक्षा:** भारत ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने की पहल और खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान पर जोर दिया है।
  - **पारंपरिक औषधियां:** भारत पारंपरिक औषधियों पर SCO के एक नए कार्यदल के गठन हेतु पहल करेगा।

[35] Heads of State Council

3.8. क्वाड QUAD)

क्वाड (QUAD): एक नज़र में

क्वाड भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। इसका उद्देश्य **नियम–आधारित वैश्विक व्यवस्था, नौवहन की स्वतंत्रता और एक उदार व्यापार प्रणाली** को बनाए रखना है।

यह दुनिया की **एक चौथाई आबादी** का प्रतिनिधित्व करता है।

इस समूह का **कुल GDP 30 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।**

2018 में, चारों सदस्य देशों के बीच कुल 440 बिलियन डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ।

भारत के लिए क्वाड का महत्त्व

- **चीन के प्रभाव को संतुलित करना:** भारत, चीन की पहलों का विकल्प तलाशने के लिए क्वाड भागीदारों के साथ मिलकर काम कर सकता है।
- **हिंद–प्रशांत का बढ़ता महत्त्व:** QUAD, भारत को पूर्वी एशिया के हितों, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है।
- **उभरती विदेश नीति संबंधी रणनीति:** औपचारिक गठबंधन बनाए बिना या क्वाड के बाहर के देशों के साथ अपने संबंधों को प्रभावित किए बिना समान विचारधारा वाले देशों के साथ जुड़ना संभव है।
- **भारत की रक्षा क्षमताओं में सहयोगी:** क्वाड भारत को वित्त, प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्र संबंधी बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है।
- **उभरते खतरों पर अतिरिक्त सहयोग:** राष्ट्र–राज्य समर्थित संस्थानों, विशेष रूप से चीन की ओर से लगातार होने वाले साइबर हमलों के मामले में।

भारत और क्वाड के समक्ष चुनौतियां

- **इससे भारत के अन्य द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय संबंधों जैसे भारत–चीन और भारत–रूस संबंधों पर प्रभाव** पड़ा है तथा BRICS एवं शंघाई सहयोग संगठन के विकास में प्रगति भी बाधित हुई है।
- समूह का उद्देश्य अस्पष्ट है और इसे **चीन विरोधी गठबंधन** के रूप में देखा जाता है।
- **महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं:** भारत ओसाका ट्रैक का हिस्सा नहीं है, जबकि क्वाड के अन्य देश इसमें सहभागी हैं।
- **अमेरिका से विरोधाभासी संकेत:** क्वाड के अलावा, अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और यू.के. के साथ एक नई त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी **ऑकस** (AUKUS) की घोषणा गई है।
- **चीन का प्रभाव:** चीन के क्वाड सदस्यों, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत आर्थिक संबंध हैं।

क्वाड के लिए आगे की राह

- **सामूहिक कार्रवाई:** सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्वाड देशों को सामूहिक सुरक्षा पर काम करना होगा।
- **स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता:** क्वाड देशों को एक व्यापक फ्रेमवर्क के तहत इंडो–पैसिफिक विजन को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इससे तटीय देश भी आश्वस्त होंगे कि क्वाड की उपस्थिति से क्षेत्र को लाभ होगा।
- **क्वाड का विस्तार:** भारत इंडो–पैसिफिक क्षेत्र से सिंगापुर और थाईलैंड आदि देशों को समूह में आमंत्रित कर सकता है।
- **समुद्री सिद्धांत की आवश्यकता:** भारत को वर्तमान और भविष्य की समुद्री चुनौतियों पर विचार करने के लिए इंडो–पैसिफिक पर एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए।

रणनीतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, चारों देशों को अपने आर्थिक और सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए चरणबद्ध उपाय करने चाहिए, जो बीजिंग की ओर से प्रतिक्रिया को प्रेरित न करे। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर विश्वसनीय रूप से एक साथ कार्य करने की क्षमता भी विकसित करनी चाहिए।

3.8.1. क्वाड शिखर सम्मेलन (QUAD Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर 'क्वाड शिखर सम्मेलन, 2023' आयोजित किया गया।

शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **'क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप प्रोग्राम':** यह प्रोग्राम क्षेत्र के नीति निर्माताओं एवं इस कार्य से जुड़े लोगों को अपने देशों में संधारणीय एवं व्यावहारिक अवसंरचना के डिजाइन, निर्माण और प्रबंधन में समर्थन प्रदान करेगा।

- **केबल कनेक्टिविटी एवं लचीलेपन के लिए साझेदारी:** यह साझेदारी समुद्र के नीचे बिछने वाले केबलों के डिजाइन, निर्माण, उन्हें बिछाने की तकनीक एवं रख-रखाव में क्वाड की सामूहिक विशेषज्ञता का लाभ प्रदान करेगी।
- प्रशांत महासागर क्षेत्र में अवस्थित पलाऊ में पहले **छोटे पैमाने पर ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क (ORAN) की तैनाती** के लिए क्वाड देशों ने सहमति व्यक्त की है।
- **भारत 2024 में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।**

3.9. पूर्वी आर्थिक मंच (Eastern Economic Forum: EEF)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने **7वीं पूर्वी आर्थिक मंच (EEF) की बैठक में आभासी रूप से भाग** लिया। इसका आयोजन **रूस द्वारा व्लादिवोस्तोक** में किया गया था।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्ष 2022 में **व्लादिवोस्तोक में भारत के वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई थी।**

पूर्वी आर्थिक मंच (EEF) के बारे में

- EEF की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। इसे **रूस के सुदूर पूर्व (RFE)[36] क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित** किया गया था।
- EEF इस क्षेत्र में **आर्थिक क्षमता, उपयुक्त व्यावसायिक परिस्थितियों और निवेश के अवसरों** को प्रदर्शित करता है। फोरम का उद्देश्य **रूस के सुदूर पूर्व (RFE) क्षेत्र को एशिया प्रशांत क्षेत्र से जोड़ना है।**
- वर्ष 2022 तक इस क्षेत्र में **लगभग 2,729 निवेश परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है।**
- यह समझौता **अवसंरचना, परिवहन, खनिज उत्खनन, निर्माण, उद्योग और कृषि पर केंद्रित हैं।**
- **रूस के सुदूर पूर्व (RFE) क्षेत्र के बारे में:**
  - फार ईस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट (FEFD) **रूस का सबसे पूर्वी भाग** है। यह क्षेत्र **प्रशांत और आर्कटिक महासागर तथा पांच देशों** (चीन, जापान, मंगोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर कोरिया) **के साथ सीमाएं साझा करता है।**
  - यह क्षेत्र **रूस के राज्य क्षेत्र के 1/3 भाग** को कवर करता है। यह क्षेत्र **प्राकृतिक संसाधनों** जैसे कि- मछली, तेल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, हीरे, कोयला और अन्य खनिजों **से समृद्ध है।**
  - रूसी सरकार ने इस क्षेत्र का विकास रूस को एशियाई व्यापारिक मार्गों से जोड़ने के रणनीतिक उद्देश्य से किया है।

RFE क्षेत्र में प्रमुख भागीदार और उनके हित

- **चीन:** यह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा निवेशक है। कुल निवेश में चीन की हिस्सेदारी 90% है।
  - यह RFE क्षेत्र में अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और **ध्रुवीय समुद्री मार्ग (Polar Sea Route)** को बढ़ावा दे रहा है।
  - यह RFE क्षेत्र से संलग्न **अपने हेइलोंगजियांग प्रांत को भी विकसित करना** चाहता है।
  - चीन कई परियोजनाओं में रूस के साथ सहयोग कर रहा है। इनमें शामिल हैं:

[36] Russia's Far East

- ब्लागोवेस्चेन्स्क (Blagoveshchensk) और हेइहे (Heihe) शहरों को जोड़ने की परियोजना,
- **प्राकृतिक गैस** की आपूर्ति हेतु परियोजना, तथा
- निज़नेलिनिनस्कॉय (Nizhneleninskoye) और तोंगजियांग (Tong Jiang) शहरों को जोड़ने वाले एक **रेलवे पुल** के निर्माण की परियोजना।

- **साउथ कोरिया:** साउथ कोरिया ने जहाज निर्माण परियोजनाओं, बिजली के उपकरणों के निर्माण, गैस-द्रवीकरण संयंत्रों आदि में निवेश किया है।
- **जापान:** यह **RFE क्षेत्र को अपनी कृषि-प्रौद्योगिकियों के लिए बाजार के रूप में** भी देखता है।

RFE में भारत के लिए अवसर और हित

- इससे व्यापार, अर्थव्यवस्था और निवेश में सहयोग को मजबूत करके **भारत व रूस के बीच रणनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।**
  - भारत की **'एक्ट फार-ईस्ट' नीति** भारत एवं रूस की 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' का एक प्रमुख स्तंभ बन गई है।
- **भारत के इंडो-पैसिफिक विज़न के पूरक के रूप में:** भारत का रूस के साथ प्रस्तावित समुद्री मार्ग दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है। इसके कारण एक्ट फार ईस्ट नीति भी भारत को दक्षिण चीन सागर के संबंध में अधिक सोच-समझकर रुख अपनाने में मदद करती है।
- **भारतीयों के लिए रोजगार और निवेश के अवसर:** भारतीय पेशेवर जैसे इंजीनियर और शिक्षक इस क्षेत्र के विकास में मदद कर सकते हैं।
- **संसाधन संपन्न क्षेत्र:** इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि संसाधन उपलब्ध हैं। ये दोनों संसाधन भारत की आर्थिक संवृद्धि को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। यह भारत को मध्य पूर्व में उतार-चढ़ाव वाली स्थिति के दौर में **ऊर्जा आपूर्ति का एक वैकल्पिक स्रोत** भी प्रदान करता है।
- **कनेक्टिविटी: चेन्नई बंदरगाह** को रूस के सुदूर पूर्व के सबसे बड़े शहर **व्लादिवोस्तोक से जोड़ने** की योजना बनाई गई है। यह योजना भारत और रूस दोनों को **स्वेज नहर के संदर्भ में एक वैकल्पिक समुद्री मार्ग प्रदान करेगी।**

RFE क्षेत्र में भारत की पहलें

- **भारत के नीति आयोग तथा रूस के मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ रस्सियन फार ईस्ट एंड आर्कटिक के बीच भी सहयोग** किया जा रहा है। ये दोनों वर्ष 2020 और वर्ष 2025 के बीच आर्कटिक तथा रूस के सुदूर पूर्व को विकसित करने की योजना पर कार्य कर रहे हैं।
- **भारत ने** इस क्षेत्र में अवसंरचना को विकसित करने के लिए **1 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की पेशकश की है।**
- **तेल और प्राकृतिक गैस निगम** ने इस क्षेत्र में **सखालिन-1 परियोजना** में हिस्सेदारी खरीदी है।
- **भारत, जापान और रूस ने संयुक्त सुदूर पूर्व परियोजनाओं के संबंध में अपनी पहली ट्रैक II** वार्ता संपन्न की है।

भारत के लिए आगे की राह

- सुदूर पूर्व क्षेत्र में लाभ उठाने और अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए **भारत को अपनी सॉफ्ट पावर क्षमता का उपयोग करना चाहिए।**
- **श्रम प्रवास:** इस पहल का कार्यान्वयन सुदूर पूर्व क्षेत्र में भारत की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
- भारत को सुदूर पूर्व में भागीदारी से वाणिज्यिक लाभ भी प्राप्त करने चाहिए। इस क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने हेतु **अवसंरचना परियोजनाओं** जैसे- चाबहार बंदरगाह परियोजना **में निवेश की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए।**
- **अन्य क्षेत्रों में संभावनाओं का पता लगाना:** भविष्य में इमारती लकड़ी, पर्यटन, स्वास्थ्य देखभाल और फार्मास्यूटिकल्स में सहयोग की अनेक संभावनाएं मौजूद हैं।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संतुलन:** रूस हिंद-प्रशांत और क्वाड का एक नियंत्रण रणनीति के रूप में विरोध करता है। रूस के इस विरोध को समाप्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत की 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' (सागर/SAGAR) पहल के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण रूसी भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

3.9.1. भारत की आर्कटिक नीति (India in Arctic)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नॉर्वे ने रूस से 2025 तक के लिए आठ सदस्यीय आर्कटिक परिषद की अध्यक्षता** का कार्यभार संभाला है।

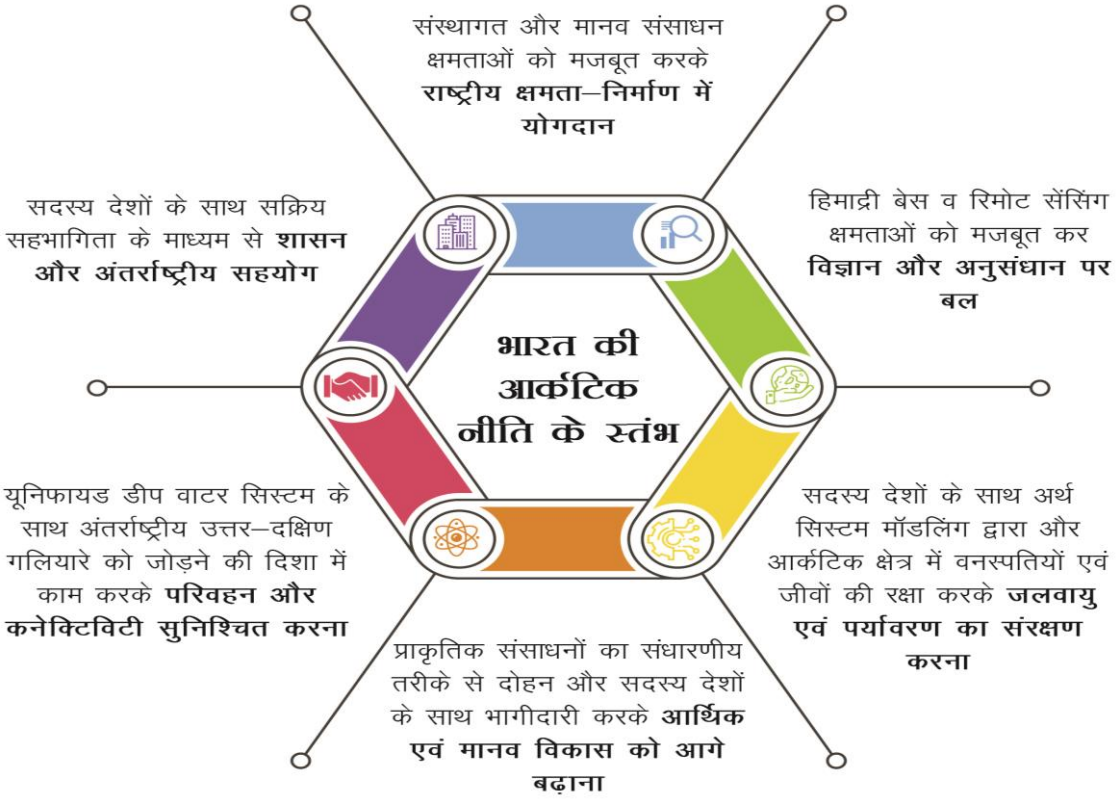

आर्कटिक परिषद के बारे में

- इसकी **स्थापना 1996 में आठ आर्कटिक देशों द्वारा ओटावा घोषणा** के माध्यम से की गई थी। ये देश हैं- **कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका।**
- **भारत को 2024 तक आर्कटिक परिषद के पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल है।**

आर्कटिक परिषद की वर्तमान स्थिति

- **यूक्रेन पर रूस की आक्रामकता के विरोध में आर्कटिक परिषद** के अन्य सात सदस्यों ने मार्च 2022 में **परिषद की सभी गतिविधियों में भागीदारी को निलंबित करने की घोषणा की थी।**
- जून 2022 में, परिषद ने उन क्षेत्रों में सीमित पैमाने पर गतिविधियों को फिर से शुरू किया है, जिनमें रूसी भागीदारी नहीं है। हालांकि, **सभी नई परियोजनाएं एवं पहलें रुकी हुई हैं।**
  - वर्ष 2014 में, रूस ने एक **नया आर्कटिक कमांड** गठित किया था। इसके तहत रूस ने आर्कटिक में हवाई क्षेत्रों और गहरे जल के बंदरगाहों सहित सैकड़ों नए एवं पूर्व सोवियत काल के सभी आर्कटिक सैन्य अड्डों को पुनः खोल दिया है।

- भारत **वर्तमान में आर्कटिक परिषद में एक पर्यवेक्षक सदस्य** के रूप में शामिल है। हाल ही में, केंद्र सरकार ने भारत के आर्कटिक नीति दस्तावेज का अनावरण किया है।

आर्कटिक क्षेत्र में भारत की भागीदारी का महत्त्व:

- **कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा:** उत्तरी समुद्री मार्ग (जो उत्तरी अटलांटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ता है) लघु ध्रुवीय वृत्तखंड के माध्यम से यूरोप को एशिया से जोड़ेगा। यह अलग-अलग स्तरों पर भारत की मदद कर सकता है।
- **भू-राजनीतिक नेटवर्क का निर्माण होगा:** भारत बहु-विषयक क्षेत्रों में परिषद के सदस्यों के साथ जुड़कर भू-राजनीतिक नेटवर्क का निर्माण करेगा।
- **मौजूद संसाधनों का उपयोग: आर्कटिक सागर में विश्व के तेल का लगभग 13% और प्राकृतिक गैस का लगभग 30% होने का अनुमान** है। साथ ही, यहां पर दुर्लभ भू तत्त्वों के विशाल भंडार भी मौजूद हैं।
- **भारतीय मानसून को समझना:** भारतीय वैज्ञानिकों के लिए आर्कटिक क्षेत्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है, **क्योंकि यह क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के पैटर्न को प्रभावित** करता है।
- **हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने के कारणों को समझना:** आर्कटिक ग्लेशियरों के पिघलने के कारणों पर शोध से भारतीय वैज्ञानिकों को हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने के कारणों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है।

आर्कटिक में भारत की भागीदारी से संबंधित चुनौतियाँ:

- **परिषद की निष्क्रिय प्रकृति:** परिषद की वर्तमान निष्क्रिय प्रकृति ने इस क्षेत्र में **भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा चलाए जा रहे विविध अध्ययनों और अनुसंधानों को बाधित** कर दिया है।
- **परिषद में पर्यवेक्षकों की सीमित भूमिका: परिषद की निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यवेक्षक देशों की कोई भूमिका नहीं होती है।** यह दर्जा केवल 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है।
- **चीन की महत्वाकांक्षाएँ:** चीन इस क्षेत्र में अपने **ध्रुवीय रेशम मार्ग (Polar Silk Road)** को स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इस क्षेत्र में तेजी से पिघल रही बर्फ उसकी महत्वाकांक्षाओं में सहायता कर रही है।
  - चीन ने 2018 में स्वयं को **'निकटवर्ती-आर्कटिक देश'** घोषित कर दिया था। ऐसा उसने आर्कटिक क्षेत्र के तेल, गैस, खनिज आदि के दोहन के लिए **शिपिंग, अनुसंधान और अन्वेषण परियोजनाओं** संबंधी अपने हितों को पूरा करने के लिए किया है।
- **चीन के प्रति रूस की बढ़ती संबद्धता:** परिषद के अन्य सदस्यों द्वारा दरकिनार किए जाने के बाद, रूस इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अलग-अलग मोर्चों पर चीन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है।
- **मौजूदा क्षेत्रीय विवाद:** आर्कटिक क्षेत्र पहले से ही विविध क्षेत्रीय विवादों से घिरा हुआ है और आर्कटिक परिषद में मौजूद विभाजन इस क्षेत्र में खनिजों की खोज जैसी गतिविधियों को और अधिक जटिल बना देगा।

आगे की राह

- **पर्यवेक्षक देशों के बीच आम सहमति बनाना:** परिषद के **13 पर्यवेक्षक देश** सामूहिक रूप से संलग्न होकर **इस क्षेत्र में निर्बाध अनुसंधान और अन्वेषण की गारंटी दे सकते हैं।**
- **विभाजन के बीच रुख को संतुलित करना:** रूस सक्रिय रूप से भारत को अपने आर्कटिक तेल का निर्यात कर रहा है। **समूह के अन्य सात सदस्यों के साथ एक संतुलित रुख** भारत के भू-राजनीतिक हितों के लिए **आवश्यक है।**
- **चीन के प्रभाव को निष्क्रिय रूप से कम करना:** चीन, आर्कटिक परिषद में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल है। चीन के बढ़ते प्रभाव को कूटनीतिक प्रयासों से रोकने की आवश्यकता है।
- **आंतरिक तंत्र को सुव्यवस्थित करना: विदेश मंत्रालय के मौजूदा चार प्रभागों की बजाय** सरकार द्वारा एक **एकल आर्कटिक कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति** की जानी चाहिए। इससे इस क्षेत्र में आने वाली समस्याओं से आसानी से निपटा जा सकेगा।

आर्कटिक: एक ग्लोबल कॉमन

- पृथ्वी पर ऐसे क्षेत्रों और प्राकृतिक संसाधनों को ग्लोबल कॉमन्स कहा जाता है, जो सभी लोगों, देशों या संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा साझा किए जाते हैं। ये संसाधन किसी एक राष्ट्र के विशेष नियंत्रण में नहीं होते हैं, बल्कि वैश्विक समुदाय द्वारा सामूहिक शासन और प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
- **खुले समुद्र, गहरे समुद्र नितल, बाह्य अंतरिक्ष, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों को ग्लोबल कॉमन्स के रूप में देखा जा सकता है।**
- वर्तमान समझ के अनुसार, **आर्कटिक क्षेत्र के मध्य भाग को खुला सागर माना जाता है।** इस प्रकार यह एक ग्लोबल कॉमन है।

आर्कटिक को ग्लोबल कॉमन माने जाने के पीछे तर्क:

- विशेषज्ञों का मानना है कि 2017 में, **आर्कटिक फाइव तथा मत्स्य उद्योग के अग्रणी देशों/अधिकार-क्षेत्रों (यूरोपीय संघ, चीन, आइसलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया) ने आर्कटिक के खुले समुद्र में 16 वर्षों के लिए वाणिज्यिक मत्स्यन पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते** पर हस्ताक्षर किए थे।
- यूरोपीय संघ और चीन जैसे देशों के साथ वार्ता से पता चलता है कि आर्कटिक फाइव देश यह मानते हैं कि उनके पास यह निर्धारित करने का एकमात्र अधिकार नहीं है कि मध्य आर्कटिक महासागर में क्या होना है।

आर्कटिक क्षेत्र के गवर्नेंस में मुख्य चुनौतियां

- **जलमार्ग:** आर्कटिक की बर्फ पिघलने पर क्रमानुसार तीन मार्ग खोले जाने की संभावना है (मानचित्र देखें)।
- **सैन्यीकरण:** विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग एवं संसाधनों की स्पर्धा आर्कटिक में संघर्ष का कारण बन सकती है। इस क्षेत्र में पहले से ही अमेरिका, रूस, कनाडा जैसे देशों की सैन्य उपस्थिति दर्ज की गई है।

आगे की राह

संसाधनों के निष्कर्षण से पहले, **पृथ्वी के एल्बीडो के लिए आर्कटिक बर्फ को संरक्षित करना आवश्यक है।** आर्कटिक समुद्री बर्फ ग्रह के शीर्ष पर एक विशाल सफेद परावर्तक के रूप में कार्य करती है, जो सूर्य की कुछ किरणों को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करती है। इससे पृथ्वी पर एक समान तापमान बनाए रखने में मदद मिलती है। इस प्रकार **आर्कटिक क्षेत्र का विनियमन बहुत महत्वपूर्ण है।**

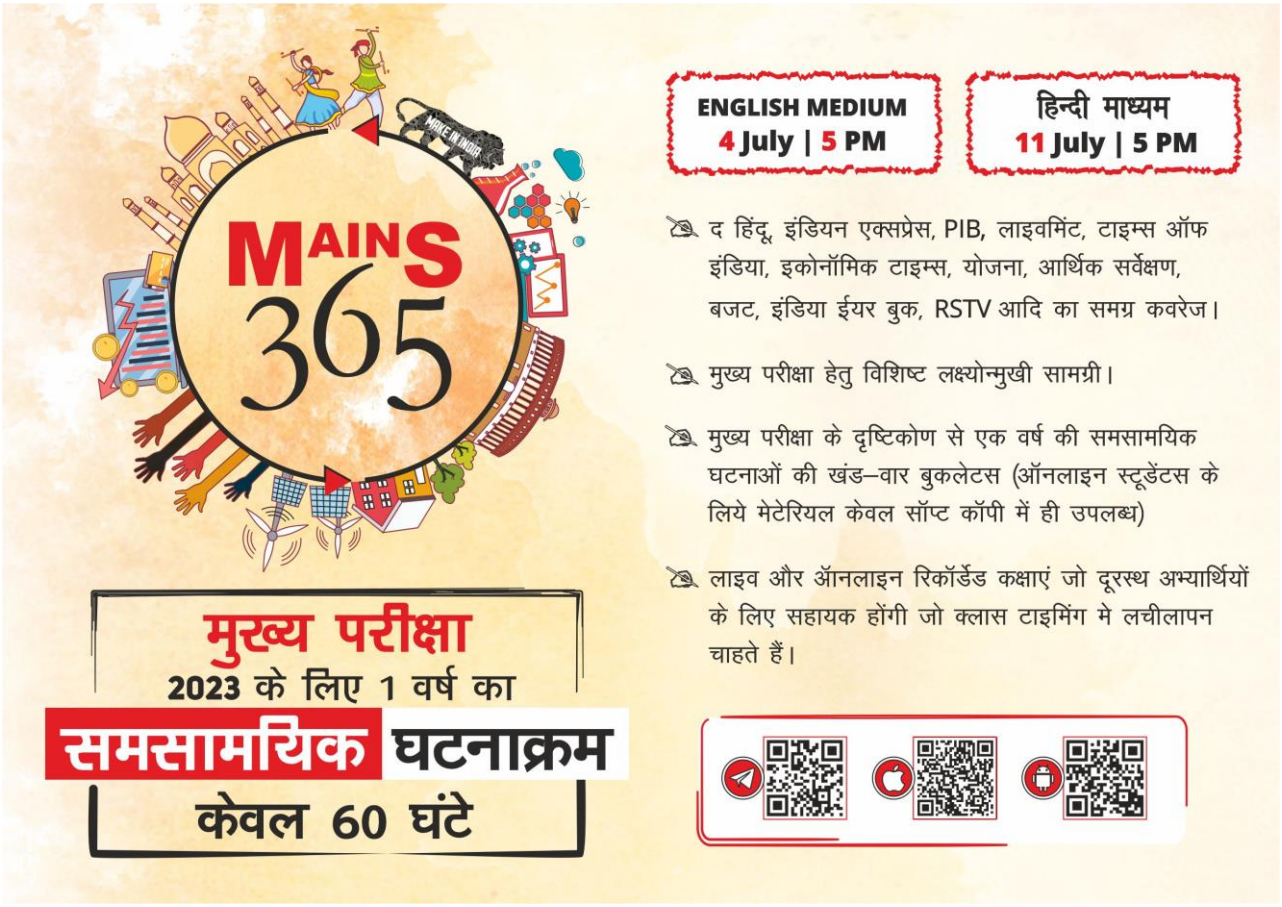

3.10. ब्रिक्स (BRICS)

ब्रिक्सः एक नज़र में

वर्ष 2001 में ब्रिक्स की शुरुआत BRIC के रूप में हुई थी। यह गोल्डमैन सैक्स द्वारा दिया गया एक संक्षिप्त नाम है। ब्रिक (BRIC) से आशय ब्राजील, रूस, भारत और चीन से था। इसे विश्व में शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिकल्पित किया गया था। वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया था।

ब्रिक्स देश प्रतिनिधित्व करते हैं

- वैश्विक जनसंख्या का 41 प्रतिशत
- वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24 प्रतिशत
- वैश्विक व्यापार में 16 प्रतिशत की हिस्सेदारी
- वैश्विक कुल भू–सतह का 29.3 प्रतिशत

भारत के लिए ब्रिक्स का महत्त्व

- **यह विकासशील देशों के मुद्दों को उठाने में मदद कर सकता** है। विशेषकर आतंकवाद के खिलाफ और विश्व व्यापार संगठन (WTO) से लेकर जलवायु परिवर्तन तक उनके अधिकारों की सुरक्षा हेतु।
- **प्रतिद्वंद्विता को कम करने हेतु एक सुरक्षित स्थानः** वर्ष 2017 के डोकलाम गतिरोध और हाल में लद्दाख गतिरोध के दौरान, चीन और भारत दोनों ब्रिक्स के माध्यम से एक–दूसरे से संपर्क में बने रहे।
- **अंतरमहाद्वीपीय पहुंच प्रदान करनाः** समूह में ब्राजील और साउथ अफ्रीका की उपस्थिति से।
- यह UNSC, WTO जैसे निकायों में **संस्थागत सुधारों के लिए भारत की मांग को बढ़ावा** दे सकता है।
- यह एक **समावेशी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना के निर्माण में योगदान** दे सकता है।
- **आयात पर निर्भरताः** भारत के कुल आयात का 34 प्रतिशत अन्य चार ब्रिक्स देशों से संबंधित है।
- ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच जैसी पहल की मदद से **भुखमरी और गरीबी उन्मूलन जैसे SDGs लक्ष्यों को प्राप्त करना।**
- यह **पश्चिम के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी को संतुलित करता** है, जैसे– क्वाड के माध्यम से। गौरतलब है कि क्वाड **रणनीतिक स्वायत्तता और मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी** के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करने में मदद करता है।

ब्रिक्स की उपलब्धियां

- **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना और कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट (CRA)** का गठन।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में कई बदलाव लाना, जैसे– कोटा को दोगुना करना।
- वर्ष 2015 के **ब्रिक्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) फ्रेमवर्क कार्यक्रम** ने कोविड–19 के खिलाफ एक सामान्य प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने में सहयोग प्रदान किया है।
- **चिकित्सा सहयोगः** वर्ष 2015 में 7वें शिखर सम्मेलन में **'ऊफा घोषणा–पत्र'** का अंगीकरण।
- **ब्रिक्स में भारत का योगदान**
  - **ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ।**
  - यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) का प्रस्ताव।
  - तीव्र शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए सभी सदस्यों हेतु **शहरीकरण फोरम** का गठन।
  - **ब्रिक्स एकेडमिक फोरम के आयोजन की प्रथा को संस्थागत रूप प्रदान** करना।
- ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित **अन्य महत्वपूर्ण पहलें,** जिनमें आभासी विश्वविद्यालय, ब्रिक्स लैंग्वेज स्कूल, यूथ ब्रिक्स फोरम, आपदा प्रबंधन आदि शामिल हैं।

समूह द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

- **समूह के भीतर चीन का प्रभुत्व।**
- लोकतांत्रिक और सत्तावादी शासन व्यवस्था के मिश्रण के कारण **सदस्य देशों के बीच असमानताएं।**
- **संस्थागत सुधारों के प्रति दृष्टिकोणः** ब्रिक्स केवल UNSC के कुछ ही हिस्सों के सुधार में रुचि रखता है।
- NDB में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है।
- **सदस्य देशों के बीच अल्प व्यापार,** भौगोलिक दूरी और प्रतिबंधात्मक व्यापार माहौल के कारण ब्रिक्स देशों के बीच आयात एवं निर्यात कम रहा है।

आगे की राह

- **मतभेदों को समाप्त** करना और **सामान्य हितों की तलाश** करना।
- ब्रिक्स देशों को निजी क्षेत्र और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए **एक बॉटम–अप दृष्टिकोण की ओर बढ़ने** की आवश्यकता है।
- **ब्रिक्स एजेंडे में आतंकवाद–रोधी संरचना को प्राथमिकता देनाः ब्रिक्स आतंकवाद–रोधी रणनीति** को लागू करने के लिए परिणाम–उन्मुख कार्य योजना को अंतिम रूप देना आवश्यक है।
- ग्लोबल साउथ के साथ अपने गहरे जुड़ाव को मजबूत बनाते हुए **बहुपक्षीय प्रयासों को बढ़ाने** पर जोर देना।

ब्रिक्स वस्तुतः प्रयासों को संस्थागत रूप देने की प्रक्रिया को शुरू करने के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रों में अंतर–ब्रिक्स सहयोग बढ़ाने में सफल रहा है। ब्रिक्स मुद्रा में व्यापार के बारे में बातचीत के साथ, भारत के लिए ब्रिक्स की प्रासंगिकता बढ़ गई है। ब्रिक्स देशों के साथ भागीदारी एवं जुड़ाव की दिशा में और बेहतर प्रयास किए जाने चाहिए।

3.10.1. ब्रिक्स का विस्तार (BRICS expansion)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ब्रिक्स अपनी सदस्यता का विस्तार करने पर विचार कर रहा है। इस समूह में अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बहरीन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है।

सदस्यता का विस्तार करने में अंतर्निहित चुनौतियां

- **विकास के चरण में होना:** ब्रिक्स समूह अभी भी एक संगठन के रूप में विकसित हो रहा है। इसे अपने संस्थानों एवं प्रशासनिक व्यवस्था को विकसित करने के लिए अभी और समय की आवश्यकता है।
- **विकास के अलग-अलग स्तर:** ब्रिक्स देश में आर्थिक विकास का स्तर काफी अलग-अलग है। ब्रिक्स समूह के विस्तार से देशों के बीच सहयोग प्रभावित हो सकता है।
- **आम सहमति का अभाव:** ब्रिक्स समूह के विस्तार को लेकर सदस्य देशों के बीच व्यापक विचार-विमर्श एवं आम सहमति का अभाव है, क्योंकि **भारत एक साथ व्यापक विस्तार के पक्ष में नहीं है।**
  - भारत नए सदस्यों को शामिल करने के लिए **एक सुपरिभाषित मानदंड स्थापित करने** पर जोर दे रहा है।
- **समूह का प्रबंधन:** समूह का विस्तार ब्रिक्स सदस्यों के बीच प्रतिरोध उत्पन्न कर सकता है तथा विस्तार के बाद अनौपचारिक समूह को प्रबंधित करना और भी कठिन हो सकता है।
- **भू-राजनीति:** कई देश समूह के विस्तार को चीन के साथ समान विचारधारा रखने वाले देशों को ब्रिक्स समूह में शामिल करके चीन के प्रभाव का बढ़ाने संबंधी चीन की चाल के रूप में देख रहे हैं।

आगे की राह

- **सामाजिक-आर्थिक समन्वय:** मौजूदा सदस्य देशों को आपस में आर्थिक और सामाजिक सामंजस्य को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **चयनात्मक विस्तार:** नए सदस्यों का सावधानीपूर्वक चयन करके ब्रिक्स, इस समूह की सुचारू विस्तार प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकता है तथा संगठन के मूल उद्देश्यों को संरक्षित भी बनाए रख सकता है।
- **निष्पक्ष चयन:** ब्रिक्स में शामिल करने के मामले में देश की योग्यताओं और ब्रिक्स समूह के उद्देश्यों एवं भविष्य के एजेंडे में योगदान देने की उनकी क्षमता को महत्त्व देना चाहिए।
- **विश्वास निर्माण:** इसके सदस्य देशों को संस्थागत-निर्माण, विश्वास को बढ़ावा देने, ज्ञान साझा करने, व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देने तथा विकासात्मक वित्त को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

न्यूज़ टुडे

- 4 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
  - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियों – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
  - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

3.11. आसियान (ASEAN)

आसियानः एक नज़र में

भारत ने वर्ष 1992 में आसियान के साथ औपचारिक भागीदारी शुरू की थी। भारत वर्ष 2012 में आसियान का एक रणनीतिक भागीदार बन गया। हाल ही में, भारत–आसियान साझेदारी की **30वीं वर्षगांठ** के अवसर पर **2022 को भारत–आसियान मैत्री वर्ष** के रूप में घोषित किया गया है। इसके अलावा हाल ही में, कंबोडिया में 19वें भारत–आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।

भारत और आसियान देशों के बीच वस्तु व्यापार **110.40 बिलियन डॉलर** तक पहुंच गया है।

आसियान भारत का **चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।**

भारत के लिए आसियान का महत्त्व

- यह **भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी** और सागर (SAGAR) पहल तथा हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है।
- **आर्थिकः** भारत–आसियान FTA और आसियान क्षेत्र के विभिन्न देशों के साथ भारत का CECA समझौता है।
- **सुरक्षा संबंधी साझा खतरेः** अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए आसियान–भारत कार्य योजना को आरंभ किया गया है।
- **वित्तीय सहयोगः** इसके तहत आसियान–भारत सहयोग निधि (AIF); आसियान–भारत हरित निधि (AIGF); आसियान–भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास निधि (AISTDF) शामिल हैं।
- **कनेक्टिविटी संबंधी परियोजनाएंः** भारत–म्यांमार–थाईलैंड (IMT) त्रिपक्षीय राजमार्ग; कलादान मल्टीमॉडल परियोजना; और नई दिल्ली से हनोई के बीच रेलवे लिंक की भी योजना बनाई जा रही है।
- **सांस्कृतिक सहयोगः** आसियान राजनयिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम; पार्लियामेंटेरियन एक्सचेंज प्रोग्राम आदि।
- संयुक्त नौसेना और सैन्य अभ्यास के माध्यम से **रक्षा और सुरक्षा संबंधी सहयोग।**

आसियान के साथ संबंधों में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियां

- **प्राथमिकताओं में टकरावः** भारत द्वारा BRI का विरोध करना और RCEP में शमिल न होना।
- **विषम व्यापार संबंधः** भारत के विदेशी व्यापार और FDI अंतर्वाह में आसियान की हिस्सेदारी, आसियान क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी से अधिक है।
- **समुद्री चुनौतीः** दक्षिण चीन सागर में रक्षा संबंधी सहयोग को बढ़ाने से, भविष्य में चीन और एक या अधिक आसियान देशों के साथ भारत का समुद्री संघर्ष होने का जोखिम पैदा हो सकता है।
- **चीन का प्रभावः** आसियान के भीतर मतभेद पैदा करने की चीन की क्षमता, इस क्षेत्र में भारत के आर्थिक और सुरक्षा संबंधी हितों को प्रभावित कर सकती है।
- चीन का मुकाबला करने में असमर्थता, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों की प्रासंगिकता में गिरावट और हिंद–प्रशांत में QUAD, AUKUS की उपस्थिति के कारण **हिंद–प्रशांत में आसियान के प्रभुत्व के समक्ष संकट** पैदा हो गया है।
- **आसियान में संरक्षक और मजबूत संस्थानों का अभाव।**
- **आसियान देशों के अलग–अलग हित और प्राथमिकताएं।**

19वां भारत–आसियान शिखर सम्मेलन

- दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को **रणनीतिक** से आगे बढ़ाकर **व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP)** के स्तर तक पहुंचाया है। इसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- CSP के माध्यम से **ऊर्जा, स्वास्थ्य, मेक इन इंडिया, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन आदि** क्षेत्रकों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- भारत ने **आसियान–भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष के लिए 5 मिलियन डॉलर** के अतिरिक्त परिव्यय की घोषणा की है।

संबंधों को मजबूत करने हेतु आगे की राह

- आसियान भारत कार्य–योजना के तहत साझा हितों को बढ़ावा देने के लिए **सामूहिक वार्ताएं आयोजित करना।**
- **व्यापार को सुगम बनानाः** हिंद–प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क (IPEF) के तहत आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क की स्थापना करना; आसियान–भारत FTA की समीक्षा करना।
- संधारणीय वित्तपोषण और संवृद्धि के लिए **नीतिगत प्राथमिकताएं निर्धारित करना।**
- भारत की हिंद–प्रशांत महासागर पहल और आसियान आउटवर्क ऑन इंडो–पैसिफिक के मध्य समन्वय के माध्यम से **समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना।**
- **प्रौद्योगिकी में निवेश करना।**
- ISA और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसी पहलों के माध्यम से **एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में सहयोग करना।**

साझा मुद्दों पर परस्पर और आपसी समझ से आसियान तथा भारत, दोनों को अपने संबंधों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान में मदद मिलेगी।

3.11.1. भारत-आसियान शिखर सम्मेलन (India-ASEAN Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **कंबोडिया में 19वां भारत-आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन** किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस **शिखर सम्मेलन में भारत-आसियान संवाद की 30वीं वर्षगांठ भी** मनाई गई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 को **आसियान-भारत मैत्री वर्ष** के रूप में मनाया गया था।
- **शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**
  - दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को **रणनीतिक** से आगे बढ़ाकर **व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP)**[37] के स्तर तक पहुंचाया है। इसके अंतर्गत **समुद्री सुरक्षा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में परियोजनाओं, साइबर सुरक्षा और डिजिटल वित्तीय प्रणालियों की अंतर-संचालनीयता** जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
    - CSP के माध्यम से **ऊर्जा, स्वास्थ्य, मेक इन इंडिया, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन आदि** क्षेत्रकों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
  - भारत ने **आसियान-भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष के लिए 5 मिलियन डॉलर** के अतिरिक्त परिव्यय की घोषणा की है।
    - इस कोष की स्थापना **वर्ष 2008** में की गई थी। यह कोष अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं और संबंधित परियोजनाओं की विकास संबंधी गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करता है।
  - **आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITGA)**[38] की समीक्षा में तेजी लाने पर भी सहमति बनी है। इससे AITGA को व्यवसायों के लिए और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल, सरल व व्यापार सुगमकारी बनाया जा सकेगा।

[37] Comprehensive Strategic Partnership

[38] ASEAN-India Trade in Goods Agreement

3.12. गुप ऑफ़ ट्वेंटी (G20)

G20 (ग्रुप ऑफ़ दवेंटी): एक नज़र में

यह विश्व की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक **रणनीतिक व बहुपक्षीय मंच** है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के मध्य **नीतिगत समन्वय स्थापित** करना, **वित्तीय विनियमन को बढ़ावा देना** और एक **नया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा तैयार** करना है।

- **वैश्विक GDP का** लगभग 85 प्रतिशत
- **वैश्विक व्यापार का** लगभग 75 प्रतिशत
- **वैश्विक जनसंख्या का** लगभग 60 प्रतिशत
- **जीवाश्म ईंधन जनित उत्सर्जन का** लगभग 80 प्रतिशत

G20 की उपलब्धियां

- **वैश्विक आर्थिक संवृद्धि के भविष्य का मार्ग निर्धारित करना।**
- वर्ष 2008 के वित्तीय संकट, ईरान के परमाणु कार्यक्रम, कोविड–19 महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक संकटों को हल करने में योगदान करना।
- कम आय वाले विकासशील देशों के लाभ के लिए **कर प्रणाली में सुधार करना। रोम शिखर सम्मेलन** में बड़ी कंपनियों पर न्यूनतम 15 प्रतिशत निगम कर लगाने का समझौता करने के साथ ही इनके कर राजस्व के पुनर्वितरण के लिए नए नियम भी बनाए गए।
- **द्विपक्षीय संबंधों को व्यवस्थित करना:** शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाली द्विपक्षीय बैठकों के परिणामस्वरूप कई बार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी हुए हैं, उदाहरण के लिए– वर्ष 2018 में यू. एस.–चीन व्यापार संघर्ष विराम।
- **मानव संसाधन विकास और रोजगार:** वर्ष 2025 तक कार्यबल भागीदारी में **लैंगिक अंतराल को 25 प्रतिशत तक कम करने** की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। इसके साथ ही **उन युवाओं की भागीदारी को 15 प्रतिशत के स्तर तक लाने** की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है **जिनके श्रम बाजार में पीछे छूट जाने का सबसे अधिक जोखिम है।**

भारत और G20

- भारत G20 का एक संस्थापक सदस्य है।
- भारत, दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा।
- भारत की अध्यक्षता का थीम: "वसुधैव कुटुम्बकम"
- पिछले G20 शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा लाए गए कुछ प्रस्ताव निम्नानुसार थे:
  - आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई।
  - आर्थिक अपराधियों से निपटना।
  - **वैश्विक कराधान:** बेस इरोज़न एंड प्रॉफिट शेयरिंग (BEPS) फ्रेमवर्क।
  - नई डिजिटल तकनीकों से पैदा होने वाले मुद्दों से निपटना।

G-20 द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

- **प्रभावी शक्ति का अभाव:** G20 कानूनी रूप से बाध्यकारी संस्था नहीं है।
- **औपचारिक चार्टर के अभाव** के कारण **पारदर्शिता और जवाबदेही संबंधी चुनौतियां।**
- **संरक्षणवाद:** समूह के कुछ **नीतिगत निर्देश अलोकप्रिय** रहे हैं, **विशेषकर उदार समूहों के बीच।**
- **अप्रभावी उपाय:** जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने, सामाजिक असमानता को दूर करने और लोकतंत्र के समक्ष मौजूद वैश्विक खतरों से निपटने में विफलता।
- **G20 की सदस्यता सीमित होने के कारण इसे आलोचना का सामना करना पड़ा है:** जैसे– इसमें अफ्रीकी देशों का अनुपातहीन या लगभग नहीं के बराबर प्रतिनिधित्व।
- **सहायता और व्यापार** पर बहुपक्षीय प्रतिबद्धताएं कमजोर साबित हो रही हैं।

आगे की राह

- विभिन्न राष्ट्रों की अध्यक्षता के दौरान उठाए गए **मुद्दों पर वार्ता जारी रखना।**
- सभी देशों को, विशेष रूप से उभरते बाजारों को एक साथ लाने के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करना।
- विकास को बढ़ावा देने के लिए **संयुक्त राष्ट्र के साथ इसके संबंधों को मजबूत** करना।
- **बुनियादी ढांचे और खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित करना।**
- कोविड–19 के बाद, मजबूत **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।**
- **सदस्यों के लिए आचार संहिता का निर्माण** करना।

दुनिया आपस में अब इतनी अधिक जुड़ी हुई और एकीकृत है कि सभी वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए देशों को मिलकर काम करना होगा। इसमें G20 की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है।

3.12.1. बाली घोषणा-पत्र (Bali Declaration)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **G20** का **17वां शिखर सम्मेलन संपन्न** हुआ। इस सम्मेलन में **बाली घोषणा-पत्र को स्वीकृति** प्रदान की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस G20 शिखर सम्मेलन का आदर्श वाक्य (Motto) था- **"रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर[39]"।**
- इसके अलावा, भारत ने इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है।

बाली घोषणा-पत्र 2022 के प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर

- G20 ने **यूक्रेन में चल रहे युद्ध में अपने मतभेदों पर प्रकाश डाला** और यूक्रेन के इलाकों से रूस की पूर्ण वापसी का आह्वान किया।
- G20 ने **वैश्विक खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी फिर से दोहराया।** समूह ने **तुर्की और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में संपन्न काला सागर अनाज समझौते (Black Sea Grain Initiative)** का स्वागत किया।
- समूह ने अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों के प्रावधान का स्वागत किया है। यह प्रावधान **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों (2005) को लागू करने** और वित्त-पोषण में कमी को दूर करने में सहायता करेगा।
    - इसने विश्व बैंक के अधीन गठित **महामारी PPR[40] के लिए वित्तीय मध्यस्थ कोष (महामारी कोष)[41]** की स्थापना की सराहना की है।

भारत के लिए G-20 की अध्यक्षता का महत्त्व

- **भारत को केंद्रीय स्थिति में लाना:** भारत को मिली G-20 की अध्यक्षता, भारत को अपने हितों को बढ़ावा देने तथा वैश्विक मंच पर भारत की छवि को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।
- **आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करना:** भारत 'वसुधैव कुटुंबकम' के आदर्श वाक्य के साथ वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने तथा संधारणीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी व जन-केंद्रित एजेंडा चला रहा है।
    - भारत ने **G-20 में अपनी सदस्यता** का उपयोग विकसित और विकासशील देशों के बीच **आर्थिक सहयोग तथा एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए** भी किया है।
- **बहुपक्षवाद:** भारत विभिन्न गतिविधियों और आयोजनों के माध्यम से, बहुपक्षीय सहयोग एवं अलग-अलग देशों तथा क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर सकता है।
- **भागीदारी के विविध क्षेत्र:** G-20 की बैठकों में भारत सक्रिय रूप से भागीदारी निभाता आया है। साथ ही, भारत ने कई क्षेत्रों, जैसे- समावेशी विकास को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाना और वित्तीय विनियमन को मजबूत करना आदि में नेतृत्वकारी की भूमिका भी निभाई है।
- **सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी:** भारत की G-20 की अध्यक्षता उसकी उभरती सॉफ्ट पावर के प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है। यह वैश्विक मंच पर देश के बढ़ते प्रभाव और प्रतिष्ठा को दर्शाता है।

उम्मीद है कि यह मंच भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत से प्रेरित स्वतंत्र विदेश नीति को परिलक्षित करेगा।

[39] Recover Together, Recover Stronger

[40] Prevention, Preparedness and Response/ रोकथाम, तत्परता और प्रतिक्रिया

[41] Financial Intermediary Fund for Pandemic PPR (the 'Pandemic Fund')

3.13. ग्रुप ऑफ़ सेवन (Group of Seven: G-7)

G-7: एक नज़र में

G7 की स्थापना 1975 में एक–अंतरसरकारी संगठन के रूप में की गई थी। यह अग्रणी औद्योगिक देशों का एक अनौपचारिक मंच है। शुरू से ही इसका वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर प्रभुत्व रहा है।
वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इसकी सालाना बैठक होती है।

यह समूह वैश्विक GDP के **46 प्रतिशत** हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

विश्व की 10 प्रतिशत जनसंख्या G-7 देशों में रहती है।

इस समूह के देश **25 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार** हैं।

G-7 भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है?

- यह अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के उल्लेखनीय विषयों में योगदान करने का अवसर प्रदान करता है।
- यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली में निकटता से शामिल होने के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है।
- G-7 देशों के साथ केंद्रित संबंध और साझेदारी विकसित करने का अवसर।

G-7 के लिए भारत कैसे महत्वपूर्ण है?

- भारत की अर्थव्यवस्था G-7 के तीन सदस्य देशों से भी बड़ी है।
- भारत का इंडो–पैसिफिक क्षेत्र के साथ और अधिक जुड़ाव होगा।
- भारत के रूस और पश्चिम दोनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हैं।
- भारत की अधिकांश जनसंख्या कामकाजी आयु वर्ग से है।
- चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करना G-7 शिखर सम्मेलन के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है।

G-7 की उपलब्धियां

- G-7 ने मलेरिया से लड़ने और सहायता के लिए एक वैश्विक कोष स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- G-7 के वित्त मंत्री बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कम–से–कम 15% के वैश्विक न्यूनतम कर का समर्थन करने पर सहमत हुए थे।
- 2015 में, सदस्यों ने स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्लोबल अपोलो कार्यक्रम शुरू किया था।
- इसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- राजनीतिक प्रभाव: वैश्विक एजेंडा को आकार देने में G-7 देशों की उल्लेखनीय भूमिका है।
- यह साझा मूल्यों वाले लोकतंत्रों के एक चुनिंदा समूह का प्रतिनिधित्व करता है।
- इनकी आर्थिक शक्ति उन्हें वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने और आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम बनती है।

G-7 के समक्ष चुनौतियां

- समूह के सदस्यों के बीच आंतरिक असहमति: उदाहरण के लिए– आयात पर करों और जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई को लेकर असहमति है।
- इसे एक विशिष्ट समूह के रूप में ही माना जाता है
- चीन का उदय: यह धारणा बढ़ती जा रही है कि चीन G-7 देशों के लिए तीन आयामी खतरा पैदा करता है– आर्थिक, वैचारिक और भूराजनीतिक।
- वैश्विक समस्याओं की निगरानी पर अपर्याप्त प्रगति: जैसे कि जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन आदि।
- इस समूह को अब महत्वहीन/पुराना माना जाता है: समूह अब भू–राजनीतिक वास्तविकताओं की वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
- गैर–बाध्यकारी प्रकृति: G-7 का कोई कानूनी अस्तित्व या स्थायी सचिवालय नहीं है।
- सहमत नीतियों का कार्यान्वयन घरेलू राजनीतिक विचारों के कारण प्रभावित होता है।

आगे की राह

- अधिक प्रतिनिधित्व: नए सदस्यों के रूप में देशों को शामिल करके समूह को प्रकृति में अधिक प्रतिनिधि बनाया जाना चाहिए।
- वैश्विक चुनौतियों का सामना करना: समूह को केवल विकसित दुनिया के अदूरदर्शी हितों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय वैश्विक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
- समूह को जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं से विवेकपूर्ण तरीके से निपटने पर काम करना चाहिए।

WTO, विश्व बैंक जैसे वैश्विक बहुपक्षीय संस्थानों के बाद G-7 सबसे महत्वपूर्ण समूहों में से एक है। G-7 के साथ घनिष्ठ सहयोग भारत के लिए फायदेमंद होगा। यह समूह वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में सुधार, जलवायु परिवर्तन से निपटने, हरित विकास को बढ़ावा देने, भविष्य की महामारियों के लिए वैश्विक प्रतिरक्षा को मजबूत करने और ठोस परिणामों के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करने जैसी आकांक्षाओं को पूरा करेगा।

3.13.1. G7 शिखर सम्मेलन (G7 Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, G-7 समूह का **49वां शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में आयोजित** किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- **भारत को ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील** आदि देशों के साथ शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था।
- भारत ने वर्तमान में दुनिया द्वारा सामना की जा रही खाद्य, स्वास्थ्य और विकास संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए **10-सूत्री कार्य योजना प्रस्तुत की है।**

शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **आर्थिक लचीलापन और आर्थिक सुरक्षा: आर्थिक दबाव से निपटने के लिए एक समन्वय मंच** स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई है। यह मंच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों (जैसे- माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स) में व्यापार तथा आर्थिक निर्भरता को "रणनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करने" के किसी भी प्रयास से निपटेगा।
  - देशों ने चीन के साथ वाणिज्यिक संबंधों को "जोखिमों मुक्त (De-risking)" करने पर सहमति व्यक्त की है।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए मानक:** इस सम्मेलन में "विश्वसनीय AI" के लिए **अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों का विकास करने और उन्हें अपनाने हेतु कार्य योजना तैयार करने पर सहमति व्यक्त** की गई।
- **जलवायु और ऊर्जा:** सदस्यों ने **2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन** को प्राप्त करने और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
  - उन्होंने **G-7 स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था कार्य योजना**[42] का भी समर्थन किया। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यापार नीतियां नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुंचने में मुख्य भूमिका निभाएंगी।
- **वैश्विक खाद्य सुरक्षा में लचीलापन:** लचीली वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए **G-7** द्वारा **"हिरोशिमा एक्शन स्टेटमेंट"** जारी किया गया है।

[42] G7 Clean Energy Economy Action Plan

3.14. बिम्सटेक (BIMSTEC)

बिम्सटेक: एक नज़र में

वर्ष 2022 में बिम्सटेक (बहु–क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) के 25 वर्ष पूरे हुए। वर्ष 1997 में बैंकाक घोषणा–पत्र के माध्यम से इसकी परिकल्पना की गई थी। इस समूह का उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आस–पास के क्षेत्रों में स्थित सदस्य देशों के मध्य विभिन्न क्षेत्रकों में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना है। बिम्सटेक के सिद्धांतों के अंतर्गत संप्रभु देशों की बराबरी, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व और पारस्परिक लाभ को बनाए रखना शामिल हैं।

वैश्विक आबादी का लगभग 22 प्रतिशत

लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर का संयुक्त GDP

2020 तक बिम्सटेक देशों के साथ भारत का वार्षिक व्यापार इसके **कुल विदेशी व्यापार का 4%** था।

भारत के लिए बिम्सटेक का महत्व

- **रणनीतिक:** भारत के लिए बिम्सटेक 'हिन्द–प्रशांत' और हिंद महासागर समुदाय की व्यापक अवधारणा को बढ़ावा देने का एक माध्यम बन चुका है। साथ ही, यह देश की रणनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने का भी एक माध्यम बन गया है।
- **आर्थिक:** पूर्वी तटीय राज्यों, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सामान्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और विकास के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों के साथ कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** बिम्सटेक दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एशिया के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। इस दृष्टिकोण के कारण यह 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'एक्ट ईस्ट' की हमारी विदेश नीति संबंधी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए एक नेचुरल प्लेटफॉर्म बन गया है।
- **सुरक्षा:** यह क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से भारत की ब्लू इकोनॉमी और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में भी अवसर प्रदान करता है।
- **BRI के कारण चीनी प्रभाव को संतुलित करने में सहयोग कर सकता है।**

बिम्सटेक से जुड़ी चुनौतियां

- **अप्रयुक्त क्षमता:** देशों के बीच घनिष्ठ आंतरिक आर्थिक एकीकरण की कमी के कारण।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी:** 1997 के बाद से शिखर स्तर की केवल 4 वार्ताएं आयोजित की गई हैं।
- **मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की प्रगति का बाधित होना:** वर्ष 2004 में एक FTA समझौते हेतु रूपरेखा तैयार की गई थी, किंतु यह समझौता अभी तक लंबित है।
- **क्षेत्रीय भू–राजनीति:** चीन विरोधी छवि के निर्माण से बचना।
- **भौतिक अवसंरचना:** बिम्सटेक क्षेत्र खराब सड़क और रेल संपर्क, अपर्याप्त लास्ट माईल कनेक्टिविटी और उच्च सीमा शुल्क एवं स्वीकृति प्रक्रियाओं से प्रतिकूल रूप से प्रभावित रहा है।
- **मजबूत संस्थागत ढांचे का अभाव:** सचिवालय की कमी, नगण्य बजट, आदि।

इस क्षेत्र में प्रमुख कनेक्टिविटी पहलें

- **कलादान मल्टी मॉडल परियोजना:** इस परियोजना में **कोलकाता** को **म्यांमार** के **सितवे बंदरगाह** से और उसके बाद मिजोरम को नदी और **सड़क मार्ग** के माध्यम से जोड़ने की परिकल्पना की गई है।
- **IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग:** यह म्यांमार के माध्यम से भारत और थाईलैंड को कनेक्ट करेगा।
- **बांग्लादेश–भूटान–भारत–नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता (MVA):** भूटान के बाहर हो जाने के बाद, अन्य तीन देश वस्तुओं और व्यक्तियों के मुक्त आवागमन के लिए समझौते को लागू करने की दिशा में प्रयासरत हैं।

आगे की राह

- **राजनीतिक जुड़ाव को मजबूत करना:** प्रत्येक दो वर्ष में एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए कोलंबो में लिया गया निर्णय स्वागत योग्य है।
- **मुक्त व्यापार समझौता (FTA) संपन्न करना।**
- **सदस्यता को बढ़ाना:** इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर को सदस्यता प्रदान करना।
- **संधारणीय भौतिक संपर्क** और उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देना।
- बहुपक्षवाद को प्राथमिकता देना। इसमें **पर्यटन कूटनीति, शैक्षणिक और स्टूडेंट एक्सचेंज कार्यक्रम तथा सीमा–पार सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल को सुगम बनाना** शामिल है।

बिम्सटेक क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि, बंगाल की खाड़ी को संपर्क, समृद्धि, सुरक्षा के सेतु के रूप में स्थापित करने के लिए इसके सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

4. भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव (Effect of Policies and Politics of Developed and Developing Countries on India's Interests)

4.1. ट्रांस-हिमालयन मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क (Trans-Himalayan Multi-Dimensional Connectivity Network: THMCN)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीन और नेपाल **ट्रांस-हिमालयन मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क (THMCN)** बनाने पर सहमत हुए हैं।

THMCN के बारे में

- THMCN को **ट्रांस-हिमालयन नेटवर्क** के रूप में भी जाना जाता है। इस आर्थिक गलियारे को वर्ष 2019 में **नेपाल और चीन के बीच चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** के एक हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया था।
- इस गलियारे का **उद्देश्य बंदरगाहों, सड़कों, रेलवे, विमानन और संचार में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।**
- THMCN का उद्देश्य **चीन और शेष दक्षिण एशिया के बीच एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करना है।** इसके अलावा, इसके उद्देश्य में सीमा नियंत्रण को मजबूत करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (TAR)[43] के एकीकरण में सहायता करना शामिल है।

भारत के लिए चिंताएं

- **हिमालयन क्वाड:** कई विशेषज्ञ मानते हैं कि **चीन चार हिमालयी देशों चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल से मिलकर एक हिमालयन क्वाड** बनाने की कोशिश कर रहा है।
- **नेपाल के साथ संबंधों पर प्रभाव:** चीन की बुनियादी ढांचे की कूटनीति (Infrastructure Diplomacy) ने विकास और संवृद्धि का वादा किया है। साथ ही, चीन ने इसके तहत नेपाल को वैकल्पिक व्यापार मार्ग प्रदान करने का भी आश्वासन दिया है। यह भारत पर नेपाल की निर्भरता को कम करेगा।

हिमालयी क्षेत्र में चीन की पहुंच:

- इस क्षेत्र में चीन की पहुंच को **व्यापक सुरक्षा समझौते करने, अवसंरचना का निर्माण करने के लिए सहायता देने, व्यापार पर अधिक ध्यान देने, सार्वजनिक-निजी भागीदारी बढ़ाने** आदि के रूप में देखा जा सकता है। हाल ही में, **कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक और सुरक्षा सहयोग में वृद्धि करना भी चीन की बढ़ती पहुंच का ही उदाहरण है।** इसके कुछ और उदाहरणों में शामिल हैं:
  - **चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)।**
  - चीन ने **अफगानिस्तान और चीन को जोड़ने** वाले सीमा-पार फाइबर लिंकेज बनाने के लिए **वाख़ान कॉरिडोर फाइबर ऑप्टिक सर्वे प्रोजेक्ट में भी निवेश** किया है।

हिमालयी क्षेत्र में भारत की रणनीति:

- भारत ने वर्ष 2013 में हिमालय क्षेत्र में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए अपनी योजनाएं तैयार करनी शुरू की थी। भारत सरकार ने कई **"रणनीतिक रेल परियोजनाओं"** का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसमें दूरस्थ क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए सीमाओं को जोड़ने वाली 14 रेलवे लाइन शामिल हैं।
  - उदाहरण के लिए- **हिमालयन रेल एक्सप्रेस** का उद्देश्य भारत के **जम्मू और कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र लेह को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हवाई** से जोड़ना है।

भारत के लिए बाधा:

- भारत द्वारा किया जाने वाला कनेक्टिविटी विकास अब तक **पाकिस्तान और नेपाल के साथ अनसुलझे सीमा विवादों** के कारण सीमित रहा है।
- **भारत द्वारा रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावी रूप से न अपनाने** के कारण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हुई है।
- तिब्बती पठार पर बेहतर परिस्थितियां विद्यमान हैं। इसकी तुलना में **भारत की ओर दुर्गम हिमालयी भू-भाग** स्थित है।

[43] Tibet Autonomous Region

- **दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका को चुनौती देना:** सड़कों और बंदरगाहों के माध्यम से कई एक्सेस पॉइंट बनाने में मदद करके चीन, दक्षिण एशियाई देशों के लिए एक विकल्प पेश कर सकता है।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** THMCN संबंधी अवसंरचनात्मक पहल **लुंबिनी** के पास से होकर गुजरेगी, जो भारतीय सीमा के निकट है। इसने भारतीय रणनीतिकारों की चिंताओं को और अधिक बढ़ा दिया है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** बुनियादी ढांचे की ये परियोजनाएं संवेदनशील अल्पाइन पारिस्थितिकी-तंत्र से होकर गुजरेंगी। यहां सड़कों और सुरंगों के निर्माण से ऊपरी हिमालयी राज्यों में भूस्खलन और बाढ़ की संभावना बढ़ सकती है।
    - नई सड़कें अवैध रूप से लकड़ी काटने वाले लोगों की पहुंच को बढ़ावा देंगी। साथ ही, यह संकटग्रस्त (Endangered) प्रजातियों, जैसे कि बाघ, गैंडा और हाथियों के अंगों के अवैध व्यापार में सुविधा प्रदान करेंगी, क्योंकि चीन में इनकी कीमत अधिक है।

भारत के लिए आगे की राह

- **नेपाल के साथ संबंधों को मजबूत करना:** भारत को नेपाल के साथ नई आर्थिक, विकासात्मक और अवसंरचनात्मक पहलें शुरू करनी चाहिए।
- **पर्यावरणीय चिंता का समाधान करना:** हिमालयी क्षेत्र के देशों को एक साथ मिलकर एक "तृतीय ध्रुव परिषद (Third Pole Council)" बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। साथ ही, इन देशों को सामूहिक रूप से पर्वत श्रृंखला से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं से भी निपटना चाहिए।
- **सीमावर्ती क्षेत्र में कनेक्टिविटी संबंधी सुधार करना:** भारत को अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंच को पर्याप्त रूप से विकसित करना चाहिए। इससे इन क्षेत्रों में देश के अन्य हिस्सों से वस्तुओं सहित सैनिकों की भी सुगम आवाजाही में मदद मिलेगी।

4.2. ऑकस (AUKUS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **ऑकस (AUKUS)**[44] ने **परमाणु-संचालित पनडुब्बियों** का एक नया जहाजी बेड़ा तैयार करने की योजना से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया है।

ऑकस (AUKUS) के बारे में

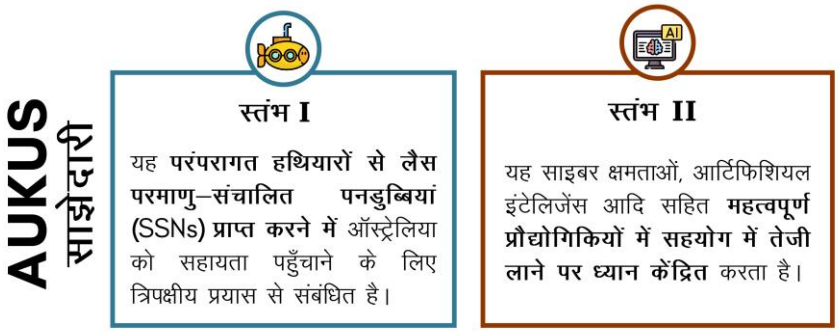

- ऑकस **ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यू.एस.ए.** के बीच एक **नया त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन** है। इसकी घोषणा मार्च 2021 में की गई थी।
- इसका उद्देश्य **रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देना, तकनीकी एकीकरण में तेजी लाना** और तीनों देशों की **औद्योगिक क्षमताओं का विस्तार करना** है।
- महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी को साझा करने की सुविधा के लिए **कानूनी रूप से बाध्यकारी** एक **त्रिपक्षीय समझौते** पर **2021** में हस्ताक्षर किए गए थे। इसे **'एक्सचेंज ऑफ नेवल न्यूक्लियर प्रोपल्शन इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट (ENNPIA)'** के रूप में जाना जाता है।

ऑकस के निहितार्थ

- **एशिया में यू.एस.ए. की प्राथमिकताओं में बदलाव:** ऑकस को हिंद-प्रशांत क्षेत्र की **सुरक्षा के लिए** अमेरिका की **मजबूत प्रतिबद्धता** के रूप में देखा जाता है।
- **यू.के. की रणनीतिक उपस्थिति को फिर से स्थापित करना:** यूनाइटेड किंगडम ने 1960 के दशक के अंत में स्वेज नहर के पूर्व में **सुरक्षा संबंधी अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया था।** इसके बाद, यह एशियाई सुरक्षा के लिए महत्वहीन/ गैर-जरूरी हो गया था। इस प्रकार, ऑकस **हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा** में इसकी **दीर्घकालिक भूमिका** को सुनिश्चित करेगा।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए रणनीतिक निहितार्थ:** ऑकस का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया की **रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने** के साथ-साथ मुक्त, खुले, लचीले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के विजन को प्राप्त करना है।

[44] Australia, the UK and US

- **ऐसे सहयोग के लिए मॉडल:** इस टेम्पलेट का उपयोग हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अन्य देशों की रक्षा क्षमताओं का निर्माण करने के लिए किया जा सकता है। यह **चीन की विस्तारवादी नीति को नियंत्रित करने** में काफी सहायक होगा। इसके अलावा, इससे क्षेत्र में **शांति बनी रहेगी और स्थिरता** भी आएगी।
- **अन्य:**
  - ऑकस ने **"एंग्लोस्फीयर (Anglosphere)" के विचार** को फिर से मजबूत किया है, जो **यू.एस.ए., यू.के., ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड** के बीच **स्थायी भू-राजनीतिक संबंधों** का पक्षधर है।
    - **एंग्लोस्फीयर:** यह अंग्रेजी बोलने वाले ऐसे 5 देशों (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यू.के. और यू.एस.ए.) का एक समूह है, जिनकी जड़ें ब्रिटिश संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। एंग्लोस्फीयर को वर्तमान में **फाइव आइज़** से भी जोड़कर देखा जाता है।
  - **क्वाड, फाइव आइज़ और ANZUS** के साथ, ऑकस को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में **अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक डेप्थ** की प्रधानता के एक और संकेतक के रूप में देखा जा सकता है।

शब्दावली को जानें

- **फाइव आइज़ (Five Eyes):** यह एक **खुफिया गठबंधन** है जिसमें पांच देश शामिल हैं। इनका कार्य दुनिया की जासूसी करना है। ये पांच देश हैं: **यू.एस.ए., यू.के., ऑस्ट्रेलिया, कनाडा** और **न्यूजीलैंड।**
- **ANZUS संधि:** यह संधि **ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड** और **संयुक्त राज्य अमेरिका** द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी। यह संधि 1952 में लागू हुई थी।
- ANZUS संधि में यह उल्लेख था कि **प्रशांत क्षेत्र में एक सदस्य पर सशस्त्र हमला दूसरों की शांति और सुरक्षा को भी खतरे में डाल देगा।**

ऑकस से संबंधित चिंताएं

- **स्पष्टता का अभाव:** ऑकस के **रणनीतिक उद्देश्य** स्पष्ट नहीं हैं। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट नहीं है कि ऑकस के विचारों को **सहयोगियों, भागीदारों और विरोधियों** के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाएगा।
  - तीनों देशों का कहना है कि **ऑकस** से **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता** आएगी, लेकिन किसी भी देश ने **अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह कैसे होगा।**
- **परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव:** ऑकस के चलते ऑस्ट्रेलिया को अपने परमाणु सामग्री को IAEA[45] की जांच के दायरे से बाहर रखना पड़ेगा। आलोचकों का तर्क है कि ऐसा करने के बाद ऑस्ट्रेलिया गैर-परमाणु हथियार वाला पहला ऐसा देश बन जाएगा, जो NPT की भावना और उद्देश्य दोनों को कमजोर करेगा।
- **चीन का विरोध:** विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि ऑकस **दक्षिण चीन सागर** और **पूर्वी चीन सागर** जैसे विवादित क्षेत्रों में **चीन की आक्रामकता को बढ़ा सकता** है।
- **ट्रांस-अटलांटिक संबंधों में व्यापक विभाजन:** ऑकस ने यू.एस.ए. और यूरोप के बीच ट्रांस-अटलांटिक संबंधों में विभाजन को भी बढ़ा दिया है।
  - ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस के पक्ष में फ्रांस के साथ **डीजल-संचालित पनडुब्बी समझौते** को रद्द कर दिया था। इससे **फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच की रणनीतिक साझेदारी कमजोर** हुई है।

निष्कर्ष

ऑकस **प्रगति कर रहा है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना शेष है।** ऑकस के भागीदार देश अलग-अलग प्रौद्योगिकी के मामले में अपने **विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की चाह रखे हुए हैं, जिसके बारे में स्पष्टता देने की आवश्यकता** है। **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक संवाद** को स्पष्ट रूप से प्रभावित करने की ऑकस की क्षमता शायद केवल भविष्य में ही देखी जा सकती है।

भारत और ऑकस

भारत के लिए ऑकस का क्या महत्व है?

- **भू-रणनीतिक क्षेत्र में क्वाड का पूरक:** यह क्वाड के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी गठबंधन हो सकता है। साथ ही, यह एक साझा खतरे के रूप में चीन से निपटने हेतु क्वाड की एकीकृत क्षमता को बढ़ा सकता है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला और समावेशी बनाने के लिए ऑकस का उपयोग कर क्वाड को मजबूत बनाया जा सकता है।
- **फ्रांस के साथ रणनीतिक सहयोग:** यह **फ्रांस के साथ रणनीतिक सहयोग** और यूरोपीय देशों के साथ **विश्वास को गहरा करने** के लिए अवसर प्रदान करता है।

चिंताएं

- **भारत के क्षेत्रीय प्रभाव का कम होना:** भविष्य में परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों की बढ़ती संख्या के कारण पूर्वी हिंद महासागर में भारत की क्षेत्रीय श्रेष्ठता में कमी आने की संभावना है।

[45] International Atomic Energy Agency/ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी

- **चीन की आक्रामकता बढ़ सकती है:** ऑकस, चीन को **अधिक आक्रामक रूख** अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। **पूर्वी हिंद महासागर** में अधिक युद्धपोतों और पनडुब्बियों की तैनाती जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आलोचकों का तर्क है कि ऑकस भारत-चीन समुद्री माहौल को एक नकारात्मक चक्र में धकेल सकता है।
  - यह हिमालयी क्षेत्र में भारत के समक्ष आने वाले **रणनीतिक खतरे को भी कम नहीं करता** है।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है:** जैसे-जैसे ऑकस के भागीदार **एडवांस तकनीकी क्षमताओं में सहयोग को आगे बढ़ाएंगे,** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदलता जाएगा। हालांकि, इसके लिए **भारत पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।**
- **क्वाड पर प्रभाव:** आलोचकों का तर्क है कि ऑकस क्वाड के **प्रभाव और उसकी उपयोगिता को कम करता है।**

4.3. कॉम्प्रिहेंसिव ऐंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, **यूनाइटेड किंगडम CPTPP में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है।** इस प्रकार यूनाइटेड किंगडम CPTPP में शामिल होने वाला पहला नया सदस्य बन जाएगा। साथ ही, यह CPTPP में शामिल होने वाला यूरोप का पहला देश भी होगा।

CPTPP का महत्त्व

- **वस्तुओं का व्यापार:** यह CPTPP निर्यात बाजारों में प्रशुल्क का उन्मूलन और गैर-प्रशुल्क बाधाओं को कम करता है।
- **सरकारी खरीद में समान व्यवहार:** सरकारी खरीद के अवसरों पर नीलामी के समय विदेशी कंपनियों के साथ घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के समान व्यवहार किया जाएगा।
- **पूर्वानुमेयता और पारदर्शिता:** एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 11 देशों के बीच साझा और पारदर्शी व्यापार एवं निवेश के लिए लागू नियम, प्रशासन की लागत को कम करने में सहायता करते हैं।

CPTPP "क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक समझौते (RCEP)" से कैसे अलग है?

	RCEP	CPTPP
सदस्य	15 देशों (अधिकांशतः एशिया–प्रशांत क्षेत्र के देश) के मध्य FTA	11 देशों (प्रशांत महासागर के दोनों ओर स्थित देश) के मध्य **FTA**
आकार	वैश्विक GDP में लगभग 31% की हिस्सेदारी	वैश्विक **GDP** में लगभग **13.5%** की हिस्सेदारी
कार्य क्षेत्र	**CPTPP** के मामले में व्यापार संबंधी शर्तें या अनिवार्यताएं RCEP की तुलना में अधिक व्यापक हैं। उदाहरण के लिए– राष्ट्र के स्वामित्व वाले उद्यमों को समर्थन (आर्थिक या सब्सिडी आदि) देने या श्रम और पर्यावरण संबंधी मुद्दों को लेकर RCEP में कोई ठोस उपाय नहीं है।	

- **श्रम और पर्यावरण:** CPTPP में श्रम और पर्यावरण पर CPTPP सदस्यों के संबंधित मानकों को बनाए रखने के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धताएं शामिल हैं।

- **शासन और उभरते हुए मुद्दों का समाधान करना:** इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ नियम बनाना, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा अनुचित प्रतिस्पर्धा को कम करना और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए एक उदार परिवेश सुनिश्चित करना शामिल है।

भारत CPTPP में शामिल क्यों नहीं हुआ?	CPTPP में शामिल न होकर भारत किन लाभों से वंचित हो रहा है?
• **बौद्धिक संपदा अधिकारों पर सख्त मानक:** ये मानक औषध कंपनियों के एकाधिकार में विस्तार कर सकते हैं। इससे भारत का औषध पारितंत्र काफी प्रभावित हो सकता है। • **CPTPP निवेशक-राज्य विवाद निपटान (Investor-State Dispute Settlement: ISDS) तंत्र:** यह निवेश पारितंत्र के विनियमन में बाधा उत्पन्न करता है और भारत की आर्थिक संप्रभुता को दरकिनार करता है। ○ ISDS, मुक्त व्यापार समझौते में मौजूद एक तंत्र या एक निवेश संधि है, जो **विदेशी निवेशकों को निवेश संबंधी विवादों को हल करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण तक पहुंचने का अधिकार प्रदान करती है।** • **अपेक्षित आर्थिक रियायतें:** भारत का मानना है कि CPTPP में शामिल होने के लिए अपेक्षित **व्यापक आर्थिक रियायतें** बहुत व्यापक हैं। भारतीय दृष्टिकोण से इसके लिए स्वीकृति देना कठिन होगा। • **विऔद्योगिकीकरण की संभावना:** वस्तुओं तक बाजार की पहुंच से संबंधित CPTPP नियम भारत के विनिर्माण क्षेत्रक के समक्ष गंभीर चुनौती पेश कर सकते हैं। इससे दीर्घकाल में औद्योगिक क्षेत्रक को क्षति हो सकती है।	• **प्रतिस्पर्धात्मकता:** भारत को प्रशुल्क में कमी का फायदा मिल सकता था। इससे भागीदार देशों में भारतीय निर्यात सस्ता हो जाता। • **नए ग्राहकों तक पहुंच:** जापान, मलेशिया और चिली सहित हिन्द-प्रशांत क्षेत्रों के प्रमुख बाजारों में नई तरजीही पहुंच (Preferential access) संभव होती। • **बाजार की पारदर्शिता और स्थिरता:** CPTPP भागीदार बाजारों में व्यापार करने के लिए भारतीय सेवा आपूर्तिकर्ताओं को बेहतर सुरक्षा, पूर्वानुमान और पारदर्शिता की पेशकश कर सकता था। • **वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVCs) से बाहर रह जाना:** CPTPP के तहत उत्पत्ति के नियम (Rules of Origin: RoO) प्रशुल्क कटौती के साथ नए GVCs के निर्माण को प्रोत्साहित करते। CPTPP में शामिल नहीं होने के कारण भारत के लिए यह अवसर न्यून हो गया है।

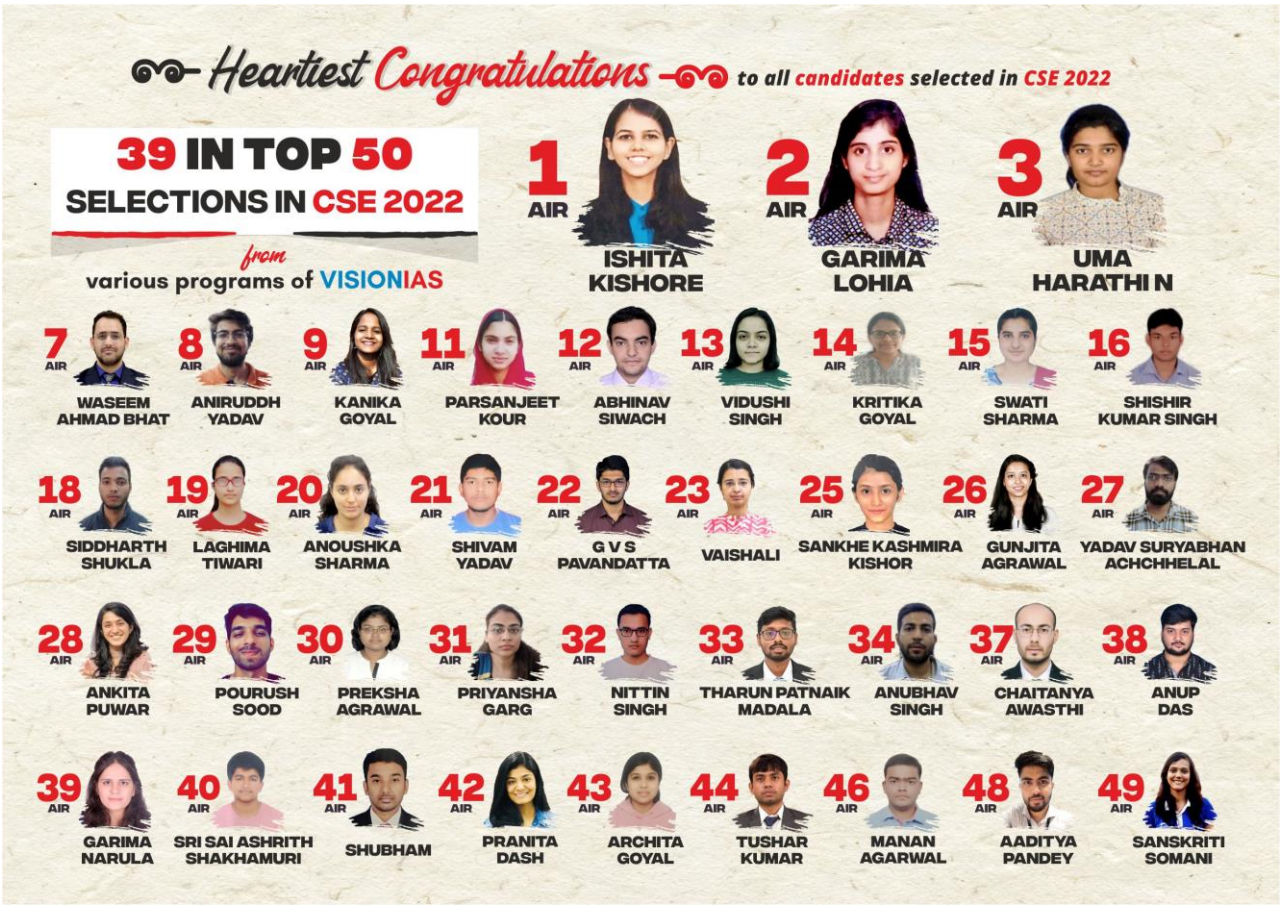

4.4. रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War)

रूस–यूक्रेन युद्धः एक नज़र मे

रूस यूक्रेन युद्ध एक वर्ष से अधिक समय से जारी है।

स्वायत्त अस्तित्व की एक संक्षिप्त अवधि (1917–20) के बाद, यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा बन गया और सोवियत संघ के पतन के बाद अलग हो गया।

मिन्स्क समझौते क्या हैं?

- मिन्स्क समझौता-I (2014): यह 12–सूत्रीय युद्धविराम समझौता है। यह रूस, यूक्रेन ऑर्गनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप (OSCE) और डोनेट्स्क एवं लुहान्स्क के रूस समर्थक नेताओं के बीच बेलारूस में हस्ताक्षरित एक समझौता है।
- मिन्स्क समझौता-II (2015): मिन्स्क समझौता-I की विफलता के बाद फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन और रूस के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसने मिन्स्क समझौते के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए 13–सूत्रीय पैकेज प्रस्तुत किया था।

संघर्ष के कारण

- यूक्रेन द्वारा रूस के साथ सांस्कृतिक संबंधों को समाप्त करने का प्रयास करना,
- यूक्रेन के स्वायत्त अस्तित्व की रक्षा करना, और
- पूर्ववर्ती सोवियत संघ क्षेत्र में नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) के प्रभाव में वृद्धि। गौरतलब है कि रूस और नाटो के बीच संभावित प्रत्यक्ष टकराव होने की स्थिति में यूक्रेन एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में मौजूद है।

अन्य राष्ट्रों/निकायों की ओर से प्रतिक्रिया

- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA), संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) आदि में रूस के खिलाफ संकल्प; भारत सहित दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए प्रतिबंधों और कूटनीति का उपयोग।
- **भारत की प्रतिक्रियाः**
  - भारत ने सभी संकल्पों पर मतदान में भाग नहीं लिया।
  - भारत अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और सिद्धांतों के आधार पर एक सुरक्षित तथा टिकाऊ समाधान की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
  - यह किसी भी पक्ष की निंदा नहीं करता, बल्कि **लोगों को हथियार देने के बजाय मानवीय राहत और सहायता** प्रदान करने हेतु प्रयासरत है।
    - उदाहरण के लिए–भारत ने यूक्रेन को मानवीय सहायता के रूप में 90 टन सामग्री भेजी है।

यूक्रेन संकट के कारण भारत के लिए चिंताएं

- **रूस और अमेरिका के बीच संतुलन बनाए रखना।**
- **रूस–चीन संबंधों का और गहरा होनाः** रूस पहले से ही इंडो–पैसिफिक अवधारणा और क्वाड को शीत–युद्ध कालीन गुटबंदी वाली राजनीति के पुनरुद्धार के रूप में देखता है तथा उन्हें अपने एशिया–प्रशांत हितों के खिलाफ मानता है।
- **रूस में भारत का निवेशः** रूस के ऊर्जा क्षेत्रक और सुदूर पूर्व नीति के विकास को लेकर भारत की योजनाएं सामान्य तौर पर, अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण समस्याग्रस्त हो जाएंगी।
- **रूस के साथ हथियारों का व्यापारः** रूस भारत का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।

आगे की राह

- रूस और यूक्रेन के बीच लगातार बढ़ते विवाद को सुलझाने के लिए **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** की जरूरत है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी **अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सक्रिय भूमिका निभानी** चाहिए।
- **दोनों देशों को तनाव बढ़ाने** वाले किसी भी कदम से बचना चाहिए।
- भारत दोनों देशों के बीच के मामले को सुलझाने के लिए **मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है** क्योंकि भारत के दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं।

रूस और यूक्रेन के बीच भू–राजनीतिक तनाव को निष्कर्ष तक पहुंचाने में मिन्स्क समझौते की विफलता **स्थायी शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता** पर प्रकाश डालती है।

5. महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश (Important International Institutions, Agencies, and Fora, Their Structure, Mandate)

5.1. संयुक्त राष्ट्र (United Nations)

5.1.1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council: UNSC)

UNSC : एक नज़र में

UNSC की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक के रूप में की गई थी। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम करना है। UNSC ने हाल ही में 'UNSC संकल्प 2593' को अपनाया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तालिबान शासित अफगानिस्तान आतंकवाद के लिए एक प्रयोजन स्थल न बने।

- परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 अस्थायी सदस्य दो साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।
- इसके निर्णय (संकल्प के रूप में ज्ञात) सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं।
- भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है और इसने 8 बार UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य किया है।

UNSC में सुधार की आवश्यकता

- **पुरानी संस्था:** अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से कोई स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण यह अब वर्तमान विश्व व्यवस्था का प्रतिनिधि नहीं रह गया है।
- **UNSC की व्यापक शक्तियां:** उदाहरण के लिए– प्रतिबंध लगाकर राष्ट्रों की संप्रभुता का अतिक्रमण करना।
- भारत, जापान और जर्मनी जैसे देशों की **उचित भागीदारी का अभाव,** जो संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- **वीटो शक्तियां:** UNSC P-5 के भीतर बार–बार मतभेद होता रहता है, जिसके कारण वीटो शक्तियों का उपयोग करके प्रमुख निर्णयों को रोक दिया जाता है।
- परिषद की अप्रभाविता **बहुपक्षवाद को हतोत्साहित** करती है।

भारत के समक्ष चुनौतियां

- **आतंकवाद की परिभाषा पर आम सहमति का अभाव:** विभिन्न देशों के बीच मतभेदों के कारण CCIT (अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय) पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है।
- वैश्विक स्तर पर चीन की मजबूत स्थिति और पाकिस्तान को उसका समर्थन।
- **कोविड–19 के बाद की विश्व व्यवस्था:** मंदी और संकुचित राष्ट्रवाद के कारण वैश्विक सहयोग की संभावनाओं को चुनौती मिलती है।
- **वैश्विक भू–राजनीति:** रूस–यूक्रेन युद्ध, महाशक्तियों के बीच बिगड़ते संबंध।
- **बहुपक्षीय कूटनीति के लिए संसाधनों की कमी,** जैसे– कर्मचारी, वित्त, बौद्धिक और संस्थागत बुनियादी ढाँचा।
- क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी UNSC में स्थायी सदस्यता की मांग करने वाले G4 का विरोध करते रहे हैं।

UNSC में भारत का योगदान

- भारत ने अपने कार्यकाल के दौरान **'तालिबान तथा लीबिया प्रतिबंध समितियों' और UNSC की 'आतंकवाद–रोधी समिति' की अध्यक्षता** की।
- SDGs, UNFCCC जैसी **संयुक्त राष्ट्र की सभी पहलों में सक्रिय भागीदार।**
- **मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा** (UDHR) को तैयार करने में योगदान।
- **संयुक्त राष्ट्र में रंगभेद–नीति का मुद्दा उठाने वाला पहला देश।**
- **संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सैनिकों का सबसे बड़ा प्रदाता** और पूर्ण महिला सैन्य दल को तैनात करने वाला पहला देश।
- **G77, UNICEF, UNEP, UNCTAD आदि की स्थापना में सहायक।**
- 1996 में **CCIT का प्रारूप तैयार करना।**

अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का योगदान

- एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत ने **वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधि** बनने की कोशिश की।
- यू.एन. पीसकीपिंग, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी जैसे समकालीन प्रासंगिकता के कई विषयों को प्रकाश में लाया।
- इससे स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी को मजबूत मिली।
- भारत ने नियम–आधारित व्यवस्था के लिए कार्य किया है।

एक संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत संयुक्त राष्ट्र को एक ऐसे मंच के रूप में देखता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की गारंटी देने और उसे बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

5.1.2. संघर्षों को प्रभावी तरीके से रोकने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका (Role of UN in Conflict Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **जापान के हिरोशिमा में ग्रुप ऑफ सेवन (G-7) की 49वीं बैठक संपन्न** हुई। भारत ने इस बैठक के दौरान **संघर्षों को प्रभावी तरीके से रोकने** की संयुक्त राष्ट्र (UN) की क्षमता पर सवाल उठाया था।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने इस संबंध में भी सवाल उठाए थे कि संयुक्त राष्ट्र अब तक **आतंकवाद को परिभाषित** क्यों नहीं कर सका है।
- इसके साथ ही, भारत ने **संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार की बात दोहराई।**

संयुक्त राष्ट्र संघर्षों को रोकने और उनका समाधान करने में सक्षम क्यों नहीं है?

- **सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों का रवैया:** UNSC के **स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति** होती है। इसका उपयोग वे अपने हित और अपने सहयोगियों के हितों को पूरा करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए- चीन अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल पाकिस्तान में अपने हितों को पूरा करने के लिए करता है।
- **संकल्पों या निर्णयों के लागू करने के लिए सीमित व्यवस्था:** UNGA द्वारा पारित किए गए संकल्पों (Resolutions) में प्रवर्तन-तंत्र (यानी उन्हें लागू करने की उचित व्यवस्था) का अभाव होता है।
  - संयुक्त राष्ट्र, शांति स्थापना से संबंधित अपने निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए **सदस्य देशों पर निर्भर** है। इसमें सैनिकों और संसाधनों का योगदान सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। साथ ही, इसमें सदस्य देशों की भागीदारी स्वैच्छिक होती है।
- **संप्रभुता एवं राष्ट्रीय हित:** राष्ट्रों के ये मूल्य **सामूहिक कार्रवाई में बाधक** बनते हैं। साथ ही, इनके कारण संयुक्त राष्ट्र के **हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता से भी समझौता** करना पड़ता है।
- **जटिलता और विभाजन: कई हितधारकों की भागीदारी और उनके हितों** के कारण संयुक्त राष्ट्र के लिए ऐसा समाधान प्रदान करना मुश्किल हो जाता है, जो सभी के लिए स्वीकार्य हो।

ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा निभाई गई भूमिका

- **शांति और सुरक्षा को बनाए रखना:** संयुक्त राष्ट्र ने वार्ता के जरिए अनेक शांति समझौतों को सफलतापूर्वक लागू कराया है। इनमें शामिल हैं- **नदर्न आयरलैंड में 'गुड फ्राइडे समझौता', सूडान में 'व्यापक शांति समझौता'** आदि।
  - संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना मिशनों[46] ने संघर्षरत क्षेत्रों में स्थिरता लाने में मदद की है। साथ ही, सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तनों को सुगम बनाने में अपना योगदान भी दिया है।
- **विऔपनिवेशीकरण और आत्मनिर्णय (Decolonization and Self-Determination):** संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने **1960 में औपनिवेशिक देशों और वहां के लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने** से संबंधित घोषणा-पत्र को अपनाया था। इसकी मदद से कई देश औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर संप्रभु राष्ट्र बन गए थे।
- **मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून:** मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा-पत्र (1948) जैसी पहलों की मदद से मानवाधिकार व अंतर्राष्ट्रीय कानून तैयार किए गए हैं।
- **संधारणीय विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals: SDGs):** 2015 में, संयुक्त राष्ट्र ने संधारणीय विकास के लिए एजेंडा 2030 को अपनाया था। इसमें 17 SDGs शामिल हैं। यह SDGs के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रयास कर रहा है।
- **मानवीय सहायता और राहत:** संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित विशिष्ट संस्थाओं और पहलों की मदद से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है:
  - संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR),
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization: WHO),
  - विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme: WFP) आदि।

वैश्विक संघर्षों को हल करने में भारत की भूमिका

- **मध्यस्थता और कूटनीति:** भारत संघर्षरत पक्षों के बीच **वार्ता को बढ़ावा देने, शांतिपूर्ण प्रस्तावों को प्रोत्साहित करने और सुलह करवाने** पर बल देता है।
- **गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement: NAM):** भारत NAM का संस्थापक सदस्य है। भारत ने वैश्विक संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। साथ ही, यह **अन्य देशों के मामलों में संप्रभुता, आत्मनिर्णय और गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांतों** पर जोर देता है।
- **विकास सहयोग:** वैश्विक संघर्षों का समाधान करने के लिए भारत का दृष्टिकोण विकास सहायता पर भी बल देना होता है। उदाहरण के लिए- अफगानिस्तान के लोगों के लिए विकास सहायता आदि।
- **शांति स्थापना मिशन:** भारत ने वर्षों के दौरान 49 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में **2.5 लाख से अधिक सैनिकों** को तैनात किया है।
  - शांति स्थापना करने में भारतीय सैनिकों ने लेबनान, कांगो, साउथ सूडान, हैती आदि देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

[46] UN peacekeeping mission

- संघर्ष आमतौर पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारकों से गहराई से जुड़ा होता है। इसके परिणामस्वरूप, इनका समग्रता से समाधान करना कठिन होता है।

- **वित्तीय संसाधनों की कमी:** इसके कारण अपनी पहलों को लागू करने तथा संघर्षों और आतंकवाद से प्रभावित देशों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने में संयुक्त राष्ट्र की क्षमता सीमित हो जाती है।

संयुक्त राष्ट्र और अधिक प्रभावी कैसे हो सकता है?

- **संघर्ष निवारक प्रयासों को मजबूत करना:** इसके तहत संघर्षों को टालने के लिए **निवारक कूटनीति** (Preventive Diplomacy) पर जोर दिया जाना चाहिए। साथ ही, मध्यस्थता और सुलह जैसे साधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।
- **UNSC में सुधार:** UNSC में एशियाई और अफ्रीकी देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देना चाहिए।
  - भारत जैसे देश को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने से वीटो शक्ति का प्रभावी उपयोग होगा।
- **शांति स्थापना मिशनों में सुधार:** शांति सैनिकों के **प्रशिक्षण, क्षमताओं और सौंपे गए कर्तव्यों** को बढ़ावा देने से जमीनी स्तर पर उनकी प्रभावकारिता बढ़ेगी। इसके अलावा, उन्हें शक्तिशाली राष्ट्रों के हितों को पूरा करने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
- **क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाना:** क्षेत्रीय संगठन संघर्षों को कम करने में संयुक्त राष्ट्र की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे प्रमुख संगठन हैं- **अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ तथा आसियान[47]।**
- **संघर्ष के मूल कारणों का पता लगाना:** कभी-कभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा संघर्ष के वास्तविक कारणों की उपेक्षा की जाती है। इसमें गरीबी, असमानता, शासन से संबंधित मुद्दों और मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसे कारण शामिल हो सकते हैं।
- **पर्याप्त संसाधन जुटाना:** सदस्य देशों को अपनी **वित्तीय प्रतिबद्धताओं** को पूरा करना चाहिए। साथ ही, दीर्घकालिक शांति की स्थापना के लिए शुरू की गई पहलों का समर्थन करने हेतु शांति स्थापना और निवारण कोष जैसे वैकल्पिक वित्त-पोषण तंत्र का गठन करना चाहिए।
- **रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट (R2P) के सिद्धांत को मजबूत करना:** यह संयुक्त राष्ट्र में लोगों और देशों के विश्वास को बढ़ावा देगा।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा **बहुपक्षीय संगठन** है। इसमें दुनिया भर में संघर्षों को रोकने और उनका समाधान करने की पर्याप्त क्षमता है। हालांकि, इसकी क्षमताओं का सक्रिय तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। साथ ही, इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सुधार करना समय की मांग है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के अन्य योगदान

उपनिवेशवाद और रंगभेद के खिलाफ संघर्ष	• भारत **औपनिवेशिक देशों और लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने के घोषणा-पत्र का सह-प्रायोजक** था। • भारत संयुक्त राष्ट्र में रंगभेद का **मुद्दा उठाने वाले प्रथम देशों में शामिल** था • भारत **नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अभिसमय के शुरुआती हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक** था।
विकास और आर्थिक मुद्दे	• वर्ष **1964 में अंकटाड की स्थापना में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका** थी। • भारत ने विकासशील देशों के लिए **आधिकारिक विकास सहायता (ODA)** के प्रवाह को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। • **उठाए गए अन्य मुद्दे हैं:** ○ विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, ○ व्यापार की अधिक न्यायसंगत शर्तें, ○ औद्योगीकरण में तेजी लाना आदि।
आतंकवाद/मानवाधिकार	• भारत ने **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय का प्रारूप** तैयार करने की पहल की है। • भारत ने **मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा का प्रारूप तैयार करने में सक्रिय भूमिका** निभाई है।
संयुक्त राष्ट्र में सुधार और पुनर्गठन	• भारत **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार और विस्तार** के लिए निम्नलिखित मंचों के साथ सहयोग कर रहा है: ○ **G-4:** भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान, तथा ○ **L.69:** एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के समान विचारधारा वाले देशों का समूह।
संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में प्रतिनिधित्व	• भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, मानवाधिकार परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) आदि सहित **संयुक्त राष्ट्र के कई निकायों के लिए चुना** गया है।

[47] Association of South East Asian Nations: ASEAN/ दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों का संगठन

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

5.1.3. संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन (UN Peacekeeping Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने अबेई में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में महिला शांति रक्षक सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी तैनात की है। अबेई सूडान और साउथ सूडान को विभाजित करने वाली सीमांकन रेखा के निकट स्थित है। इस टुकड़ी को **संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल, अबेई (UNISFA)** में शामिल भारतीय बटालियन के एक हिस्से के रूप में तैनात किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की शुरुआत की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र ने अपने पहले शांति स्थापना मिशन की शुरुआत 1948 में की थी। इस मिशन के तहत संयुक्त राष्ट्र द्वारा **पश्चिम एशिया में सैन्य पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया था।** इन सैन्य पर्यवेक्षकों को इजरायल और इसके पड़ोसी अरब राष्ट्र के बीच युद्ध विराम समझौते (Armistice Agreement) की निगरानी का दायित्व सौंपा गया था।
- इसका उद्देश्य संघर्ष से प्रभावित देशों में **स्थायी सुरक्षा और शांति** स्थापित करना है।
- **इसके कर्तव्य (Mandates):**
  - **शांति और सुरक्षा को बनाए रखना:**
    - नागरिकों की रक्षा करना और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना।
    - भूतपूर्व उग्रवादियों के निरस्त्रीकरण, सैन्य-विघटन और पुनः एकीकरण में सहायता करना।
  - **राजनीतिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाना:**
    - संवैधानिक प्रक्रियाओं और चुनावों के आयोजन का समर्थन करना,
    - कानून के शासन को पुनर्बहाल करने और राज्य के वैध प्राधिकार का विस्तार करने में सहायता करना।
- किसी देश में शांति स्थापना मिशन भेजने का **निर्णय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)**[48] द्वारा किया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश **संयुक्त राष्ट्र की कमान के तहत अपने सैन्य और पुलिस कर्मियों को शांति स्थापना मिशनों में भेजते** हैं। इसके लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र के कोष से भुगतान किया जाता है।
  - **अन्य इच्छुक राष्ट्र** शांति स्थापना मिशन के उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए अपने स्वयं के पृथक सशस्त्र बल भेज सकते हैं। हालांकि, ये मिशन संयुक्त राष्ट्र कमान के अधीन नहीं होते हैं।

[48] UN Security Council

मिशन की प्रासंगिकता

- **विकल्पों का अभाव:** इतनी मान्यता और सदस्यता वाला कोई दूसरा संगठन नहीं है, जो समय की कसौटी पर इसके समान ही खरा उतरा हो।
- **उच्च लागत-लाभ अनुपात:** ऐसे मिशन की लागत **वैश्विक सैन्य व्यय का केवल 0.4%** है। अधिकतर शांति स्थापना मिशन उन क्षेत्रों में भेजे गए हैं, जहां फिर से संघर्ष उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है।
- **खतरों में वृद्धि:** वर्तमान में, **बड़ी संख्या में देश अप्रत्याशित खतरों का सामना कर रहे हैं,** लेकिन उनके पास इनसे निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत का योगदान

- भारत ने **1948 के बाद से दुनिया भर में स्थापित 71 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में से 49 में अपनी सेवा** दी है।
  - **वर्तमान में, भारत पांचवां सबसे बड़ा सैनिक योगदानकर्ता (TCC)** देश है। भारत ने 13 सक्रिय संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में से 8 में 5,323 कर्मियों के ज़रिए अपना योगदान दिया है।
- भारत लैंगिक शोषण और दुर्व्यवहार पर **ट्रस्ट फंड में योगदान देने** वाला पहला देश था। इसे 2016 में स्थापित किया गया था।
- हाल ही में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 2589 के प्रावधानों को लागू करके शांति स्थापना करने वाले सैनिकों के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति जवाबदेही को बढ़ावा देने हेतु 'ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स' का गठन किया है।

शांति स्थापना में भारतीय महिलाएं

- **भारत की महिला शांति रक्षकों ने कांगो, लाइबेरिया, दक्षिण सूडान और हैती सहित कई देशों में अपनी सेवाएं** दी हैं।
- 2007 में, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में एक पूर्ण महिला टुकड़ी तैनात करने वाला पहला देश बन गया था।
- 2014 में **जम्मू-कश्मीर पुलिस की भारतीय पुलिस अधिकारी शक्ति देवी** को अंतर्राष्ट्रीय महिला पुलिस शांतिरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (UNAMA) में तैनात थी।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों के सामने आने वाली चुनौतियां

- **संगठनात्मक चुनौतियां:**
  - **गैर-समावेशी: सैनिकों और पुलिस कर्मियों की आपूर्ति करने वाले विकासशील देशों** की निर्णयन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है।
  - **वित्त-पोषण:** संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों को नकदी-प्रवाह की समस्याओं और वित्तीय दबावों का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण विलंब से भुगतान प्राप्त होना और निर्धारित अंशदानों का रोका जाना है।
  - **संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के पास अपर्याप्त शक्ति:** शांति स्थापना मिशनों पर **तैनात सैन्य बल अपने स्वयं के राष्ट्रीय कमांडरों और सरकारों के प्रति जवाबदेह होते हैं।**
  - **निरर्थक मिशन:** उदाहरण के लिए- भारत और पाकिस्तान में **संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (UNMOGIP)** की स्थापना 1949 में की गई थी। इसे **भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की निगरानी के लिए** स्थापित किया गया था।
    - हालांकि, 1972 के शिमला समझौते और **नियंत्रण रेखा की स्थापना** के बाद इसकी **"प्रासंगिकता समाप्त हो गई है"।**
- **परिचालन संबंधी चुनौतियां**
  - **घटता अंतर्राष्ट्रीय समर्थन:** 1990 के दशक के मिशनों की विफलता के कारण मिशनों की संख्या और इन पर विश्वास में कमी आई है। इस विफलता को सोमालिया और रवांडा के मिशनों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
  - **क्षेत्रीय संगठनों का उदय:** कई बार अलग-अलग क्षेत्रीय संगठनों, जैसे- ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी (OAU) ने शांति भंग की है। इन स्थितियों में भी संयुक्त राष्ट्र ने कोई कठोर कार्रवाई न करते हुए केवल निगरानी करने की भूमिका ही निभाई है।
  - **सुरक्षा संबंधी मुद्दे:** निम्नलिखित घटनाओं में वृद्धि के कारण शांति सैनिकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं:
    - संगठित अपराध,
    - कानून और व्यवस्था की विफलता, तथा
    - उग्रवादियों द्वारा हमले।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन के लिए भारत द्वारा प्रस्तावित सुधार

- **निर्णयन प्रक्रिया:** निर्णय लेने की प्रक्रिया में सेना और पुलिस बल भेजने वाले देशों की भी भागीदारी होनी चाहिए।
- **स्पष्ट और यथार्थवादी कर्तव्य:** शांति स्थापना मिशनों को पर्याप्त संसाधनों के अनुरूप ही "स्पष्ट और यथार्थवादी कर्तव्य" सौंपे जाने चाहिए।

- **विवेकपूर्ण तैनाती:** शांति स्थापना मिशनों को "उनकी सीमाओं को निर्धारित करते हुए विवेकपूर्ण ढंग से तैनात" किया जाना चाहिए।
- **मिशन का आकलन:** किसी मिशन का आकलन करते समय मिशन के सभी घटकों (सैन्य और असैन्य) तथा उसके नेतृत्व के प्रदर्शन पर विचार किया जाना चाहिए।
- **क्षेत्रीय दृष्टिकोण:** निम्नलिखित मामलों में क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय संगठनों का समर्थन करना चाहिए:
  - मध्यस्थता करने में,
  - संघर्ष विराम की निगरानी करने में,
  - शांति समझौतों को लागू करने में सहायता, तथा
  - संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण व्यवस्था में।
- **बाहर निकलने की रणनीति:** किसी देश में शांति स्थापना मिशनों की तैनाती के समय ही उनकी वापसी संबंधी स्थितियों का भी उपबंध होना चाहिए।

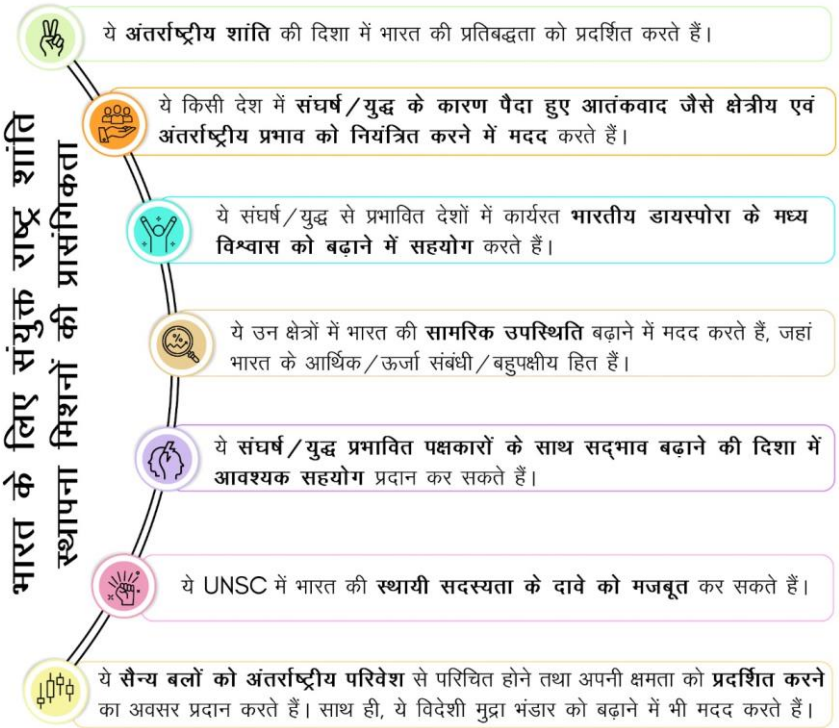

- **मेजबान देश के साथ सहयोग:** शांति स्थापना मिशन के नेतृत्वकर्ता और मेजबान राष्ट्र के बीच विश्वास एवं सहज समन्वय स्थापित करना आवश्यक है।
- **शांति सैनिकों की सुरक्षा:** शांति सैनिकों के खिलाफ अपराध करने वालों के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।
- **नागरिकों की सुरक्षा:** अपने क्षेत्र में गैर-राज्य समूहों से नागरिकों की रक्षा करना मेजबान सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व होना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी:** सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के समाधान हेतु शांति स्थापना अभियानों में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए।

5.1.4. दोहा राजनीतिक घोषणा-पत्र (Doha Political Declaration)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अल्प-विकसित देशों के मुद्दे पर पांचवां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (LDC5)**[49] संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के दौरान वैश्विक नेताओं द्वारा **'दोहा राजनीतिक घोषणा-पत्र'** अपनाया गया।

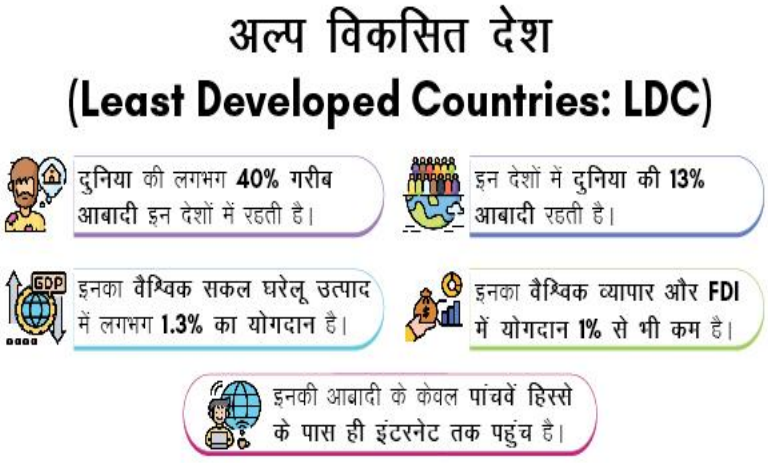

दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन (DPoA) के बारे में

- DPoA वस्तुतः **अल्प विकसित देशों और उनके विकास भागीदारों के बीच** नए सिरे से **प्रतिबद्धताओं** के एक नए स्वरूप को व्यक्त करता है। इनके विकास भागीदारों में निजी क्षेत्रक, नागरिक समाज और **सभी स्तरों पर सरकारें भी** शामिल हैं।

[49] Fifth United Nations Conference on the Least Developed Countries

- यह **एक 10 वर्षीय योजना है।** इस योजना की **समयावधि 2022-2031** तक है। इसका उद्देश्य विश्व के 46 सबसे कमजोर देशों को **संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने** के लिए ट्रैक पर लाना है।

अल्प विकसित देशों (LDCs) के बारे में

- LDCs, **निम्न आय वाले देश** हैं। ये देश SDGs को हासिल करने में गंभीर **संरचनात्मक बाधाओं** का सामना कर रहे हैं।
- ये देश **आर्थिक और पर्यावरणीय आघातों/ नुकसानों के प्रति अधिक संवेदनशील** हैं और यहां पर मानव-संपदा का स्तर निम्न है।
- वर्तमान में **LDCs की सूची में 46 देश** शामिल हैं। इसमें **अफ्रीका महाद्वीप के 33 देश, एशिया महाद्वीप के 9 देश, कैरेबियन क्षेत्र का 1 देश** और **प्रशांत क्षेत्र के 3 देश** शामिल हैं। इस सूची की समीक्षा **कमिटी फॉर डेवलपमेंट (CDP)** द्वारा **प्रत्येक तीन वर्ष** में की जाती है। यह समिति **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC)**[50] की एक सहायक संस्था है।
- **LDCs के निर्धारण के मानदंड:** CDP **निम्नलिखित मानदंडों** का उपयोग करके इसमें पात्र देशों को शामिल करने की सिफारिशें करती है:
  - **प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (Gross National Income: GNI)।**
  - **मानव संपत्ति सूचकांक (Human Assets Index: HAI)।**
  - **आर्थिक और पर्यावरणीय सुभेद्यता सूचकांक (Economic and Environmental Vulnerability Index: EVI)।**

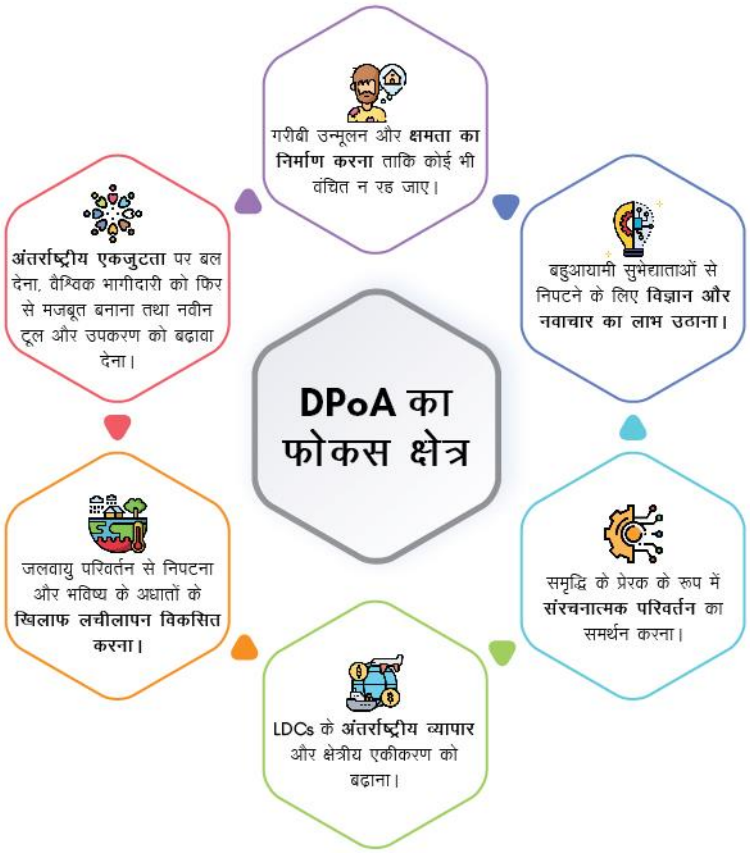

अल्प विकसित देशों (LDCs) को सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई पहलें:

- **व्यापार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समर्थन उपाय (International Support Measures: ISMs):** इसके तहत वस्तुओं और सेवाओं एवं सेवा आपूर्तिकर्ताओं के लिए **अधिमान्य बाजार पहुंच** प्रदान की गई है। इसके अलावा, इसमें WTO के नियमों के तहत दायित्वों के बारे में **विशिष्ट आचरण/ व्यवहार** और **कुछ क्षेत्रीय समझौते** भी शामिल हैं।
- **वित्तीय और तकनीकी सहायता:**
  - **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP):** UNDP के प्रमुख संसाधनों के आवंटन के लिए प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या प्राथमिक मानदंड हैं।
  - **संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD):** यह निम्नलिखित के लिए अल्प विकसित देशों की सहायता करता है:
    - संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए,
    - उत्पादक क्षमता बढ़ाने में,
    - गरीबी को कम करने में, और
    - प्रतिकूल कारकों के प्रति लचीला बनने में।
- **अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर LDCs:** अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भाग लेने में उनकी मदद करने के लिए समर्थन के कई उपाय किए गए हैं, जैसे- संयुक्त राष्ट्र के बजट में **योगदान करने की अधिकतम निर्धारित सीमा और छूट;** वार्ताकारों के लिए **क्षमता निर्माण** आदि।

[50] United Nations' Economic and Social Council

- **अल्प विकसित देश कोष (Least Developed Countries Fund: LDCF):** यह LDCs को **अधिक मजबूत** भविष्य के लिए तैयारी करने में सक्षम बनाता है। यह कोष, प्राप्तकर्ता देशों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और इकोसिस्टम में **जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता** को कम करने में मदद करता है।

5.2. एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank: ADB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 2023-27 की अवधि हेतु भारत के लिए एक नई "कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी (CPS)" शुरू की है

कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी (CSP) के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी (CPS) 2023-2027,** ADB की **स्ट्रैटेजी 2030** की कार्य प्रणाली से संबंधित सात प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगी।
  - **स्ट्रैटेजी 2030** के तहत ADB का उद्देश्य **एशिया और प्रशांत क्षेत्र को समृद्ध, समावेशी, लचीला व सतत** बनाने के अपने विज़न का विस्तार करना है। ऐसा करते हुए चरम गरीबी के उन्मूलन के अपने प्रयासों को भी बनाए रखना है।
  - **लागत-साझाकरण व्यवस्था:** ADB कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी की अवधि के दौरान समग्र ऋण पोर्टफोलियो के लिए 70:30 औसत लागत साझाकरण अनुपात जारी रखेगा।
- **इस स्ट्रैटेजी के निम्नलिखित 3 प्रमुख स्तंभ हैं:**
  - **संरचनात्मक बदलाव और रोजगार सृजन में तेजी लाना;**
  - **पर्यावरण-अनुकूल संवृद्धि को बढ़ावा देना;**
  - **सामाजिक और आर्थिक समावेशन को मजबूत करना।**

चुनौतियां

- **विभेदक दृष्टिकोण:** भारत एक विविधतापूर्ण राष्ट्र है। इस कारण ADB को भारत में विविध विकास उपलब्धियों को हासिल करने तथा अलग-अलग राज्यों तक पहुंच स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः ऐसे में इसे निम्न और उच्च आय वाले राज्यों के बीच तथा उनके भीतर एक अलग दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
  - **निम्न आय वाले राज्यों को सहायता:** ऐसे राज्यों में समावेशी संवृद्धि को तीव्र करने के लिए बुनियादी अवसंरचना व सेवाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
  - **उच्च आय वाले राज्यों को सहायता:** ऐसे राज्यों में नवाचार और उत्तम पद्धतियों को समाहित करने वाली परिवर्तनकारी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाता है।

- **निजी क्षेत्रक में निवेश:** गैर-सरकारी परिचालनों के माध्यम से सरकारी बुनियादी ढांचे के वित्त-पोषण को बढ़ावा देने के लिए ADB द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता है। हालांकि, यह सहायता मौजूदा निजी क्षेत्रक द्वारा निवेश के अवसरों की मात्रा और प्रकार पर निर्भर करती है। भारत में निजी क्षेत्रक का निवेश कम या अधिक रहने के कारण यह ADB के लिए एक चुनौती बन गया है।

निष्कर्ष

भारत के लिए कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी, भारत की राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप है, जिन्हें 2047 तक हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, यह दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को मजबूत बनाने के लिए भारत की विशेष स्थिति का लाभ भी उठा सकता है।

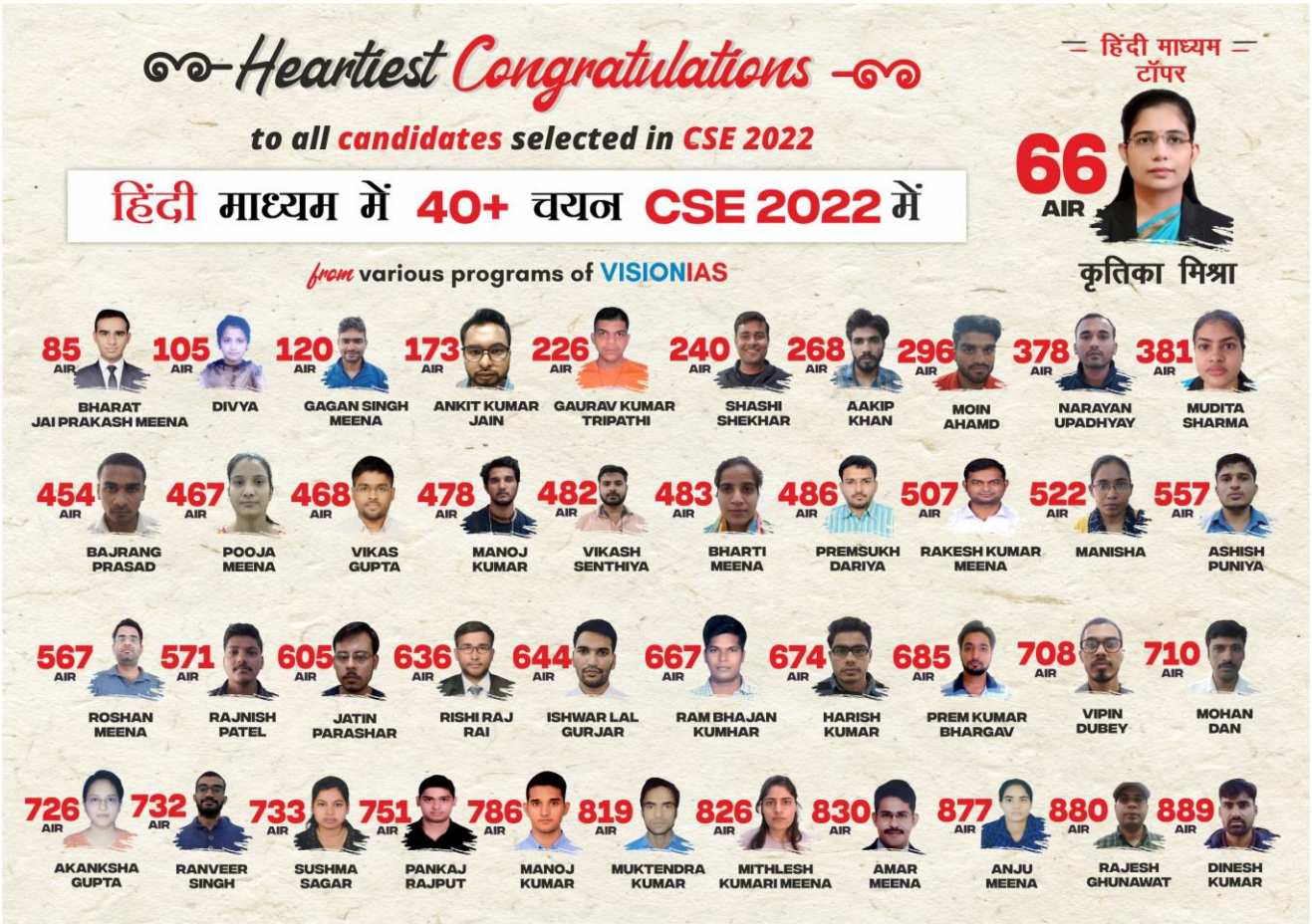

6. बदलती विश्व व्यवस्था की गतिशीलता (Dynamics Of Changing World Order)

6.1. नियम आधारित विश्व व्यवस्था (Rules Based World Order: RBWO)

नियम आधारित विश्व व्यवस्था (RBWO): एक नज़र में

हाल के वर्षों में विश्व स्तर पर कई परिवर्तनकारी घटनाएं घटित हुई हैं। साथ ही, शांति और समृद्धि के लिए आवश्यक स्थितियों को संरक्षित करने के लिए "नियम–आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था" शब्द आम हो गया है।

नियम आधारित व्यवस्था को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया है, जहां सभी देश अपनी गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून, क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था, व्यापार समझौते, सांस्कृतिक व्यवस्था जैसे सहमत नियमों के अनुसार संचालित करने की साझा प्रतिबद्धता प्रकट करते हैं।

भारत पश्चिमी प्रौद्योगिकी और उपकरणों के लिए उभरता हुआ बाजार है। यह लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

1990–2008 के बाद से, 2020 में व्यापार धीमा होकर वैश्विक GDP के 52% तक पहुंच गया, जबकि गैर–टैरिफ और टैरिफ बाधाओं में वृद्धि के कारण संरक्षणवाद बढ़ गया है।

RBWO को सुनिश्चित करने वाले संस्थान:

- **राजनीतिक:** संयुक्त राष्ट्र शांति और सुरक्षा बनाए रखने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून को कायम रखने के लिए काम करता है।
- **आर्थिक:** ब्रेटन वुड संस्थानों (IMF और विश्व बैंक) को वैश्विक एकीकरण के लाभों को बहाल करने और बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया था।
- **सामाजिक:** संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है।
- **पर्यावरण:** संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) पर्यावरणीय उद्देश्यों के कार्यान्वयन में सुसंगतता को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है।
- **विवाद निवारण:** अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध आदि से संबंधित अपराधों के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है।

विश्व व्यवस्था को बदलने में भारत की भूमिका

- **राजनीतिक:** कैरेबियन समुदाय (CARICOM) और पैसिफिक आइलैंड फोरम के तहत द्वीपीय राष्ट्रों के साथ भारत का संपर्क लगातार बढ़ रहा है। ये द्वीपीय राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र में 40 से अधिक सदस्यों के रूप में योगदान देते हैं।
- **सुरक्षा:** चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण, भारत चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का मुकाबला करने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड्स रणनीति लेकर आया।
- **भू–राजनीति:** गुटनिरपेक्षता एवं द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी से लेकर SCO, ब्रिक्स और अब I2U2 जैसे बहुपक्षीय समूहों की सदस्यता आदि के रूप में बदलाव आया है।
- **पर्यावरण:** 2070 तक कार्बन का शुद्ध शून्य उत्सर्जक बनने से लेकर 2030 तक 500 गीगा–वाट की गैर–जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता तक भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

नियम आधारित विश्व व्यवस्था के समक्ष चुनौतियां

- **समानता:** RBWO को बहुसंख्यकों के लाभ के लिए काम करना चाहिए न कि अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए।
- **भू–राजनीतिक:** प्रायः रूस और चीन UNSC में किसी भी संकल्प को अस्वीकार करने के लिए वीटो शक्ति का उपयोग करते हैं।
- **सामाजिक–आर्थिक:** 2008–09 के वैश्विक वित्तीय संकट ने स्थापित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की संरचनात्मक कमजोरियों और अनुचितता को उजागर किया था।
- **सुरक्षा:** RBWO, सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) के प्रसार का समाधान करने, आतंकवाद पर अंकुश लगाने और रूस द्वारा क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जे तथा यूक्रेन के साथ जारी युद्ध जैसे संघर्षों पर अंकुश लगाने में असमर्थ है।
- **पर्यावरण:** कई विकसित देशों का UNFCC के तहत जलवायु समझौतों से बाहर निकलना जलवायु समझौतों के कार्यान्वयन के मुद्दों पर प्रकाश डालता है।

आगे की राह

- **ब्रेटन वुड्स संस्थाओं का नवीनीकरण:** IMF और विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्डों में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।
- **शक्ति का संतुलन:** अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में होने वाले सुधार को शक्ति संतुलन में बदलाव को प्रतिबिंबित करना चाहिए, लेकिन इसके साथ वैश्विक शासन की प्रकृति का मौलिक पुनर्मूल्यांकन भी होना चाहिए।
- **वैश्विक व्यापार:** वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए WTO की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु तत्काल उपायों की आवश्यकता है।
- **बाह्य अंतरिक्ष:** बाह्य अंतरिक्ष को नियंत्रित करने वाले मानदंडों और नियमों को संशोधित करने की आवश्यकता है।
- **विवाद निपटान:** अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चिंता के जटिल/संवेदनशील मामलों पर निर्णय लेने तथा हल करने के लिए कदम उठाने चाहिए।
- **मानवाधिकार:** अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना के शब्दों में, मौलिक मानवाधिकारों में विश्वास की पुनः पुष्टि करनी चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। साथ ही, उन्हें शांतिपूर्ण, समृद्ध और न्यायपूर्ण विश्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रणालियों को मजबूत करने हेतु प्रतिबद्ध होना चाहिए।

6.2. भारत की विदेश नीति की गतिशीलता (Evolving Dynamics of India's Foreign Policy)

भारत की विदेश नीति की गतिशीलता: एक नज़र में

भारत की विदेश नीति पंचशील या शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के पांच सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। यह सिद्धांत आपसी सम्मान, सह–अस्तित्व, अहस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ की वकालत करता है।

भारत की विदेश नीति के लक्ष्य:

- भारत को परंपरागत और गैर–परंपरागत खतरों से बचाना।
- एक ऐसा बाहरी वातावरण बनाना, जो भारत के समावेशी विकास के लिए अनुकूल हो।
- यह सुनिश्चित करना कि वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष सुना जाए और भारत विश्व की राय को प्रभावित करने में सक्षम हो।
- भारतीय प्रवासियों को साथ लाना और उनकी रक्षा करना।

भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत

- **सामरिक स्वायत्तता:** उदाहरण के लिए– हिंसा रोकने पर जोर देते हुए UNSC में रूस के खिलाफ मतदान से परहेज करके, भारत अपनी निष्पक्षता दिखाने में कामयाब रहा है।
- **विचारधाराओं और शासन व्यवस्था में बदलाव को थोपने** या क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन का विरोध।
- अन्य देशों के आंतरिक मामलों में दखल पर हस्तक्षेप {पूर्व बांग्लादेश (1971), श्रीलंका में IPKF (1987–90), मालदीव (1988)}।
- **आक्रामकता की जगह रचनात्मक जुड़ाव।**
- **वैश्विक आयाम के मुद्दों पर वैश्विक सहमति।**
- **कूटनीतिक आउटरीच** के मुद्दों पर वैश्विक सहमति, जिससे द्विपक्षीय रिश्ते और साझेदारियां बढ़ेंगी।

भारत की विदेश नीति के विशिष्ट महत्व वाले क्षेत्र

- नेबरहुड फर्स्ट नीति और विस्तारित पड़ोस पर ध्यान केंद्रित कर **एकीकृत पड़ोस को प्राथमिकता देना।**
- भारत के घरेलू विकास को बढ़ावा देने के लिए **अंतर्राष्ट्रीय समानता** का लाभ उठाना, जिसमें प्रमुख शक्तियों के बीच संबंधों का रणनीतिक संतुलन, मध्यवर्ती शक्तियों तक पहुंच आदि शामिल है।
- **शक्ति का एक स्थिर और बहुध्रुवीय संतुलन** सुनिश्चित करना और **नियम–आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था** पर जोर देना।
- **वसुधैव कुटुंबकम** के अपने लोकनीति के साथ वैश्विक शासन के मामलों पर भारतीय प्रतिनिधित्व और नेतृत्व को आगे बढ़ाना।
- भारत के वैश्विक प्रभाव को आगे बढ़ाने के लिए **अध्यात्म, योग जैसे क्षेत्रों में सॉफ्ट पावर क्षमता का लाभ उठाना।**

भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौतियां

- सीमा विवाद, आतंकवाद जैसे कारकों के कारण **क्षेत्रीय अस्थिरता।**
- अन्य कारणों के अलावा प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, रूस–यूक्रेन युद्ध आदि के परिणामस्वरूप **गैर–अनुकूल बाहरी वातावरण।**
- कोविड–19 के बाद तनावपूर्ण वैश्विक आर्थिक स्थिति।
- **ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयला और कच्चे तेल हेतु भारत की आयात पर निर्भरता** बहुत अधिक बनी हुई है।
- सहयोग के लिए स्थापित वैश्विक ढाँचे विघटित हो रहे हैं, उदाहरण के लिए– दोहा दौर की व्यापार वार्ता।
- प्रवासी आबादी के साथ प्रभावी जुड़ाव के लिए **घरेलू प्रणालीगत बाधाएं और संसाधनों की कमी** है।
- गैर–पारंपरिक चुनौतियों और खतरों का उदय, जैसे–इंडो–**पैसिफिक की समुद्री भू–राजनीति, परमाणु हथियार, महामारी और उभरती हुई प्रौद्योगिकियां।**

आगे की राह

- **चीन के साथ चतुराई से निपटना और भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा** करना।
- **पाकिस्तान को स्थिर करने के लिए सचेत प्रयास** करना। साथ ही, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना।
- **विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़कर रणनीतिक स्वायत्तता के क्षेत्र का विस्तार** करना।
- **बहु–स्तरीय जुड़ाव (Multi - alignment) का अनुसरण करना,** जहां सभी प्रमुख संबंध सकारात्मक रूप से सक्रिय हों।
- सीमा सुरक्षा, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, गैर–भेदभावपूर्ण वैश्विक व्यापार प्रथाओं जैसे **राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना।**
- **घरेलू आर्थिक सुधारों में तेजी लाकर** व संस्थानों को मजबूत बनाकर घरेलू विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि।
- क्षेत्रीय हितों को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के लिए अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति में नारीवादी आयाम को बढ़ावा देना।
  - उदाहरण के लिए – हार्ड(HARD) ऑपरेशन में संकटग्रस्त क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों की विशिष्ट ज़रूरतें शामिल होनी चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विधि के शासन को बेहतर बनाने में **नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाना।**

भारत ने वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाने और स्वयं को एक धुरी के रूप में गिने जाने की अपनी इच्छाशक्ति का स्पष्ट रूप से प्रदर्शन किया है। घरेलू स्तर पर निरंतर स्थिरता और समृद्धि एवं व्यापक विदेश नीति मापदंडों पर राजनीतिक सहमति, भारत को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी।

6.2.1. भारत की आर्थिक कूटनीति (India's Economic Diplomacy)

भारत की आर्थिक कूटनीतिः एक नज़र में

आर्थिक कूटनीति विदेश नीति का एक साधन है जिसमें देश के **आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक हितों की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिचालन में आर्थिक साधनों का उपयोग** शामिल है।

2008 और 2020 के बीच, भारत ने विभिन्न विकास समझौतों के तहत अनुदान और ऋण के रूप में लगभग **8.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का वितरण किया।

आर्थिक कूटनीति के उद्देश्य

- देश को एक **प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में पेश करना।**
- अनुकूल **बहुपक्षीय व्यापार वार्ता सुनिश्चित करना।**
- विदेशी संसाधनों तक पहुंच और देश में **विदेशी निवेश को बढ़ावा देना।**
- विदेशों में **निर्यात एवं व्यापार को बढ़ावा देना।**
- आर्थिक कार्यों के माध्यम से **राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना।**

2020–21 में **भारत में FDI प्रवाह 81.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर** था।

आर्थिक कूटनीति के प्रमुख साधन

- **निवेश आकर्षित करना और निर्यात को बढ़ावा देनाः** यह किसी देश को आर्थिक शक्ति बनने में मदद करता है।
- **साझेदार देशों के लिए वित्त जुटानाः** यह एक विश्वसनीय विकास भागीदार के रूप में देश की छवि को मजबूत करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय नियमों को स्थापित करने और लागू करने के लिए समर्थन जुटानाः** यह अपने देश के हितों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने हेतु कारगर उपाय के रूप में कार्य करता है।
- **आर्थिक प्रतिबंधः** ऐसे देश से अनुकूल नीतिगत लाभ उठाना जिसके साथ, राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं हैं।

आर्थिक कूटनीति के प्रयोग में भारत की सफलता

- वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था की **प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए FDI मानदंडों को उदार बनाने, PLI योजनाओं और आत्मनिर्भर भारत अभियान** जैसी कई पहलें शुरू की गई हैं।
- **बहुपक्षीय प्लेटफार्म्स के माध्यम से वित्त–पोषणः भारत–संयुक्त राष्ट्र विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन** (ISA) आदि।
- साझेदार देशों को अनुदान के साथ–साथ **लाइन ऑफ क्रेडिट** (LOC) **के रूप में द्विपक्षीय विकास सहायता।**
- भारत दक्षिण–दक्षिण सहयोग (SSC) गठबंधन के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है।
- भारत संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का अनुपालन करता है लेकिन एकतरफा प्रतिबंधों का विरोध भी करता है।

आर्थिक कूटनीति को आगे बढ़ाने में भारत के समक्ष चुनौतियां

- भारत WTO जैसे बहुपक्षीय मंचों में सुधारों के लिए **बहुमत का समर्थन जुटाने में असमर्थ** है।
- विकास सहयोग के लिए **स्पष्ट रणनीति का अभाव है।**
- संसाधनों की कमी के कारण **क्षेत्रीय भेदभाव और विकास सहायता का खराब कार्यान्वयन** किया जा रहा है।
- नौकरशाही की विभाजित संरचनाएं **आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्यों के एकीकरण को प्रभावित** करती हैं।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला** (GVC) में शामिल वस्तुओं की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
- दक्षिण एशियाई क्षेत्र में **चीन से प्रतिस्पर्धा का सामना** करना पड़ रहा है।
- संरक्षणवाद, बहुपक्षीय संस्थानों का कमजोर होना, मानवीय संकट जैसे उभरते मुद्दे मौजूद हैं।

आगे की राह

- **घरेलू सुधारः** क्षमताओं, प्रस्तावों और विकास एवं उत्पादकता के नए इंजनों आदि के इर्द–गिर्द एक नई रूपरेखा का निर्माण करना चाहिए।
- आर्थिक कूटनीति से संबंधित एक उचित नीति तैयार करनी चाहिए।
- **सहायता कार्यक्रम में सुधारः** देश–वार रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना, अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी की स्थापना आदि उपाय करने चाहिए।
- **GVC में आगे बढ़नाः** पी.एम. गति शक्ति और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।
- **उभरते अवसरों का लाभ उठानाः** स्वास्थ्य कूटनीति अपनाना, डिजिटल क्षेत्र के लिए डोमेन विशेषज्ञों को शामिल करना, लघुपक्षीय संगठनों में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाना, आदि।
- **ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देना,** नीति निर्माण में लचीलापन लाना आदि।

आर्थिक कूटनीति को **प्रतिस्पर्धा और सहयोग, आकांक्षाओं और प्राप्य लक्ष्यों तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के बीच संतुलन** बनाना चाहिए। इसे नियम–आधारित सहयोग की मजबूत नींव पर संचालित किया जाना चाहिए। साथ ही, घरेलू स्तर पर भारत के ठोस कदम, वैश्विक मंच पर एक प्रमुख अभिकर्ता के रूप में इसके उद्भव को प्रेरित करेंगे।

6.2.2. पैराडिप्लोमेसी (Paradiplomacy)

पैराडिप्लोमेसी: एक नज़र में

इस अवधारणा को पहली बार 1990 में जॉन किनकैड ने प्रस्तावित किया था। यह गैर–केंद्रीय सरकारों की विदेश नीति क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में केंद्र सरकार से स्वतंत्र उनकी भागीदारी को इंगित करती है।

विकेंद्रीकरण: पिछले तीन दशकों में, भारत की राज्य सरकारें पैराडिप्लोमेसी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बाहरी दुनिया के साथ भारत के संबंधों में महत्वपूर्ण हितधारक बन गई हैं।

7वीं अनुसूची में संघ सूची के तहत विदेशी मामले विशेष रूप से "संघ" का विषय है।

उभरती प्रवृत्तियां:

- गुजरात, गोवा, पंजाब द्वारा **वाइब्रेन्ट इनवेस्टमेंट समिट** का आयोजन।
- **बॉर्डर हाटों** के माध्यम से अधिक सीमा–पार व्यापार।
- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में विदेशी सहयोग समझौतों में वृद्धि।
- उच्चस्तरीय मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल।
- अंतर्राष्ट्रीय निकायों और शिखर सम्मेलनों में मुख्यमंत्री की उपस्थिति।

पैराडिप्लोमेसी का महत्त्व

- यह **संघीय ढांचे को मजबूत** करती है क्योंकि यह विकास में समान भागीदार के रूप में कार्य करने वाले राज्यों पर अधिक बल देती है।
- उप–राष्ट्रीय सरकार के **प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बढ़ावा देती है।**
- क्षेत्रीय मुद्दों को वैश्विक मंच पर लाकर और वैश्विक समस्याओं का **स्थानीय समाधान ढूंढकर स्थानीयता के वैश्वीकरण की सुविधा** प्रदान करती है।
- **सार्वजनिक नेतृत्व को मजबूत करती है।**
- **स्थानीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान–प्रदान की अनुमति देती है।**
- **संघीय सरकारों के साथ विदेश नीति–निर्माण** के संसाधनों और लागत को साझा करने की सुविधा प्रदान करती है।

भारत में निम्नलिखित कारकों के चलते पैराडिप्लोमेसी गतिविधियों में तेजी से वृद्धि देखी गई है:

- **ऐतिहासिक कारक**, जैसे– विवादित सीमाएं, साझा संस्कृतियां और आर्थिक परिवेश।
- **1967 से गठबंधन की सरकार और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय।**
- **आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण।**
- डिजिटल इंडिया, मेक–इन–इंडिया जैसी **सरकारी पहलें।**
- **विदेश मंत्रालय में राज्य प्रभाग का गठन।**
- **सिस्टर–सिटी समझौते, जैसे कि मुंबई–संघाई, वाराणसी–टोक्यो इत्यादि।**

पैराडिप्लोमेसी से जुड़ी चुनौतियां

- जब राज्य केंद्र से असामान्य व्यवहार करते हैं तो **विदेश नीति में समन्वय का अभाव** होता है।
- **मी–टूइज़्म** यानी राज्यों द्वारा पैरा डिप्लोमैटिक व्यवहार की नकल मात्र करना।
- **राज्यों की सीमित वित्तीय भूमिका।**
- अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्यों की प्रभावी भागीदारी पर **डेटा या सिद्धांत का अभाव।**
- **भारत में राज्यों के बीच विविधता।**
- विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में **सुरक्षा संबंधी चिंताएं।**
- जागरूकता का निम्न स्तर और अनुभव की कमी।

आगे की राह

- **केंद्रीय और गैर–केंद्रीय सरकारों की भूमिकाओं में संतुलन** लाया जाना चाहिए।
- अलग–अलग राज्यों में वाणिज्य दूतावासों के निर्माण और अधिकारियों के प्रशिक्षण के माध्यम से **प्रभावी संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाए।**
- **औपचारिक विधान लागू** किए जाएं।
- राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा में **सीमावर्ती राज्यों की भूमिका की खोज** की जाए।
- **अंतर्राज्यीय परिषद** जैसे मौजूदा समन्वय तंत्र को मजबूत किया जाए।
- **अच्छी प्रथाओं की पहचान करना और उन्हें लागू करना चाहिए।**
- राज्यों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए **प्रौद्योगिकी का लाभ** उठाना चाहिए।

भारत में पैराडिप्लोमेसी अब भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। पैराडिप्लोमेसी की क्षमता का उपयोग करके, भारत अपनी विविध क्षेत्रीय शक्तियों का लाभ उठा सकता है और उपराष्ट्रीय संस्थाओं को अपने स्वयं के अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव को आकार देने के लिए सशक्त बनाते हुए वैश्विक कूटनीति में प्रभावी ढंग से योगदान दे सकता है।

6.3. भारत और ग्लोबल साउथ (India and Global South)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने एक विशेष वर्चुअल समिट **वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन** की मेजबानी की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस शिखर सम्मेलन में **विश्व को फिर से सक्रिय करने के लिए 'प्रतिक्रिया, पहचान, सम्मान और सुधार' के एक वैश्विक एजेंडे का आह्वान** किया गया था।

शिखर सम्मेलन में शुरू की गई पहलें

- **आरोग्य मैत्री (वेलनेस फ्रेंडशिप):** भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा।
- **ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस:** यह ग्लोबल साउथ के किसी भी देश के विकास समाधानों या सर्वोत्तम प्रथाओं पर शोध करेगा। इसे ग्लोबल साउथ के अन्य सदस्य देशों में भी बढ़ाया और लागू किया जा सकता है।
- **ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव:** भारत अन्य विकासशील देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करेगा।
- **ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमैट्स फोरम:** यह विदेश मंत्रालयों के युवा अधिकारियों को एक साथ लाएगा।
- **ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप्स:** इसके ज़रिए विकासशील देशों के विद्यार्थियों को भारत में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

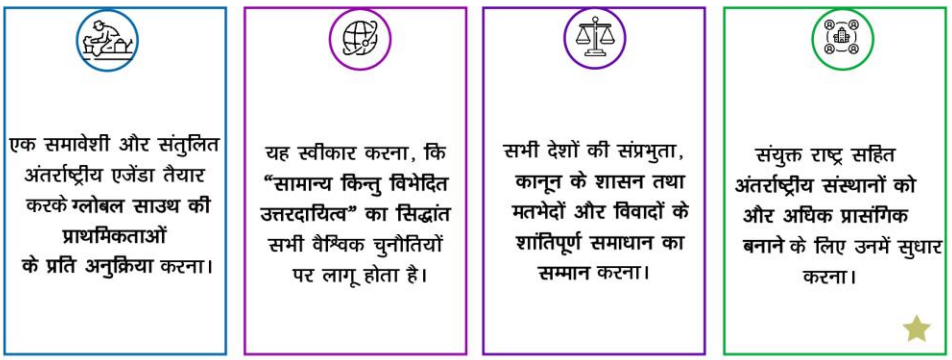

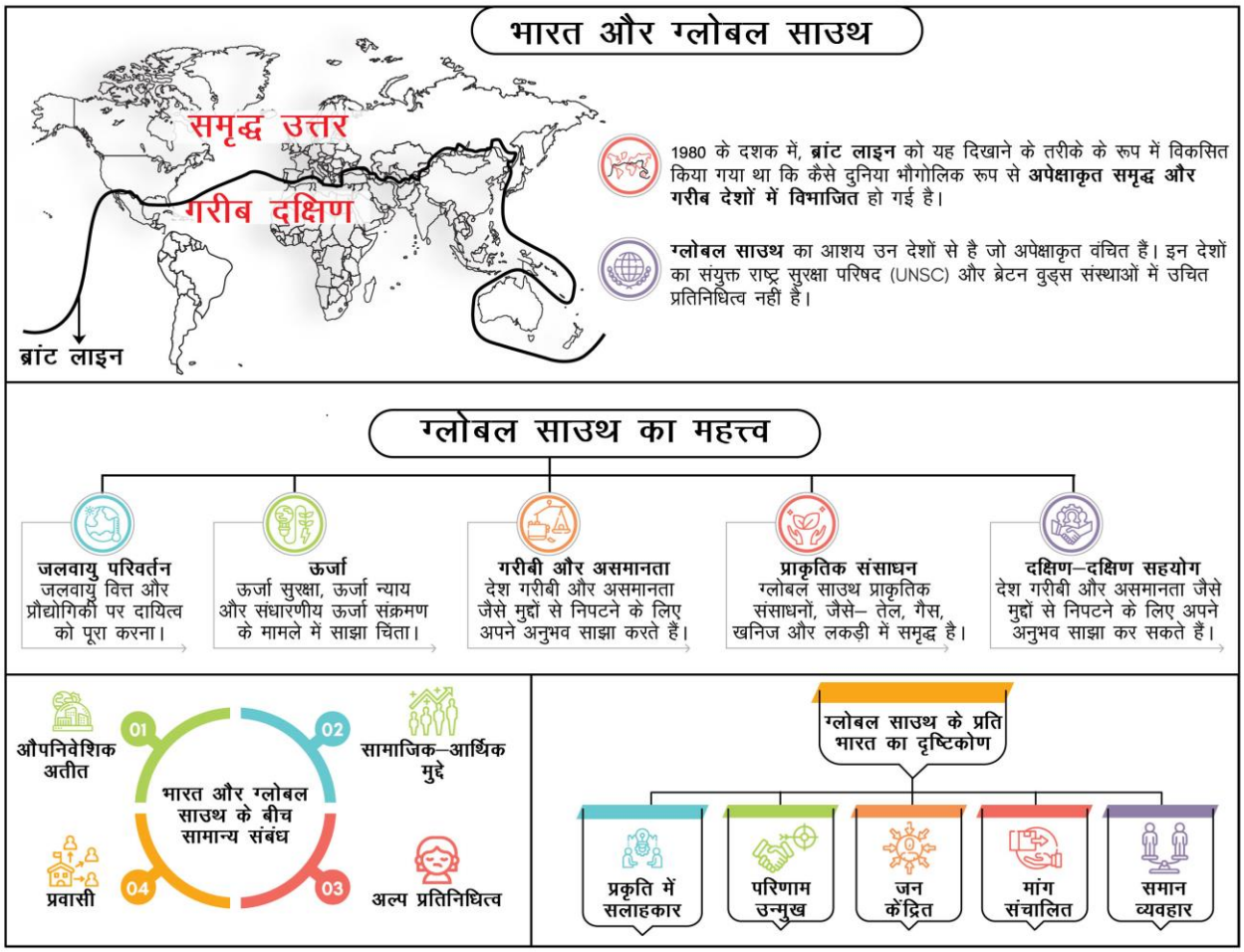

ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ाव में आने वाली चुनौतियां

- **ग्लोबल साउथ को एकजुट करना:** विकासशील देशों के बीच गहरे आर्थिक भेदभाव और राजनीतिक अलगाव के कारण ग्लोबल साउथ के अनुमानित सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करना मुश्किल है।
- **घरेलू मुद्दे:** भारत प्रभावशाली समग्र सकल घरेलू उत्पाद और बढ़ती आर्थिक, औद्योगिक एवं तकनीकी क्षमताओं के बावजूद स्वयं कई विकासात्मक चुनौतियों का सामना कर रहा है। साथ ही, बढ़ती जनसंख्या इसके संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाल रही है।
- **पिछले अनुभव:** गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM), G-77 जैसे समूह विकासशील देशों की आवाज उठाने में ज्यादा प्रभावी नहीं रहे हैं।
- **वित्त में पश्चिमी आधिपत्य:** भारत विकासशील देशों की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है।
  - इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस जैसे पश्चिमी देश अपने वित्तीय संसाधनों का लाभ उठाते हैं।

भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष (UNDF)

- हाल ही में, **दक्षिण-दक्षिण सहयोग के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में** भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग** वस्तुतः अर्जेंटीना में विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और कार्यान्वित करने के लिए **ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन (BAPA)**[51] पर आधारित है।

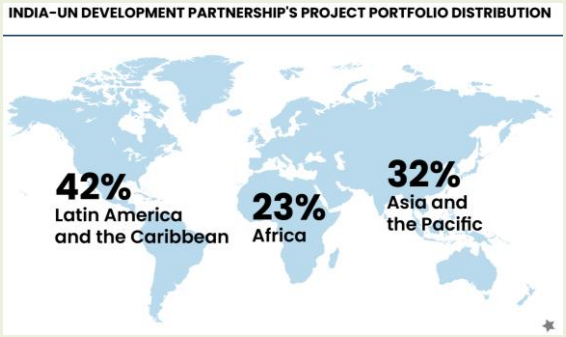

संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष (UNDPF)[52] के बारे में

- यह UNFCCC[53] के अधीन **स्थापित एक समर्पित सुविधा** है। इसे **वर्ष 2017** में गठित किया गया था।
- यह दुनिया के विकासशील के देशों में **दक्षिण के स्वामित्व और नेतृत्व वाली, मांग-संचालित व परिवर्तनकारी सतत विकास परियोजनाओं का समर्थन करता** है।
  - यह अल्प विकसित देशों और लघु द्वीपीय विकासशील राष्ट्रों पर केंद्रित है।

ग्लोबल साउथ के साथ संपर्क को बढ़ाना:

- **सहयोग:** ग्लोबल साउथ के साथ सहयोग को बढ़ाने के लिए नियमित अवधियों पर शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाने चाहिए।
- **आपसी विश्वास:** सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और विश्वास बहाली के उपाय आपसी विश्वास को बढ़ाने में मदद करेंगे।
- **विकास परियोजनाएं:** समान विचारधारा वाले देशों की मदद से भारत ग्लोबल साउथ के अन्य देशों में विकास परियोजनाओं को लागू कर सकता है, उदाहरण के लिए, एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC) में भारत-जापान साझेदारी।
- **हितों को बढ़ावा देना:** भारत द्वारा ग्लोबल साउथ के देशों के हितों को G-20 जैसे मंचों पर प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। भारत की G-20 अध्यक्षता उसे यह अवसर प्रदान करती है।

ग्लोबल साउथ से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां

- **उत्तर-दक्षिण की बहस विकसित उत्तर और विकासशील एवं अल्पविकसित दक्षिण** के बीच एक प्रकार के शीत युद्ध के समान है। ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन आदि मुद्दों पर दोनों के दृष्टिकोण अलग-अलग हैं।
- **उत्तर-दक्षिण सहयोग:** यह सहयोग का एक सर्वाधिक पारंपरिक प्रकार है। इसके तहत एक विकसित देश आर्थिक रूप से या किसी अन्य प्रकार के संसाधनों के साथ अपने लाभ को प्राथमिकता दिए बिना विकासशील देशों की सहायता करता है। उदाहरण के लिए- प्राकृतिक आपदा या मानवीय संकट के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation):** दक्षिण-दक्षिण सहयोग दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों के बीच सहयोग और आदान-प्रदान के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। यह सहयोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण और तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित है।
- **त्रिकोणीय सहयोग:** इसमें दो या दो से अधिक विकासशील देशों के बीच दक्षिण-संचालित साझेदारी शामिल है। इसमें विकास सहयोग कार्यक्रमों और परियोजनाओं को लागू करने के लिए विकसित देशों /या बहुपक्षीय संगठनों द्वारा समर्थन की आवश्यकता है।

[51] Buenos Aires Plan of Action for Promoting and Implementing Technical Cooperation among Developing Countries

[52] UN Development Partnership Fund

[53] जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन / United Nations Framework Convention on Climate Change

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM)

- इसका गठन शीत युद्ध के दौरान उन देशों के एक संगठन के रूप में किया गया था, जो औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। **भारत, मिस्र, इंडोनेशिया तथा यूगोस्लाविया ने इसके गठन नेतृत्व किया था।**
  - NAM की नीति **पंचशील के 5 सिद्धांतों** पर आधारित है।

NAM के घटते महत्त्व के कारण

- वर्तमान **विश्व व्यवस्था,** द्विध्रुवीय से कहीं अधिक जटिल तथा बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में **परिवर्तित हो गई है।**
- **आर्थिक व्यावहारिकता का अभाव:** NAM के कई सदस्य देश समाजवाद और सरकार के नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था की अवधारणा से जुड़े हुए हैं, जिसकी प्रासंगिकता अब नहीं रही है।
- G-7, आसियान और ब्रिक्स जैसे **क्षेत्रीय संगठनों** का प्रभुत्व बढ़ा है।
- सदस्य देशों के बीच **असहमति** देखने को मिलती है। साथ ही, उनकी **प्राथमिकताएं भी अलग-अलग** हैं।
- NAM के गठन के बाद से **वैश्विक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों की प्रकृति** में काफी बदलाव आया है।

NAM की वर्तमान प्रासंगिकता

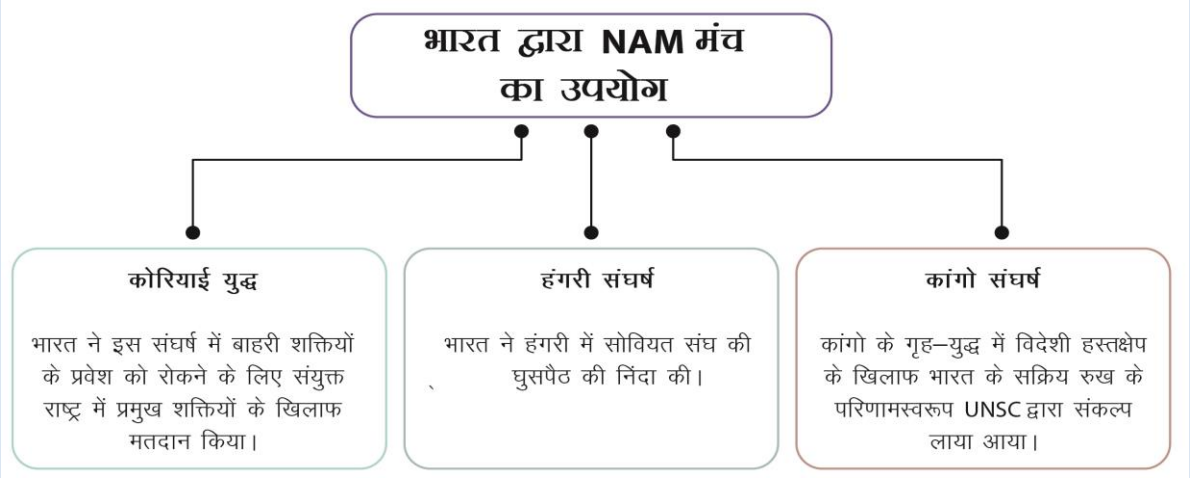

- **विदेश नीति का अभिन्न अंग:** भारत जैसे कई विकासशील देश अभी भी NAM की नीति का पालन करते हैं।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए मंच:** NAM विकासशील देशों को एक साथ लाने और साझा चुनौतियों तथा हितों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- **एकजुटता और सामूहिक आवाज़:** NAM छोटे और विकासशील देशों को सामूहिक आवाज़ उठाने और वैश्विक मामलों पर अपना प्रभाव डालने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- **बहुपक्षवाद और वैश्विक शांति को बढ़ावा देना:** NAM बहुपक्षवाद, कूटनीति और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांतों का समर्थन करता है।
- **राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करना:** NAM के सदस्य देश आत्मनिर्णय, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने, गैर-आक्रामकता और सदस्य देशों की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता की रक्षा करने के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं।

6.4. सॉफ्ट पॉवर कूटनीति (Soft Power Diplomacy)

सॉफ्ट पॉवर कूटनीतिः एक नज़र में

विदेश मंत्रालय के अनुसार, सॉफ्ट पॉवर **बल या दबाव रहित तरीकों का उपयोग करके अपील और आकर्षण के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है।** यह हार्ड पॉवर से भिन्न है जो सशस्त्र बलों या आर्थिक साधनों जैसे मूर्त शक्ति संसाधनों पर निर्भर करती है।

ग्लोबल सॉफ्ट पॉवर इंडेक्स 2023 में भारत को 28वां स्थान दिया गया है।

2014 में, संयुक्त राष्ट्र ने **21 जून** को **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस** के रूप में घोषित करने के संकल्प को अपनाया।

वैश्विक समुदायों तक पहुंचने के लिए सॉफ्ट पावर साधनों का उपयोग करने हेतु **2006 में विदेश मंत्रालय के तहत पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीज़न** की स्थापना की गई थी।

भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति के साधनः

- भारत के पास 13 मिलियन NRIs और 18 मिलियन PIOs सहित 31 मिलियन से अधिक लोगों का **विशाल प्रवासी समुदाय है।**
- **बौद्ध सर्किट** जैसे कार्यक्रम के कारण पर्यटन को प्रोत्साहन।
- सांसदों द्वारा नियमित सद्भावना यात्रा।
- आयुर्वेद, योग और **पारंपरिक चिकित्सा का प्रसार।**
- ब्रिक्स, G-20, आसियान जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से सहयोग।
- **बॉलीवुड** का वैश्विक मनोरंजन के रूप में उदय।
- भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने हेतु योजनाएं।

भारत के लिए सॉफ्ट पॉवर का महत्त्वः

- यह **विदेश नीतियों की सफलता में प्रमुख निर्धारक** तत्व है, उदाहरण के लिए– अफगानिस्तान में भारत द्वारा सॉफ्ट पॉवर का उपयोग भारत के पक्ष में रहा है।
- भारत एकमात्र ज्ञात **परमाणु हथियार वाला देश है, जो परमाणु अप्रसार संधि का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी उसे परमाणु व्यापार में संलग्न होने की अनुमति** है।
- यदि सॉफ्ट पॉवर की उपेक्षा की जाती है, तो प्रतिकूल परिणामों की संभावना के चलते हार्ड पॉवर का प्रभावी ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
- सॉफ्ट पॉवर के जरिए **सम्मान अर्जित किया जा सकता हैं और अपनी वैश्विक स्थिति को और बेहतर किया** जा सकता है।

भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति के साधनः

- विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा रेखांकित कुछ मुद्दे सॉफ्ट पॉवर और सांस्कृतिक कूटनीति के प्रभावी आचरण को बाधित कर रहे हैं:
  - समय पर एवं पर्याप्त बजट आवंटन का अभाव है।
  - सरकारी और निजी क्षेत्रक, दोनों में कई संस्थानों के बीच अधिक समन्वय और परामर्श की आवश्यकता है।
  - कुशल व प्रेरित कार्यबल की कमी है।
  - **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR)** के कार्यों को लेकर स्पष्टता का अभाव है।
- अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण, बाल श्रम और महिलाओं के खिलाफ हिंसा, तस्करी जैसे घरेलू मुद्दों के प्रभाव ने आगंतुकों को विचलित कर दिया है।
- **धार्मिक पर्यटन में अग्रणी थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों** की तुलना में भारत का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं है।

भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करने के उपाय

- **बाहरी मामलों पर संसदीय पैनल द्वारा की गई सिफ़ारिशें:** प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं–
  - अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का औपचारिक अध्ययन किया जाना चाहिए।
  - **'सॉफ्ट पॉवर मैट्रिक्स'** के माध्यम से सॉफ्ट पॉवर परिणामों के मूल्यांकन के लिए वस्तुनिष्ठ मैट्रिक्स विकसित करना।
  - विदेश मंत्रालय और इस कार्य से जुड़े अन्य मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के बीच **अधिक तालमेल की आवश्यकता** है।
  - **विदेशों में पर्यटन कार्यालयों** की संख्या बढ़ाना और प्रचार गतिविधियों के लिए **देश–विशिष्ट दृष्टिकोण** अपनाना।
  - प्रवासी भारतीयों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क बढ़ाना।
- **पर्यटन को बढ़ावा देनाः** उत्पाद वृद्धि, बेहतर कनेक्टिविटी और **रचनात्मक प्रचार पर** ध्यान केंद्रित करने वाला **एक बहु–आयामी दृष्टिकोण** अपनाना चाहिए।

सॉफ्ट पॉवर का महत्त्व तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसे पर्याप्त हार्ड पॉवर क्षमताओं द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। भारत को अपना अधिक प्रभाव बनाए रखने के लिए उच्च आर्थिक संवृद्धि स्तर हासिल करने की आवश्यकता है।

6.4.1. सॉफ्ट पावर कूटनीति के रूप में धर्म (Religion As Soft Power Tool)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा समारोह** में एक प्रदर्शनी के लिए भगवान बुद्ध के चार पवित्र अवशेषों को **मंगोलिया** ले जाया गया था।

सॉफ्ट पावर कूटनीति के रूप में धर्म' के संदर्भ में भारत की क्षमता

- **भारत की धार्मिक विविधता इसकी सबसे बड़ी ताकत है:** भारत भाग्यशाली है कि दुनिया के **सभी प्रमुख धर्म यहां पर हैं। चार धर्मों की स्थापना यहां पर हुई है:** हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। **चार धर्म बाहर से आए हैं:** पारसी धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम।
- **विभिन्न धार्मिक स्थलों की मौजूदगी:** भारत में विभिन्न धर्मों के महत्व के कई स्थल हैं, जैसे:
  - **हिंदू धर्म के स्थल** जैसे- वाराणसी, तिरुपति, मदुरै आदि।
  - **बौद्ध धर्म के स्थल,** जैसे- बोधगया, सारनाथ और नालंदा।
  - दक्षिण भारत में ऐतिहासिक **चर्च और सिनेगॉग।**
  - **सूफी संतों** जैसे- मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया **की दरगाह** आदि।
- **भारत की नीति में इसकी भूमिका:** भारत की **'लुक ईस्ट पॉलिसी'** बौद्ध धर्म के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों पर जोर देते हुए बनाई गई है।
  - **सम्राट अशोक के समय से ही बौद्ध धर्म और राज्य कूटनीति के बीच संबंध रहे हैं।** इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद **धर्म विजय की प्रथा** शुरू की थी।
- **धार्मिक कूटनीति, भारत की परंपरा का अभिन्न अंग रही है:** "वसुधैव कुटुम्बकम" का सिद्धांत महा उपनिषद में निहित है।
  - **अशोक ने बौद्ध मिशनरियों** को सीलोन, मिस्र, मैसेडोनिया, तिब्बत जैसे दूरदराज के स्थानों पर भेजा था।
  - स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1893 में शिकागो धर्म संसद को संबोधित किया था। इस संबोधन ने भारत (विशेष रूप से इसकी संस्कृति और परंपराओं के लिए) के लिए बहुत आवश्यक मान्यता तथा सम्मान को अर्जित किया था।
- **भारतीय उपमहाद्वीप के लिए धर्म एक सामंजस्यपूर्ण बंधन है:** भारत के विभिन्न धर्म इसे सभी पड़ोसी देशों से जोड़ने में सहायता करते हैं। इस प्रकार, धर्म दक्षिण एशिया को उसकी विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं।

सॉफ्ट पावर के बारे में

- इसे 1980 के दशक के अंत में जोसेफ न्ये (Joseph Nye) ने प्रतिपादित किया था। "सॉफ्ट पावर" पद किसी देश की ऐसी क्षमता को संदर्भित करता है, जिसके माध्यम से वह अन्य देशों से बिना बल व दबाव के अपनी इच्छानुरूप कार्य करवा सकता है।
- व्यवहार में, यह देशों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने और साझेदारी को मजबूत करने के लिए सीमाओं के पार अपने **मूल्यों, आदर्शों और संस्कृति** को पेश करने पर बल देती है।
- सॉफ्ट पावर आमतौर पर **सरकार के बाहर** स्कूलों, धार्मिक संस्थानों और धर्मार्थ समूहों जैसे स्थानों में उत्पन्न होती है। यह संगीत, खेल, मीडिया आदि के माध्यम से भी प्रभावी होती है।

बौद्ध धर्म और भारत

भारत इस तथ्य के बावजूद कि भारत में निम्नलिखित कारणों से बौद्धों की अपेक्षाकृत कम आबादी है, फिर भी **बौद्ध कूटनीति को बढ़ावा देने की वैधता का दावा करता है-**

- **बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई,** इसलिए इस तथ्य ने भारत को विलक्षण ऐतिहासिक वैधता प्रदान की है।
- बोधगया, सारनाथ और नालंदा जैसे **बौद्ध धर्म के कई महत्वपूर्ण स्थल भारत में स्थित हैं।**
- भारत ने धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती संसद और दलाई लामा को आश्रय के माध्यम से **बौद्ध धर्म के उत्पीड़ितों का रक्षक होने की छवि** विकसित की है।
- **थेरवाद बौद्ध धर्म के साथ ऐतिहासिक संबंधों** का अर्थ यह है कि भारत अन्य बौद्ध देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने और इस आस्था की कई धाराओं के बीच संवाद स्थापित कराने की अच्छी स्थिति में है।

हाल के उदाहरण, जहां भारत ने एक सॉफ्ट पावर के रूप में धर्म कूटनीति का प्रदर्शन किया

- **सम्मेलनों का आयोजन:** उदाहरण के लिए, वर्ष 2011 में भारत ने **बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति** की 2,600वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए **वैश्विक बौद्ध मण्डली की मेजबानी की थी।**
- **वैश्विक नेताओं द्वारा धार्मिक स्थलों की यात्रा:** वर्ष 2015 में, **जापान के प्रधान मंत्री को बनारस** आमंत्रित किया गया था, जहां **हिंदू धर्म के साथ-साथ बौद्ध धर्म** के भी धार्मिक स्थल स्थित हैं।
  - सिंगापुर दौरे के दौरान, भारत के प्रधान मंत्री ने **देवी मरिअम्मन मंदिर और बुद्ध के दंत अवशेष मंदिर का दौरा किया था।**
- **धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना:** पर्यटन मंत्रालय ऐसे कई पर्यटन सर्किटों को बढ़ावा दे रहा है, जो राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर हैं।
  - उदाहरण के लिए **बौद्ध पर्यटन सर्किट**, जिसमें नेपाल के विभिन्न स्थलों जैसे **लुंबिनी और कपिलवस्तु** की यात्राएं भी शामिल हैं।
- **OIC की सदस्यता:** भारत ने **इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की सदस्यता** की इस आधार पर मांग की है कि उसके यहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी अधिवासित है।

सॉफ्ट पावर कूटनीति के रूप में धर्म की सीमाएं/संबंधित चिंताएं

- **धार्मिक पर्यटन में खराब प्रदर्शन:** भारत में वैश्विक बौद्ध पर्यटन का 1% से भी कम हिस्सा आता है। **थाईलैंड और इंडोनेशिया** जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देश इस तरह के **पर्यटकों के प्रमुख गंतव्य स्थान हैं।**
- **घरेलू नीतियां:** नीतिगत पहलों की एक श्रृंखला, जैसे- नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) आदि ने धार्मिक तनाव पैदा कर दिया है।
- **चीन एक प्रतिस्पर्धी के रूप में उभर रहा है:** चीन अपने ऐतिहासिक जुड़ाव के आधार पर, दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे बड़ी बौद्ध आबादी और अपनी **विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम जैसे- नेपाल में लुंबिनी परियोजना** के माध्यम से बौद्ध धर्म को बढ़ावा देता है।
- **भारत की संस्कृति को प्रचारित करने के प्रयासों में संरचनात्मक खामियां:** भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगभग कई देशों में स्थित **'भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद' (ICCR)** के केंद्रों का प्रदर्शन सुस्त रहा है।

सॉफ्ट पावर कूटनीति के रूप में योग

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा **21 जून** को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकृति दी गई है। यह **भारत की सॉफ्ट पावर** की प्रमुख पहचान की वैश्विक मान्यता है।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पैरवी की और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना के संकल्प हेतु महासभा में 175 सदस्य देशों का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहा।
- वर्ष 2015 में मध्य एशियाई सर्किट पर **तुर्कमेनिस्तान** की यात्रा के दौरान, भारतीय प्रधान मंत्री को राजधानी **अश्गाबात** में एक पारंपरिक चिकित्सा और योग केंद्र के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया था।
- योग उद्योग में अभी भी भारतीय लोगों का बहुत अधिक वर्चस्व है और योग में प्रामाणिक प्रशिक्षण अभी भी केवल भारत में ही दिया जाता है।

'सॉफ्ट पावर कूटनीति के रूप में धर्म' को मजबूत करने के उपाय

- **धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना:** धार्मिक पर्यटन के लिए एक अनुकूल पारितंत्र के पोषण के लिए व्यवस्था के **तत्वों के बीच बेहतर समन्वय** की आवश्यकता है।
  - उत्पाद में सुधार, बेहतर कनेक्टिविटी और उत्पादों के रचनात्मक प्रचार तथा विपणन पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक बहुआयामी दृष्टिकोण अंतर्गामी पर्यटन के लिए एक प्रभावी रणनीति बनाने में मदद कर सकता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट राष्ट्रीय और राज्य दोनों सीमाओं को पार करता है। भारत में पर्यटन **राज्य सूची का विषय** है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय (प्रांत आदि) स्तर पर वार्ता व समन्वय के विभिन्न स्तर होने चाहिए।
- **सॉफ्ट पावर का प्रसार तटस्थ होना चाहिए:** हमारी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत का प्रचार-प्रसार करते समय हमारे हितों का कोई संदर्भ नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए है, क्योंकि विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सॉफ्ट पावर का उपयोग करना एक विरोधाभास को उत्पन्न कर सकता है और यह प्रतिकूल भी हो सकता है।
- **अन्य:**
  - **नालंदा विश्वविद्यालय परियोजना का प्रभावी पुनरुद्धार** करना चाहिए। साथ ही, देश भर के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में बौद्ध अध्ययन को बढ़ावा देना चाहिए।
  - **सिविल सोसाइटी** को स्थानीय लोगों में **जागरूकता का प्रसार करने में मदद** करने की आवश्यकता है। यह प्रसार विरासत जागरूकता और संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा सकता है।

सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में भारत और चीन के बीच तुलना

ब्रांड फाइनेंस के **ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2022** के अनुसार, सॉफ्ट पावर के मामले में **चीन चौथे स्थान** पर है, जबकि **भारत 29वें स्थान** के साथ चीन से काफी पीछे है।

वे क्षेत्र, जिनमें भारत चीन से पीछे है:

- **मौद्रिक संसाधनों की कमी:** एक अनुमान के अनुसार, चीन अपने कन्फ्यूशियस संस्थानों और सॉफ्ट पावर प्रचार पर **प्रति वर्ष लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च** करता है। वहीं दूसरी तरफ, ICCR और अन्य एजेंसियां मिलकर **लगभग 300-400 करोड़ रुपये ही खर्च** करती हैं।
- **राज्य के माध्यम से संस्कृति को बढ़ावा देना:** विदेशों में अभी भी भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों की **संख्या काफी कम** है। इसके अलावा, भारतीय संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में **प्रवासियों और सरकारी प्रयासों के मिश्रण** का ज्यादा योगदान नहीं है। यह **स्वाभाविक रूप से तथा भारतीय प्रवासियों के मुख्य योगदान** के कारण ही लोकप्रिय बनी है।
- हालांकि, हाल के दिनों में सरकार ने **भारतीय संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में सक्रिय भूमिका निभानी** आरंभ कर दी है।

चीन के मुकाबले भारत को लाभ

- **लंबी अवधि से लगातार सॉफ्ट पावर का उपयोग:** भारत ने आजादी के बाद से चीन के मुकाबले सॉफ्ट पावर के इस्तेमाल पर अधिक बल दिया है। चीन में, यह अवधारणा 2000 के दशक के मध्य में तेजी से लोकप्रिय हुई थी और अब यह इसकी विदेश नीति के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करती है।
- **मित्रवत विकास भागीदार:** चीन के विपरीत, भारत का विकास कार्यक्रम अपने भागीदारों की **संप्रभुता या अखंडता में हस्तक्षेप करने अथवा उन्हें असहनीय ऋण जाल** के जरिए आर्थिक रूप से पंगु बना देने जैसे आरोपों से मुक्त रहा है।
- **लोकतांत्रिक साख:** भारत के लोकतांत्रिक मूल्य और इसका खुलापन इसे अधिक विश्वसनीय भागीदार बनाते हैं।

6.4.2. भारतीय डायस्पोरा (Indian Diaspora)

प्रवासी भारतीयः एक नज़र में

प्रवासी भारतीय, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्रवास करने वाले लोगों और उनके वंशजों के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक सामान्य शब्द है। प्रवासी भारतीयों में 'अनिवासी भारतीय नागरिक' (NRI) और 'दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त कर चुके भारतीय मूल के व्यक्ति' (PIO) शामिल हैं।

दुनिया में निवास करने वाले प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या भारत के प्रवासियों की है। इसमें **31 मिलियन से अधिक लोग शामिल हैं जिसमें 13 मिलियन से अधिक NRIs और 18 मिलियन PIOs** हैं।

भारत के प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या संयुक्त अरब अमीरात, यू.एस.ए. और सऊदी अरब में निवास करती है। अन्य गंतव्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कुवैत, ओमान, पाकिस्तान, कतर और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं।

भारत 2022 में **100 बिलियन डॉलर वार्षिक विप्रेषण (रेमिटेंस)** प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया था।

प्रवासी समुदाय का महत्त्व

- **आर्थिकः** विप्रेषण का प्रवाह **चालू खाते को संतुलित करने में** मदद करता है। प्रवासी श्रमिक भारत में महत्वपूर्ण सूचनाओं और प्रौद्योगिकियों के प्रवाह को आसान बनाते हैं। कम कुशल श्रमिकों का प्रवास (विशेषकर पश्चिम एशिया में) भारत में **प्रच्छन्न बेरोजगारी को कम करने में मदद** करता है।
- **डायस्पोरा डिप्लोमेसी** भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक अहम हिस्सा है, उदाहरण के लिए– भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता कराने में प्रवासी भारतीयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- **पार–राष्ट्रीय उद्यमिताः** प्रवासी भारतीय, भारत में व्यापार और निवेश के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरे हैं।
- **अनुभवों का प्रचार और प्रसारः** प्रवासी भारतीयों ने विदेशों में भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रसार किया है, उदाहरण के लिए– योग, आयुर्वेद, भारतीय व्यंजन आदि।
- **मेजबान/गंतव्य देश का विकासः** उदाहरण के लिए, अमेरिका में सिलिकॉन वैली, भारतीयों की सफलता को दर्शाती है।

प्रवासी भारतीयों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

- **पश्चिम एशियाः**
  - **शेल गैस की कीमतों में उछाल व तेल की कीमतों में गिरावट** के कारण भारतीयों के लिए नौकरियों में कटौती हुई है।
  - **शिया–सुन्नी टकराव के कारण संघर्ष और अस्थिरता** बढ़ रही है। कट्टरपंथी विचारधाराओं से भारतीयों की सुरक्षा प्रभावित हुई है।
  - **कफाला श्रम प्रणाली** शोषणकारी है।
  - **निताकत कानून** का उद्देश्य सऊदी अरब में विदेशी श्रमिकों के एक बड़े वर्ग की जगह स्थानीय लोगों को रोजगार देना है।
- **यू.एस.ए., कनाडा और यू.के.**
  - अमेरिका में भेदभावपूर्ण व्यवहार, संरक्षणवाद और H-1B वीजा के कठोर मानदंड
  - ब्रिटेन में ब्रेक्जिट के बाद वीजा नियमों में संशोधन।
  - दोहरी नागरिकता की मांग
- **कोविड–19 के कारण उत्पन्न चुनौतियांः** प्रवासी श्रमिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, वेतन की हानि, परिवार के बारे में चिंता तथा तनाव और मेजबान/स्थानीय समुदाय की नकारात्मक प्रतिक्रिया।
- **सामान्य आर्थिक मुद्देः** अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन, काम करने की प्रतिकूल स्थिति, वेतन संबंधी मुद्दे, चिकित्सा और बीमा संबंधी समस्याएं आदि।

प्रवासियों के कल्याण के लिए किए गए उपाय

- **प्रवासी भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय में एक समर्पित प्रभाग** स्थापित किया गया है।
- **प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है।**
- **'भारत को जानो'** कार्यक्रम भारतीय मूल के युवाओं (18–30 वर्ष) को उनकी भारतीय जन्मभूमि और समकालीन भारत से परिचित करवाता है।
- ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम; यह योजना प्रवासी भारतीय नागरिकों (OCI) को कुछ विषयों में नागरिकों की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करती है।
- **स्वर्ण प्रवास योजना**– विदेशों में भारतीय कामगारों की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए नई योजना बनाई गई है।
- भारत सरकार ने कई अन्य देशों के साथ **सामाजिक सुरक्षा समझौतों** पर हस्ताक्षर किए हैं।
- प्रवासी भारतीयों की मदद के लिए **लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों में नए दूतावास खोले** गए हैं।

आगे की राह

- मेजबान/गंतव्य देशों के साथ एक **मानक श्रम निर्यात समझौते** पर बातचीत की जानी चाहिए।
- विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा हमारे विदेशी कामगारों की **निगरानी और पर्यवेक्षण** किया जाना चाहिए।
- हमारे **विदेशी कामगारों के सामने आने वाले जोखिमों को कवर करने वाली अनिवार्य बीमा योजनाएं** शुरु की जानी चाहिए।
- **दूसरी पीढ़ी के PIO व्यक्तियों के लिए पर्यटन को बढ़ावा** देने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।
- NRI/PIO द्वारा स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना पर विचार किया जाना चाहिए।
- NRI/PIO से निवेश आकर्षित करने के लिए **इजरायल बॉण्ड की तर्ज पर विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड** जारी करना।

प्रवासी भारतीय समुदाय देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता है। इस सेतु की सफलता प्रवासी भारतीयों की क्षमता पर निर्भर करती है। इस क्षमता का उपयोग करके वे देश की एक सुसंगत, आंतरिक रूप से प्रेरित और प्रगतिशील पहचान स्थापित और प्रसारित कर सकते हैं।

6.5. साझी सुरक्षा (Common Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पाल्मे इंटरनेशनल सेंटर, इंटरनेशनल पीस ब्यूरो (IPB) और इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन (ITUC) ने **कॉमन सिक्योरिटी 2022** नामक एक रिपोर्ट जारी की है।

साझी सुरक्षा की अवधारणा क्या है?

- कॉमन सिक्योरिटी या साझी सुरक्षा की अवधारणा इस बात पर आधारित है कि किसी भी राष्ट्र, समुदाय या व्यक्ति की सुरक्षा अन्य राष्ट्रों, समुदायों और व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरे में डालकर या कम करके कायम नहीं रखी जा सकती है। इसके लिए अन्य राष्ट्रों, समुदायों और व्यक्तियों को भी समान स्तर की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
  - विश्व के एक भाग में होने वाले किसी भी संघर्ष का दूसरे भाग के लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
  - यूक्रेन या अफगानिस्तान में होने वाले संघर्ष का प्रभाव अन्य विकासशील देशों पर देखा जा सकता है। यह प्रभाव विशेष रूप से खाद्यान्न, उर्वरक और ईंधन की आपूर्ति पर दिखाई देता है।
- साझी सुरक्षा की अवधारणा सुरक्षा के संकुचित पारंपरिक और वास्तविक दृष्टिकोण से परे है।
  - **सुरक्षा का पारंपरिक विचार** बाहरी खतरों या हमलों के खिलाफ राज्य की सुरक्षा या रक्षा करना था।
  - **साझी सुरक्षा** की अवधारणा **अहिंसक दृष्टिकोण के बारे में है।** यह सुरक्षित होने की सार्वभौमिक आवश्यकता से जुड़ी है।

वर्तमान युग में साझी सुरक्षा के समक्ष जोखिम

- **बहुध्रुवीय विश्व में बहुपक्षवाद की चुनौतियां:** वर्तमान समय में नियमों की अनदेखी और उनका उल्लंघन किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था की वैधता संकट में है। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन निरंतर बढ़ता जा रहा है, जैसा कि इराक, फिलिस्तीन/इजराइल, यमन, सीरिया और यूक्रेन से जुड़े हालिया संघर्षों में देखा गया है।

- **सैन्यीकरण:** अधिक तीव्र और घातक परमाणु हथियारों में किया गया भारी निवेश, परमाणु-शक्ति संपन्न राज्यों के बीच बढ़ता तनाव तथा नए तकनीकी विकास ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष गंभीर खतरा पैदा कर दिया है।
  - **कोरियाई प्रायद्वीप** विशेष चिंता ग्रस्त क्षेत्र है। यहां परमाणु युद्ध का खतरा अधिक रहता है और इसके कारण वहां सैन्यीकरण बढ़ रहा है।

- **सत्तावादी शासन व संकुचित होती लोकतांत्रिक व्यवस्था:** पिछले 15 वर्षों में सत्तावादी शासन के लगातार विस्तार और प्रमुख लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हो रहे संकुचन से लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट देखी गई है।
- **ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु संकट:** विश्व में सबसे खराब पारिस्थितिक खतरों का सामना करने वाले 15 देशों में से 11 देश वर्तमान में संघर्षरत हैं।
- **असमानता:** विश्व की लगभग आधी जनसंख्या प्रतिदिन 5.50 डॉलर से भी कम पर गुजारा करती है।
    - बढ़ती आय असमानता से राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है और लोकलुभावनवाद (Populism) तथा राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। इनसे हिंसा और युद्ध में बढ़ोतरी हो सकती है।
- **वर्तमान और भविष्य की महामारी:** अल्प वित्त-पोषित स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के साथ-साथ बढ़ती स्वास्थ्य असमानता तथा प्रतिबंधित वैक्सीन समता (Vaccine Equity) ने हालिया महामारी की तैयारियों में कमजोरियों को प्रकट किया है। इसके अतिरिक्त, इन कारणों ने महामारी की रोकथाम एवं भविष्य की महामारियों के समक्ष मौजूद जोखिम को भी सामने ला दिया है।

साझी सुरक्षा प्राप्त करने के तरीके

- **शांति के लिए वैश्विक संरचना को मजबूत करना**
    - साझी सुरक्षा के सिद्धांतों को शामिल करने वाले ढांचे को विकसित करने के लिए **क्षेत्रीय निकायों,** जैसे- सार्क, खाड़ी सहयोग परिषद और आसियान एवं अफ्रीकी संघ **को प्रोत्साहित करना चाहिए।**
    - सामूहिक विनाश के सभी हथियारों को पूर्णतः समाप्त करने की दृष्टि से **संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस के बीच सामरिक स्थिरता वार्ता को तत्काल शुरू किया जाना चाहिए।** इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच भी सामरिक वार्ता की बहाली की जानी चाहिए।
    - **संयुक्त राष्ट्र संघर्ष-निवारण रणनीतियों में जलवायु संबंधी सुरक्षा जोखिमों** को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- **निरस्त्रीकरण को विकास से जोड़ना:** शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु उपकरणों और विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए अभिनव तरीके खोजने की जरूरत है। इसके अलावा, सैन्य कर्मियों के गैर-सैन्य व्यवसायों में अवसरों के सृजन का समर्थन भी किया जाना चाहिए। गैर-सैन्य व्यवसायों का अर्थ "हथियारों को विंडफार्म में बदलने" के विचार से है। इन अभिनव तरीकों में शामिल हैं:
    - एक **'वैश्विक शांति लाभांश (Global Peace Dividend)'** उत्पन्न करने के लिए सैन्य खर्च में कमी करना। इससे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों व संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों को वित्त पोषित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, जलवायु के अनुकूल रोजगारों के उचित अंगीकरण में भी सहायता प्राप्त होगी।
- **परमाणु हथियारों के नियंत्रण और निरस्त्रीकरण को पुनर्जीवित करना**
    - विशेष रूप से परमाणु हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में **हथियार नियंत्रण संधियों को बहाल किया जाना चाहिए।** उदाहरण के लिए- इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी (INF)।
    - **परमाणु परीक्षण करने वाले देशों द्वारा** विशेष रूप से स्थानीय समुदायों को **तत्काल पीड़ित सहायता और पर्यावरणीय उपचार प्रदान करना चाहिए।**
- **नई सैन्य प्रौद्योगिकियों और बाह्य अंतरिक्ष के हथियारों का विनियमन:**
    - पारंपरिक परमाणु हथियार कमान और नियंत्रण प्रणालियों से अलग **परमाणु कमान व नियंत्रण प्रणालियों पर होने वाले साइबर हमलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।**
    - मानव के हथियारों और सशस्त्र संघर्ष पर नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए **स्वायत्त हथियार प्रणालियों को प्रतिबंधित करना चाहिए।**
    - **बाह्य अंतरिक्ष संधि को मजबूत करने** और इस क्षेत्र के बढ़ते सैन्यीकरण को रोकने के लिए उत्तरदायी स्पेस गवर्नेंस की एक नई संस्कृति स्थापित करनी चाहिए।
- **नागरिक समाज को सहभागी बनाना और उन्हें शामिल करना:** नागरिक समाज को एक प्रहरी और एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्हें राजनीतिक गुटबंदी के विरोध में कार्य करना चाहिए। इसके लिए मौजूदा और नई संधियों में शामिल सत्यापन तथा विश्वास-निर्माण उपायों की सहायता ली जा सकती है।

6.6. खाद्य सुरक्षा की भू-राजनीति (Geopolitics of Food Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विशेषज्ञों का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया एक अभूतपूर्व स्थिति की ओर बढ़ रही है क्योंकि वैश्विक खाद्य कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया भर के देशों को प्रभावित कर रही हैं।

खाद्य सुरक्षा के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र के **खाद्य और कृषि संगठन** के अनुसार, **खाद्य सुरक्षा** से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है, जहां सभी लोगों को हर समय, पर्याप्त, सुरक्षित व पौष्टिक भोजन तक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच प्राप्त हो। साथ ही, इसमें सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए आहार आवश्यकताओं एवं खाद्य प्राथमिकताओं को प्राप्त करना भी शामिल है।
- इस तरह की खाद्य असुरक्षा विशेष रूप से एक राजनीतिक विफलता का परिणाम है। ऐसा इसलिए क्योंकि **वैश्विक खाद्य उत्पादन काफी समय पहले ही सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक खाद्य स्तर को पार कर गया था। वैश्विक खाद्य संकट** ने रणनीतिक राष्ट्रीय महत्व की वस्तु के रूप में खाद्य के विचार को सुदृढ़ता प्रदान की है।
- वर्तमान में विश्व खाद्य कार्यक्रम, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, FAO और विश्व बैंक वैश्विक खाद्य आपूर्ति को मजबूत करने की दिशा में काम करने वाले प्रमुख संस्थान हैं।

खाद्य सुरक्षा पर भू-राजनीति का प्रभाव

भू-राजनीति का **उन क्षेत्रकों पर अधिक प्रभाव पड़ता है जो खाद्य सुरक्षा को सीधे प्रभावित करते हैं** जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

कारक	खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा
व्यापार करने की अनिवार्यता	• वैश्विक खाद्य प्रणाली के **रणनीतिक नोड्स या चोकपॉइंट्स** राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रतिबंधों के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं। • **आर्थिक एकपक्षवाद, संरक्षणवाद और व्यापार युद्ध** में तेजी आई है। • **भू-राजनीतिक टकराव** भी विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुपक्षीय संस्थानों में **सुधार को मुश्किल बनाते हैं,** उदाहरण के लिए- विश्व व्यापार संगठन के दोहा विकास दौर की व्यापार वार्ता की विफलता।
सशस्त्र संघर्ष	• यह **कृषि उत्पादन, व्यापार, परिवहन एवं पहुंच और मानवीय सहायता को बाधित** करता है। • सशस्त्र संघर्ष और **सहवर्ती सामाजिक अशांति भू-राजनीतिक प्रतिक्रियाओं** का कारण बन सकती है, उदाहरण के लिए- वर्ष 2010-11 का अरब स्प्रिंग।
प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा	• **ग्रीन ग्रैबिंग (Green Grabbing):** यह पर्यावरणीय संधारणीयता और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलनकारी समन्वयन को संदर्भित करता है। यह जैव ईंधन के उत्पादन के कारण होता है। • **रिसोर्स ग्रैबिंग (Resource Grabbing):** चीन फास्फोरस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जबकि उसके पास कुल वैश्विक भंडार का केवल 5% है। इसके कारण भारत जैसे आयातक देश प्रतिकूल भू-राजनीतिक घटनाओं के दौरान आपूर्ति के संकट के प्रति संवेदनशील बन जाते हैं।
जलवायु परिवर्तन	• **खाद्य असुरक्षा** वर्तमान में निम्न अक्षांशों वाले विकासशील देशों में केंद्रित है जो **जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।** इस प्रकार, जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **असमानता को विस्तृत और गहन कर सकता है।**

आगे की राह

- **खाद्य मंच को भू-राजनीति के प्रभाव से बचाना:** वैश्विक स्तर पर भुखमरी के संदर्भ में होने वाले बहु-हितधारक संवाद, समन्वय और सहयोग के प्रति समर्पित मंचों को भू-राजनीति के प्रभावों से बचाने की आवश्यकता है।
- **वैश्विक गवर्नेंस के बदलते मॉडल:** गैर-राज्य और बाजार-आधारित संगठनों को शामिल करके गवर्नेंस प्रणाली में विविधता लाई जानी चाहिए। इससे नए हित गठबंधन और साझेदारियां स्थापित की जा सकती हैं। ये गठबंधन एवं साझेदारियां संभावित रूप से **अंतर्राज्यीय प्रतिद्वंद्विता और ज़ीरो-सम लॉजिक की उपेक्षा कर सकती हैं।**
- **खुले व्यापार को बनाए रखना:** अधिशेष खाद्य वाले क्षेत्रों से जरूरतमंद क्षेत्रों तक खाद्य को पहुँचाने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसा प्रमुख खाद्य उत्पादकों द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों को तत्काल समाप्त करके किया जा सकता है।
    - **व्यापार वित्त-पोषण में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।** इससे खाद्य कीमतों के संकट को दूर किया जा सकता है।
- **पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण के प्रयासों को तेज करना:** कुछ देशों पर निर्भरता कम करने के लिए पुनरुत्पादक कृषि और प्रकृति के प्रति सकारात्मक समाधान की दिशा में कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
- **विकासशील देशों में उत्पादकता में वृद्धि:** यह भौगोलिक उपज अंतराल को समाप्त करेगी और खाद्य आपूर्ति के समक्ष किसी भी वैश्विक संकट का मुकाबला करने में सक्षम बनाएगी।
- **जलवायु लचीलापन:** कम लागत व उच्च प्रभाव वाले उपायों पर ध्यान देने के साथ-साथ जलवायु-अनुकूल कृषि में निवेश करना चाहिए, जैसे-
    - फसल की नई किस्मों में निवेश;
    - जल प्रबंधन में सुधार;
    - सूचना का प्रसार आदि।

6.7. प्रौद्योगिकी की भू-राजनीति (Geopolitics of Technology)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5G और बिग डेटा जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों की दिशा में वैश्विक संक्रमण ने वैश्विक भू-राजनीति को प्रभावित करना आरंभ कर दिया है।

भू-राजनीति और प्रौद्योगिकी के मध्य क्या संबंध है?

आधुनिक भाषा में, भू-राजनीति को व्यापक रूप से राष्ट्र-राज्यों के मध्य अंतर्क्रिया और संबंध के रूप में समझा जा सकता है। प्रौद्योगिकी का विकास और अंगीकरण न केवल भू-राजनीति की प्रकृति पर प्रभाव उत्पन्न करता है, बल्कि इससे प्रभावित भी होता है। उदाहरण के लिए, रूस का सैन्य तकनीकी विकास मुख्य रूप से उसकी पश्चिमी सीमाओं पर उसकी अतिसंवेदनशीलता से प्रेरित था।

निम्नलिखित को तकनीकी पहुँच, अंगीकरण और विकास को **प्रभावित करने वाले प्रमुख भू-राजनीतिक कारकों** के रूप में उद्धृत किया जा सकता है:

- **भौगोलिक स्थिति:** वैश्विक भौगोलिक स्थिति तकनीकी प्राथमिकताओं का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, अपने कठोर भूगोल और दुर्लभ जल संसाधनों के कारण, इज़राइल ने जल संरक्षण, पुन: उपयोग और विलवणीकरण वाली प्रौद्योगिकियां विकसित करने पर काफी समय और संसाधन व्यय किया है।
- **संसाधनों तक सापेक्ष पहुंच:** संसाधनों तक सापेक्ष पहुंच देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थान दिलाती है। उदाहरण के लिए, श्रम की व्यापक पैमाने पर उपलब्धता चीन को श्रम गहन क्षेत्रों में तुलनात्मक लाभ की स्थिति प्रदान करती है।
    - इसी प्रकार अमेरिका में पूंजी की वृहद पैमाने पर उपलब्धता इसे अनुसंधान और विकास के लिए तुलनात्मक लाभ प्रदान करती है।

- **अन्य देशों के साथ संबंध:** भूमंडलीकृत विश्व में, तकनीकी विकास सामूहिक रूप से होता है न कि एकल रूप से। परिणामस्वरूप, देशों के मध्य संबंध प्रौद्योगिकी के सहभाजन को सक्षम बनाता है। इस प्रकार, सामूहिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। उदाहरण के लिए, भारत-इजरायल संबंधों का एक प्रमुख पहलू इनके मध्य कृषि प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान रहा है।
- **राष्ट्रीय प्राथमिकताएं और घरेलू बाधाएं:** उदाहरण के लिए- प्रौद्योगिकी संचालित निजी क्षेत्र अनुकूल परिवेश वाले राष्ट्रों की ओर बढ़ता है, उदाहरणार्थ- मजबूत स्टार्ट-अप संस्कृति वाले देश।

इन प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों द्वारा संभावित रूप से भू-राजनीतिक परिदृश्य को कैसे बदला जा सकता है?

- **सुरक्षा:** नई प्रौद्योगिकियां साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, हाइब्रिड युद्ध जैसे खतरों के उद्भव में और दूरसंचार जैसे महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुभेद्यताओं के दोहन में नई चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। **देशों के भीतर इन प्रौद्योगिकियों का सापेक्ष अभाव देशों के मध्य सुरक्षा संतुलन में परिवर्तन लाता है।**
- **अंतर्राष्ट्रीय स्थिति:** प्रौद्योगिकीय विकास की सीमा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, अस्थिर पड़ोस में एक छोटा-सा देश होने के बावजूद इज़राइल काफी वैश्विक प्रभाव रखता है। यह इज़राइल में हुए प्रौद्योगिकीय विकास के कारण संभव हो सका है।
- **आर्थिक संवृद्धि: डेटा चालित प्रौद्योगिकियों का नियंत्रण** ऐसे प्रमुख तकनीकी चर के रूप में परिलक्षित होता है, जो देशों के बीच भविष्य की आर्थिक प्रतिस्पर्धा का संचालन करेगा।

विश्व स्तर पर प्रौद्योगिकी की वर्तमान भू-राजनीति कैसे कार्य कर रही है?

नई प्रौद्योगिकियों का उद्भव भिन्न-भिन्न देशों से विविध प्रतिक्रिया प्राप्त कर रहा है। व्यापक रूप से इन प्रतिक्रियाओं को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

- **तकनीकी रूप से सर्वाधिकारवादी प्रतिक्रिया:** इस श्रेणी में अपने डेटा बाजार को बंद करने या प्रौद्योगिकी का प्रवाह प्रतिबंधित कर देने वाले देश आएंगे (उदाहरणार्थ- **चीन**)।
- **तकनीकी रूप से लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया:** इस श्रेणी के अंतर्गत वे देश वर्गीकृत किए जा सकते हैं, जो न्यायिक मानकों व विधि के शासन से निर्देशित होते हैं और डेटा व प्रौद्योगिकी की मुक्त (परन्तु सदैव मुक्त नहीं) आवाजाही का समर्थन करते हैं।

इन दो प्रकारों के मध्य परस्पर क्रिया ने वैश्विक क्षेत्र में राजनीतिक, वैचारिक और आर्थिक तनाव उत्पन्न किया है और निम्नलिखित भू-राजनीतिक वाद-विवादों का सृजन किया है:

- **प्रौद्योगिकी का अमेरिका-चीन संबंधों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा?**
    - जिस प्रकार यह मुद्दा आगे बढ़ेगा, उसका प्रौद्योगिकी और उससे संबद्ध भू-राजनीति के भविष्य पर व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होगा।
- **क्या इंटरनेट 'स्प्लिन्टरनेट' में विभाजित हो जाएगा?**
    - इंटरनेट शासन दृढ़ होने के साथ-साथ, वल्डर्वाइड वेब के स्वतंत्र डिजिटल पारितंत्रों के संग्रह या "स्प्लिन्टरनेट" में खंडित होने की संभावना भी बढ़ सकती है। यह उभरता हुआ मॉडल साइबर स्पेस में अधिक से अधिक बाजार नियंत्रण का प्रयोग करने और विदेशी प्रतिस्पर्धा को बाहर करने के इच्छुक राज्यों एवं व्यवसायों के लिए आकर्षक हो सकता है।
- **क्या वैश्विक विनियामकीय व्यवस्था का निर्माण संभव है?**
    - हालांकि वर्तमान प्रवृत्तियां विभूमण्डलीकरण और खंडित विश्व की ओर संकेत कर रही हैं, परन्तु वैश्विक समन्वय से प्रौद्योगिकी का विकास तीव्रतम ही रहता है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए, यह संभव है कि निकट भविष्य में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विनियामकीय व्यवस्थाएं उत्तरोत्तर एक साथ आ सकती हैं।

भारत के लिए आगे की राह

- **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून (Personal Data Protection Law: PDPL):** PDPL का अधिनियमन त्वरित करना चाहिए, क्योंकि यह डेटा की सीमा-पार आवाजाही पर स्पष्टता प्रदान करेगा और अन्य उपबंधों के साथ-साथ व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को भी विनियमित करेगा।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

- **नई प्रौद्योगिकियों पर विनियामकीय स्पष्टता:** ब्लॉकचेन, ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियों पर भारत की अनुक्रिया अस्पष्ट रही है, जिससे उनके विकास में बाधा आई है। उल्लेखनीय है कि स्पष्ट दृष्टिकोण से सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रकों द्वारा तेजी से अंगीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा।
- **वैश्विक मंच लिए स्पष्ट पक्ष विकसित करना चाहिए:** 5G व ब्लॉकचेन जैसी प्रौद्योगिकियों को कैसे नियंत्रित किया जाना चाहिए, इस पर स्पष्ट पक्ष अपनाने से भारत की स्थिति को अधिक विश्वसनीयता प्राप्त होगी। साथ ही, इस पक्ष को घरेलू दृष्टिकोण के अनुरूप बनाने की भी आवश्यकता है।
- **प्रौद्योगिकी कूटनीति:** विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2020 में नई, उभरती और सामरिक प्रौद्योगिकियों (NEST) के प्रभाग का गठन किया है। समर्पित **प्रौद्योगिकी राजदूत या प्रौद्योगिकी समन्वयकों** की नियुक्ति करके इस विचार को आगे बढ़ाया जा सकता है।

तकनीकी पहुंच को राजनयिक संबंधों का प्रमुख भाग बनाना: प्रौद्योगिकी तक पहुंच विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देश के लिए भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों की एक प्रमुख विशेषता होनी चाहिए, जिसमें बड़ी अवशोषी क्षमता है।

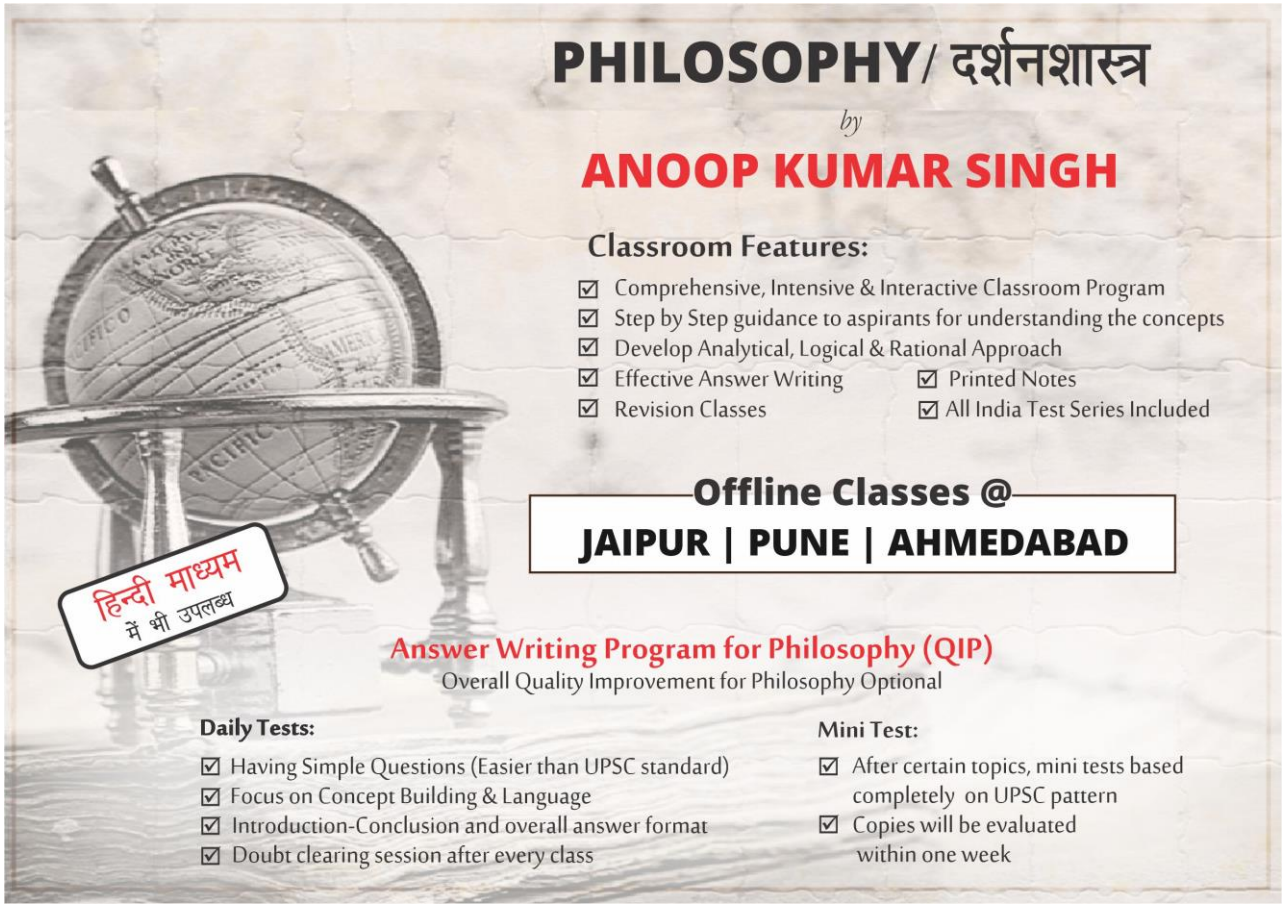

वीकली फोकसः अंतर्राष्ट्रीय संबंध

क्र. सं.	टॉपिक	अन्य जानकारी
1.	भारत एवं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार	
2.	भारत और चीन के आर्थिक संबंध	
3.	वैश्वीकरणः अंत या रूपांतरण की ओर?	
4.	कोविड–19 और विश्व व्यवस्था	
5.	भारत और हिंद–प्रशांत	
6.	क्षेत्रीय संपर्कः ग्रेट गेम में भारत की भूमिका	

क्र. सं.	टॉपिक	अन्य जानकारी
7.	जबरन विस्थापनः एक मानवीय त्रासदी और विकास संबंधी चुनौती	
8.	पैराडिप्लोमेसीः विदेश नीति के विकेन्द्रीकरण के गुण और दोष	
9.	लोकतंत्र का विश्लेषणः उद्भव से लेकर लोकतंत्र के समक्ष खतरे और पुनरुद्धार तक	
10.	भारतीय विदेश नीति का बदलता स्वरूप	
11.	भारत की आर्थिक कूटनीति पर एक नज़र	
12.	विश्व व्यवस्थाः उदय और संभावित पतन	

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

Lakshya Mains Mentoring Program 2023

Lakshya Mains Mentoring Program 2023 is a targeted revision, practice, and enrichment Program that aids students in achieving excellence in the UPSC Mains Examination 2023. The Program adopts a strategic approach by providing smart preparation strategies, developing critical thinking and analytical skills, and advanced answer-writing abilities.

Scan the QR code to Register

Features of the Program

Dedicated Senior Mentor

A Senior Mentor is assigned to each student to provide personalized guidance in each aspect of the Mains examination preparation and assist students in consolidating their strengths maximizing their performance by identifying and improving upon student weaknesses.

Emphasis on High-Scoring Potential Subjects

The Program lays special emphasis on subjects like Ethics and Essay and provides ample opportunity for students to inculcate the learnings and effect their implementation in the answer writing.

Regular Group Sessions

Aspirants engage in interactive sessions conducted by experienced mentors which provide subject-specific strategies, insights from toppers, advanced-level answer-writing skills, etc.

Answer Enrichment

Aspirants gain insights from institutional experience and the answer scripts of previous toppers to enhance the content and presentation of their answers, making them impactful and effective.

Live Practice Sessions

Through these practice sessions, aspirants can implement session learnings and receive immediate feedback from their mentors to refine their approach and boost their confidence.

Lakshya Mains Practice Test (LMPT)

Aspirants can undertake the scheduled LMPTs in online/Offline modes to put their knowledge and skills to the test and validate their preparation strategies.

Expert Evaluation

The LMPT is evaluated by the expert team at VisionIAS through an Innovative Assessment System to provide detailed feedback for further improvement.

Feedback Session with Assigned Mentor

In this session, students can discuss the feedback received on their LMPT performance and their Answer Scripts to address any doubts or concerns in a personalized setting with their Mentor.

Peer Interaction and Motivation

Aspirants participate in constructive discussions, share their experiences, insights, and motivation with fellow aspirants facilitating co-learning and development.

Multi-platform Support

Aspirants can benefit from a comprehensive support system in the form of online/offline Groups and One-to-One sessions, telephonic support, and a dedicated Telegram platform for immediate assistance whenever needed.

With its intelligent design, effective implementation, dedication from Senior Mentors, and active participation of Students, the Program has achieved tremendous success in a short period of time with **Waseem Ahmad Bhat** securing an impressive All India Rank (AIR) of 7, **Siddharth Shukla AIR 18,** and **Anoushka Sharma** securing AIR 20.

Heartiest Congratulations
to all Successful Candidates

39 in Top 50 Selections in CSE 2022

1 AIR
ISHITA KISHORE

2 AIR
GARIMA LOHIA

3 AIR
UMA HARATHI N

हिंदी माध्यम में 40+ चयन CSE 2022 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

66 AIR
KRITIKA MISHRA

85 AIR
BHARAT JAI PRAKASH MEENA

105 AIR
DIVYA

120 AIR
GAGAN SINGH MEENA

173 AIR
ANKIT KUMAR JAIN

8 in Top 10 Selections in CSE 2021

2 AIR
ANKITA AGARWAL

3 AIR
GAMINI SINGLA

4 AIR
AISHWARYA VERMA

5 AIR
UTKARSH DWIVEDI

6 AIR
YAKSH CHAUDHARY

7 AIR
SAMYAK S JAIN

8 AIR
ISHITA RATHI

9 AIR
PREETAM KUMAR

1 AIR
SHUBHAM KUMAR
CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station
DELHI

Mukharjee Nagar
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar, New Delhi – 110009

For Detailed Enquiry,
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

अहमदाबाद भोपाल चंडीगढ़ गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची